सप्तम माला, खंड 50, अंक 19, शुक्रवार, 17 अगस्त, 1984/ 26 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 17 अगस्त, 1984/26 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 17, नीचे से पंक्ति 4, "(रु० । कि०ग्रा०)" के स्थान पर "(रु० प्रति कि०ग्रा०)" पढ़िये।

पृष्ठ 31, पंक्ति 3, स्तम्भ 3, "कच्चा माल" के पश्चात "(कपास)" जोड़िये

पृष्ठ 43, नीचे से पंक्ति 7, "श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर" के स्थान पर "श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर" पढ़िये।

पृष्ठ 94, पंक्ति 8, "श्री एस०ए०दोराई सेबास्तिन" के स्थान पर "श्री एस०ए०दोराई सेबस्तियन" पढ़िये।

पृष्ठ 109, पंक्ति 11, "अमेरिका" के स्थान पर "अरेबिका" पढ़िये।

पृष्ठ 109, पंक्ति 12, "एवो" के स्थान पर "ए' बी" पढ़िये।

पृष्ठ 111, पंक्ति 6, "चोन द्वारा" का लोप करिये।

पृष्ठ 111, पंक्ति 7, कोष्ठक में "चोन" के स्थान पर "चोन" पढ़िये।

पृष्ठ 114, नीचे से पंक्ति 4, "(तिलक)" के स्थान पर "(किल्लक)" पढ़िये।

पृष्ठ 118, पंक्ति 4, "अथथा" के स्थान पर "अथवा" पढ़िये।

पृष्ठ 132, पंक्ति 10, "सरगूजा" को तारांकित करिये।

पृष्ठ 153, पंक्ति 6 व 20,

पृष्ठ 141, पंक्ति 4, "रवाणो" के स्थान पर "रावणो" पढ़िये।

पृष्ठ 166, नीचे से पंक्ति 8, "14,99,70·586 रु० के स्थान पर "14,99,70,586 रु०" पढ़िये।

पृष्ठ 170, पंक्ति 13, "871" के स्थान पर "3071" पढ़िये।

पृष्ठ 171, पंक्ति 2, "कटल" के पश्चात "मछली" जोड़िये।

पृष्ठ 174, नीचे से पंक्ति 6, "संख्या एल0टी0 8388/84" के स्थान पर "संख्या एल0टी0 8588/84" पढ़िये।

पृष्ठ 175, पंक्ति 11, "श्री जनर्दन पुजारी" के स्थान पर "श्री जनार्दन पुजार पढ़िये।

पृष्ठ 182, पंक्ति 21 और पृष्ठ 183, पंक्ति 14, "श्री जी0वी0नरसिंह राव" के स्थान पर "श्री पी0वी0नरसिंह राव" पढ़िये।

पृष्ठ 183, पंक्ति 18, "जोतेन्द्र प्रसाद" के स्थान पर "जितेन्द्र प्रसाद" पढ़िये

पृष्ठ 185, पंक्ति 4, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदय" पढ़िये

पृष्ठ 185, नीचे से पंक्ति 5, "अमुसूचित" के स्थान पर "अनुसूचित" पढ़िये।

पृष्ठ 193, नीचे से पंक्ति 2, "तो" के स्थान पर "जो" पढ़िये।

पृष्ठ 195, पंक्ति 9, 19 व अंतिम पंक्ति, पृष्ठ 196, पंक्ति 1, 6 और पृष्ठ 200, पंक्ति 2, 7 व 10, पृष्ठ 203, पंक्ति 5, पृष्ठ 208, पंक्ति 4, पृष्ठ 20 पंक्ति 4, पृष्ठ 213, अंतिम पंक्ति, पृष्ठ 214, प्रथम पंक्ति "सभापति महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 198, नीचे से पंक्ति 2, "रामअवतार" के स्थान पर "रामावतार" पढ़िये

पृष्ठ 215, नीचे से पंक्ति 7, "लक्ष्मी" के स्थान पर "लक्ष्मी" पढ़िये।

पृष्ठ 216, पंक्ति 14, "श्रीमती जयन्ती पटनायक" के नाम को तारांकित करिये

पृष्ठ 226, नीचे से पंक्ति 8, "श्री अजित कुमार मेहता" के स्थान पर "श्री अजित कुमार मेहता" पढ़िये।

पृष्ठ 230, नीचे से पंक्ति 7, "पाशो" के स्थान पर "पालो" पढ़िये।

पृष्ठ 230, नीचे से पंक्ति 3, "प्रसारभ मंत्री" के स्थान पर "प्रसारण मंत्री" पढ़िये

पृष्ठ 233, नीचे से पंक्ति 10, "सपना" के स्थान पर "अपना गाना" पढ़िये।

पृष्ठ 233, नीचे से पंक्ति 7, "ममृता प्रीतम" के स्थान पर "अमृता प्रीतम" पढ़िये।

पृष्ठ 243, पंक्ति 12, "सुझाव" के स्थान पर "सुझाव" पढ़िये।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 50, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 19, शुक्रवार, 17 अगस्त, 1984/ 26 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	6—172
तारांकित प्रश्न संख्या : 374 से 387 और 389 से 394	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3704 से 3768, 3770 से 3774, 3776 से 3869 और 3871 से 3873	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	174—176
राज्य सभा से संदेश	176
लोक लेखा समिति	176
219 वां प्रतिवेदन	
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	176
नवां प्रतिवेदन	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	177—180
दिल्ली में अपराधों, सशस्त्र डकैतियों और हत्याओं की घटनाओं में हो रही वृद्धि के समाचार और राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय	
श्री जैनुल बशर	177

*किसी नाम पर अंकित +- चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 177

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 180

दक्षिण-पूर्व रेल के जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन सैक्शन पर चारेगांव तथा समनपुर स्टेशनों के बीच 4 जी०जे० जबलपुर-गोंदिया यात्री गाड़ी की 16 अगस्त, 1984 को हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य 180—182

श्री मल्लिकार्जुन 180

विधेयक—पुरःस्थापित 182—183

(एक) संविधान (50 वां संशोधन) विधेयक 182

(दो) संविधान (51 वां संशोधन) विधेयक 183

नियम 377 के अधीन मामले 183—185

(एक) उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु काली मिर्च तथा मसाला बोर्ड गठित करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन 183

(दो) भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत 184

(तीन) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना 185

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 26वें और 27वें प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के पहले और दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 185—195, 200—209

श्री राम प्यारे पनिका 186

श्री गिरिधर गोमांगो 201

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा 203

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 195

80 वां प्रतिवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संबंध में संकल्प 195—200

श्री मूल चंद डागा 196

श्री बूटा सिंह 199

सभा का कार्य 209—210

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 210—227

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ कौशल 210

श्री मूल चन्द डागा 214

श्रीमती जयन्ती पटनायक 216

श्रीमती शालिनी वी० पा 220

श्री पी० नामग्याल 221

श्री सुन्दर सिंह 222

खंड 2 से 8 तथा 1 224—227

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ कौशल 227

चलचित्र (संशोधन) विधेयक 228—241,
241—245

विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव

श्री एच० के० एल० भगत 228

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 229

श्री मूलचन्द डागा 230

श्री बृज मोहन महन्ती 233

श्री गिरधारी लाल डोगरा 235

श्री एच० के० एल० भगत 236

खंड 2, 3 तथा 1 241

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एच० के० एल० भगत 242

श्री पी० नामग्याल 242

प्रो० एन० जी० रंगा 243

कार्य-मंत्रणा समिति 241

66 वां प्रतिवेदन

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक 245—250

विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण 245

श्री मूल चन्द डागा 246

प्रो० एन० जी० रंगा 248

खंड 2 से 5 तथा 1 249—250

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस०एम० कृष्ण 250

लोक सभा

शुक्रवार, 17 अगस्त, 1984/26 श्रावण 1906 (शक)

लोक सभा म० पू० 11.05 पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । अस्वीकृत ।

श्री राजेश कुमार सिंह : **

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : **

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये । 388 का तो मैंने जवाब भेजा हुआ है । दूसरा प्रश्न होता है कांस्टीट्यूशन का, अगर मन में कुछ शंका है, तो किस तरीके से यह हो सकता है, उसके लिए आपके पास रूल्स हैं । अगर आप एमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उनके अनुसार कर सकते हैं । ...(व्यवधान)...आप मेरी बात सुनिये ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अगर आप सुनें तो मैं बता सकता हूं। मेरी बात तो आप सुनते नहीं है।··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते: महोदय, आपके इस सुझाव के आधार पर कि यह मामला राज्यपाल के विरुद्ध प्रस्ताव के रूप में ही उठाया जा सकता है, यदि हम ऐसा चाहें तो क्या आप हमें नियम 184 के अधीन राज्यपाल के पक्षपातपूर्ण रवैये की निन्दा करने और उसकी बर्खास्तगी की मांग करने वाला प्रस्ताव रखने की अनुमति देंगे ?

(व्यवधान)

स्वयं आपने ही यह निर्णय दिया है कि आप प्रस्ताव के आधार पर हमें राज्यपाल के आचरण पर बहस करने की अनुमति देंगे। मैंने नियम 184 के अधीन सूचना दी है जिसमें आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल की निन्दा की गई है तथा उसे तुरन्त बर्खास्त करने की मांग की गई है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय कोई सुनेगा तब तो। मैं तो बता रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बता रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं, कोई सुने तब तो।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान नियम 352 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :—

"उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।"

महोदय, मैंने आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने के लिए पहले ही नियम 184 के अधीन पूर्व-सूचना दे रखी है। मैंने उस सम्बन्ध में कहा है कि यह सभा···पक्षपात पूर्ण रवैये की निन्दा करती है··· (व्यवधान)

महोदय, स्वयं आपने ही हम यह सुझाव दिया था कि इस मामले पर चर्चा केवल प्रस्ताव के अंतर्गत ही हो सकती है। मैंने नियम 184 के अधीन उचित सूचना दी है, इसलिए, आप हमें राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूं। आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं। आधा घंटा हो गया है। जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वही दंडवते जी ने भी पढ़ा है। मैं भी तो वही कहने जा रहा हूं। आप लोग मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वही पढ़ने जा रहा था। यह है सही विधि। यदि आप राज्यपाल की कार्यवाही पर चर्चा करना चाहते हैं तो यह प्रस्ताव के अंतर्गत ही की जा सकती है। कृपया बैठ जाइये।

औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उस पर विचार करना होगा। आपके साथी आपकी बात नहीं चलने देते। उनके साथ फाइट कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उनके साथ लड़ाई करने का कोई प्रश्न नहीं है। राज्यपाल की कार्यवाही की निन्दा करने में हम सब एकमत हैं। आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या फैसला कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके मित्र सुनना नहीं चाहते और केवल शोर मचाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, चिल्लाने से कोई खुशी नहीं मिलती। मैंने आपका सुझाव मान लिया है। मैंने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। कृपया हमें बताएं कि आपका क्या विनिर्णय है ? कृपया उस पर अपना विनिर्णय दीजिये। (व्यवधान) हम आपका निर्णय सुनना चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : **

श्री रशीद मसूद : मान्यवर, हम लोग आपसे मिले थे, आपने कहा था कि यदि कोई सब्सटैन्टिव मोशन होगा तो हम उसको ले लेंगे... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सुनना चाहे, तब तो मैं कुछ कहूं... (व्यवधान)

आप पूछिए, अगर वे सुनना चाहें तो (व्यवधान)

मैं अपना निर्णय देने के लिए तैयार हूं, पहले आप लोग बैठिए तो...

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : **

श्री राजेश कुमार सिंह : **

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, मैं तो अपना निर्णय देना चाहता हूं, मगर कोई सुनने के लिए तैयार हो, तब न···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए तो सुनाता हूं। सीधी-सी बात है, हमारे पास रुल्स बने हुए हैं और उनके तहत ही हमें इस हाउस को चलाना है। आप जो कहना चाहते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले बीच में आप ही बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा।

नियम 352 की व्याख्या में कहा गया है—

"व्याख्या—शब्द 'उच्च अधिकार वाले व्यक्तियों' का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अंतर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए।"

इस प्रकार, हमारे पास इस प्रकार की चीजों के कई उदाहरण मौजूद हैं।

आज कोई नई बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, पहले आप कर लीजिए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आपने अभी-अभी एक नियम पढ़कर सुनाया है। मैंने नियम 352 के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा है कि यह सभा··· **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : यह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुमति नहीं है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : नियम 184 के अधीन जिस प्रस्ताव की मैंने सूचना दी है, उसमें क्या अनियमितता है ? कृपया मुझे बताएं कि उसमें कोई अनियमितता है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं ।

प्रो० मधु दंडवते : लेकिन मैंने इसे आपको पढ़कर सुनाया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा । यह तो देखूंगा तब पता चलेगा साहब ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : मेरे प्रस्ताव पर आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए । मैं दे दूंगा । मैं तो दे रहा हूं, कोई सुनता नहीं है ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया अपना विनिर्णय दीजिए । हम बैठ जाएंगे और इसे सुनेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे को क्यों कहते हैं, अपने साथियों को कहें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हूं । मुझे इस बारे में किसी प्रकार की शंका कदापि नहीं रही है क्योंकि मैंने इस विषय का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और जो कुछ भी नियमों के अंतर्गत आता है, उसके लिए मैं आपको कभी 'न' नहीं कहूंगा । आपने मुझे यह नियम बताया है । आप अन्य नियम भी तो पढ़िए । आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है और हम इस पर विचार करेंगे ।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सभा-पटल के समीप आकर फर्श पर बैठ गए)

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : सभा आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है ।

11.37 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजकर दो मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयकर विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग पुनः शुरू किया जाना

*374. डा० बसन्त कुमार पण्डित
श्री एन० के० शेजवलकर } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग पुनः शुरू करने के विस्तृत कारण क्या हैं;

(ख) क्या आयकर विभाग के श्रेणी III के कर्मचारियों के एसोशियेशनों संघों/परिसंघों ने आयकर विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग पुनः शुरू करने पर सरकार से विरोध प्रकट किया था;

(ग) इस विरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार आयकर विभाग में कम्प्यूटरों के प्रयोग की योजना को समाप्त करेगी क्योंकि यह योजना विशेष रूप से आयकर विभाग के श्रेणी III के कर्मचारियों तथा सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग के हित में नहीं है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) आयकर विभाग ने सीमित प्रयोजनों के लिए माइक्रो प्रोफेसर का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है । दिल्ली में 22 तथा 24 मई, 1984 के बीच आयोजित आयकर आयुक्तों के सम्मेलन ने विभाग के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कम्प्यूटर तथा दूसरे यान्त्रिक साधनों का प्रयोग करने की सिफारिश की थी इस समय—

(1) प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने,

(2) आंकड़े तैयार करने में गति तथा शुद्धता सुनिश्चित करने, तथा

(3) कर्मचारियों को आवर्ती तथा नीरस स्वरूप के कार्यों से राहत देने, के लिए इन सुविधाओं का सीमित प्रयोग करने का विचार है ।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) ऊपर (क) में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए सरकार का विचार है कि आयकर विभाग में ई०डी०पी० उपायों के सीमित प्रयोग से रोजगार संभावनाओं में कमी, संभावित बेरोजगारी नहीं होगी तथा यह आयकर विभाग में विशेषकर श्रेणी-III (समूह ग) कर्मचारियों तथा आमतौर पर श्रमिक वर्ग के हितों के प्रतिकूल नहीं होगा।

भिन्न दरों पर ब्याज देने सम्बन्धी योजना के उद्देश्य

*375. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लागू की गयी भिन्न दरों पर ब्याज देने सम्बन्धी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की भिन्न दरों पर ब्याज देने सम्बन्धी योजना लागू की गयी है;

(ग) उड़ीसा में कितने जिलों में भिन्न दरों पर ब्याज देने सम्बन्धी योजना कार्यान्वित की गयी है;

(घ) क्या उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में भिन्न दरों पर ब्याज देने सम्बन्धी योजना के कार्यान्वियन की समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की योजना लागू करने का प्रयोजन कहां तक सिद्ध हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विभेदी ब्याज दर (डी०आर०आई०) योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को रियायती ब्याज दर पर छोटे ऋण उपलब्ध कराना है। 1972 में शुरू की गयी विभेदी ब्याज दर योजना को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विशिष्ट शाखाओं के माध्यम से कतिपय पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया जाना था। लेकिन मई 1977 के बाद से विभेदी ब्याज दर योजना को समचे देश में लागू कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एन०आई०बी०एम०) द्वारा देश में विभेदी ब्याज दर योजना के समूचे कार्यकलापों का अध्ययन किया गया था। एन०आई०बी०एम० द्वारा

दिसम्बर 1982 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया गया है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन, अधिकांशत: उस वर्ग के लोग आते हैं जिनके लिए यह योजना तैयार की गयी थी और अधिकतर हिताधिकारियों की आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

उगांडा को रेल बैगनों की सप्लाई

*376. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश को उगांडा को रेल बैगन सप्लाई करने का ठेका मिला है; और

(ख) यदि हां, तो यह ठेका कितने मूल्य का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) संविदा का मूल्य 16.51 करोड़ रु० है।

भारतीय चाय का निर्यात

*377. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन देशों के नाम तथा संख्या के बारे में, जहां भारतीय चाय अधिकांशत: प्रयोग की जाती है, कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है कि ब्रिटेन में भारतीय चाय की खपत में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय चाय के निर्यात पर इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) चाय बोर्ड नियमित रूप से विश्व चाय व्यापार से सम्बन्धित आंकड़ों को मानिटर करता है तथा उनका विश्लेषण करता है और साथ ही इस संबंध में अपने विदेश स्थित कार्यालयों से रिपोर्टें प्राप्त करता है। हालांकि, ब्रिटेन में चाय की प्रत्यक्ष खपत में कमी की कुछ रिपोर्टें हैं, परन्तु उस देश को भारतीय चाय के निर्यातों का संतोषजनक स्तर बना रहा है और हाल के वर्षों में उनमें गिरावट का रुख नहीं आया है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हथियारों की तस्करी करने के कारण सेवानिवृत ब्रिगेडियर की गिरफ्तारी

*378. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल**
श्री मनोहर लाल सैनी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमा शुल्क अधिकारियों ने पालम हवाई अड्डे पर एक सेवा निवृत्त ब्रिगेडियर को देश में तस्करी से हथियार लाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया था;

(ख) क्या उसके चण्डीगढ़ स्थित निवास स्थान पर मारे गये छापों से गैर-कानूनी हथियार, लाइसेंस और गोला बारूद मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विश्वास है कि मौजूदा मामला किसी बड़े षड़यंत्र का भाग नहीं है और सीमा शुल्क अधिकारी इससे पहले भी उस तरह के हथियारों को आबाध रूप से लाने ले जाने की अनुमति नहीं देते थे; और

(ङ) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सभी रैंकों के सीमा शुल्क अधिकारियों की संख्या कितनी है और इस महत्वपूर्ण हवाई अड्डे में कार्य करने के लिए इनको बदलकर अन्य राज्यों के उपयुक्त अधिकारियों को तैनात करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां । एक सेवा-निवृत्त ब्रिगेडियर, श्री जागीर सिंह को 450 कारतूसों सहित 3 रिवाल्वरों और अन्य विविध माल को देश में तस्करी आयात का प्रयास करते हुए दिनांक 20-7-84 को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) और (ग) जी हां । चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उनके चंडीगढ़ स्थित निवास-स्थान पर छापा मारा गया था । उस छापे में एक एस०बी०बी०एल० गन, एक एस०बी०बी०एल० राइफल, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में अनेक किस्म का गोला-बारूद तथा हथियारों के 17 लाइसेंस बरामद हुए थे ।

(घ) पालम हवाई अड्डे पर स्थित सीमा शुल्क अधिकारी हथियारों को मुक्त रूप से लाने और ले जाने की अनुमति नहीं देते रहे हैं ।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय चाय व्यापार निगम का पुनर्गठन

*379. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के एक निदेशक की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त सरकारी दल भारतीय चाय व्यापार निगम के समस्त प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार करने का काम इस मंत्रालय के किसी उच्चाधिकार प्राप्त सरकारी दल को नहीं सौंपा गया है। तथापि, भारतीय चाय व्यापार निगम के काम का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है तथा मंत्रालय के एक वित्तीय दल ने हाल ही में भारतीय चाय व्यापार निगम के वित्तीय एवं लेखा कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया था । इसके अनुसार चाय व्यापार निगम ने कार्यप्रणाली को सरल व कारगर बनाने हेतु और वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

ब्रिटेन तथा अन्य देशों से वित्तीय सहायता

*380. **श्री विरदा राम फुलधारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन भारत को 56 करोड़ 77 लाख रुपए का अनुदान देगा;

(ख) क्या कुछ अन्य देशों ने भी भारत को अनुदान देने के लिए इसी प्रकार के प्रस्ताव किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को अनुदान देने वाले देशों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक देश कितना अनुदान देगा तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां । यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने वर्ष 1984-85 के लिए दी जाने वाली ऋण सम्बन्धी राहत के बदले, पारस्परिक सहमति से तय की गई परियोजनाओं की स्थानीय लागत के वित्तपोषण के प्रयोजन से 376 लाख पौंड स्टर्लिंग (लगभग 56.77 करोड रुपए) का अनुदान देने के लिए सहमति दे दी है ।

(ख) जी, नहीं । किसी भी अन्य देश ने ऋण सम्बन्धी राहत के बदले में, भारतीय

परियोजनाओं की स्थानीय लागत के वित्तपोषण के लिए ऐसे अनुदान नहीं दिए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बदायूं (उत्तर प्रदेश) में आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापे

*381. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग द्वारा जुलाई, 1984 के मध्य में किसी समय कुछ व्यक्तियों जिनका व्यापार बदायूं (उत्तर प्रदेश) में और कुछ अन्य स्थानों पर है, के भवनों, कारोबार-स्थलों, दुकानों तथा प्रशीतागरों पर, कोई छापे मारे गये थे;

(ख) क्या वहां कुछ नकदी, आभूषण, सोना, चांदी तथा अन्य निषिद्ध वस्तुएं तथा काले धन से संबंधित अभिशंसी दस्तावेज पाए गए थे, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त भवनों और कारोबार स्थलों की कितने दिनों तक के और कुल कितने समय तक जांच की गई और छापे मारने वाली पार्टी के साथ जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) आयकर विभाग ने बदायूं (उत्तर प्रदेश) के हर सहाय मल, सर्राफ समूह के मामलों के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों की 17-7-1984 को तलाशियां लीं और लगभग 6.3 लाख रुपये मूल्य की लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ीं । एक स्वर्ण बिस्कुट तथा अपराध-आरोपणीय पुस्तकें तथा दस्तावेज भी पकड़े गये हैं ।

(ग) इन तलाशियों का कार्य 17-7-1984 को प्रातः 9.00 बजे शुरू किया गया और लगातार 19 घंटे तक जारी रहा । इस तलाशी दल में 22 आयकर अधिकारी, 25 निरीक्षक तथा स्टाफ के 22 अन्य सदस्य थे ।

बैंकों द्वारा कपड़ा मिलों को ऋण दिए जाने सम्बन्धी नियम

*382. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों को ऋण दिये जाने के बारे में टंडन समिति द्वारा बनाये गये नियम क्या हैं;

(ख) कपड़ा उद्योग को बैंक ऋणों की अधिक राशि सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त नियमों के सम्बन्ध में पाठक समिति ने नियमों में क्या परिवर्तन किये हैं; और

(ग) क्या कपड़ा उद्योग की सहायता के लिए उनके मंत्रालय द्वारा की गयी इस कार्यवाही तथा अन्य कार्यवाहियों से कपड़ा उद्योग इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकेगा ?

'वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित तालिकागत सामान/प्राप्त वस्तुओं के मानकों का और पाठक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित मानकों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) तालिकागत सामान/प्राप्य वस्तुओं से सम्बद्ध मानकों में संशोधन कर दिए जाने से, कपड़ा मिलों को नकदी सम्बन्धी रुकावटों के संबंध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में, जो जमा हो गए अनबिके स्टाक और बढ़ी हुई प्राप्य वस्तुओं के कारण पैदा हो जाती है, सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, अर्थक्षम रुग्ण एककों को फिर से खड़ा करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थाएं प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर उपयुक्त मिला-जुला पुनर्स्थापना कार्यक्रम तैयार करती है। इन उपायों से कपड़ा उद्योग के अर्थक्षम एककों को सहायता मिलेगी।

विवरण

कपड़ा उद्योग के लिए तालिकागत सामान और प्राप्त वस्तुओं संबंधी मानक

उद्योग का वर्गीकरण	टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर पहले के मानक	पाठक समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित मानक	टिप्पणी
1	2	3	4
सूती मिलें/ब्लेंडिड कपड़ा मिलें			
(क) कच्चा माल			
(1) कपास	2 महीने (बंबई और अहमदाबाद) 3 महीने (पूर्वी क्षेत्र) 2½ महीने (उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न)	2 महीने (बंबई और अहमदाबाद) 3 महीने (पूर्वी क्षेत्र) 2½ महीने (उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न)	

1	2	3	4
(2) सिन्थेटिक रेशे/धागा	2 महीने	1½ महीना	
(3) कपड़ा	अलग से निर्धारित	½ महीना	यह मानक संयुक्त मिलों पर भी लागू होगा जो कच्चे माल के रूप में कोरा कपड़ा खरीदती हैं।
(4) अन्य कच्चा माल (स्टोर और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं सहित)	2 महीने	2 महीने	मशीनरी अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर जो वर्तमान इलाकों के अनुसार रखे जाएंगे।
(ख) संसाधन-अधीन-स्टाक			
(1) संयुक्त मिलें	¾ महीना	1½ महीने	
(2) कताई मिलें	½ महीना	½ महीना	
(3) संसाधन मिलें	½ महीना	¾ महीना	यदि कोई जाब वर्क हाथ में लिया जाएगा तो बंद हुए मानक उस अंश तक लागू नहीं होंगे।
(ग) तैयार माल और प्राप्य वस्तुएं			
(1) संयुक्त मिलें	2 1/4 महीने	3 महीने	
(2) संसाधन मिलें और अन्य	2 1/4 महीने	2½ महीने	जाब वर्क एककों के मामले में बढ़े हुए मानक लागू नहीं होंगे।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विज्ञापन दिये जाने पर प्रतिबंध

*383. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 मई, 1984 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "बैन आन एडवर्टाइजमेंट्स टिल सैप्टेम्बर" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विज्ञापन दिये जाने पर पूरा प्रतिबंध लगाये जाने संबंधी इस योजना से क्या लाभ हुआ है ;

(ग) क्या इस प्रतिबंध को मार्च, 1985 तक बढ़ाने की संभावना है ; और

(घ) क्या अर्थव्यवस्था के हित में सभी बैंकों को इन अनुदेशों को मानने के आदेश दिये जा सकते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 8 मई, 1984 के "इकोनामिक टाइम्स" में सितम्बर, 1984 तक बैंक विज्ञापनों पर प्रतिबंध के संबंध में प्रकाशित समाचार को देखा है ।

सरकार के खर्च में कमी करने के अभियान के अंग के रूप में मार्च, 1984 से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सितम्बर, 1984 के अंत तक सर्वाधिक अपेक्षाओं को छोड़कर प्रचार और विज्ञापनों पर सभी प्रकार का खर्च बन्द करने के अनुदेश दिए गए थे ।

यद्यपि मार्च, 1984 को लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप हुई बचत का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है लेकिन पिछले वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए खर्च को देखते हुए यह आशा की जाती है कि बचत काफी होगी । पूरी स्थिति का पता वर्ष समाप्त होने के बाद ही चल सकेगा ।

अभ्रक का निर्यात

*384. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभ्रक का निर्यात लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सरकार साधित अभ्रक जो कि एक सारणीबद्ध मद है, और फैब्रिकेटिड अभ्रक और अन्य अभ्रक उत्पादों,

जो असारणीबद्ध मदें हैं, के निर्यात बढ़ाने के सभी सम्भव प्रयास कर रही है। साधित अभ्रक के लिये 1984-85 के लिए 27 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यथानुपात आधार पर, सारणीकरण अभिकरण, मिटको ने अप्रैल-जुलाई, 1984 की अवधि में अभी तक 9.18 करोड़ रु० मूल्य के माल का निर्यात करके लक्ष्य को पार किया है।

तांबे की सिल्लियों और ट्यूबों पर सीमा शुल्क

*385. **श्री भीखाभाई :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे की सिल्लियों पर सीमा-शुल्क तांबे की ट्यूबों से कम है ;

(ख) क्या इस संबंध में पहले भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) सीमा शुल्क की दरों में इस विषमता का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तांबे की सिल्लियों पर मूल्यानुसार 75 प्रतिशत की प्रभावी दर से तथा तांबे की ट्यूबों पर मूल्यानुसार 80 प्रतिशत की प्रभावी दर से मूल सीमाशुल्क उद्ग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त, इन पर उपमंगी शुल्क और अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क भी लगते हैं।

(ख) पिछले कुछ समय में, तांबे की सिल्लियों और तांबे की ट्यूबों पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के संबंध में व्यापारी वर्ग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) टेरिफ दरों में कोई असमानता नहीं है। आधारभूत धातुओं पर उदग्रहणीय शुल्क की तुलना में उत्पादों पर शुल्क की उच्चतर दर लगाये जाने से प्रतिस्थापन उत्पादों के आयात को बढ़ावा मिलता है।

जोधपुर और सीतापुर में स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

*386. **श्री राम लाल राही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्रों से बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले और उत्तर प्रदेश

के सीतापुर जिले के जिला उद्योग केन्द्रों से बैंकवार कितने और किन व्यक्तियों के नाम ऋणों की मंजूरी हेतु सिफारिश की गयी है ;

(ग) क्या उन सभी बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दे दिए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय 15 अगस्त, 1983 को शिक्षित बेरोजगार युवकों के वास्ते घोषित स्व-रोजगार योजना से है। इस योजना के अधीन जिला उद्योग केन्द्र (डी० आई० सी०) नोडीय एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं तथा आवेदनों की जांच एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) द्वारा की जाती है। बैंक कृतिक बल द्वारा सिफारिश किये गये आवेदन प्राप्त करने के पश्चात मंजूरी दिए जाने से पूर्व उनकी पुन: जांच करते हैं।

(ख) अखिल भारतीय स्तर की वर्तमान सूचना प्रणाली में जिला-वार सूचना नहीं रखी जाती, इसलिए जोधपुर तथा सीतापुर जिलों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध राज्यों में 1983-84 के दौरान इस योजना की प्रगति इस प्रकार थी :

राज्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत मामले		संवितरण	
	संख्या	संख्या	राशि (लाख रु०)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु०)
राजस्थान	10000	15054	2365.30	10691	1502.45
उत्तर प्रदेश	36000	36857	5382.82	23614	2969.33

(ग) और (घ) मंजूर किए गए सभी मामलों में संवितरण मार्च, 1984 से पहले नहीं किया जा सका क्योंकि बहुत अधिक संख्या में आवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में मंजूर किये गये थे। बैंकों को मंजूर किए गए सभी मामलों में तेजी से संवितरण किये जाने के अनुदेश दे दिये गये हैं।

उद्यमी व्यापारिक निर्यातकों को अतिरिक्त आयात लाइसेंस देने की योजना का मूल्यांकन

*387. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन**
श्री अर्जुन सेठी } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई व्यापार केन्द्रों के सर्वेक्षण से पता चला है कि उद्यमी व्यापारिक निर्यातकों को अतिरिक्त आयात लाइसेंस दिये जाने की योजना निर्यातकों के लिये उत्साह-वर्धक नहीं रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी नहीं। सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। उद्यमी व्यापारिक निर्यातकों को, जो लघु उद्योग एककों कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, विशेष सुविधाएं देने की योजना में उद्यमी व्यापारिक निर्यातकों को, 1984-85 में लघु उद्योग/कुटीर क्षेत्र एककों द्वारा निर्मित उनके चुनिन्दा उत्पादों के निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत के आधार पर, कतिपय विहित शर्तों के अध्यधीन• 1985-86 में अतिरिक्त लाइसेंस देने की व्यवस्था है।

देश में कृत्रिम रेशे का उत्पादन

*389. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक प्रकार के देशीय और आयातित कृत्रिम रेशे (गैर सेल्यूलोसिक फाइबर के अलावा) का भारतीय मुद्रा में अलग अलग मूल्य क्या है ; और

(ख) देशीय कृत्रिम रेशे के उत्पादन को बढ़ावा देने के बारे में सरकार की नीति क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) देश में उत्पादित किए जाने वाले मुख्य कृत्रिम सेल्यूलोसिक फाइबर हैं : विस्कोस स्टेपल फाइबर तथा रूपान्तरित स्टेपल फाइबर। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

मद	स्वदेशी (रु० 1 कि० ग्रा०)	आयातित (सी० आई० एफ०) 1.5 डेनियर (रु० प्रति कि० ग्रा०)
विस्कोस स्टेपल फाइबर	22.60	14.19
रूपान्तरित स्टेपल फाइबर	27.86	19.18

(ख) सरकार की नीति स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त

करने की है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कृत्रिम फाइबरों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विदेशी सहयोग के लिये मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के उपाय

*390. **डा० प्रताप बाघ**
श्री संतोष मोहन देव } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विपणन और एक निजी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित अध्ययन के यह निष्कर्ष निकले हैं कि भारत में निर्णय लेने में अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया के कारण अमेरिकी व्यापारिक अधिकारियों का निवेश और सहयोग के लिए रुझान अन्य देशों की ओर हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हमारी सरकार का विचार विदेशी सहयोग के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु क्या उपाय करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) संभवतः माननीय सदस्य हाल ही में किए गए एक अध्ययन की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसका शीर्षक "डूइंग बिजनेस कोलेबोरेशंस इन इंडिया" है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंण्ट तथा ओवरसीज प्राइवेट इनवेस्टमेंट कारपोरेशन की ओर से इंडिया इंटरनेशनल इंक नामक एक संगठन ने सम्पन्न किया है। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापारिक सहयोग के लिए भारत में विद्यमान राजनैतिक स्थिरता तथा स्वस्थ आर्थिक वातावरण और देश के समृद्ध साधनों तथा औद्योगिक प्रगति के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर संबंधी तथा अन्य सारवान प्रोत्साहनों का उल्लेख किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अमरीकी प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए भारत में लाभप्रद अवसर मौजूद हैं। किन्तु इस अध्ययन में यह भी कहा है कि अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि सरकार ने अपनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और देश की प्राथमिकताओं के अनुसार विदेशी सहयोग के कार्यों को अनुमोदित करने के लिए पहले से बहुत तेज समय सारणियां स्थापित की हैं।

(ग) अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। इन प्रक्रियाओं की बराबर समीक्षा की जाती है।

निर्यात-आयात संबंधी नीतियों के वर्तमान ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिए उच्च स्तरीय समिति

*391. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री सुधीर गिरि } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात-निर्यात संबंधी नीतियों के वर्तमान ढांचे का पुनरीक्षण करने और निर्यात संवर्धन की कारगरता का पता लगाने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निवेश-पद क्या हैं और उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) वह अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(1) निर्यात तथा आयात नीतियों के वर्तमान ढांचे की समीक्षा ;

(2) निर्यात संवर्धन उपायों की, वास्तविक निर्यात निष्पादन पर उनके प्रभाव के संदर्भ में कारगरता पर विचार करना ;

(3) निर्यात नीतियों में, जहां आवश्यक हो, सुव्यवस्थीकरण तथा सुधारों का सुझाव देना ; और

(4) विदेशी मुद्रा के संरक्षण तथा सफल आयात प्रतिस्थापन के संवर्धन हेतु आयात नीतियों में समुचित परिवर्तनों तथा सुव्यवस्थीकरण का सुझाव देना ।

समिति के सदस्य ये हैं :—

1. श्री आबिद हुसैन, वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2. श्री पी० के० कौल, वित्त सचिव ।	सदस्य
3. श्री एस० एस० सिंधु, सचिव, औद्योगिक विकास ।	"
4. डा० अर्जुन सेन गुप्त, प्रधान मंत्री के विशेष सचिव ।	"
5. डा० सी० रंगराजन, उप-गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक ।	"
6. श्री एम० नरसिन्हम, प्राचार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद ।	"

7. श्री पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात । सदस्य

8. डा० दीपक नय्यर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय । सदस्य-सचिव

(ग) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट छः महीनों की अवधि में प्रस्तुत कर देगी ।

पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन का मूल्यांकन

*392. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल म चाय के उत्पादन में वृद्धि की संभावनाओं का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार के मूल्यांकन का क्या ब्यौरा है और पश्चिम बंगाल में चाय की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन के वर्तमान आंकड़े क्या हैं ;

(ग) पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक यदि कोई कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है तो वे क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जी हां । पश्चिम बंगाल के बारे में चाय उद्योग के लिए 7 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 3500 हेक्टर के रोपण विस्तार, 3950 हेक्टर के पुनर्रोपण, 14,400 हेक्टर के नवीकरण जीर्णोद्धार तथा भराई, उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने और उत्पादन सुविधाओं तथा अन्य कार्यकलापों, जिनमें 7 वीं योजनावधि के दौरान श्रमिक गृहों का निर्माण शामिल है, के साथ-साथ लगभग 37,000 हेक्टार में जल-निकासी के सृजन किये जाने की व्यवस्था है । ऐसा अनुमान है कि उपरोक्त विकासात्मक उपाय लागू करने से इस योजनावधि के अन्त तक पश्चिम बंगाल में चाय की फसल लगभग 28 मिलियन कि० ग्रा० तक बढ़ जाएगी और औसत उत्पादकता 1372 कि० ग्रा० प्रति हेक्टर से बढ़कर 1700 कि० ग्रा० प्रति हेक्टर तक हो जाएगी । पश्चिम बंगाल में उपरोक्त विकासात्मक कार्यकलापों की लागत के रूप में 174.07 करोड़ रु० की राशि आंकी गई है । पश्चिम बंगाल में 1983 में काली तथा हरी चाय का कुल उत्पादन 145.57 मिलियन कि० ग्रा० हुआ । इसमें से चाय के उत्पादन का चार मिलियन कि० ग्रा० होने का अनुमान लगाया गया है ।

इस समय पश्चिम बंगाल में चाय एस्टेट इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे चाय बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों तथा आर्थिक सहायताओं का उपयोग करें । दार्जिलिंग चाय बगीचों की पुनर्स्थापना हेतु एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है । पुनर्स्थापना को सुकर

बनाने के लिए दार्जिलिंग चाय पर से उत्पाद-शुल्क घटाकर केवल 20 पैसे प्रति कि० ग्रा० कर दिया गया है।

तमिलनाडु में पर्यटन के लिये आधारभूत सुविधाओं का विकास

*393. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के पर्यटन केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ख) कन्याकुमारी टाउनशिप कमेटी द्वारा प्रस्तुत वृहत योजना को मंजूरी देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु राज्य में 53,47,000/- रु० की राशि खर्च की गई है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

पर्यटन विभाग	राशि
1981-82	3,000,00 रु० (जनता होटल के लिए ग्राउंड रैन्ट हेतु)
1982-83	3,000 00 रु० (जनता होटल के लिए ग्राउंड रैन्ट हेतु)
	50,000·00 रु० मेले और त्यौहारों का संवर्धन
1983-84	3,000·00 रु० (जनता होटल के लिए ग्राउंड रैंट हेतु)
	50,000·00 रु० मेले और त्यौहारों का संवर्धन
	1,09,000·00 रु०
भारत पर्यटन विकास निगम	
1981-82	38,000·00 रु० महाबलीपुरम समुद्र तट विहार
	1,42,000·00 रु० मदुरै में होटल
	7,85,000·00 रु० मद्रास में ट्रांसपोर्ट फ्लीट में वृद्धि
1982-83	1,000·00 रु० महाबलीपुरम समुद्र-तट विहार
	38,72,000·00 रु० मद्रास में ट्रांसपोर्ट फ्लीट में वृद्धि
1983-84	4,00,000·00 रु० मद्रास में ट्रांसपोर्ट फ्लीट में वृद्धि
	52,38,000·00 रु०

कन्याकुमारी की मास्टर योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है और इस पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की भर्ती परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प

*394. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून-की भर्ती-परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का कोई विकल्प नहीं हैं ,

(ख) यदि हां, तो कब से नहीं है ;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दी, जो कि इस प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित परिक्षाओं के लिए राष्ट्रीय भाषा है, के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों को सहायता देने अथवा हिन्दी प्रोत्साहन देने के संबंध में कोई व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन अकादमियों की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी—दोनों परीक्षाएँ पूर्णतः वस्तु-निष्ठ होती हैं। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को लिखित उत्तर नहीं देने होते हैं बल्कि उन्हें दिए गए उत्तरों में से किसी एक पर चिन्ह मात्र लगाने होते हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रश्न पत्रों में हिन्दी माध्यम का विकल्प देने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिक पुनर्निर्माण और विकास बैंक का गठन

3704. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, भारत में रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सहायता देने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण और विकास बैंक स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बैंक द्वारा समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपबन्ध किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने कम्पनी अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी अर्थात भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० (आई० आर० सी० आई०) को सांविधिक निगम में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है जिसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के नाम से जाना जाएगा। औद्योगिक रूग्णता की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित पुनर्निर्माण बैंक को प्रबन्ध का अधिग्रहण

करने, औद्योगिक उपक्रमों की चालू प्रतिष्ठान के रूप में, पट्टे पर देने अथवा बेचने, देनदारियों को घटा कर पुनर्निर्माण के वास्ते योजनाएं तैयार करने, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए विलयन अथवा सम्मेलन के वास्ते योजनाएं प्रस्तुत करने समेत कई शक्तियां प्राप्त होंगी। पुनर्निर्माण बैंक को समापक कम्पनियों के पुनर्निर्माण अथवा न्यायालयों के निर्देश पर उनका स्वस्थ्य प्रतिष्ठानों में समामेलन किये जाने के वास्ते उच्च न्यायालयों के अनुमोदनार्थ योजनाएं प्रस्तुत करने का भी अधिकार होगा।

सोवियत संघ के माध्यम से तीसरे विश्व के देशों में नए बाजारों का पता लगाना

3705. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सोवियत संघ के माध्यम से तीसरे विश्व के देशों में तथा विकासशील समाजवादी देशों में नए बाजारों का पता लगा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ भारत द्वारा यूरोपीय वस्तुओं के लिये एजेंटों के रूप में कार्य किये जाने की संभावनाओं का पता लगा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या वाणिज्य सचिव ने सोवियत संघ के अपने दौरे के दौरान इस पर चर्चा की थी ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) उक्त समझौता, भारत के व्यापार में कहां तक सहायक होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्रों के लिये मांगी गई सहायता

3706. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान, हथकरघा क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) राज्य सरकार हथकरघा विकास योजनाओं के लिये अपना भाग रिलीज करने के बाद ही केन्द्र को धनराशि रिलीज करने को कहती है क्योंकि अधिकतर योजनाएं विपणन आधार पर हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा हथकरघा विकास के लिये केरल को रिलीज की गई धनराशियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु० में)

योजना	1982-83	1983-84
1. प्राथमिक समितियां	10.50	12.00
2. शीर्ष समितियां	7.00	7.00
3. राज्य हथकरघा विकास निगम	7.00	20.00
4. आधुनिकीकरण	4.00	—
5. प्रबन्धकीय उपदान	5.00	—
6. संसाधन	—	23.80
7. विशेष छूट	67.30	17.29
8. जनता कपड़ा उपदान	20.89	19.68
9. निर्यात उत्पादन परियोजनाएं	3.00	—
योग	124.69	99.77

विलयित कम्पनियों के आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 141क और 72क में अन्तर्विरोध

3707. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलयित कम्पनी को जो किसी रूग्ण उद्योग के उस कारोबार घाटे और मूल्य-ह्रास की उस अनवशोषित रकम को आगे ले जाकर आयकर अधिनियम की धारा 72क के अधीन लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं, आयकर अधिनियम की धारा 141-क के अधीन अस्थायी कर निर्धारण के अंतर्गत वापसी की मंजूरी तब तक नहीं होती, जब तक कि उस विलयित कंपनी का,

उसके उससे पूर्व वर्षों का, नियमित कर निर्धारण नहीं हो जाता, जिसमें सामान्यत: तीन वर्ष लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या रूग्ण एककों के सुदृढ़ कंपनियों के साथ विलय को सुगम बनाने एवं उसके लिये प्रोत्साहन देने की यह धारा 72क का यह निहित उद्देश्य कि विलयित कंपनी को कर में मिलने वाली बचत का उपयोग उस रूग्ण कंपनी को तेजी से फिर से खड़ा कर सके, उपरोक्त उपबंध में विफल नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कंपनियों द्वारा रूग्ण एककों के अधिग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 141क में यह व्यवस्था है कि अनन्तिम कर-निर्धारित करते समय, आगे ले जाए गये घाटे/मूल्यह्रास के सिर्फ उन मामलों को उचित रूप से हिसाब में लिया जाएगा जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में नियमित कर-निर्धारण करते समय पहले ही गिन लिया गया है। ये उपबंध आयकर अधिनियम की धारा 72-क के अंतर्गत आने वाले मामलों पर भी लागू होते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 141-क से धारा 72-क के उद्देश्य समाप्त नहीं होते। विलयनकारी कंपनी के पुन: प्रवर्तन के लिए निवेशों में विलयित कंपनी द्वारा निवेश, विलयनकारी कंपनी द्वारा आंतरिक साधनों से नकदी की उपलब्धि, वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा धारा 72-क के अंतर्गत कर लाभ शामिल हैं। चूंकि कर लाभ लेने से पहले धारा 72-क(2) की शर्तें पूरी करनी होती हैं, इसलिए विलयित कंपनी, रुग्ण एकक को पुन: चालू करने के लिए शीघ्र उपाय कर सकती है और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 72-क(2) (II) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन कर सकती है। विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर नितान्त शीघ्रता तथा तत्परता से कार्यवाही करती है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

काबुल के साथ द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध

3708. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत और काबुल के बीच द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल काबुल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की काबुल यात्रा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :- (क) व्यापार समीक्षा वार्ता के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 17 से 20 फरवरी, 1984 तक काबुल का दौरा किया ।

(ख) तथा (ग) इस बात पर सहमति हुई कि अफगानिस्तान को भारतीय निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति के संबंध में भारतीय पक्ष की चिन्ता के संदर्भ में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और उसके विविधीकरण के लिए आवश्यक प्रयास किये जाएं । अन्य बातों के साथ-साथ निम्न-लिखित निर्णय किए गए :

1) यह निर्णय लिया गया कि दोनों देशों में बैंकों के बीच सीधे पत्र व्यवहार संबंध स्थापित किए जाएं और इंडियन बैंक की विदेश स्थित शाखाओं में अफगान परि-वर्तनीय मुद्रा खाते खोले जाएं ताकि व्यापार में सुविधा हो । कार्यान्वयन पहले ही आरम्भ हो गया है ।

(2) अफगान पक्ष ने भारत से होने वाले आयातों के वित्त पोषण के लिए ऋणों का अनुरोध किया । एग्जिम बैंक ने ऋण व्यवस्था आफर की है जिसकी सूचना अफगान सरकार को दी जा रही है ।

(3) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि विशेष रूप से सिगरेट, बसें, ट्रक, भेषज, पंप, डीजल जैनरेटर, कृषि मशीनरी और हल्का इंजीनियरी माल जैसी मदों के भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाएं ।

निरीक्षण महानिदेशालय में ग्रुप 'ए' पदों का द्विभाजन

3709. **श्री जैनुल बशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालय संगठन के ग्रुप ए' पदों को गैर-सैनिक और सैनिक अधिकारियों के बीच में विभाजित कर दिया है तथा गैर-सैनिक और सैनिक अधिकारियों के दोनों संवर्गों की, गत्यावरोध की स्थिति को दूर करने के लिए संवर्ग पुनरीक्षा की गई है और सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) क्या पदों के द्विभाजन को उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उचित बताया गया है;

(ग) क्या निरीक्षण महानिदेशालय अब गैर-सैनिक और सैनिक अधिकारियों के पदों को अस्थायी तथा स्थायी आधार पर अंत-बदल कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है तथा इस अंतबर्दल के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अगस्त, 1982 में जारी सरकारी पत्र में, एक अस्थायी उपाय के तौर पर, सैनिक और सिविलियन पदों को सिविलियनों और सेना अफसरों द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। व्यवहार्य होने पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है ।

(घ) गत दो वर्षों में इस प्रकार की अस्थायी बदली 5 सैनिक पदों (जिन पर सिविलियन अधिकारी थे) और 7 सिविलियन पदों (जिन पर सैनिक अफसर थे) में की गई थी । प्रशासनिक कारणों, न्यायालय के आदेशों आदि की वजह से यह व्यवस्था करना जरूरी हो गया था और अब यह व्यवस्था 12 मामलों में से 7 में पहले ही बदल दी गयी है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा छोटे औद्योगिक एस्टेटों के संवर्धन का प्रस्ताव

3710. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण भारत के रूप परिवर्तन हेतु गांवों में छोटे औद्योगिक एस्टेटों के संवर्धन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक द्वारा बनाई गई योजना की विस्तृत रूप-रेखा क्या है और उसमें कितना योजना परिव्यय शामिल है;

(ग) क्या उड़ीसा के आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कुछ एस्टेट खोले जाएंगे और यदि हां, तो कितने और कहां-कहां पर; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इस समय उन औद्योगिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिनकी परियोजना लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक हो उन औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्वित्त सहायता

दे रहा है जिनकी परियोजना लागत 3 करोड़ रु० से कम हो। पुनर्वित्त योजना के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यह सहायता लघु औद्योगिक विकास निगम, आधारभूत विकास निगमों, लघु तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के अन्य संवर्द्धनात्मक संगठनों, सहकारी समितियों आदि द्वारा गठित औद्योगिक क्षेत्रों को राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा बैंकों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। पुनर्वित्त योजना के अधीन पुनर्वित्त के पात्र किसी औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण की न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए रखी गयी है। यह भी निर्धारित किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र का आकार 15 करोड़ से प्रायः कम नहीं होना चाहिए ताकि वह अर्थ-क्षम हो सके। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अर्थक्षम क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु औद्योगिक क्षेत्रों, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों की अर्थक्षमता की जांच करने का प्रस्ताव है ताकि मौजूदा पुनर्वित्त योजना में संशोधन किया जा सके।

(ग) और (घ) उड़ीसा के जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र पुनर्वित्त के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अर्थक्षमता की शर्तों को पूरा करते हों। ऐसे क्षेत्रों के संवर्द्धन और उनकी स्थापना की जिम्मेदारी लघु और विकेन्द्रीकृत उद्योगों के लिए गठित राज्य स्तरीय संवर्द्धन संगठनों पर होगी। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में राज्य स्तरीय संगठनों द्वारा ऐसे कितने लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जाएगा और ऐसे संगठनों के स्थानों में निर्णय लिये जाने के कारण क्या होंगे।

कच्चे पटसन की कमी

3711. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ढाका में हुई भारत बंगलादेश व्यापार वार्ता के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या भारतीय व्यापार मण्डल को चालू वर्ष में बंगलादेश से पटसन के आयात की संभावनाओं पर चर्चा की सलाह नहीं दी गई थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कच्चे पटसन की चली आ रही कमी का न केवल उत्पादकों के हितों पर प्रभाव पड़ेगा वरन पश्चिम बंगाल में अनेक मिलों ने पटसन की अनुपलब्धता के बहाने पर उत्पादन में कटौती करना प्रारम्भ कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पटसन मिलों के बदली श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और स्थायी कर्मचारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि काम के घंटे कम कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कच्चे पटसन की कमी का बहाना करके मिलों में श्रमिकों की संख्या कम किये जाने को रोकने के लिए जिसका कि सभी पटसन श्रमिकों और उनके मजदूर संघों ने विरोध किया है क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारत तथा बंगलादेश के बीच व्यापार समीक्षा वार्ता 24 से 27 जुलाई, 1984 तक ढाका में हुई । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि असंतुलन को कम करने और व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएं । तथापि, बंगलादेश से पटसन के आयात पर विशेष चर्चा नहीं हुई ।

(ग) तथा (घ) वर्तमान कच्चे पटसन की कीमतें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सांविधिक कीमतों से कहीं अधिक हैं । इसलिए उपजकर्ताओं के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है । अब तक कच्चे जूट की कमी के कारण कोई भी जूट मिल बन्द नहीं हुई है । वास्तव में मई और जून, 1984 के महीनों के दौरान कच्चे जूट की खपत पिछले वर्ष की उसी अवधि की खपत की अपेक्षा काफी अधिक है । इसके अलावा, मिलों में कच्चे पटसन के बराबर वितरण को सुनिश्चित करने और कमजोर मिलों को सहायता देने के लिये मिलों के कच्चे पटसन के जमा भंडार जूट (लाइ-सेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अधीन विनियमित किए गए हैं ।

किराये के अंश को नकद रकम के स्थान पर अन्य प्रकार से प्राप्त करने वाले मकान मालिकों के मामले में आय-कर का आकलन

3712. **श्री विगम्बर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री एयर इंडिया को किराये पर आवास देने वाले मकान मालिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा के बारे में 6 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6749 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन मामलों में मकान मालिक अपने आयकर प्रतिवेदन में नकद रकम के स्थान पर अन्य प्रकार से प्राप्त किराए के अंश के मूल्य को नहीं दर्शाते हैं, उस पर कर अपवंचन का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था है; और

(ख) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री एस० एम० कृष्ण**) : (क) जी, हां । आयकर कार्य-विधि, जो करदाता द्वारा दाखिल की गई आय की विवरणी की कर-निर्धारण पूर्व छानबीन का तथा उसके परिणामत: होने वाली ऐसी जांच-पड़तालों का अधिकार देती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किरायेदार की प्रति-जांच भी शामिल की जा सकती है, ऐसा तन्त्र है जिसके द्वारा कर की चोरी का पता लगाया जा सकता है ।

(ख) आयकर प्राधिकारी 9-3-1984 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2132 के उत्तर में बताए गये मामलों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मैसर्स एग्रर इण्डिया से भी उनके द्वारा किये गये करार के ब्यौरे बताने का निवेदन किया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के एककों के आधुनिकीकरण और कार्य पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित धनराशि

3713. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इस समय चलाई जा रही स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक यूनिट के आधुनिकीकरण और कार्य पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए कितनी धनराशि अपेक्षित है; और

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के प्रत्येक मिल द्वारा रखी जा रही कच्चे माल और तैयार उत्पाद की उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

(करोड़ रु० में)

स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० के अनुषंगी एकक का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि, 1985—90 के दौरान आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित मांग तथा निधियां	कार्यकारी पूंजी मानदण्डों के अनुसार मौजूदा मांग
1. रायबरेली, टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	1·29	0·41
2. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	2·37	5·59
3. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	0·99	1·26
4. स्वदेशी काटन मिल्स, माउनाथ भंजन	1·02	1·08
5. स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी	4·12	3·03
6. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	14·44	2·93

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० के प्रत्येक एकक द्वारा रखे गए कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की मांग-सूची का स्तर 30-6-84 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित

प्रकार है :—

(लाख रु० में) (अनन्तिम)

	एकक का नाम	कच्चा माल	तैयार माल
1.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	7.38	6.26
2.	स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी	86.67	155.81
3.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	4.33	182.17
4.	उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	18.06	35.74
5.	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	63.87	126.40
6.	स्वदेशी काटन मिल्स, माउनाथ भंजन	14.21	21.04

जिन रक्षा कर्मियों ने बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में कार्य किया उनकी विधवाओं को पारिवारिक पेंशन और अन्य देय राशियों का भुगतान न किया जाना

3714. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में सेवा करने वाले रक्षा कर्मियों के पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कुछ मामले रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तत्सम्बन्धी लोगों रक्षा कर्मियों की विधवाओं और संसद सदस्यों से पारिवारिक पेंशन और अन्य देय राशियों के भुगतान न किए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो मृतकों की विधवाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के सेना कर्मियों के परिवार पेंशन संबंधी 91 मामले रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद के पास अनिर्णीत पड़े हैं। इनमें से 11 मामलों के बारे में आदेश जारी किए जाने वाले हैं, 32 मामलों की संबद्ध चिकित्सा सलाहकारों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है और 48 मामले अभिलेख कार्यालय को भेजे गए हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में एक अभ्यावेदन एक विधवा से सीधे ही प्राप्त हुआ था। जांच होने से पहले ही उसे सामान्य पारिवारिक पेंशन तत्काल मंजूर कर दी गई थी। विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए उसके दावे को अब रद्द कर दिया गया है और सामान्य पारिवारिक पेंशन से संबंधित आदेश जारी किए जा रहे हैं।

दो अन्य विधवाओं के विशेष पारिवारिक पेंशन के मामलों को संसद सदस्यों ने भी उठाया था। रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) को इन मामलों पर तत्काल अन्तिम निर्णय लेने के लिए कहा गया है। एक मामले में जांच होने से पहले मंजूरी दे दी गई है जबकि दूसरे में ऐसा करना संभव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के भुगतान में असंगति

3715. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों को 2.5% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है जबकि सेवा रत लोगों को पांच प्रतिशत की दर से दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस असंगति को दूर करने का है; और

(ग) क्या चिकित्सा प्रतिपूर्ति केवल सेवा रत रहते समय उपलब्ध है परन्तु सेवा-निवृति के बाद नहीं है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने की औसत (आधार 1960=100) में हुई प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों को पेन्शन के 2.5 प्रतिशत की दर पर महंगाई राहत अदा की जाती है। कार्यरत कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक में उसी स्तर की वृद्धि के लिए 400 रुपए प्रति मास तक वेतन के 4 प्रतिशत की अधिकतम दर पर महंगाई भत्ता अदा किया जाता है। महंगाई राहत की दर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा था कि पेन्शनभोगियों की सामाजिक तथा दूसरी जिम्मेदारियां उस स्तर की नहीं हैं जैसी कि कार्यरत कर्मचारियों की हैं। चौथा वेतन आयोग, अन्य बातों के अलावा, इन पहलुओं की भी जांच करेगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन-भोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं स्वीकार्य है। तथापि, जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं वहां पेन्शनभोगियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है।

सिंडिकेट बैंक की देव नगर, नई दिल्ली शाखा द्वारा विचाराधीन आवेदन पत्रों का निपटान

3716. **श्री लाला राम केन** : क्या **वित्त** मंत्री सिंडिकेट बैंक की देव नगर, नई दिल्ली शाखा को ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4045 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवेदन पत्र निपटाये जाने के लिए अभी तक विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सिंडीकेट-बैंक ने सूचित किया है कि उसकी देव नगर शाखा में अक्टूबर-नवम्बर 1983 की अवधि के संबंध में विचाराधीन पड़े 6 आवेदनों में से अब तक एक और आवेदन मंजूर किया जा चुका है, दो आवेदन औपचारिकताएं पूरी न किए जाने तथा पार्टियों द्वारा मांगी गई सूचना न भेजे जाने के कारण विचाराधीन पड़े हैं, और तीन आवेदन आवेदकों द्वारा ठीक से भरने के वास्ते वापस ले लिए गए हैं ।

निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में डी०पी०आई०एन० केडर के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को डी०क्यू०ए०एस० के साथ कैडर में सम्मिलित करना

3717. **श्री अजय विश्वास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में रक्षा उत्पादन निरीक्षण कैडर के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को डी०क्यू०ए०एस० के साथ कैडर में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान डी०क्यू०ए०एस० अधिकारियों के साथ वरीयता कैसे निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग और गृह मंत्रालय से परामर्श किया गया है तथा वरीयता के इस निर्धारण हेतु उनकी सहमति ली गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) उत्पादन एवं निरीक्षण (नौसेना) निदेशालय और वारशिप परियोजना निदेशालय के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में डिफेंस क्वालिटी एस्युरेंस सर्विस के कैडर में शामिल कर दिया गया है । यह संघ लोक सेवा आयोग और गृह मंत्रालय से परामर्श करके उनकी सहमति से किया गया है । डिफेंस क्वालिटी एस्युरेंस सर्विस में इन अधिकारियों की वरीयता वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

पाकिस्तानी पनडुब्बी क्षमता

3718. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय के मूल्यांकन के अनुसार पाकिस्तानी पनडुब्बी क्षमता भारतीय क्षमता से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र से देश की सुरक्षा के खतरे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पनडुब्बी क्षमता में कुल रखी गई पनडुब्बियों की संख्या, उनकी किस्म और प्रकृति, उन पर लगे हथियार और उनके कार्मिकों के प्रशिक्षण और कार्यक्षमता का स्तर, विरोधी देश की पूर्ण पनडुब्बी-रोधी क्षमता का नाकाम करना आते हैं। इसलिए एक देश की पनडुब्बी क्षमता की तुलना दूसरे देश की पनडुब्बी क्षमता से नहीं की जा सकती।

(ख) देश की कुल रक्षा योजना और विशेष कर नौसेना की विकास योजना इस क्षेत्र के देशों की क्षमताओं के बारे में उपलब्ध सूचना और हमें होने वाले संभावित खतरों के आधार पर तैयार की जाती है। इसके लिए इस क्षेत्र के देशों द्वारा प्राप्त या प्राप्त किए जा रहे पनडुब्बी बेड़ों को भी ध्यान में रखा जाता है।

किसान बीमा योजना

3719. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसान बीमा योजना आरम्भ करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से कार्यान्वित की जाएगी और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपनी वित्तीय व्यवस्था अच्छी बनाए रखने वाले राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

3720. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की कोई योजना बनाई है जिन्होंने अपनी वित्तीय व्यवस्था भली-भांति अच्छी बनाए रखी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें दी जा रही सहायता और उसमें लाभान्वित होने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत सरकार ऐसे राज्यों को, जिन्होंने अपनी वित्त व्यवस्था को भली प्रभार से संभाला है, अतिरिक्त सहायता देने की योजना के ब्यौरे के संबंध में शीघ्र ही एक निर्णय लेगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

असम और त्रिपुरा में चूक करने वाले चाय बागानों से बैंक की बकाया धनराशि की वसूली

3721. **श्री गुफरान आजम** : क्या **वित्त** मंत्री यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता द्वारा आसाम और त्रिपुरा में चाय बागानों के वित्तपोषण के बारे में 27 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 809 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक चूक करने वाले चाय बागान से बकाया धनराशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की वसूली के लिए कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू की गयी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ बागान मालिकों ने अपने बैंक खातों के ऋणों की अदायगी किये बगैर गिरवी रखी गयी सारी चाय को बेचना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है कि चाय की बिक्री से प्राप्त राशि बैंकों द्वारा वसूल कर ली जाय जिससे कि बैंकों की बकाया राशि कम हो सके चाहे उसके लिए सार्वजनिक धन की सुरक्षा के विचार से जहां कहीं आवश्यक हो, न्यायालयों से कूर्की आदेश ही प्राप्त करने पड़ें ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 13(1) और बैंकरों से प्रचलित रीति रिवाजों के संदर्भ में बैंक के किसी ग्राहक से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती । बैंक की बकाया राशियों की वसूली के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई की भी परिकल्पना की जा रही है ।

मैसर्स बंगाल लैम्प्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

3722. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसर्स बंगाल लैम्पस लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन किए जाने के बारे में 18 फरवरी, 1984 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो बंगाल लैम्पस लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स बंगाल लैम्प्स लि० के खिलाफ अन्य आरोपों के साथ-साथ निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :—

(1) मैसर्स बंगाल लैम्प्स ने शुल्क की अदायगी हेतु शुल्क-निर्धार्य मूल्य में निर्माणोत्तर व्यय शामिल नहीं करके उत्पादन शुल्क की अदायगी का परिहार किया है और

(2) वितरकों को थोक-विक्रेता बना दिया गया और बढ़ाये गये प्रतिशत अनुपात के हिसाब से उन्हें बट्टा दिया गया जबकि यह आरोप लगाया गया था कि कम्पनी अप्रामाणिक ऋण-पत्र तथा सेवा-बिल जारी करके पैसा वापस ले रही थी।

(ग) और (घ) शुल्क-निर्धार्य मूल्य में निर्माणोत्तर व्यय शामिल करने सम्बन्धी मामले का जहां तक संबंध है, इस मामले के उचित विभागीय कार्यवाही की गई थी। यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास न्यायाधीन है और बंगलौर में इस मामले पर विभागीय न्यायनिर्णयन की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक दूसरे आरोप का सम्बन्ध है, 1976 में एक शिकायत प्राप्त होने के पश्चात, उक्त फर्म के विभिन्न परिसरों की तलाशी ली गई थी और बाद में, जांच-पड़ताल का कार्य राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय द्वारा ले लिया गया था। इसके परिणामत: संबंधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कम्पनी के विरुद्ध कारण-बताओ नोटिस जारी किये गये थे। कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी थीं, जो अभी निर्माणाधीन हैं।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय करों में से अधिक हिस्से की मांग

3723. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्ली फार लार्जर शेयर आफ सेन्ट्रल टेक्सेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस प्रकार की मांग करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) 13.7.1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार दिया गया है कि 12.7.1984 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए हरियाणा के मुख्य मंत्री, श्री भजन लाल, ने केन्द्रीय करों और बाजार उधारों में से अधिक हिस्सा दिए जाने तथा राज्यों को प्राकृतिक विपदाओं से हुई हानियों की पूर्ण प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है। यह समाचार भी दिया गया था कि बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने आयोजनागत स्कीमों के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया था। जहां तक हरियाणा के मुख्य मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग को दिए गए अपने ज्ञापन में हरियाणा सरकार ने राज्यों को आयकर का शत-प्रतिशत हिस्सा देने का प्रस्ताव किया था और यह कहा था कि प्राकृतिक विपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में 100 प्रतिशत तक दी जानी चाहिए। आठवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकार के उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखा था। आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति, आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के व्याख्यात्क ज्ञापन सहित, 24 जुलाई, 1984 को सभा-पटल पर रख दी गई है। जहां तक बाजार उधारों का सम्बन्ध है, भारत सरकार द्वारा यथासमय आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयोग के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

जहां तक अन्य मुख्य मंत्रियों द्वारा कथित रूप से उठाए गए मुद्दों का प्रश्न है, उनका संबंध विभिन्न आयोजना गत स्कीमों के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता दिए जाने के अनुरोध से है। यह विषय योजना आयोग से संबंधित है और वह 7 वां पंचवर्षीय आयोजना को अन्तिम रूप देते समय इन बातों पर विचार करेगा।

स्वर्ण मन्दिर से बरामद किए गए हथियारों का ब्यौरा

3724. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण मन्दिर काम्प्लेक्स और अन्य किन्हीं स्थानों से बरामद किए गए कोई हथियार रक्षा भंडार से चुराए गए हथियारों के वर्ग से संबंधित हैं अथवा सीमा-पार से प्राप्त किए गए हथियारों के वर्ग से सम्बन्धित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इस बात की जांच की जा रही है कि क्या पंजाब में स्वर्ण मन्दिर परिसर और अन्य स्थानों से बरामद हथियार रक्षा स्टाक में शामिल हथियारों में से थे । इसमें अनेक केन्द्रों में फैले कई वर्षों के अभिलेखों की छान-बीन की जाएगी और इसमें समय लगेगा ।

मंदिर से बरामद किए गए विदेशी हथियारों के मामले में इस बात की जांच की जाएगी कि ये हथियार राज्य में उग्रवादियों के कब्जे में कैसे आए ।

"बी-काम्पलेक्स" चूर्ण की तस्करी

3725. **श्री मनोहर लाल सैनी**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बी-काम्लेक्स" चूर्ण की भारत में तस्करी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 'बी'-काम्पलेक्स" चूर्ण की तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए निवारक उपायों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्व पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा

3726. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका, कनाडा और पश्चिम यूरोपीय देशों की तुलना में विश्व पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा अत्यंत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या है ; और

(ग) देश में पर्यटक का आगमन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 1982 के दौरान विश्व पर्यटक आगमनों में भारत, यू० एस० ए०, कनाडा और कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों के तुलनात्मक शेयर इस प्रकार हैं :—

देश		प्रतिशत शेयर
भारत	—	0.5
यू० एस० ए०	—	7.9
कनाडा	—	4.4
आस्ट्रिया	—	5.1
फ्रांस	—	11.9
संघीय जर्मन गणराज्य	—	4.0
यूनान	—	1.8
आयरलैंड	—	0.8
नीदरलैंड	—	1.1
नार्वे	—	0.4
पुर्तगाल	—	1.1
स्पेन	—	9.0
स्विटजरलैंड	—	3.3

(ग) देश के पर्यटक आगमनों को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं, प्रभावी प्रचार द्वारा विदेशों में संवर्धनात्मक प्रयासों में वृद्धि और संस्थागत नेट-वर्क की विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आगमनों और प्रस्थानों को सुगम बनाने के लिए सुविधाओं का सुधार, चार्टर यातायात का संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समागमों की मेजबानी, वायु परिवहन सुविधाओं का विस्तार, पर्यटक आकर्षण के केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास और अवकाश पर्यटन, खेल पर्यटन, युवा पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन जैसे विशेष अभिरुचि के पर्यटन का संवर्धन।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए व्यापार मेले में किए गए व्यापार करार

3727. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 और 1984 (प्रथम छमाही) के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित व्यापार मेलों की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक मेले में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारिक घरानों के नाम क्या है ;

(ख) भारतीय व्यापारों द्वारा विदेशी एजेंसियों के साथ कौन-कौन सी व्यापार संधियां करार और व्यापारिक लेन-देन किये गये और उससे प्राप्त कुल आय का ब्योरा क्या है ;

(ग) उन भारतीय व्यापारिक घरानों और निर्यात एजेंसियों की संख्या कितनी है जो बढ़िया वस्तुए सप्लाई न कर सके और जिन्होंने ठेके पूरे करने में असफल हो गए हैं और उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) राष्ट्रीय हित में ऐसी अवांछित प्रक्रियाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 8602/84]

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 8602/84]

(ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आग्नेयास्त्रों की तस्करी के लिए पकड़े गए सेवानिवृत ब्रिगेडियर की पेंशन रोकना

3728. **श्री मनोहर लाल सैनी**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की पेंशन रोकने का कोई प्रस्ताव है जिसे 19

जुलाई, 1984 को आग्नेयास्त्रों की तस्करी का प्रयास करते समय दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था ;

(ख) यदि नहीं तो इस विषय पर क्या आदेश हैं ; और

(ग) क्या उनकी एक प्रति सभापटल पर रखी जाएगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 20 जुलाई, 1984, को ब्रिगेडियर जागीर सिंह (सेवानिवृत्त) को पालम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। उनकी पेंशन बंद करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब न्यायालय में उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाएं।

सेनाओं के लिए पेंशन विनियमों की सुसंगत धाराओं की प्रतियां संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8603/84]

आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरी शाहजहांपुर के कम्बल एकक के निर्माण में विलम्ब

3729. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर की कम्बल एकक के निर्माण के कार्य में काफी विलंब हो गया है ;

(ख) इस एकक के निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए कौन-सी तारीख निर्धारित की गई थी और अब यह एकक संभवत: किस तारीख से कार्य करना आरंभ कर देगा ;

(ग) इस एकक को पूरा करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सरकार ने सेना के लिए आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर में 30,000 कंबल प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता को बढ़ाकर 2 लाख कंबल प्रतिवर्ष करने की एक योजना को अगस्त, 1981 में मंजूरी दे दी थी। प्रारंभिक परियोजना की रिपोर्ट में सिविल कार्यों के लिए 18 महीने की समयावधि रखी गई थी। बाद में सिविल कार्यों के विस्तृत डिजाइन और अनुमानों के आधार पर जून, 1982 में प्रशासनिक मंजूरी जारी करते समय मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस ने बताया कि इस कार्य पर 30 महीने लगेंगे। सिविल कार्य संतोषजनक रूप से चल रहे हैं और परियोजना के 1985 तक पूरा होने की संभावना है। फिलहाल 1982-83 में 47,000 कंबलों का

उत्पादन हुआ था जो बढ़कर 1983-84 में 64,000 हो गया जबकि चालू वर्ष के लिए 89,000 कंबलों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आशा है कि दिसम्बर, 1985 के बाद कंबलों का 2 लाख कंबल प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई संख्या में उत्पादन होने लगेगा।

दार्जिलिंग में सिलिगुड़ी में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

3730. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग जिले में सिलिगुड़ी में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके लिये अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) उक्त क्षेत्रीय कार्यालय कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट घाटा

3731. **श्री बाजू बन रियान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों का कुल बजट घाटा कितना है ; और

(ख) हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी घाटे का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बजट घाटे के प्रभाव को पृथक करके दिखलाना कठिन है क्योंकि यह समग्र नकदी (लिक्वीडिटी) की स्थिति पर और इस बात पर निर्भर करता है कि साधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। बजट-घाटे की राशि उचित मूल्य स्थिरता के ढांचे के अन्तर्गत नकदी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित की जाती है।

विवरण

केन्द्र और राज्य सरकारों का बजट घाटा

(करोड़ रुपए)

	केन्द्र	राज्य[1]	जोड़
1979-80	2,427	228	2,655
1980-81	2,576	874	3,450
1981-82	1,392	1,127	2,519
1982-83[2]	1,655	694	2,349
1983-84[3] (अनन्तिम)	1,431	718	2,149

1 इन आंकड़ों में जम्मू और काश्मीर तथा सिक्किम शामिल नहीं हैं जोकि भारतीय रिजर्व बैंक से लेन-देन नहीं करते ।

2 राज्यों को केन्द्र द्वारा 31 मार्च, 1982 को उनके घाटों को साफ करने के लिए दिए गए 1,743 करोड़ रुपए के माध्यमावधिक ऋण के लिए समायोजित ।

3 राज्यों को केन्द्र द्वारा 31 मार्च, 1983 को उनके ओवरड्राफ्टों के एक भाग को साफ करने के लिए दिए गए 400 करोड़ रुपए के मध्यमावधिक ऋण के लिए समायोजित ।

लघु क्षेत्र की साबुन और डिटरजेंट यूनिटों को समाप्त होने से बचाने के लिए 'सोडा एश' का आयात

3732. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तमिलनाडु लघु क्षेत्र साबुन और डिटरजेंट निर्माता संगठन मद्रास से दिनांक 18 जुलाई, 1984 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उन्होंने बाजार में 'सोडा एश' की भारी कमी और सामग्री के मूल्यों में तीव्र वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया है ; और

(ग) सरकार 'सोडा एश' का पर्याप्त मात्रा में आयात करके लघु क्षेत्र की इन साबुन और 'डिटरजेंट' यूनिटों को बचाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु लघु क्षेत्र साबुन और डिटरजेंट विनिर्माता एसोसिएशन मद्रास ने अभ्यावेदन दिया है कि बाजार में सोडा एश की कमी है।

(ग) आयात व निर्यात नीति (खण्ड 1) 1984-85 के अनुसार सोडा एश के आयात की अनुमति आर० ई० पी०। अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) तथा निर्यात सदनों/व्यापार सदनों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन दोनों मामलों में वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) को बिक्री के लिए नीति के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पहले ही है।

बैंक-बोर्डों से कर्मचारी-निदेशकों का हटाया जाना

7333. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के बोर्डों से कर्मचारियों में से नियुक्त किये गये निदेशकों को हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और इसके क्या कारण थे ;

(ग) इस वर्ष अप्रैल से इस प्रकार हटाए गए निदेशकों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन बैंकों से हटाए गए हैं ;

(घ) यदि यह पद भरे गए हैं, तो उनके नाम क्या हैं और वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि नहीं भरे गए तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह निर्णय कर्मचारियों से परामर्श किए बिना ही किया गया ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) वर्ष 1970 और 1980 की राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम के खण्ड 9 (1) में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार, जैसाकि यह खण्ड 1 मार्च, 1984 से पूर्व था, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए एक कर्मकार निदेशक नियुक्त किया जाता था लेकिन प्रत्येक ऐसा निदेशक अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी उस पद पर बना रहता था जब तक कि उसके उत्तराधिकार की नियुक्ति नहीं हो जाती थी। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके 1 मार्च, 1984 से सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण स्कीमों के उक्त खण्ड में संशोधन कर दिया गया जिसमें यह व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों के सभी निदेशक केन्द्रीय सरकार

के प्रसादानुसार अपने पद पर रहेंगे। उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में, सरकार ने यह निर्णय लिया कि ऐसे कर्मकार निदेशक जो सम्बद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय से बोर्डों में कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए शुरू में उनकी नियुक्ति की गई थी, तत्काल उस पद से हटा दिये जाएंगे। इस स्कीम के अनुसार यह निर्णय लेते समय कर्मचारियों से परामर्श नहीं किया गया है। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सरकार ने 7 अप्रैल, 1984 को अधिसूचनाएं जारी की जिनके अन्तर्गत विवरण में उल्लिखित ऐसे कर्मकार निदेशक सम्बद्ध बोर्डों में निदेशक नहीं रहे जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली थी।

उपर्युक्त अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप खाली हुए स्थानों में से एक स्थान उपर्युक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में अखिल भारतीय इंडियन ओवरसीज बैंक कर्मचारी यूनियन से सम्बद्ध श्री लक्ष्मणन बालसुब्रह्मण्यन की नियुक्ति करके भरा जा चुका है। इसी बीच अदालतों ने सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, देना बैंक, सिंडीकेट बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र के बोर्डों में कर्मकार निदेशकों के मामलों में 7 अप्रैल, 1984 की सरकार की अधिसूचनाओं पर अमल करने पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेशों के अधीन, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सभी बैंकों में नये कर्मकार निदेशक नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	कर्मकार निदेशक का नाम	बैंक का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एच० एस० ग्रेवाल	सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया	26-7-1980
2.	श्री एन० सम्पथ	बैंक आफ इंडिया	17-12-1979
3.	श्री सी० एस० रामास्वामी	पंजाब नेशनल बैंक	26-7-1980
4.	श्री एन० के० गुप्ता	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	29-1-1981
5.	श्री के० के० भट्टाचार्य	देना बैंक	23-7-1980
6.	श्री एच० जी० राव	सिंडीकेट बैंक	12-10-1979
7.	श्री भूपेश सरकार	इलाहाबाद बैंक	11-12-19 2
8.	श्री एस० के० पुणेकर	बैंक आफ महाराष्ट्र	10-10-1979
9.	श्री डेनियल मोहन	इंडियन ओवरसीज बैंक	10-10-1979

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली चावल की खरीद पर प्रतिबंध लगाना

3734. **श्री जेवियर अराकल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और अथवा इसकी नागरिक पूर्ति निगम जैसी एजेंसियों के लिए चावल की खरीद किए जाने पर रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केरल सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली खरीद पर लगाई गई इस रोक के प्रति अपनी आपत्ति प्रकट की है; और

(घ) क्या निजी क्षेत्र द्वारा चावल अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों पर चावल की खरीद के लिए कोई रोक नहीं लगाई है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को राज्य के अन्दर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों पर और केन्द्रीय पूल से सरकारी वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए अनाज (जैसे गेहूं, धान, चावल और मोटा अनाज) खरीद के लिए 12.5% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है। लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक कीमतों पर अनाज खरीदने के लिए 18% की ऊंची ब्याज दर पर ऋण मंजूर किया जाता है, बशर्ते कि ऐसी खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो।

ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज से नेल्को, उड़ीसा की सहायक उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में भेजे गए मार्ग-निर्देशों की क्रियान्विति

3735. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज ने मूल संयंत्रों में और उनके आस-पास सहायक उद्योगों के विकास और संवर्द्धन के बारे में नेशनल अल्यूमिनियम कारपोरेशन उड़ीसा को मार्ग-निदेश जारी किए है;

(ख) क्या उपरोक्त नीति सम्बन्धी मार्ग-निदेशों के जारी किये जाने के पश्चात ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज को "नेल्को" से की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो "नेल्को" द्वारा विलम्ब नीति क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सहायक उद्योगों के संबर्द्धन एवं विकास के लिए मार्गनिर्देश जारी किये हैं जो कि नेशनल एल्यूमिनियम कारपोरेशन, उड़ीसा पर भी लागू होते हैं।

(ख) और (ग) इन मार्गनिर्देशों के अधीन निर्धारित प्रगति रिपोर्ट सामान्यत: एकक में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने पर प्राप्त होती हैं। चूंकि, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी अभी निर्माणाधीन है, इसलिए इस स्थिति में यह रिपोर्ट समय से पहले नहीं मंगाई जा सकती है।

बंगलौर में शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र

3736. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वाणिज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार से बंगलौर में शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार, बंगलौर में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए और यह भी विचार करते हुए कि इस प्रकार का प्रस्ताव रखने वाला कर्नाटक पहला राज्य है उक्त प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देना ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) तथा (ख) वाणिज्य मंत्रालय को कर्नाटक सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। भारत सरकार ने फिलहाल कोचीन, मद्रास, नोएडा तथा फाल्टा (पश्चिम बंगाल) में 4 अतिरिक्त मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का विनिश्चय किया है और उन्हें तत्काल स्थापित करने के संबंध में आवश्यक उपाय आरम्भ किए जा चुके हैं। तथापि, सरकार कुछ नए क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार करने से पहले, उपर्युक्त क्षेत्रों के शुरू होने के बाद उनके कार्यनिष्पादन को देखेगी। भविष्य में जब भी अतिरिक्त मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रश्न पर कार्यवाही की जाएगी, कर्नाटक सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखा जाएगा।

भारत से हालैंड को आयात में गिरावट

3737. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से हालैंड को किए जाने वाले आयात में गिरावट आई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस समस्या का हल निकालने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन झास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक के बंगाल मंडल द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन न किया जाना

3738. **श्री अनादिचरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के बंगाल मंडल द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण और विभागीय पदोन्नति में आरक्षण, आरक्षित खाली पदों को आगे ले जाने, 40-सूत्री रोस्टर के रख-रखाव और अधीनस्थ कर्मचारियों (श्रेणीवार) की भर्ती के सम्बन्ध में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी कर्ज

3739. **श्री सूरज भान**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1984 को कुल कितना विदेशी कर्ज था;

(ख) इन तारीखों को सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लिए गए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की कुल राशि कितनी थी;

(ग) 10 जनवरी, 1980 तथा 31 मार्च, 1984 को अमरीकी डालर का रुपयों में मूल्य क्या था और रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण रुपयों में की जाने वाली अदायगी में कुल कितनी वृद्धि हुई;

(घ) वापसी अदायगी संबंधी तालिका की स्थिति क्या हैं; और

(ङ) कुल विदेशी ऋणों की सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष अनुमानत: कितनी राशि की आवश्यकता होती है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1984 को सरकारी खाते का कुल विदेशी ऋण लगभग क्रमश: 12178 करोड़ रुपए तथा 20165 करोड़ रुपए का था।

(ख) 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1984 को विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की बकाया राशि लगभग क्रमश: 996 करोड़ रुपए और 2277 करोड़ रुपए थी।

(ग) 10 जनवरी, 1980 और 31 मार्च, 1984 को संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर का मूल्य क्रमश: 7.94 रुपए और 10.75 रुपए के बराबर था। डालर एवं रुपए के बीच विनिमय की दरों में होने वाले परिवर्तनों से डालर के रूप में व्यक्त किए गए ऋण की वापसी अदायगी की विदेशी मुद्रा राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ऋण की वापसी अदायगी डालरों में की जाती है। इसके अतिरिक्त समस्त विदेशी ऋण की वापसी अदायगी संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर में ही नहीं की जाती बल्कि अन्य बहुत सी मुद्राओं में भी की जाती है।

(घ) और (ङ) बजट अनुमानों के अनुसार, 1984-85 के दौरान सरकारी ऋणों के मूलधन की वापसी अदायगी एवं उनके ब्याज की अदायगी की राशि क्रमश: 591.45 करोड़ रुपए तथा 418.08 करोड़ रुपए आंकी गई है।

कॉफी उत्पादों को दिये गए लाभ

3740. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के दौरान पड़े सबसे भयंकर सूखे से जिसके कारण कॉफी का उत्पादन बहुत कम हुआ है बुरी तरह से प्रभावित कॉफी उत्पादकों को सरकार ने क्या लाभ प्रदान किए है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : कॉफी बोर्ड की फसल अण्डमान योजना के अन्तर्गत उपलब्ध ऋण की मात्रा में मूल्य निर्धारण मानदंडों तथा साथ ही पूर्ण रूपेण सन्दर्भ में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया। परिणामस्वरूप संवितरण 1982-83 में 203 लाख रु० से बढ़कर 1983-84 में 588 लाख रु० हो गया। विशेष छूट के रूप में ऋण की अदायगी तीन वार्षिक किस्तों में करने की अनुमति दी गई।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश और विदेशी पूंजी निवेश

3741. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और कुछ राज्य सरकारों की देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए आपस में होड़ चल रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस प्रकार किए गए/किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ, लाभांश आदि के बंटवारे की दृष्टि से देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश और विदेशी पूंजी निवेश के बीच क्या अन्तर है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य दोनों अनिवासी भारतीयों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के मामले में संघर्षनात्मक भूमिका निभाते हैं और इन दोनों में परस्पर स्पर्धा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ख) विभिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा शेयरों तथा ऋण-पत्रों में किए गए निवेश का एक ब्यौरेवार विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशी निवेश की अनुमति सामान्यतया चयनात्मक आधार पर दी जाती है और यह आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के अन्तरण का एक साधन है। परन्तु अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश की अनुमति उन क्षेत्रों में भी दी जाती है जहां पर विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती और वह भी तरजीही आधार पर। एक बार निवेश की अनुमति दिए जाने के बाद, इस तथ्य के बावजूद भी कि चाहे निवेश विदेशी निवेश है या अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश, लाभ तथा लाभांश आदि का बंटवारा भारतीय कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता/भारतीय मूल के अनिवासियों तथा उनके द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व तक धारित समुद्रपारीय निगमित निकायों को अप्रैल, 1982 से, अर्थात् जब से निवेश सुविधाओं को उदार बना दिया गया है, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निवेश के लिए दी गई अनुमतियों का विवरण।

राशि (करोड़ रुपए)

अनुमोदित प्रस्ताव (31-5-1984 की स्थिति के अनुसार) :

1. शेयरों/ऋण-पत्रों में प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित
   प्रत्यक्ष निवेश
   (i) 40 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत 108.35

(ii) 74 प्रतिशत की योजना के अंतर्गत	25.41
2. अप्रत्यावर्तन आधार पर प्रत्यक्ष निवेश	22.64
वास्तविक निवेश (31-3-1984 की स्थिति के अनुसार)	
(i) प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित पोर्टफोलियों निवेश (प्राधिकृत व्यवसाइयों से प्राप्त विवरण के अनुसार)	39.82
(ii) अप्रत्यावर्तन आधार पर पोर्टफोलियों निवेश (प्राधिकृत व्यवसाइयों से प्राप्त विवरण के अनुसार)	0.2497

श्रम ठेका समितियों को अग्रिम धनराशि देने के सम्बन्ध में नकद ऋण प्रदान करना

3742. **श्री भाऊसाहिब थोरट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1983 से पहले श्रम ठेका समितियों को अग्रिम धनराशि देने के सम्बन्ध में नकद ऋण प्रदान करने के मानदंड और सीमाएं क्या थी;

(ख) सरकार द्वारा इस नीति में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) जून, 1983 से पहले और बाद में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(घ) क्या "नबार्ड" का विचार श्रम ठेका समितियों को अग्रिम राशि देने की पूर्व पद्धति फिर से अपनाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1983 से पहले, केन्द्रीय सरकारी बैंक श्रम ठेका समितियों को उस हालत में अपनी धनराशियों के बराबर निर्बाध नकद ऋण मंजूर कर सकते थे जब ऐसे अग्रिम सरकारी गारंटी के अंतर्गत न आते हो और अपनी धनराशियों से दुगुणा ऋण मंजूर कर सकते थे जब सरकारी गारंटी उपलब्ध हो।

(ख) कुछ श्रम ठेका समितियों और अन्य राज्य स्तरीय महासंघों ने इन मानकों में ढील की मांग की ताकि वे सहकारी बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त कर सकें। तदनुसार किए गए अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, जून, 1983 से सहकारी बैंकों द्वारा श्रम ठेका समितियों का वित्तपोषण किए जाने के मानकों में संशोधन कर दिया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) सरकारी गारंटी के बिना अपनी धनराशियों के बराबर निर्बाध नकद ऋण सीमा

की मंजूरी दे दी जाए और सरकारी गारंटी के साथ अपनी धनराशियों के तीन गुणा की ऋण सीमा की मंजूरी दे दी जाए ।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निष्पादित ठेकों और उनके लम्बित बिलों के 70 प्रतिशत तक सरकारी/अर्ध-सरकारी पक्षों के हक में ऋण सहायता दे दी जाए बशर्ते कि ये बिल 3 महीने से अधिक के लम्बित न हों ।

(ग) जून, 1983 से पूर्व और उसके पश्चात् बैंकों श्रम ठेका समितियों को मंजूर की गई ऋण सीमाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं ।

(घ) नाबार्ड पुरानी पद्धति को फिर से अपनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है ।

लखनऊ दशहरी आमों के लिए विपणन क्षमता का पता करना

3743. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ दशहरी आमों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी में काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस किस्म के आमों के विपणन सम्बन्धी क्षमता का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) लखनवी आमों की फसल के संवर्धन के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लखनऊ दशहरी आमों की ग्राहयता अभी नहीं बन पाई है । समुचित उपाय करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से उचित उपायों का पता लगाने का प्रयास किया है ताकि दशहरी आमों सहित ताजे खाद्यों/सब्जियों के निर्यातों को सुकर बनाया जाए ।

(ग) लखनऊ के आमों की खेती के विस्तार के लिए निम्नोक्त उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में अलग से एक उद्यान-विज्ञान निदेशालय है । यह निदेशालय राज्य में

आमों सहित सभी फलों का विकास करता है ।

(2) लखनऊ स्थित दि सेंट्रल हार्टीकल्चर इन्स्टीट्यूट फार दि नार्दर्न प्लेस (जो पहले सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन के नाम से जाना जाता था), आई०सी०ए०आर० आम पर गहन अध्ययन करता है ।

(3) क्वालिटी आम संयंत्रों का प्रचार किया जा रहा है और कृषकों को वितरित किये जा रहे हैं ।

दस प्रमुख पत्तनों पर कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित किया जाना

3744. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार सभी दस प्रमुख पत्तनों पर कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित करने का प्रयोजन क्या है;

(ग) इस सम्पूर्ण व्यवस्था के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों को विशेष (कार्य) भत्ता दिया जाना

3745. **श्री चिगवांग कोनयक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के उन असैनिक कर्मचारियों को जिनका स्थानान्तरण समूचे भारत में हो सकता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी स्थान पर तैनात किये जाने पर अपने मूल वेतन के 25% की दर से विशेष (कार्य) भत्ता दिया जाएगा;

(ख) क्या वे कर्मचारी, जिन्हें आयकर भुगतान से छूट दी गई है, यह विशेष (कार्य) भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी स्थान पर तैनात किए जाने पर अखिल भारतीय स्थानान्तरण की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है उन्हें मूल वेतन के 25% की दर पर विशेष (ड्यूटी) भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पुर्वोत्तर क्षेत्र में सेवारत आदिवासी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में से अधिकांश अखिल भारतीय स्थानान्तरण जिम्मेदारी के पदों पर कार्य नहीं कर रहे हैं। जिन आदिवासी कर्मचारियों पर अखिल भारतीय स्थानान्तरण की जिम्मेदारी है उन्हें भी सांविधिक रूप से आयकर की अदायगी से छूट दी जाती है। यह आदिवासी कर्मचारियों को दी गई महत्वपूर्ण रियायत होने के कारण, यह न्यायोचित नहीं पाया गया है कि उन्हें इसके अतिरिक्त कोई अन्य रियायत भी दी जाए।

अशोक होटल में पदों पर भर्ती सम्बन्धी नियम

3746. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के एकक अशोक होटल में सभी पदों के एक समान भर्ती नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पात्र कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों की पर्याप्त व्यवस्था है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या और अन्य विवरण (पदनामों और वेतन-मानों सहित) क्या हैं जो किसी पदोन्नति के बिना 15 वर्ष से अधिक समय से अपने अधिकतम वेतन-मान पर रुके हुये कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अशोक होटल के सभी पदों पर भर्ती और प्रोन्नतियां भारत पर्यटन विकास निगम भर्ती, प्रोन्नति और वरिष्ठता नियमावली, 1982 द्वारा विनियमित होती हैं।

(घ) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अशोक होटल के उन कर्मचारियों की संख्या, पदनाम, वेतनमान जो किसी प्रोन्नति के बिना 15 वर्ष से अधिक समय से अपने अधिकतम वेतनमान पर रुके हुए कार्य कर रहे हैं

क्रम सं०	कर्मचारियों का पदनाम	कर्मचारियों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
			(रुपयों में)
1.	आरकेस्ट्रा वादक	2	700—1285
2.	लाइफ गार्ड व फायर ग्राफिसर	1	700—1285
3.	फ्लोरस्ट	1	700—1285
4.	सैनेटरी निरीक्षक	1	700—1285
5.	स्टोरमैन	15	350—550
6.	वरिष्ठ मेट्रे दि होटल	1	600 —1085
7.	शेफ दि रंग	1	400—660
8.	दफ्तरी	1	350—550
9.	संदेश वाहक	11	350—550
10.	बेलदार	24	350—550
11.	अधीक्षक	2	700—1285
12.	पोर्टर	13	350—550
13.	अमानती सामान घर परिचारक	4	350—550
14.	सुरक्षा गार्ड	2	350—550
15.	कामिस दि रंग	47	350—550
16.	पौलिश ब्वॉय	8	350 —550
17.	पेज ब्वॉय	12	350—550

1	2	3	4
18.	लाण्ड्री परिचारक	23	380—630
19.	हाउस मैन	81	350—550
20.	एस०जी० अग्र कार्यालय सहायक	3	700—1285
21.	कक्ष परिचर	18	350 - 550
22.	एस०जी० हाउस कीपर	1	700—1285
23.	प्रधान पैंट्रीमैन	1	460—790
24.	पैंट्रीमैन	2	360—570

15 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे उन कर्मचारियों में से जिन्हें प्रोन्नत नहीं किया गया है अधिकांश या तो अनपढ़/अप्रशिक्षित हैं अथवा उनका सर्विस रिकार्ड ठीक नहीं है। तथापि, समय-समय पर वेतनों में संशोधन होने से इन कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ते रहे हैं और उनमें यह व्यवस्था की जाती रही है कि ट्रेड यूनियनों के साथ हस्ताक्षरित श्रम समझौतों की शर्तों के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में उनका स्वत: ही उन्नयन होता रहे।

नारियल के तेल का आयात

3747. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल के तेल का आयात करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी मात्रा आयात की जाएगी और यह आयात किन-किन देशों से किया जाएगा और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस मद पर कुल कितना व्यय होगा औए उक्त आयात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 10,000 एम० टी० के लिए प्राधिकृत किए जाने पर राज्य व्यापार निगम ने अप्रैल, 1984 में मलयेशिया और फिलीपीन से लगभग 11.97 करोड़ रु० के सी० आई० एफ० मूल्य का सरकारी खाते पर, 9000 एम०टी० नारियल के तेल का आयात किया।

यह आयात नारियल के तेल की कीमतों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विकास समितियों में जन प्रतिनिधियों को शामिल करना

3748. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निदेश जारी किए हैं कि राज्य और जिला स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास समितियों में विधायकों और संसद सदस्यों जैसे जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या इन निदेशों का सभी राज्यों में विशेषकर राजस्थान में, पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जन प्रतिनिधियों को इन समितियों में कब तक शामिल कर लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अगस्त 1983 में राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन करें ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों का चयन करने में सहायता मिल सके और उनसे यह भी कहा गया था कि वे इस कार्यक्रम के उचित कार्यान्वियन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी मदद करें। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि इन समितियों में स्थानीय विधायक (कों) को भी शामिल किया जा सकता है। यह केवल सुझाव था निर्देश नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात की सरकारों ने अलग से खंड स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन न करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उसने मौजूदा खण्ड स्तरीय ऋण समन्वय समिति को मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति में सम्बद्ध पंचायत समिति के इलाके के विधायक और पंचायत समिति द्वारा सहयोजित तीन सरपंच शामिल किये जाएंगे। इस दिशा में कार्रवाई चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंकों/ राज्य सरकारों को लीड बैंक योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा समितियां बनाने और इन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने का परामर्श दिया है। इन समितियों की बैठक वर्ष में दो बार होगी और इन बैठकों में ऋण आयोजना को कार्यान्वित करने के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और इन समस्याओं के समाधान ढूंढे जाएंगे।

राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनायी गयी है। इन समितियों के स्वरूप के निर्णय का काम राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। लेकिन उनसे यह कहा गया है कि वे इन समितियों में संसद सदस्यों सहित निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर भी शामिल करें।

खाड़ी के देशों से आये यात्रियों से वसूल किया गया सीमा शुल्क

3749. **श्री ए० के० बालन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में खाड़ी के देशों से आए यात्रियों से सीमा शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई है ; और

(ख) वर्ष 1983 में खाड़ी के देशों से वापस लौटे केरल वासियों से कितनी धन राशि सीमा शुल्क के रूप में वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) हवाई अड्डों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारी भारत में राज्य-विशेष अथवा क्षेत्र-विशेष से आने वाले यात्रियों से वसूल किए गए सीमा शुल्क के आंकड़े नहीं रखते हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आने वाले यात्री भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर उतरते हैं। अतः, खाड़ी के देशों में आने वाले यात्रियों से वसूल की गई सीमा शुल्क की रकम अथवा खाड़ी के देशों से वापस आने वाले केरल-वासियों से वसूल की गई सीमा शुल्क की रकम के बारे में सूचना देना संभव नहीं होगा। तथापि, वर्ष 1983 के दौरान तिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर वसूल की गई सीमा शुल्क की रकम 15.47 करोड़ रुपये थी।

जापान द्वारा भारत से क्रोम अयस्क की खरीद

3750. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत क्रोम अयस्क खरीदने का इच्छुक है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने देश से क्रोम का निर्यात करने हेतु क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां। चालू वर्ष के दौरान जापान को क्रोम अयस्क के लगभग 74,000 मे० टन की मात्रा पहले ही निर्यात की जा चुकी है और इस वर्ष के दौरान जापान को 1,65,000 मे० टन की और मात्रा के निर्यात किए जाने की आशा है।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आभूषण निर्माताओं द्वारा 22 कैरेट सोने के मूल्य पर 18 कैरेट सोना बेचा जाना

3751. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री आभूषण निर्माताओं द्वारा 22

कैरेट के मूल्य पर 18 कैरेट सोना बेचे जाने के बारे में 27 जुलाई 1984 अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ताओं ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले आभूषण निर्माताओं की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर ली है कि वे आभूषणों पर ठीक ठीक मुहर लगाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ; और

(ग) छोटे आकार के उन आभूषणों और वस्तुओं की शुद्धता की जांच कैसे की जाती है जिन पर मोहर लगाना असम्भव बताया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को ये अनुदेश दिए गए थे कि वे सोने के आभूषणों की शुद्धता के सम्बन्ध में ग्राहकों से प्राप्त लिखित शिकायतों के मामलों के अलावा नैमी जांच पड़ताल न करें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। अब तक स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की किसी शिकायत के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों तथा जो जांच किए जाने योग्य हो, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं से इस प्रकार के आभूषणों के अभिग्रहण करने और निकटतम विभागीय प्रशिक्षण शाला में अथवा भारत-सरकार टकसाल बम्बई में उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए कहा गया था।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

3752. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता ऋण योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) मध्य प्रदेश में उक्त काम के लिए वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान आंकड़ा सूचन प्रणाली से उस ढंग से सूचना नहीं प्राप्त होती जिस ढंग से

प्रश्न में पूछी गयी है । अलबत्ता, सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य में, जून, 1984 के अन्त में व्यक्तिगत ऋणों के अन्तर्गत (जिसमें टिकाऊ वस्तुएं शामिल हैं) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया ऋण राशि 28.38 करोड़ रुपये थी । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में वर्ष 1984-85 के लिए उपभोक्ता ऋणों के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित राशि से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणो की वसूली

3753. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की असंतोषजनक वसूली की जानकारी है ;

(ख) क्या लाभ प्राप्तकर्ता उस कार्यक्रम, जिसके लिए उन्होंने ऋण लिए हैं, की असफलता के कारण ऋणों को वापस लौटाने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन गरीब व्यक्तियों से जो ऋणों की वापस अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं, ऋणों की वसूली के संबंध में कुछ रियायत अथवा राहत देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन दिये गये ऋणों की वसूली के संबंध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सहायता देकर उनकी वार्षिक आय के स्तर को 3500 रुपये से ऊपर उठाना है और छठी आयोजना की अवधि के पहले चार वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 125.80 लाख हिताधिकारियों को सहायता दी गयी है । ऋण वसूली में कोई रियासत या राहत सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं या नियंत्रण से बाहर के अन्य कारणों से प्रभावित उन चूककर्ताओं को, जो जानबूझकर चूक नहीं करते, दी जाती है । यह रियायत ऋण चुकाने के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण, वापसी अदायगी की अवधि में वृद्धि या ऋणकर्ता की वापसी अदायगी करने की क्षमता, वित्तीय साधनों का प्रबंध करने तथा आय को बढ़ाने की उनकी क्षमता को मद्दे नजर रखते हुए नई ऋण सीमाओं की मंजूरी के रूप में होती है ।

राज्यों और संघ क्षेत्रों की ओर बकाया केन्द्रीय ऋण

3754. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों की ओर कुल कितनी राशि के केन्द्रीय सरकार के ऋण बकाया हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास राजस्थान सरकार की ओर बकाया ऋण को वसूल न करने अथवा उस राज्य के लिए अलग धनराशि की व्यवस्था करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विभिन्न राज्यों पर केन्द्रीय ऋणों की कुल बकाया राशि 1983-84 के अन्त में 27058.74 करोड़ रुपए थी। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों पर केन्द्रीय ऋणों की कुल बकाया राशि का सम्बन्ध है, केवल 1982-83 के अन्त के आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया गया है और 1983-84 के अन्त के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। वित्त लेखाओं के अनुसार 1982-83 के अन्त में संघ राज्य क्षेत्रों पर कुल 529.87 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(ख) और (ग) आठवें वित्त आयोग ने राज्यों को उनके आयोजना-भिन्न पूंजीगत अन्तर के जो आयोग द्वारा यथा निर्धारित किया गया, 21.8 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक की ऋण-राहत देने की सिफारिश की थी। आयोग की राहत सम्बन्धी इस योजना में ओवरड्राफ्ट को बेबाक करने के लिए दिए जाने वाले माध्यमावधिक ऋण और अल्प बचत ऋण शामिल नहीं हैं। आयोग ने इसके अन्तर्गत बकाया ऋणों के समेकन और उनकी वापसी-अदायगी के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण द्वारा तथा ऋण-माफी के जरिए 1984-89 में 2285.3 करोड रुपए ऋण राहत की सिफारिश की थी। यह ऋण-राहत 1984-85 में अल्प बचत ऋणों की वापसी-अदायगी न करने से सम्बन्धित 117.08 करोड़ रुपए की उस राहत के अलावा है, जिसकी सिफारिश अन्तरिम रिपोर्ट में की गई थी और जिसे अन्तिम रिपोर्ट में फिर से दोहराया गया है। राजस्थान सरकार के लिए आयोग ने 239.41 करोड़ रुपए की ऋण राहत की सिफारिश की है। सरकार ने ऋण-राहत के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को केवल पहली अप्रैल, 1985 से शुरू होने वाले चार वर्षों के लिए स्वीकार किया है। राजस्थान को चार वर्षों की अवधि (1985-89) में उपलब्ध होने वाली ऋण राहत का हिसाब राहत की उस राशि के संदर्भ में लगाया जाएगा जिसकी सिफारिश आयोग द्वारा पांच वर्षों के लिए की गई थी।

जहां तक राजस्थान सरकार को अलग धनराशि उपलब्ध करने के प्रस्ताव का सम्बन्ध है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोटा की जालसाजी/अनियमितताओं में लिप्त वस्त्र निर्यातक

3755. **श्री अशफाक हुसैन**
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या वाणिज्य मंत्री कोटा की जालसाजी अथवा अनियमितताओं में लिप्त वस्त्र निर्यातकों के बारे में 4 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक निर्यातक के लिए अलग-अलग निम्नलिखित विवरण क्या हैं :—

(एक) कोटा की जालसाजी/अनियमितताओं में लिप्त वस्त्र निर्यातकों के पते ;

(दो) सदस्य के प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नाम ;

(तीन) किस प्रकार के अपराध किए गए ; और

(चार) उन्हें क्या सजा दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : अनुबन्ध 1 तथा 2 के रूप में विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी 8604/84]

मानव निर्मित वस्त्र उद्योग को पेश आने वाली समस्याएं

3756. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग के विकास और उस को पेश आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और मुख्यतः वे समस्याएं क्या हैं ; और

(ग) देश में मानव निर्मित वस्त्र उद्योग में यदि कोई परेशानियां हैं तो उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग सहित वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में मूल्यांकन वस्त्र उद्योग के विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए सातवीं पंच-वर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय किया गया है ; पहले ही उठाये गए कुछ कदम निम्नलिखित अनुसार हैं :—

(1) यथोचित रूप में स्थिर कीमतों पर कच्चे माल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित

करने के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए मानव-निर्मित रेशे/यार्न के आयात की ओ० जी० एल० आधार पर अनुमति है ।

(2) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की गति को त्वरित करने के उद्देश्य से, कतिपय शर्तों के अधीन, बुनाई एककों के लिए वर्धित रेशा लोचशीलता घोषित की गई है । कताई एककों के लिए रेशा लोचशीलता की भी घोषणा की गई है ।

(3) मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित वस्त्र मशीनरी की अनेक मदों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

(4) आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन की योजना के अन्तर्गत मिलों को विद्यमान करघों तथा तकुओं के स्थान पर अत्याधुनिक उच्च गति करघे तथा तकुए प्रतिस्थापित करने की अनुमति है ।

(5) आधुनिकीकरण तथा वस्त्र उत्पादों के निर्यातों का विस्तार करने के लिए उत्पादन आधार में सुधार करने के अतिरिक्त उपाय के रूप में सरकार ने आयात शुल्क की रियायती दर पर अत्याधुनिक करघों तथा रोटर कताई मशीन की कतिपय किस्मों के आयात के लिए एक योजना घोषित की है बशर्ते कि ऐसी मशीनों द्वारा उत्पादित माल के 75% भाग का भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा ।

(6) पोलिएस्टर-काटन ब्लैंडेड यार्न तथा पोलिएस्टर-विस्कोस ब्लैंडेड यार्न की कतिपय किस्मों पर उत्पादन शुल्क में कमी कर दी गई है ।

(7) 40% से अधिक परन्तु 70% से कम पोलिएस्टर वाले पोलिएस्टर-काटन फैब्रिक्स की कतिपय किस्मों पर शुल्क में कमी की गई है ।

(8) विस्कोस स्टेपल फाइबर स्पन यार्न पर उत्पादन शुल्क की प्रभावी दर में कमी की गई है ।

(9) आधुनिकीकरण हेतु सुलभ ऋण योजना को और आगे उदार बनाया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश आयुध कारखाने की स्थापना

3757. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश में मेढक के स्थान पर एक आयुध कारखाने की आधारशिला रखी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने पर अनुमानित कितनी लागत आएगी और उसके कौन-सी तारीख तक तैयार हो जाने तथा उसमें कार्य शुरू हो जाने की संभावना है ;

(ग) इस कारखाने में कौन सी वस्तुएं तैयार किए जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या उसमें कोई विदेशी सहयोग भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) मेडक की आयुध निर्माणी (आर्डनेंस फैक्टरी) पर 421 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी । सोवियत सरकार के सहयोग से यह निर्माणी इफैक्ट्री के योधी वाहनों का उत्पादन करेगी । इस संबंध में आगे और ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा ।

रबड़ का उत्पादन और आयात

3758. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ का आयात किया जा रहा ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 के दौरान रबड़ की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा चालू वर्ष 1984-85 के दौरान इसकी कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य का रबड़ आयात किया गया ;

(घ) क्या देश में रबड़ के उत्पादन में गिरावट आई है ; यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी गिरावट आई है तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) देश में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(च) क्या रबड़ के उत्पादन के लिए देश के किसी अन्य भाग का सर्वेक्षण किया गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ; और

(छ) क्या रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित रबड़ की मात्रायें नीचे दिए

अनुसार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मे० टनों में)	मूल्य (रु०/लाख)
1981-82	42,750	3666.60
1982-83	30,050	2370.41
1983-84	31,200	3692.41
1984-85 (आयात के लिए प्राधिकृत)	30,000	3500.00 (लगभग)

(घ) से (च) जी नहीं। तथापि, उपजकर्ताओं को नकद उपदान तथा ब्याज उपदान एवं निःशुल्क विस्तार परामर्शी सहायता देते हुए, सरकार ने उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं।

उत्तर-पूर्वीय राज्यों में रबड़ की खेती के विकास के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों में रबड़ की खेती की सम्भाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है।

(छ) आशा की जाती है कि, नये रबड़ बागान के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के बाद, 2000 ए० डी० तक हम आत्म निर्भरता की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे।

तैयार खाद्य पदार्थों के निर्यात के बारे में कार्य दल का गठन

3759. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तैयार खाद्य पदार्थों की निर्यात के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए तथा इन उत्पादों के सम्पूर्ण विकास में सहायता देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात बढ़ाने में यह कितना सहायक होगा ;

(ग) इस समय कितनी मात्रा में तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है ;

(घ) तैयार खाद्य पदार्थों और निर्यात किए जा रहे मुख्य उत्पादों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं ;

(ङ) भारत से तैयार खाद्य पदार्थों का आयात करने वाले देशों के क्या नाम हैं ; और

(च) अन्य देशों में हमारे खाद्य उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) विभिन्न साधित खाद्य मदों के हमारे निर्यातों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले समस्या क्षेत्रों का पता लगाने और विभिन्न मदों के, जिनमें मूल्य वर्धित उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं, निर्यात वृद्धि के लिए संस्थागत प्रबन्ध तेज करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों और व्यापार से परामर्श करके वाणिज्य मंत्रालय ने कार्यवाही की है। ऐसा कोई औपचारिक कार्यकारी समूह का गठन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) 1984-85 के दौरान साधित खाद्यों के निर्यात के लिए 275.00 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साधित खाद्यों के वर्तमान निर्यातों में ताजे फल तथा सब्जियां, संरक्षित फल तथा सब्जियां, मांस तथा मांस उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद, ग्वार गौंद उत्पाद, अनाज खाद्य अखरोट, बासमती चावल, तथा अन्य मिश्रित खाद्य वस्तुएं शामिल हैं।

(ङ) इस समय हमारे खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से सोवियत संघ, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका आस्ट्रेलिया, प० जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेहरीन, कुवैत कतार, सऊदी अरब, ओमान तथा यमन अरब गणराज्य को निर्यात किए जाते हैं।

(च) विदेशों में भारतीय साधित खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है : विशेषीकृत अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य से मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, लक्षित बाजारों में बिक्री दल प्रायोजित करना, विदेशों से व्यापार प्रतिनिधिमंडल निमंत्रित करना; विदेशी बाजारों में सामान्य तथा ब्रांड प्रचार करना, आदि।

करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक को करेंसी नोट बनाने के कागज की सप्लाई करने वाली एजेंसियां

3760. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड, को करेंसी नोट बनाने के कागज की सप्लाई करने वाली एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) करेंसी नोट बनाने के कागज की सप्लाई करने संबंधी ठेके की शर्तें और अवधि क्या है ; और

(ग) क्या यह देखा गया है करेंसी नोट बनाने के लिए घटिया किस्म के कागज का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे जनता को असुविधा हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) करेंसी नोट मुद्रणालय नासिक रोड के लिए प्रतिपूर्ति कागज सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति प्रतिभूति कागज कारखाना (सिक्यूरिटी पेपर मिल) होशंगाबाद द्वारा की जाती है जो भारत सरकार का एक विभागीय एकक है । जब कभी प्रतिभूति कागज की आवश्यकता होशंगाबाद में किए जाने वाले उत्पादन से बढ़ जाती है । तब यदा-कदा प्रतिभूति कागज का आयात भी किया जाता है । कागज का आयात सप्लाई करने वालों को दिए गए सप्लाई-आर्डर में विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर किया जाता है, जिनमें इन विषयों से संबंधित खण्ड होते हैं :— कीमतें, अदायगी, एजेंसी कमीशन मार्किंग, पैकिंग, निरीक्षण प्राधिकारी, सुपुर्दगी कार्यक्रम की बीमा, शर्तें, निरीक्षण-प्रलेख, प्रतिभूति निक्षेप और वारंटी खण्ड जिसमें त्रुटिपूर्ण विनिर्माण के फलस्वरूप या घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग में लाए जाने के कारण या अन्य किसी ऐसे कारण से, जिसके फलस्वरूप कागज विशिष्टियों के अनुरूप न उतरता हो और बैंक नोट या करेंसी नोट छापने के लिए उपयुक्त न हो, कागज दोष-पूर्ण होने के आधार पर उसका निःशुल्क लागत, बीमा और भाड़ा के आधार पर रूरल स्थल (साइट) पर प्रतिस्थापन करने के लिए अनुबन्ध होता है ।

कुल मिलाकर प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद द्वारा सप्लाई किया गया कागज अपेक्षित विशिष्टयों के अनुरूप होता है ।

एशियाई विकास बैंक की सहायता से वित्त घोषित होने वाली परियोजनाएं

3761. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एशियाई विकास बैंक से कुछ धन राशि की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका वित्त पोषण सहायता से किया जाएगा ; और

(घ) परियोजनावार कितनी धन राशि दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के प्रबंधकों को तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि की अवधि के दौरान (1987 को समाप्त अवधि में) बैंक के साधारण पूंजी साधनों से ऋण लेना शुरू करने के अपने इरादे से अवगत करा दिया है। इस अवधि में भारत को ऋण की ठीक कितनी राशि दी जाएगी तथा इससे किन-किन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा, इस संबंध में विचार-विमर्श अभी जारी है।

भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय निवेश केन्द्र को प्राप्त प्रस्ताव

3762. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत भारतीय निवेश केन्द्र को पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और सरकार ने उनको मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : पिछले दो वर्षों के दौरान, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अनिवासी भारतीयों सहित समुद्रपारीय उद्यमकर्ताओं से प्राप्त पूछताछ संबंधी प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1982-83	—	3208
1983-84	—	6165

भारतीय निवेश केन्द्र एक संवर्धनात्मक संगठन है और इसकी सेवाएं ऐसी सभी समुद्रपारीय उद्यमकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जो कि भारत में कंपनियों के साथ वित्तीय/तकनीकी सहयोग करने के इच्छुक हैं। फिर भी, यह आवश्यक नहीं है कि वे लोग जो भारतीय निवेश केन्द्र की सेवाओं का लाभ उठाते हैं, आवश्यक रूप से विदेशी सहयोग प्रबन्धों के अनुमोदन के लिए सरकार को निश्चित आवेदन करें। जहां कहीं भी समुद्रपारीय पार्टियों से निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर सरकार की नीति तथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक इसके सहायक बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत

3763. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार**
श्री सत्य नारायण जटिया } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक और इसके प्रत्येक सहायक बैंक और प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन में से प्रत्येक बैंक में प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या वहां अनुसूचित जातियों का प्रतिशत पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में पहली जनवरी, 1984 की अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1, 2, और 3 में दी गई है ।

(ग) यद्यपि सब-स्टाफ और सफाई कर्मचारियों के मामले में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का प्रतिशत पर्याप्त है, किन्तु लिपिकीय संवर्ग के संबंध में यह अपेक्षित प्रतिशत से कम है । अधिकारी संवर्ग में अनु० जाति का प्रतिशत और सभी संवर्गों में अनु० जनजातियों का प्रतिशत प्रर्याप्त नहीं है ।

(घ) स्टाफ और अधिकारियों में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों की कमी को पूरा करने के वास्ते, बैंकों और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को समय-समय पर बकाया रिक्तियों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा जाता है । उन्हें अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों के वास्ते, आवश्यकतानुसार विशेष परीक्षा आयोजित करने के लिए भी कहा गया है । इसके अतिरिक्त, आरक्षित पदों के चयन में अनु० जाति/अनु० जनजातियों के अवसरों को बढ़ाने के वास्ते उच्च आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताओं तथा आवेदन शुल्कों में छूट दिए जाने जैसी विभिन्न रियायतें भी दी जाती है । इन उम्मीदवारों का मूल्यांकन रियायती मानदण्डों के अनुसार किया जाता है ।

विवरण-1

क्रम सं०	बैंक का नाम	अधिकारी	लिपिक	सब-स्टाफ	सफाई कर्मचारी
1	2	3	4	5	6
1.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया		उपलब्ध नहीं		
2.	बैंक आफ इंडिया	9351	24092	7033	1374
3.	पंजाब नेशनल बैंक	9620	21393	8471	1728

1	2	3	4	5	6
4.	बैंक आफ बड़ौदा	10136	18901	7622	633
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	7820	15750	7081	897
6.	केनरा बैंक	9187	23906	5330	1399
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3934	10005	5259	1066
8.	देना बैंक	3710	7511	3531	रखे नहीं जाते
9.	सिंडीकेट बैंक	7109	18702	4085	1570
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	7101	13462	4520	1187
11.	इलाहाबाद बैंक	3768	7588	3457	385
12.	इंडियन बैंक	5520	9251	2957	23
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3221	8472	3317	रखे नहीं जाते
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6013	13613	3479	1104
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	3731	5187	1925	638
16.	कारपोरेशन बैंक	3740	3396	691	53
17.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1893	3261	1214	327
18.	विजया बैंक	2785	6687	1954	394
19.	न्यू बैंक आफ इंडिया	2573	5714	2282	रखे नहीं जाते
20.	आंध्र बैंक	3280	5897	1884	321
21.	भारतीय स्टेट बैंक	44274	99395	33879	5935
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2042	6281	2608	325
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2227	6053	2608	165
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1023	2692	1283	2
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1739	5274	1421	460
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1315	4920	1891	495
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1166	3473	1403	197
28.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर	1930	5286	1840	422
	जोड़	160217	356166	122035	21100

क्रम सं०	बैंक का नाम	अधिकारी	प्र०श०	लिपिक	प्र०श०	सब स्टाफ	प्र०श०	सफाई कर्मचारी	प्र०श०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	उपलब्ध नहीं है							
2.	बैंक आफ इंडिया	954	10·21	2864	11·89	1552	22·07	944	22·07
3.	पंजाब नेशनल बैंक	817	8·43	3507	16·39	1705	20·1	1489	86·16
4.	बैंक आफ बड़ौदा	798	7·88	2365	12·51	1730	22·70	286	45·18
5.	यूनाईटेड कमर्शियल बैंक	394	5·0	1621	10·3	1326	18·7	508	56·6
6.	केनरा बैंक	592	6·44	3198	13·38	965	18·12	219	15·65
7.	यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	98	2·5	1520	15·2	601	11·43	889	83·2
8.	देना बैंक	200	5·39	1004	13·37	835	23·65	×	×
9.	सिंडीकेट बैंक	561	7·89	2433	13·01	1023	25·04	513	32·68
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	330	4·65	2148	15·96	1123	24·85	629	52·99
11.	इलाहाबाद बैंक	190	5·04	1076	14·18	610	17·68	322	83·63
12.	इंडियन बैंक	511	9·26	1454	15·72	919	31·08	11	47·8
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	302	9·38	1077	12·71	795	23·97	×	×
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	549	9·13	2849	20·91	1386	39·84	244	22·10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पजाब एंड सिंध बैंक	39	1·04	144	2·77	154	8·00	—	—
16.	कार्पोरेशन बैंक	42	1·1	171	5·06	139	20·26	7	13·2
17.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	22	1·16	355	10·88	72	5·93	उपलब्ध नहीं है	
18.	विजय बैंक	20	1·04	190	2·84	178	9·11	45	11·42
19.	न्यू बैंक आफ इंडिया	7	0·27	407	7·14	504	22·09	×	×
20.	आंध्रा बैंक	37	1·13	728	12·35	351	18·63	कुछ नहीं	
21.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	1299	2·9	14687	14·8	49·47	14·6	3910	65·88
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	108	5·28	1078	17·16	287	12·57	325	100·00
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	61	2·73	564	9·31	303	11·6	कुछ नहीं	
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	29	2·86	401	15·11	249	19·41	2	—
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	63	3·62	536	10·05	228	15·55	कुछ नहीं	
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	78	5·93	879	17·88	367	19·4	495	100·00
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	81	6·95	425	12·75	159	13·22	31	27·93
28.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	103	5·3	615	11·63	466	25·3	32	7·6
	कुल	8388	5·23	48296	13·55	22984	18·83	10901	51·6

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या और सामान्य कर्मचारियों की तुलना में उनका प्रतिशत

क्रम सं०	बैंक का नाम	अधिकारी	%	लिपिक	%	सब स्टाफ	सफाई कर्मचारी	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	—उपलब्ध नहीं—							
2.	बैंक आफ इंडिया	371	3·97	996	4·14	343	4·88	81	5·90
3.	पंजाब नेशनल बैंक	149	1·54	567	2·65	375	4·4	129	7·46
4.	बैंक आफ बड़ौदा	102	1·00	393	2·08	412	5·41	42	6·64
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	78	1·0	403	2·5	352	4·9	12	1·5
6.	केनरा बैंक	221	2·41	754	3·15	158	2·97	7	0·50
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	37	1·00	152	1·53	16	1·45	101	10·1
8.	देना बैंक	63	1·70	323	4·30	331	9·37	रखे नहीं जाते	
9.	सिंडीकेट बैंक	177	2·49	613	3·28	223	5.46	65	4.14
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	73	1·03	195	1·45	147	3.25	45	3·70
11.	इलाहाबाद बैंक	30	0·79	117	1·54	71	2.05	4	1·03
12.	इंडियन बैंक	168	3·04	168	1·82	112	3·79	शून्य	
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	71	2·20	194	2·29	243	7·33	रखे नहीं जाते	

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	216	3.59	301	2.21	155	4.46	21	1.9
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	14	0.37	20	0.39	1	0.52	—	—
16.	कारपोरेशन बैंक	—	—	44	1.29	21	3.03	शून्य	
17.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6	0.31	48	1.47	33	2.71	उ० न०	
18.	विजया बैंक	6	0.31	70	1.05	52	2.66	6	1.52
19.	न्यू बैंक आफ इंडिया	2	0.08	69	1.21	32	1.40	रखे नहीं जाते	
20.	आंध्र बैंक	17	0.52	102	1.73	139	7.37	—	—
	भारतीय स्टेट बैंक	323	0.7	3935	4.0	1079	3.2	437	7.36
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	3	0.14	279	4.44	120	5.25	शून्य	
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	18	0.87	54	0.89	66	2.56	उ० न०	
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	18	1.78	110	4.15	112	8.73	—	—
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	17	0.98	190	3.28	62	3.8	उ० न०	
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8	0.6	30	0.61	37	1.95	शून्य	
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	13	1.11	154	4.63	43	3.60	शून्य	
28.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर	21	1	90	1.7	78	4.2	7	1.7
	जोड़	2222	1.38	1037	2.91	4813	3.94	957	4.53

क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

3764. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र कर्मचारी संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-8605/84]। दि एशोसिएशन आफ दि एम्पलाईज आफ दि रीजनल डिजाइन एण्ड टेक्नीकल डेवलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को 5 लाख से अधिक की ऋण सुविधा देना

3765. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार की सलाह पर सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए हैं कि उनके किसी निदेशक अथवा उनके रिश्तेदारों को निदेशक मंडल की पूर्व मंजूरी के बिना 5 लाख रु० से अधिक के ऋण देने की कोई सुविधा नहीं दी गई है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बीच आपस में एक दूसरे के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण सुविधा देने से सम्बन्धित अनौपचारिक समझौते की भी आलोचना की है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के चेयरमैनों और प्रबन्ध निदेशकों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों को मंडल की मंजूरी के बिना किसी भी किस्म के ठेके भी नहीं दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनका विचार बैंक द्वारा इन आदेशों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मंत्रालय में किसी प्रकोष्ठ (सैल) की स्थापना करने और दोषी पाए जाने

वाले बैंकों और उनके निदेशकों तथा प्रबन्धकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का है; और

(ङ) क्या रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ बैंकों के ऋण खातों की जांच करने पर यह पता चला कि उन्होंने एक दूसरे के निदेशकों और उनके सम्बन्धियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपस में एक प्रकार की अनौपचारिक पारस्परिक व्यवस्था कर रखी है। अतः रिजर्व बैंक ने 12 अप्रैल, 1984 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम अनुदेश जारी किए थे।

(घ) जी, नहीं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों के दौरान उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखा जाएगा तथा रिजर्व बैंक इन अनुदेशों के किसी भी उल्लंघन के सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करेगा।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अनुदेशों की प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8606/84]

आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, आई०एफ०सी०आई० आदि द्वारा लिए गए यूरोपीय ऋण

3766. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा इस वर्ष के दौरान लिए गए और लिए जाने वाले यूरोपीय ऋणों की धन-राशि कितनी है;

(ख) ये ऋण किस तरह लिए जाएंगे और किस-किस देश से और वित्तीय संस्थानों को किस दर से ब्याज देना होगा और वे अपने अन्य ग्राहकों से क्या दर वसूल करेंगे;

(ग) ये संस्थान किस ढंग से इन ऋणों का वितरण करेंगे और संभावित-लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उड़ीसा स्थित किसी उद्योग को भी इन ऋणों का लाभ मिलेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 3 जुलाई, 1984 तक भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा लिए गए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की राशि लगभग 76 करोड़

भारतीय रुपयों के बराबर है। उपरोक्त अवधि के दौरान, प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपए से अधिक रकम के लिए जारी की गई स्वीकृतियों की सूची संलग्न है। 1984-85 वर्ष के बाकी बचे भाग में लिये जाने वाले विदेशी ऋणों की कुल राशि, जारी की गई मंजूरियों के सम्बन्ध में उस अवधि में वस्तुत: निष्पन्न किए जाने वाले करारों पर निर्भर करेगी।

(ख) और (ग) जबकि वित्तीय संस्थान यूरो ऋण तथा कभी-कभी बांडो के जरिए ऋण प्राप्त करते हैं, अन्य ऋणकर्ता प्राय: यूरो ऋणों तथा संभरक ऋणों के रूप में ऋण प्राप्त करते हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की दर, ऋण लेते समय प्रचलित स्थितियों पर निर्भर करती है। जहां तक यूरो ऋणों का सम्बन्ध है, वित्तीय संस्थान प्राय: अपने ऋण पर देय ब्याज की दर से 2 प्रतिशत अधिक वसूल करते हैं। इन ऋणों का उपयोग अनुमोदित परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिए पूंजीगत माल तथा सेवाओं के आयात के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

(घ) उड़ीसा राज्य सहित संपूर्ण देश के औद्योगिक एकक इन ऋणों के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे सम्बन्धित वित्तीय संस्थान द्वारा तय की गई, परियोजना/योजना की अनुमोदन सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

विवरण

क्रम सं०	संस्था का नाम	उधार/ऋण की राशि		वार्षिक ब्याज की दर
		विदेशी मुद्रा में	करोड़ रुपयों के बराबर	
1	2	3	4	5
1.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2 करोड़ डालर	20.90	लिबर की दर से अधिक 3/8%
2.	मै० रिलाएंस टैक्सटाइल्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1.188 करोड़ अमरीकी डालर, अमरीकी डालर 5.3 लाख ड्यूश मार्क, 4.5 लाख स्विस फ्रांक, 77.1182 करोड़ जापानी येन 47 लाख रुपए कुल मिलाकर उपर्युक्त अमरीकी डालर की रकम के बराबर है।	16.47	सिबर की तुलना में 5/8% अधिक

1	2	3	4	5
3.	मै० बेनेट कोलमैन एण्ड कं० लिमिटेड	44.8 लाख पौंड	7.05	9.5%
4.	मै० गोल्डन टोबैको	1.061 करोड़	11.48	7.75%
5.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	5 अरब येन	23.5	8%
6.	मै० बजाज आटो लि०	2.20 करोड़ डालर	23.80	मुक्त दर के लिए लिबर की तुलना में 5.8 प्रतिशत अधिक तथा नियत दर के ऋण अंशों के लिए 10.25 प्रतिशत तथा 14.25 प्रतिशत ।
7.	मै० हिन्दुस्तान एयरो-नोटिक्स	10.5 करोड़ ड्यूश मार्क	43.00	9.125 प्रतिशत

टिप्पणी :– इसमें 3 करोड़ डालर का यूरो ऋण (31.55 करोड़ रुपए) शामिल नहीं हैं जिसको कि मार्च, 1984 में भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के लिए स्वीकृत किया गया था जिसके लिए ऋण करार पर मई, 1984 में हस्ताक्षर किए गए थे ।

(2) लिबर : लन्दन अन्तर-बैंक प्रस्तावित दर

सिबर : सिंगापुर अन्तर-बैंक प्रस्तावित दर

व्यक्तियों/फर्मों/औद्योगिक घरानों/कम्पनियों से सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क की वसूली

3767. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों/फर्मों/औद्योगिक घरानों कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में 5 लाख रुपए की राशि वसूल की जानी है परन्तु न्यायालय में चल रही कार्यवाही के कारण उनकी वसूली रुकी पड़ी है;

(ख) क्या उत्पाद शुल्क लगने योग्य पदार्थों के मूल्यांकन के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में निर्णय दिये जाने अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर अधिनियम की धारा की व्याख्या किए जाने से यह समस्या काफी सीमा तक कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार जल्दी निर्णय लेने हेतु संबंधित न्यायालयों में अपील करने हेतु विभिन्न न्यायिक मामलों की मुकदमेबाजी में इस प्रकार फंसी हुई सरकार की सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) विभिन्न न्यायालयों में ऐसे अनेक मामले विचाराधीन हैं जिन पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के उपबन्धों के अधीन वर्गीकरण, मूल्यांकन और अधिसूचनाओं के अर्थ-निरूपण के बारे में विवाद है। इनमें से बहुत-से मामलों में अंतर्ग्रस्त शुल्क की रकम की गणना करना तक व्यवहार्य नहीं है जब तक कि न्यायालयों द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं दे दिया जाए। जिन व्यष्टियों/फर्मों/कंपनियों पर शुल्क की रकम बकाया है, और जिनकी शुल्क की रकमें अदालती कार्रवाई की वजह से फंसी पड़ी है, उनकी संख्या बहुत अधिक है। यदि माननीय सदस्य किसी व्यष्टि/फर्म/कम्पनीविशेष के सम्बन्ध में जानकारी चाहें तो वह एकत्र करके प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन मामलों में शीघ्र निर्णय लेने हेतु विधि मंत्रालय/स्थायी कौंसिलों के माध्यम से न्यायालयों के साथ लिखा-पढ़ी करने के लिए अनुदेश जारी किए गए है। जिन अदालती मामलों का अन्तिम रूप से निर्णय हो गया है, उनके सम्बन्ध में बकाया रकम की यथा-सम्भव शीघ्र वसूल करने के उपाय किए जाते है।

नौ-लदान और विमान-लदान सम्बन्धी बिलों के जारी करने में कदाचार

3768. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ-लदान (लोडिंग) और विमान-लदान (एयरवे) सम्बन्धी बिलों के जारी किए जाने में कदाचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है जिससे अंततः वाणिज्यिक बैंकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और देश को भारी घाटा हो रहा है जैसा कि दिनांक 19 जुलाई, 1984 के "फाइनेंसिएल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "मालप्रैक्टिसींग इन इसुइंग बिल्स आफ लोडिंग" शीर्षक से छपे समाचार में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यापारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कदाचारों के स्रोतों तथा वर्तमान व्यवस्था और प्रणाली तथा विधान में कमियों की ध्यानपूर्वक जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो व्यापारियों, दोषी वाहनों और बैंकरों को दंडित करने के बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लेकिन इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित विषय वस्तु की ओर भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

कुआंवा गांव में बैंक की शाखा खोलना

3770. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमलवाड़ा जिला दुर्गापुर क्षेत्र के कुआंवा गांव में (जो एक आदिवासी जिला है और जहां बैंक आफ बड़ौदा एक लीड बैंक के रूप में कार्य करता है) एक बैंक शाखा खोलने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या बैंक आफ बड़ौदा की ओर से प्रस्ताव के अभाव में वहां पर एक शाखा नहीं खोली जा सकी;

(ग) क्या उक्त बैंक का सर्वेक्षण गुजरात सीमा पर कुआंग गांव के छोर तक ही हुआ है;

(घ) क्या कुआंवा शाखा अपने निकटवर्ती डुंगरार गांव से लाखों रुपये की जमाराशि आकर्षित कर सकती है; और

(ङ) क्या जमाराशि की दर की कभी जांच की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) बैंक आफ बड़ौदा के (जो डूंगरपुर जिले का लीड बैंक है) जिसने केन्द्र का निरीक्षण किया था और भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार, राजस्थान के डूंगरगढ़ जिले में कुआंवा नामक स्थान पर बैंक कार्यालय खोलना इस समय अर्थक्षम नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने भी अपने सर्वेक्षण के आधार पर अप्रैल, 1982 से मार्च 1985 तक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत कुआंवा केन्द्र की शाखा खोलने के लिए नहीं चुना है। उक्त शाखा नीति अवधि में डुंगरसरण केन्द्र की भी शाखा खोले जाने के लिए नहीं चुना गया है। ऐसी स्थिति में बैंक आफ बड़ौदा ने कुआंवा में शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध नहीं किया है।

फुलवारिया के लिए वैकल्पिक सड़क का निर्माण

3771 **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फुलवारियों (फुलवारिया, सारैया, कुम्हार पुरवा) के लिए वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं;

(ख) क्या इस कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और यदि हां, तो इस काम पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है और यह कार्य कितने समय में शुरू कर दिया जायेगा और कितने समय में पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि उक्त कार्य मानसून शुरू होने से पहले पूरा नहीं होता है तो क्या पानी के जमा होने से सड़क रुक जाएगी और यदि हां, तो इसके लिए किये जा रहे प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। सरकार ने फरवरी 1984 में इस परियोजना के लिए धन की मंजूरी दे दी है और यह राशि इस कार्य के लिए मार्च 1984 में मिलिटरी इंजीनियरी सेवा को दे दी गई है। मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारी कार्य की तकनीकी जांच कर रहे हैं और ठेके को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।

(ख) जी, हां। छावनी बोर्ड द्वारा तैयार किये गए अनुमानों के अनुसार परियोजना की लागत 17,08,978 रुपए है। निर्माण-कार्य वर्षा ऋतु के बाद ही आरम्भ होगा। आशा है कि कार्य आरम्भ होने के बाद सड़क और पुलियों का निर्माण-कार्य छः महीने के अंदर और पुलों का निर्माण डेढ़ वर्ष में पूरा हो जाएगा।

(ग) यह पता कर लिया गया है कि मानसून के दौरान पानी के जमा होने से सड़क के बन्द होने की कोई आशा नहीं है। इस समय ग्रामीण, सेना प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई सीमा-दीवार (बाउंड्री वाल) के साथ लगे रास्ते का उपयोग कर रहे है और वे इसका उपयोग बराबर करते रहेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन ढांचे के लिए मार्गनिर्देश

3772. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र क 67 उपक्रमों के लिए जो इस समय केन्द्रीय सरकार महंगाई भत्ता ढांचे पर चल रहे हैं उनके द्वारा औद्योगिक महंगाई भत्ता ढांचा अपनाये जाने की अवस्था में उनके प्रस्तावित वेतन ढांचे हेतु, कोई सामान्य मार्गनिर्देशन जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने भटनागर समिति द्वारा सुझाये गये वेतनमानों की तुलना में अपने कार्यकारी अधिकारियों में लिए बेहतर वेतनमान लागू कर रखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा वहां पर क्या-क्या वेतनमान लागू हैं तथा अन्य क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले में कुछ सम्बन्धित सरकारी उद्यमों के अधिकारी संघों ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, इसलिए सरकार इस स्थिति में और अधिक ब्यौरा देने में असमर्थ है।

बघाद काम्प्लेक्स एरिया का विकास के लिए सर्वेक्षण

3773. **श्री भीखा भाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मेवाड़ काम्प्लेक्स के नमूने पर बघाद काम्पलेक्स का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) क्या केलीफोर्निया के शतद्वीपीय संकल्पना के लिहाज से कंदना बेसिन माही बाजार सागर का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के किसी दल का बघाद काम्प्लेक्स एरिया की यात्रा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सी०ई० माही की बांसवाड़ा बजाज सागर की पर्यटन संभावना पर नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मेवाड़ काम्पलेक्स के नमूने पर बघाद का विकास करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) विभाग के कंदना बेसिन माही बजाज सागर का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। बघाद काम्प्लेक्स एरिया की यात्रा हेतु किसी दल को भेजने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरमंदिर साहिब के भीतर से आतंकवादियों को निकालने के लिए गैस का उपयोग किया जाना

3774. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही के दौरान अनेक आतंकवादियों को हरमंदिर साहिब के भीतर से गैस का उपयोग करके बाहर निकाला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 5 जून, 1984 को हरमंदिर साहिब के भीतर से गैस का उपयोग करने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर के अन्य किसी भाग में भी गैस का उपयोग किया गया था ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों ने स्वर्णमंदिर की परिक्रमा के उत्तरी क्षेत्र में और अकाल तख्त के आम स्थानों में दंगों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अश्रुगैस की तरह की अघातक गैस (नान लैथेक गैस) का उपयोग किया। सेना की कार्रवाई के दौरान किसी भी समय हरमंदिर साहिब के भीतर गैस का प्रयोग नहीं किया गया। इस गैस का उपयोग इसलिए किया गया कि जान माल की हानि न हो और इमारत को क्षति न पहुंचे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण/अग्रिम धनराशि लेने वाली पार्टियों/फर्म/कम्पनियां

3776. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों/फर्मों/कम्पनियों की संख्या क्या है जिन्होंने (1) बम्बई (2) कलकत्ता तथा (3) दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों से 50 लाख रु० और उससे अधिक राशि का ऋण/अग्रिम धनराशियां ली हैं;

(ख) उपर्युक्त में से प्रत्येक पर 30 जनवरी, 1984 को कुल कितना ब्याज और/अथवा वापसी किस्त बकाया है;

(ग) उन पार्टियों/फर्मों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो निर्धारित तिथियों पर ब्याज/किस्त वापसी अदा करने में विफल रहती है; और

(घ) प्रत्येक मामले में कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) स्वीकृत ऋण सीमाओं और उन ऋणकर्ताओं के खातों में बकाया राशियों के संबंध में सूचना, जो सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली से 1 करोड़ रुपये और इससे अधिक राशि का उपयोग कर रहे हों, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार सितम्बर, 1983 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक ऐसी 1125 पार्टियां थीं जिनके पंजीकृत कार्यालय बंबई, कलकत्ता और दिल्ली में स्थित थे और जो कुल 9942 करोड़ रुपये की बैंक ऋण सीमाओं का उपभोग कर रही थीं तथा उनकी ऋण सीमाओं के अंतर्गत 6833 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। उपर्युक्त आंकड़ों का शहर-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

केन्द्र	पार्टियों की संख्या	सीमाएं	बकाया राशि
बम्बई	633	4704	3122
कलकत्ता	345	2792	1786
दिल्ली	147	2446	1925
जोड़	1125	9942	6833

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े एकत्रित करने की वर्तमान प्रणाली से बैंकिंग प्रणाली से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रही पार्टियों की ओर बैंकों को देय कुल ब्याज तथा/अथवा किश्तों की वापस अदायगी के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती।

बैंकों में अलग-अलग ऋणकर्ताओं के खातों पर विभिन्न स्तरों एवं अवस्थाओं में निरन्तर निगरानी करने की प्रणाली मौजूद है। अग्रिमों के बारे में जैसे ही यह जानकारी मिलती है कि इनकी वसूली में कठिनाई हो सकती है तो उस प्रयोजन के संदर्भ में इसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है जिसके लिए यह अग्रिम दिया गया था कि कारोबार की किस्म, तथा ऋणकर्ता की स्थिति, प्रतिभूति की उपलब्धता ऋणकर्ता/गारंटीदाताओं की समर्थता आदि कैसी है। समीक्षा के आधार पर अग्रिमों की वसूली करने/उन्हें विनियमित करने के उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में एकक के पोषण के प्रयास, इसकी गतिविधि में विविधीकरण लाकर इसके कारोबार में सुधार करना, लाभप्रदता बढ़ाना आदि शामिल हैं। यदि इन उपायों का कोई परिणाम नहीं निकलता तो अग्रिमों की वापसी की मांग की जाती है और जमानत को प्रभावी बनाकर अथवा पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का सहारा लेकर अग्रिमों की वसूली के लिए उपाय किये जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबन्धों के अनुसार तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुरूप बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध

में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

आयकर विभाग दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण

3777. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर आयुक्त दिल्ली। द्वारा आयकर विभाग दिल्ली में आयकर अधिकारियों और सहायक आयुक्तों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है;

(ख) क्या आयकर अधिकारियों और सहायक आयुक्तों का एक वार्ड/रेंज से दूसरे में स्थानांतरण करते समय उच्च नीति का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ग) दिल्ली में उन आयकर अधिकारियों तथा सहायक आयुक्तों की संख्या कितनी है जो किसी वार्ड/रेंज चार्ज में 3 और 2 वर्ष या इससे अधिक समय से हैं और ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या एक स्थान पर अधिक समय तक काम पर लगे रहने से भ्रष्टाचार और निर्धारितों के साथ अधिकारियों की सांठ-गांठ को बढ़ावा मिलता है जो कि राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है और सरकारी राजस्व के अहित में है; और

(ङ) एक ही सीट पर तीन या इससे अधिक वर्षों से काम कर रहे अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) मुख्य आयुक्त (प्रशासन) दिल्ली द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार किसी भी आयकर अधिकारी को, किसी विशेष आयकर आयुक्त के अधिकारी क्षेत्र मे 3/4 वर्ष कार्य करने के बाद स्थानांतरित किया जा सकता है। वेतन परिमंडल, प्रधान कार्यालयों, विशेष लेखा परीक्षा आदि में कार्यरत अधिकारियों के मामले में सामान्यतया तैनाती की अवधि 2/3 वर्ष होती है। सहायक आयकर आयुक्त को 3 वर्ष के बाद एक रेंज से दूसरे रेंज में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ख) अधिकारियों के विशेष वेतन पदों पर स्थानांतरण होने पर अथवा दिल्ली अधिकारी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण होने के कारण हुई रिक्तियों अथवा पदोन्नति के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए स्थानांतरण के लिए अपेक्षित अवधि पूरी न होने के बावजूद भी, स्थानांतरण किए गए हैं। कभी-कभी अधिकारियों को जनहित में लम्बी अवधि के लिए रोक लिया जाता है।

(ग) से (ङ) ऐसे सहायक आयकर आयुक्तों की संख्या 13 है जो 2 वर्ष से अधिक समय से एक रेंज में रहते हैं। इन अधिकारियों का एक ही रेंज में रहना मुख्य आयुक्त (प्रशासन) दिल्ली द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार है। एक सहायक आयकर आयुक्त और 2 आयकर अधिकारी (विशेष वेतन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को छोड़कर) जनहित में निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए एक स्थान/अधिकार क्षेत्र में तैनात रहे हैं।

ये प्रयास किए जाते हैं कि अधिकारियों को निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि के लिए एक वार्ड/सर्कल/रेंज में रहने की अनुमति नहीं दी जाय। तथापि अपवादिक मामलों में अधिकारियों को जनहित में अथवा प्रशासनिक आधार पर एक वार्ड/सर्कल/रेंज में रखा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मकान निर्माण हेतु ऋण देने के बारे में निर्देश

3778. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मकान निर्माण हेतु ऋण देने के बारे में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) उड़ीसा में विभिन्न राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक कर्मचारियों के अलावा कितने लोगों को ऋण दिया है; और

(ग) मकान निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत करने के किए बैंक कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदंड का क्या विवरण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक 1979 से बैंकों के नाम समय-समय पर आवास वित्त दिए जाने के बारे में मार्ग निर्देश जारी करता रहा है। 18 नवम्बर, 1982 को जारी किए गये चालू मार्ग निर्देशों के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली को 1983 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं के लिए आवास प्रयोजनों के वास्ते 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी थी जिसमें से 65 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, कम आय वर्गों, मध्यम आय वर्गों और ऊंची आमदनी वाले वर्गों के लोगों को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सीधे ऋण देने के लिए, और हुडको तथा राज्य आवास बोर्डों के गारंटीशुदा बांडों तथा ऋण पत्रों में अप्रत्यक्ष अभिदान के लिए 45 करोड़ रुपए और शेष 10 करोड़ रुपए गैर सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं (अर्थात् आवास विकास वित्त निगम) के लिए है। इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये की राशि गुजरात राज्य के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कंसार्शियम के वित्त के रूप में आवंटित की गई और 10

करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्त व्यवस्था आवास विकास वित्त निगम के लिए की गई है। बैंकों के कर्मचारियों को आवास के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है वह 150 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के अतिरिक्त है। भारतीय रिजर्व बैंक की आवास योजनाओं पर ब्याज की दरें 4 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक ऋणकर्ताओं के वर्गों और ऋण की राशियों के अनुसार होती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान सूचना प्रणाली से आवास वित्त के बारे में राज्यवार आंकड़े प्राप्त नहीं होते और इसलिए उड़ीसा में आवास वित्त के आंकड़ों के बारे में तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के जिन मार्गनिर्देशों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें बैंकों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण नहीं आते। बैंक अपने उन कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवास ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्होंने अपनी सेवा शर्तों के एक भाग के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

विदेशी पर्यटकों के लिए महात्मा गांधी के सम्बन्ध में प्रचार सामग्री

3779. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "गांधी फिल्म" की सफलता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों में उपयोग हेतु महात्मा गांधी के सम्बन्ध में प्रचार सामग्री प्राप्त करने के लिये समुचित कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में इससे किस सीमा तक सहायता मिली है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। निम्नलिखित साहित्य प्रकाशित किया गया और विदेश स्थित कार्यालयों को प्रचार के लिए भेजा गया :

(1) "दी इण्डिया आफ गांधी" शीर्षक से एक पोर्टफोलियो।

(2) गुजरात पर्यटन विकास निगम द्वारा गांधी जी और उनकी जीवनी से संबधित स्थानों पर एक फोल्डर प्रिंट किया गया।

(3) गांधी जी से सम्बन्धित स्थानों को शामिल करते हुए बहुत से मौजूदा ब्रोशर्स/निर्देशिकाएं।

(ख) विशेष रूप से "गांधी" फिल्म की स्क्रीनिंग द्वारा उत्पन्न की गई अभिरुचि के कारण प्रतिक्रिया पर्याप्त रूप से आशाजनक रही है ।

ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्त

3780. **श्री के० राममूर्ति** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के मुख्य अधिकारी ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के चेयरमैनों/प्रबंध निदेशकों को इस बात की चेतावनी दी थी कि ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, क्षेत्र में कार्य की संभावनाओं का मूल्यांकन किये बिना अनेक आवेदनों का वित्त पोषण किया गया है (बिजनैस स्टेन्डर्ड दिनांक 14 जुलाई, 1984) और

(ख) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार का निर्धारण करने के लिए स्थानीय लोगों की सहायता से आना तंत्र गठित किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार सुलभ करवाने की योजना के अधीन मंजूर किए गए कुछ ऋणों को क्षेत्र स्तर पर नमूने के तौर पर जांच के दौरान यह पता चला कि इसी कार्य विशेष के वास्ते क्षेत्र में कार्य की संभावनाओं का मूल्यांकन किए बिना अनेक आवेदनों की मंजूरी दे दी गई थी । मार्च 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें बैंकों को हिताधिकारियों के चयन, वित्त पोषित किए जाने वाले क्रियाकलापों की किस्मों का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण अनुवर्ती कार्रवाई और योजना के अन्तर्गत मंजूर किए जाने वाले ऋणों की वसूली के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी ।

(ख) ऋण मंजूर करने के वास्ते शासित परियोजनाओं की अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास अपने कर्मचारी हैं ।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पड़े आरक्षित पद

3781. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर" में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों में से कितने इस समय रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 1984 को बैंक के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पद निम्नलिखित रिक्त थे :—

	अ० जा०	अ० ज० जा०
लिपिकीय संवर्ग	90	220
सब स्टाफ संवर्ग	74	55
अधिकारी संवर्ग		
समूह 'क'	1	11
समूह 'ख'	23	11
समूह 'घ'	13	7

(ख) यद्यपि इनके भरे जाने की कोई पक्की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती लेकिन बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए जल्दी ही केवल अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के वास्ते एक परीक्षा लेने पर विचार कर रहा है। सब स्टाफ संवर्ग के संबंध में अ० ज०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों की रिक्तियों के कि बकाया रहने का कारण यह है कि चौकीदारी के (वाच एण्ड वार्ड) पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। अतः कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इन अनारक्षित पदों में परिवर्तित किया जा रहा है। समूह 'क' के अधिकारियों के संबंध में बकाया रिक्तियां काफी घट गयी हैं, किन्तु समूह 'ख' और 'घ' के अधिकारियों के सम्बन्ध में यह संख्या बढ़ रही है। समूह 'ख' के अधिकारियों के सम्बन्ध में इन बकाया रिक्तियों के बढ़ने का कारण यह है कि पात्रता मापदण्ड को पूरा करने वाले अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं।

आयकर के बकाया हेतु फिल्म कलाकारों और उद्योगपतियों के विरुद्ध मुकदमे दायर करना

3782. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन फिल्म कलाकारों और उद्योगपतियों के विरुद्ध मुकदमे दायर करने का है जिनकी ओर आयकर बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आयकर की वसूली के लिए मुकदमे दायर किए जाएंगे उनका विवरण क्या है और उनके विरुद्ध आयकर की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) कर-निर्धारितियों की किसी भी वर्ग के बारे में ऐसी कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती। अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में अत्यधिक समय लगेगा जो कि उसमें लगने वाले समय और प्रयत्नों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, यदि किसी फिल्मी कलाकार/उद्योगपति विशेष के बारे में ऐसी कोई सूचना मांगी जाती है तो वह एकत्र करके माननीय सदस्य को उपलब्ध करायी जा सकती है।

मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन द्वारा अदायगी के लिए प्राप्त बिल

3783. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन को वर्ष 1983-84 में अदायगी के के लिये कितने बिल प्राप्त हुए ;

(ख) इन बिलों में से कितने बिलों को (एक) एक महीने (दो) तीन महीनों; (तीन) छः महीनों; (चार) 12 महीनों, में पास किया गया और ऐसे प्रत्येक ग्रुप में बिलों की राशि क्या थी ;

(ग) कितने बिल लंबित पड़े हैं और उन्हें पास न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान अदायगी के लिए विदेशों से कितने बिल प्राप्त हुए और इन मामलों में कितना औसत विलम्ब हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्ष 1983-84 में पूर्तिकर्ताओं से प्राप्त बिलों की कुल संख्या —6,16,510

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार, बिलों का भुगतान 15 दिन में और एक लाख रु० से अधिक के बिलों का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाना चाहिए। इसलिए बिलों की प्राप्ति और निपटान संबंधी जानकारी पर इस दृष्टि से नजर रखी जाती है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि उनका निपटान निर्धारित समय में हो रहा है, और उसी के अनुसार रखे जाते हैं। अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने में लगने वाला समय और परिश्रम, उपलब्ध होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए जिस रूप में आंकड़े रखे जाते हैं, उसके अनुसार जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(1) एक सप्ताह में निपटाये गए	—	2,93,235
(2) 8 से 11 दिन में निपटाए गए	—	1,63,918
(3) 12 से 20 दिन में निपटाए गए	—	99,144
(4) 20 दिन के बाद निपटाए गए	—	58,181
कुल	—	6,14,478 ××

×× इसमें 11,381 बिल, वर्ष 1983-84 से पहले की अवधि के हैं।

वर्ष 1983-84 में भुगतान की गई कुल राशि — 2796.72 करोड़ रु०

(ग) दिनांक 31-3-84 को लंबित पड़े बिलों की संख्या 13,413 थी। इन बिलों को पास न करने के निम्नलिखित में से कोई एक या अनेक कारण हो सकते हैं :—

(1) खरीदकर्ताओं द्वारा सुझाई गई वसूली

(2) मांगकर्ता/परेषिती द्वारा सुझाई गई वसूली

(3) जमानत-जमा आदि के अभाव के कारण

(4) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय/मांगकर्ता/परेषिती से दस्तावेजों की प्रतीक्षा

(5) मुकदमे बाजी के कारण बिलों को लंबित रखा जाना।

(घ) विदेशों से प्राप्त हुई सप्लाई के मामलों में भुगतान, ठेके जारी किये जाने के उपरांत, रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए साख पत्रों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1983-84 में, विदेशी पूर्तिकर्ताओं के किसी भी बिल का सीधा भुगतान नहीं किया गया तथा इसलिए विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

जातियों और समुदायों के आधार पर रेजीमेंट

3784. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1984 के "राष्ट्रदूत" जयपुर में "भारतीय सेना-धर्मनिरपेक्ष पुनर्गठन आवश्यक" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार की नीति बड़े पैमाने पर भरती करने की रही है। सभी नई यूनिटें सभी श्रेणियों के लोगों को भरती करके बनाई जा रही हैं।

विदेशों में कार्य कर रहे बैंकों द्वारा ऋण समस्या का सामना

3785. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य कर रहे कुछ भारतीय बैंक सबसे बड़ी ऋण समस्या का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये बैंक किन-किन देशों में स्थित हैं तथा उनके गत तीन वर्षों के विवादास्पद ऋणों के वार्षिक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इन ऋणों को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है ;

(घ) प्रत्येक मामले में वसूल न किए जा सकने वाले ऋणों के रूप में घोषित ऋणों की धनराशि कितनी है ; और

(ङ) इनमें शामिल पार्टियों में कितने अनिवासी भारतीय है और उनमें से कितने एक से अधिक देशों में इस प्रकार के कार्यों में लगे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग वातावरण प्राय प्रतिकूल और कठिन हो रहा है और भारतीय बैंकों सहित कई बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों को भी विभिन्न देशों में ऋणों की वसूली के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें कतिपय उन विकासशील देशों में निर्यात का वित्त पोषण करने के कारण वसूली की समस्याएं शामिल हैं। जो विदेशी ऋणों को चुकाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर भुगतान हो जाने के बावजूद रकमों को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्थिति में नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और बैंकरों में प्रचलित रीति-रिवाजों के मुताबिक उन अशोध्य ऋणों और अलग-अलग ग्राहकों के बारे में ब्यौरा नहीं बताया जा सकता जिन के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था की गई होती है।

इन्जीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमाधारियों की वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति

3786. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री ई०एम०ई० में कार्यरत सिविलियन ड्राइंग कर्मचारियों का वेतनमानों के अधिकतम दर रुके रहने के बारे में 26 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संवर्ग में इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमाधारी वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के हकदार नहीं है जबकि अन्य संवर्गों में केवल मेट्रिक पास ही प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की नियुक्तियों के हकदार हैं; और इस विषमता के क्या कारण हैं;

(ख) वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत, उनके लम्बे समय से चले आ रहे गत्यावरोध को दूर करने के लिए संवर्ग ढांचे की पुनरीक्षा करने और प्रबंध व्यवस्था में सुधार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह मामला अभी भी लम्बित पड़ा है; और

(घ) इस बारे में संभवत: कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सिविलियन ड्राइंग कर्मचारियों के लिए विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग कोर में मुख्य ड्राफ्ट्समैन के पद से बढ़कर कोई वरिष्ठ पद नहीं है। सिर्फ वर्कशाप अफसर के संवर्ग को छोड़कर जिसमें श्रेणी "ख" के कुछ पद अर्थात् वर्कशाप अफसर श्रेणी 'ख' के तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरा जाता है चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता मेट्रिक ही क्यों न हो, बशर्ते कि उनके पास शॉप फ्लोर कोर्सों के विभिन्न निम्न स्तरों में कम से कम 28 वर्ष का अनुभव हो। विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग कोर में कोई भी वरिष्ठ पद बिना डिग्री/डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाता है। वर्कशाप अफसर श्रेणी "ख" के पदे के कार्यों में शॉप फ्लोर प्रबन्ध आता है जिसके लिए शाप फ्लोर अनुभव को पर्याप्त और जरूरी समझा जाता है। सिविलियन ड्राइंग कर्मचारियों के अनुभव को ड्राइंग कार्यालय और उससे संबंधित कार्यकलापों तक ही सीमित समझा जाता है और इसे शॉप फ्लोर के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) सिविलियन ड्राइंग कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर उनकी संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर विचार करने और भर्ती नियमों में संशोधन सुझाने के लिए एक अध्ययन दल से कहा गया है जिसने भरती नियमों में संशोधनों की सिफारिश की है अगर आवश्यक समझा गया तो भरती नियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई बाद में की जाएगी। क्योंकि भरती नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में कई औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं इसलिए इन औपचारिकताओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बारे में निश्चित रूप से बताना कठिन है।

बैंक आफ बड़ौदा की विश्वविद्यालय शाखा द्वारा बेरोजगार युवकों को दिए गए ऋण

3787. **श्री राम लाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर राजस्थान ने बेरोजगार युवकों के कितने आवेदनों की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंक आफ बड़ौदा की विश्वविद्यालय शाखा के पास ऋण हेतु सिफारिश की है;

(ख) कितने बेरोजगार युवकों को ऋण दे दिया गया है और कितने युवकों को ऋण नहीं दिया गया है; और

(ग) उनको ऋण मंजूर न करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय 1983-84 में केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के स्व-नियोजन के लिए बनाई गई योजना से है। इस योजना से संबंधित वर्तमान सूचना प्रणाली के अंतर्गत बैंकों की शाखाओं के अनुसार आवेदनों के ब्यौरे की सूचना नहीं मिलती। अलबत्ता, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित 10,000 हिताधिकारियों के लक्ष्य के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यों में 31 मार्च, 1984 तक 2365.30 लाख रुपए के 15054 आवेदन मंजूर किए गए थे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा आवेदन अस्वीकार किये जाने के मुख्य कारण योजना में निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत आवेदनों का अपात्र होना, परियोजना का आर्थिक दृष्टि से अर्थक्षम न होना या इस योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्यों का पहले से पूरा कर लिया जाना है।

नई दिल्ली में आयकर आयुक्त सम्मेलन में की गई सिफारिश

3788. **श्री एस० ए० दोरई सेबास्तिन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1984 में नई दिल्ली में आयोजित आयकर आयुक्तों के त्रिदिवसीय सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या काले धन का पता लगाने और कर अपवंचन के नये तरीकों का भंडाफोड़ करने के लिए कोई नया जांच संवर्ग बनाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सम्मेलन की सिफारिशें और उन पर लिए गए निर्णय खासतौर पर निम्नलिखित मामलों से संबंधित थे :—

(1) 25,000 रुपये तक की आय वाले मामले और वेतन परिमंडलों में निर्धारित 50,000 रुपये तक की आय वाले वेतन सम्बन्धी मामलों में कर-निर्धारण दाखिल की गई विवरणी के आधार पर किया जायगा। यह कार्यविधि कंपनियों, न्यासों, तलाशी और अभिग्रहण तथा घाटे के मामलों पर लागू नहीं होगी।

(2) अन्य आय विवरणियों पर कार्रवाई, कराधान कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार सामान्य रूप से की जाएगी। संक्षिप्ततः कर-निर्धारण और संवीक्षा कर-निर्धारण के मामलों में अलग-अलग बांटने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जायगा।

(3) तलाशी और अभिग्रहण के मामलों में विभाग 31 मार्च, 1985 तक उन सभी कर निर्धारण के मामलों को पूरा करने का प्रयास करेगा जिनमें 31 मार्च, 1982 को अथवा उससे पहले तलाशियां पूरी हो चुकी थीं।

(4) 31 मार्च, 1985 तक धन कर निर्धारण के उन मामलों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा जिनमें 5 लाख रुपये अथवा इससे अधिक का विवरणीगत धन है।

(5) काफी समय से बकाया पड़ी कर की राशि को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। लम्बे समय से बकाया पड़ी अशोध्य मांगों को बट्टे खाते डालने के लिए जोरदार प्रयास किये जायेंगे।

(6) निरीक्षी सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) अधिक राजस्व प्राप्ति के अधिक महत्व-पूर्ण मामलों में कार्यवाही करेंगे।

(7) अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और मद्रास शहरों को छोड़कर, सर्वेक्षण कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। नये मामलों का कर-संबंधित क्षेत्रीय आयकर अधिकारियों द्वारा किया जायगा।

(ख) और (ग) आयुक्त-सम्मेलन 1984 के परिणामस्वरूप, जांचकर्ताओं का कोई अलग संवर्ग नहीं बनाया गया है। फिर भी, केन्द्रीय परिमंडलों, निरीक्षण निदेशालयों (जांच) और (आसूचना) जैसी जांच के विशिष्ट अभिकरण पहले से ही मौजूद है। बड़े औद्योगिक घरानों के कर-निर्धारणों का निरीक्षण करने और उनके द्वारा अपनाये जा रहे करापवंचन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए एक और निदेशालय, विशेष जांच पहले से ही कार्य कर रहा है।

बम्बई के नौसेना असैनिक डाकयार्ड कर्मचारियों को आवास

3789. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवल सिविलियन हाऊसिंग कालोनी, पोवई, कंजूरमार्ग बंबई के आसपास सरकार के स्वामित्व में भूमि का विशाल क्षेत्र है जो खाली पड़ा है;

(ख) क्या नौसेना असैनिक डाकयार्ड के कर्मचारियों द्वारा आवास की भारी मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार किन कारणों से अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने हेतु खाली भूमि का उपयोग नहीं करती है और सरकार कर्मचारियों द्वारा अपने मकानों के निर्माण के लिए बनायी गई सहकारी आवास समितियों को यह भूमि नहीं आवंटित करती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। नेविल सिविलियन हाऊसिंग कालोनी, पोवई में कुछ भूमि उपलब्ध है जो अभी खाली पड़ी है।

(ख) जी, हां। लेकिन बम्बई में सरकारी नीति के अनुसार सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को उनकी स्वीकृत संख्या के 15% तक को आवास प्रदान किया जाता है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में बताई गई खाली भूमि का एक हिस्सा पहाड़ी है और वह निर्माण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। शेष खाली भूमि को उपर्युक्त भाग (ख) में बताई गई जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित कर दिया गया है और इसीलिए उसे सहकारी आवास समितियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

हिन्दी फिल्म अभिनेताओं पर आयकर छापे

3790. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्री निहाल सिंह } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ प्रमुख हिन्दी फिल्म अभिनेताओं के घरों पर आय-कर अधिकारियों ने छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस-किस फिल्म अभिनेता के घर पर छापा मारा गया; और

(ग) इन छापों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने जून, 1984 में श्री फिरोज खान, श्री राजेश खन्ना और उसके रिश्तेदारों के कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों की तलाशियां लीं। इन तलाशियों में श्री राजेश खन्ना और उसके रिश्तेदारों से प्रथम दृष्टया 15 लाख रुपये की लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गईं। श्री फिरोज खान से कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं पकड़ी गई है। इन व्यक्तियों से कुछ दस्तावेज भी पकड़े गये हैं।

मंगलौर में हवाई अड्डा भवन का नवीकरण और विस्तार

3791. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर हवाई अड्डा भवन का नवीकरण और विस्तार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है;

(घ) क्या वहां हो रहे कार्य के कारण यात्री और आगंतुक भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) इस असुविधा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) मंगलौर हवाई अड्डे पर मौजूदा अंतस्थ भवन का 28·55 लाख रुपये की अनुमानित लागत से परिवर्धन तथा विस्तार किया जा रहा है।

(ग) इस कार्य के मार्च, 1985 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) स्थान की कमी के कारण यात्रियों तथा आगन्तुकों को कुछ असुविधा हो रही है परन्तु इस विस्तार कार्य के पूरा हो जाने पर यह स्थिति ठीक हो जाएगी। इस असुविधा के लिए खेद है परन्तु विस्तार कार्य आवश्यक था और यह स्थिति केवल कुछ ही समय तक रहने वाली है।

बिहार में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में बैंकों द्वारा सहयोग न दिया जाना

3792. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के निदेशक द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धनों के उत्थान में बैंकों की भूमिका के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के बारे में 12 जुलाई, 1984 के "स्टेट्स मैन" में आई० आर० डी० पी० मार्जिनली इफैक्ट सेल्फ स्टडी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में बैंकों द्वारा सहयोग न दिये जाने के सम्बन्ध में पिछले एक वर्ष में बिहार से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह अध्ययन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था। सरकार को अभी तक इस अध्ययन की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, बिहार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक है जैसा कि नीचे के आंकड़े से पता चलता है :—

वर्ष	परिवारों की संख्या (लाख)		वितरित सावधि ऋण (करोड़ रुपए)
	लक्ष्य	वास्तव में सहायता प्राप्त	
1982-83	3.52	3.62 (102.8)	67.14
1983-84	-तदेव-	4.30 (122.1)	71.69

(आंकड़े अनन्तिम)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत के द्योतक हैं) जब कभी खास-खास शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उनके सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आभूषणों, बर्तनों आदि को गिरवी रखना

3793. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध सूदखोरों के चंगुल से गरीब वर्गों को बचाने की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आभूषणों, बर्तनों आदि को गिरवी रखने की प्रणाली शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कृषि और इसकी सहायक गतिविधियों के वास्ते ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने और कुछ सीमा तक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए इन प्रयोजनों के लिए साधारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन सोने तथा चांदी के आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण देने के मामले में बैंकों पर कोई पाबन्दी नहीं है। इसलिए बैंकों से कृषि और इसके सहायक क्षेत्रों में उत्पादक प्रयोजनों के लिए 5000 रुपए तक के छोटे ऋणों के वास्ते कोई प्रतिभूति न लेने के लिए कहा गया है। बैंकों द्वारा एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह की जमानत पर प्रत्येक परिवार को कुछ प्रयोजनों के वास्ते 5000 रुपये तक और सोने तथा चांदी के आभूषण गिरवी रखकर प्रत्येक परिवार को 1000 रुपए तक के उपभोक्ता ऋण मंजूर किये जा सकते हैं। ऐसे ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की परिधि में आते हैं और इन पर रियायती ब्याज दर ली जाती है।

चार्टर्ड बैंक, कलकत्ता के परिसर में कथित हुल्लड़ बाजी

3794. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित चार्टर्ड बैंक के परिसर में बैंकिंग कार्य समय के दौरान एक मान्यता प्राप्त संघ के सदस्यों ने एक अन्य पंजीकृत संघ के सदस्यों के साथ बलवा किया और हुल्लड़बाजी की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चार्टर्ड बैंक के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों के इस प्रकार के व्यवहार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जब कि अवार्ड के अनुसार यह एक भारी दुराचार का मामला था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के जरिये प्राप्त सूचना के अनुसार इन आरोपों का सम्बन्ध विरोधी यूनियनों के आपसी झगड़े से है और मामला न्यायाधीन है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले में दखल देना उचित नहीं समझा।

ऋण-जमा राशि अनुपात में स्थिरता

3795. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पटना में जुलाई 1984 के प्रथम सप्ताह में हुई राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की छठी बैठक की अध्यक्षता की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने बैठक में ऋण तथा जमा राशि के बीच परस्पर अनुपात में

स्थिरता आने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मन्त्री ने बैठक में ऋण जमा अनुपात की निरंतर स्थिरता के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी।

(ग) और (घ) पूर्वी क्षेत्र में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 54.8% की तुलना में बढ़कर जून, 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार 55.4% हो गया और जून, 1983 के अंत की स्थिति के मुताबिक यह और बढ़कर 56.2% हो गया। लेकिन अखिल भारतीय ऋण जमा अनुपात की तुलना में जो जून, 1981 के अन्त में 67.2%, जून 1982 के अंत में 67.0% तथा जून, 1985 के अंत में 68.1% था यह काफी कम है।

पूर्वी क्षेत्र में अग्रिमों की तीव्र वृद्धि में रुकावट के कारण हैं—अतिदेय रकमों के बढ़ते हुए मामले, औद्योगिक रुग्णता, मूलभूत ढांचे की बाधाएं तथा संगठित मध्य तथा बड़े क्षेत्रों के उद्योगों का धीमा विकास।

बैंक से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में ऋणकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के वास्ते अपनी शाखाओं में समुचित फील्ड स्टाफ उपलब्ध कराये जाने और विकासोन्मुख कार्यक्रमों में पूर्ण सक्रियता से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। उनसे जिला ऋण आयोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने की भी अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकार से भी बैंकों को आवश्यक सहायता देने और विकासोन्मुख कार्यक्रम के वास्ते आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। रकमों के पुनः नाम में लाए जाने तथा उन्हें ऋण देने को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों और बैंकों द्वारा रकमों की वसूली भी सुनिश्चित की जानी होती है।

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की अवधि

3796. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की अवधि कार्य के स्वरूप के अनुसार दो से पांच वर्ष तक होती है;

(ख) क्या इस आधार पर रक्षा लेखा नियंत्रक पटना के अन्तर्गत सभी वर्गों, अनुभागों

और विभिन्न उप-कार्यालयों को कार्य के स्वरूप के अनुसार दो से पांच वर्षों के लिए वर्गीकृत किया गया है ताकि इस प्रकार की नियुक्ति के मामले में कर्मचारियों के साथ भेदभाव से बचा जा सके; और

(ग) क्या लेखा अधिकारियों के लिए भी पदावधि नियत है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । निर्धारित अवधि के पदों के लिए तीन वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों अनुसार प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए रक्षा लेखा नियंत्रक अपने विवेक पर इस अवधि में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर सकते हैं ।

गृह निर्माण अग्रिम के लिए 100 माह के मूल वेतन का भुगतान

3797. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण अग्रिम के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 100 माह के मूल वेतन के भुगतान के प्रावधान कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अग्रिम के भुगतान के लिए 100 माह का लाभ उन कर्मचारियों को न दिये जाने के कारण क्या हैं जिनके मकान निर्माणाधीन हैं और वर्ष 1982 से आज तक धन की कमी के कारण अधूरे पड़े हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) मकान के अधिग्रहण/निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य भवन निर्माण अग्रिम की मात्रा को 1 अप्रैल, 1984 से बढ़ाकर 100 महीने का वेतन अथवा मकान के अधिग्रहण/निर्माण की लागत अथवा कर्मचारी की वापसी अदायगी की क्षमता अथवा 1·25 लाख रुपये, जो भी कम हो, कर दी गई है ।

(ख) कुछ प्रतिबन्धों के अधीन, यह लाभ उन कर्मचारियों के मामले में भी स्वीकार्य है जिनके मकान अभी भी निर्माणाधीन हैं बशर्ते कि उन्होंने मूल रूप से स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम की पूरी राशि पहले ही न ले ली हो ।

एरिया अकाउन्ट्स आफिस, पटना में कर्मचारियों की संख्या कम करना

3798. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरिया अकाउंट्स आफिस, शिलांग, सिलीगुड़ी और कलकत्ता को वर्ष 1975 से कौन से विशिष्ट कार्य आबंटित किए गए हैं;

(ख) क्या उन कार्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कार्य भी दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कार्यालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के चैक जारी किए गए;

(घ) क्या इन अवैध कार्यों के परिणामस्वरूप पटना में मुख्य कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के मुख्य कार्यालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय के बीच समय-समय पर कार्य बंटवारा कई बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इनमें सबसे मुख्य उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं को समय पर कुशल सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के परिवर्तनों की वजह से समय-समय पर स्टाफ का समायोजन भी किया जाता है।

बैंकों के स्थानीय बोर्ड में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व

3799. **श्रीमती प्रमिला वंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 9 से अंतर्गत देश में चारों बैंक क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक स्थानीय बोर्ड का गठन किया जाता है;

(ख) क्या ऐसे बोर्ड में क्षेत्रीय और आर्थिक हित तथा सहकारी और स्वदेशी बैंकों के हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है;

(ग) क्या पिछले पचास वर्षों के दौरान इस बोर्ड में कर्नाटक राज्य के किसी भी प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कर्नाटक राज्य ने इस बोर्ड में प्रतिनिधि की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 की धारा 9 में यह व्यवस्था की गयी है कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट चार क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक-एक स्थानीय बोर्ड गठित किया जाएगा और उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 सदस्य नियुक्त किये जाएंगे जो, जहां तक संभव हो सकेगा, क्षेत्रीय और आर्थिक हितों तथा सहकारी एवं स्थानीय बैंकों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ग) और (घ) यह कहना सही नहीं है कि गत 50 वर्षों में बैंक के स्थानीय बोर्ड में कर्नाटक राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं था। डा० सी० पर्वतम, प्रोफेसर और समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष, मैसूर विश्वविद्यालय (कर्नाटक राज्य) बैंक के वर्तमान दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के जनवरी 1975 से सदस्य है। इससे पूर्व मैसूर वनस्पति तेल उत्पाद, बंगलौर के श्री एम०के० रामचन्द्रन 25 मई, 1967 से 21 जुलाई, 1977 तक दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य थे। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों में राज्य सरकारों का भी प्रतिनिधित्व हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों के बीच विभिन्न माध्यमों से परस्पर लगातार विचार-विनिमय होता रहता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में स्थानीय बोर्डों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है

केन्द्रीय वित्त पोषण संस्थानों में कर्नाटक को प्रतिनिधित्व

3800. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त पोषण संस्थानों जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आदि में राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य को इन बैंकों और संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में अलग-अलग राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता क्योंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में इन संस्थाओं के बोर्डों में राज्यों के प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं है।

लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(ग) (VI) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बोर्ड में बिहार, हरियाणा और केरल राज्य वित्तीय निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को नामित किया गया है।

खाद्य वस्तुओं की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण

3801. **श्री जेवियर अराकल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा खाद्य वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण पर कितनी ब्याज दर निर्धारित की है;

(ख) कुल कितने खाद्य-ऋण की अनुमति दी गई है और उसकी राज्यवार सूची क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने खाद्य-ऋण पर ब्याज में 18 प्रतिशत की कमी करने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राज्य के भीतर खाद्यान्नों (अर्थात् गेहूं, धान, चावल तथा मोटे अनाज) की वसूली तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की खरीद के वास्ते राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर 12.5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण की अधिकारी हैं। भारत सरकार की सहमति से की गई खाद्यान्नों की खरीद चाहे यह राज्य के भीतर अथवा दूसरे राज्य में की गई हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई खरीद के लिए राज्य सरकारें 18 प्रतिशत की दर से बैंक ऋण की अधिकारी हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 1984 के अन्त तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर खरीद के लिए कुल 1546.90 करोड़ रुपए की और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से ऊंची कीमतों पर खरीद के लिए 155.61 करोड़ रुपए की कुल खाद्य ऋण सीमाएं मंजूर की गई। संलग्न विवरण में राज्य सरकारों को अधिकृत खाद्य ऋण सीमाओं का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने मई, 1983 में एक अभ्यावेदन दिया था कि राज्य सरकार को समर्थन मूल्यों से अधिक मूल्यों पर खाद्यान्नों की अन्तःराज्जीय खरीद के लिए अधिकृत ऋण सीमा पर ब्याज की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दी जानी चाहिये। राज्य सरकार से कहा गया था कि राष्ट्रीय खाद्य ऋण नीति के अधीन 12.5 प्रतिशत की खाद्य ऋण सीमाएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर राज्य के भीतर खाद्यान्नों की वसूली तथा/अथवा केन्द्रीय पूल से भण्डारों की सुपुर्दगी लेने के वास्ते ही हैं। भारत सरकार द्वारा

निर्धारित समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद के वास्ते ब्याज की दर 18 प्रतिशत रहेगी।

विवरण

जून, 1984 के अन्त की स्थिति के मुताबिक अधिकृत ऋण सीमाएं

राज्य का नाम	भारत सरकार द्वारा (12.5 प्रतिशत ब्याज के निर्धारित समर्थन मूल्य पर)	इससे ऊंची मूल्य पर (16 प्रतिशत ब्याज पर)
1. असम	12.00	10.00
2. आंध्र प्रदेश	30.00	50.00
3. बिहार	40.00	—
4. गुजरात	14.00	6.00
5. हिमाचल प्रदेश	3.00	—
6. हरियाणा	200.00	—
7. कर्नाटक	32.00	20.00
8. केरल	15.00	8.00
9. महाराष्ट्र	40.00	3.00
10. मध्य प्रदेश	16.00	—
11. मणिपुर	1.50	—
12. पंजाब	949.00	—
13. उड़ीसा	10.00	3.61
14. राजस्थान	4.00	—
15. तमिलनाडु	80.00	55.00
16. उत्तर प्रदेश	100.00	—
17. पांडिचेरी	0.40	—
	1546.90	155.61

स्त्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चार्टर्ड बैंक, कलकत्ता में अधिकारियों का स्थानान्तरण

3802. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों की स्थानान्तरणीयता के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया परिपत्र सभी भारतीय बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह परिपत्र चार्टर्ड बैंकों पर भी लागू है; और

(ग) क्या चार्टर्ड बैंक, कलकत्ता के किसी अधिकारी को अपने मूल कार्यालय में कहां से कोवनेन्टड ग्रफसर बन जाने के बाद भी वहां से स्थानान्तरित नहीं किया गया है जबकि अन्य अधिकारियों का स्थानान्तरण होता रहता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों, जिनमें भारतीय बैंक तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंक भी शामिल है, स्टाफ का समय-समय पर स्थानांतरण किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है।

बैंकों द्वारा सामाजिक आवास योजनाओं के लिए सीधे वित्त प्रदान करना

3803. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बैंक कम आय वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबन्धित सामाजिक आवास योजनाओं के लिये सीधे ही वित्त प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे आवास योजनाओं के लिए कम से कम सातवीं योजना अवधि के दौरान बैंक द्वारा सीधे ही वित्त प्रदान करने सम्बन्धी कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1983 में आवास सम्बन्धी गतिविधि के लिए बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वित्त की

कुल 150 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई थी। इसमें से अनु० जातियों/अनु० जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समाज के कम आमदनी वाले वर्गों को आवास के वास्ते सीधे दिये जाने वाले वित्त के रूप में 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण कार्यक्रम के अधीन कमजोर वर्गों को उनकी आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी के कवच का ख्याल किए बगैर अनु० जातियों/अनु० जनजातियों और आर्थिक रूप से समाज के दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को मकानों के निर्माण के वास्ते प्रत्येक मामले में 5000 रुपये तक के प्रत्यक्ष ऋण दिये जा रहे हैं। बैंक गंदी बस्तियों की सफाई तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सरकारी एजेंसियों को भी वित्त प्रदान करते हैं।

बिहार में बैंकों की शाखाएं

3804. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनसंख्या के अनुपात में कितने बैंक हैं और बिहार की तत्सम्बन्धी स्थिति क्या है;

(ख) क्या बैंकों की शाखाओं के मामले में बिहार बहुत पीछे है;-और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समूचे देश तथा बिहार राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के समूहवार जनसंख्या के वितरण और प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या के सम्बन्ध में मार्च, 1984 के अंत की स्थिति के मुताबिक उपलब्ध आंकडे नीचे दिए गए हैं :—

केन्द्रों पर शाखाओं की संख्या	अखिल भारतीय	बिहार
ग्रामीण/अर्ध शहरी	33975	2835
शहरी/महानगरीय/पत्तन शहर	10608	323
जोड़	44583	3158
प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या	16000	23000
प्रति ग्रामीण/अर्ध शहरी कार्यालय के पीछे जनसंख्या	18000	24000

बैंक शाखाओं के विस्तार के मामले में बिहार कम शाखाओं वाले राज्यों में से एक है। अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए शाखा विस्तार नीति के अनुसार, जिसमें कम शाखाओं वाले जिलों में बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने की परिकल्पना की गई है ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों की प्रत्येक 17000 की आबादी के पीछे एक शाखा हो, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि इस अवधि में बिहार राज्य में 1106 अतिरिक्त ग्रामीण/अर्धशहरी शाखाएं खोजनी होंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों का शाखा विस्तार कार्यक्रम राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों का सहायक हो, भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में राज्य सरकारों पर निर्भर रहता है ताकि बैंकों और अन्य एजेंसियों के परामर्श से शाखाएं खोलने के वास्ते बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों का पता लगाएं। बिहार सरकार से प्राप्त सिफारिशों तथा अलग-अलग बैंकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 801 कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए हैं। अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के शाखा विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रों का पता लगाने के वास्ते कहा गया है।

मिनी सीमेंट संयंत्रों को दी जाने वाली उत्पादन शुल्क राहत समाप्त करना

3805. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**
श्री मोती भाई आर० चौधरी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र में मिनी सीमेंट संयंत्रों को दी जाने वाली उत्पादन-शुल्क राहत को समाप्त कर दिया है, जिनका लाभ वे संयंत्र अब तक उठा रहे थे;

(ख) क्या मंत्री महोदय से मिनी सीमेंट संयंत्रों को उत्पादन शुल्क से पूरी तरह छूट देने के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अति लघु सीमेंट संयंत्रों में निर्मित सीमेंट पर, 30 मई, 1979 से 31 मार्च, 1984 तक उत्पादन शुल्क रियायती दर से उद्ग्रहणीय था। मार्च, 1984 में यह निर्णय किया गया था कि उत्पादन शुल्क रियायत को 31 मार्च, 1984 के बाद जारी रखा जाए।

(ख) और (ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अतिलघु सीमेंट संयंत्रों द्वारा निर्मित सीमेंट पर शुल्क की रियायती दर को जारी रखे जाने का अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों

पर विचार किया गया है, परन्तु उसमें किये गये अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है ।

कॉफी और चाय के देश के भीतर मूल्य

3806. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि देश के भीतर गत तीन वर्षों से सम्बन्धित कॉफी और चाय के मूल्यों का तुलनात्मक ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : गत तीन वर्षों में कॉफी तथा चाय के आन्तरिक नीलामी मूल्य नीचे दिए अनुसार हैं :—

कॉफी

(रु० में प्रति 50 कि०ग्रा०)

वर्ष	बागान 'ए'	अमेरिका चेरी 'एवी'	रोबस्टा चेरी 'एवी'
1981	586.50	493.75	469.75
1982	597.50	497.25	473.00
1983	683.25	572.25	562.50
1984 (जनवरी-मई)	782.25	727.35	838.15

चाय

वर्ष	एकक मूल्य (रु०/किग्रा०)
1981-82	18.15
1982-83	19.06
1983-84	28.33

इलायची पर उत्पादक स्तर पर उपकर लगाने का प्रस्ताव

3807. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादक स्तर पर इलायची पर 25 रुपये प्रति किलोग्राम तक का उपकर लगाने का है;

(ख) निर्यात अवस्था से हटाकर उत्पादन अवस्था पर उपकर लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे इलायची के उत्पादकों का मुनाफा कम न हो जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) निर्यातकों के अलावा, इलायची उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। घरेलू तथा निर्यात व्यापार शक्तियों पर आधारित दोनों शुल्कों को इस तरह व्यवस्थित करना है कि ये किसी विशिष्ट समय पर इलायची के उत्पादकों के साथ-साथ इसके निर्यातकों के हित में हो।

जुलाई 1984 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

3808. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक मूल्य सूचकांक में जुलाई के तीसरे सप्ताह में वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो थोक मूल्य सूचकांक में इस वर्ष जुलाई में हुई वृद्धि एक रिकार्ड है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 28 जुलाई, 1984 को समाप्त हुए चार सप्ताहों में (मासांत के आधार पर) थोक मूल्य सूचक अंक में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मौसमी दबावों के कारण जुलाई के महीने में मूल्य-वृद्धि होना असामान्य बात नहीं है जैसा कि इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि थोक मूल्य सूचक अंक में 1979-80 की तदनुरूप अवधि में 4.8 प्रतिशत, 1980-81 की तदनुरूप अवधि में 3.5 प्रतिशत, 1981-82 की तदनुरूप अवधि में 2.4 प्रतिशत, 1982-83 की तदनुरूप अवधि में 1.9 प्रतिशत और 1983-84 की तदनुरूप अवधि में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

समय-समय पर, सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में कदम उठाए हैं। इनमें और बातों के साथ-साथ अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, अधिक मात्रा में खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल जारी करना, जब-जब जरूरत हो, आवश्यक मदों का आयात करना, राजकोषीय अनुशासन को लागू करना और प्रणाली में से अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) को समेटना शामिल है।

चीन द्वारा रेशमी वस्त्रों, ड्रेस सामग्री और हस्तशिल्प के क्षेत्रों में भारत का चीन से पीछे रह जाना

3809. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के निर्यात से निर्यात बाजार में भारत की बहुत सी परम्परागत वस्तुए, जैसे रेशमी वस्त्र परिधान ड्रेस सामग्री और हस्तशिल्प, चीन द्वारा निर्यात सामग्री की तुलना में बहुत पुरानी पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कारण चीनी वस्तुओं के मूल्य कम होना और उनका बेहतर किस्म का होना है;

(ग) यदि हां, तो चीन के व्यापार की तुलना में भारत किस हद तक अपनी मार्किट खो चुका है; और

(घ) हमारे देश की वस्तुओं की किस्म में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) यद्यपि चीन कतिपय वस्त्र तथा हस्तशिल्प उत्पादों के एक बड़े सप्लायर के रूप में सामने आया है, तथापि इन मदों के भारतीय निर्यातों ने भी उभरती प्रवृत्ति दिखाई है। यह परिणाम निकालना मुश्किल है कि चीन के व्यापार के कारण भारतीय निर्यात किस हद तक प्रभावित हुए हैं।

(घ) भारतीय उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं; आधुनिकीकरण, नवीकरण, उत्पादन तकनीक डिजाइन तथा उत्पाद विकास आदि में सुधार।

बड़े औद्योगिक घरानों की ओर आय-कर की बकाया राशि

3810. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े औद्योगिक घरानों का ब्यौरा क्या है जिनकी ओर एक लाख रुपए से अधिक आय-कर की बकाया राशि लम्बित है; और

(ख) सरकार द्वारा उन घरानों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम०कृष्ण) : (क) "बड़े औद्योगिक घरानों" अभिव्यक्ति का अर्थ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले एकाधिकार घराने समझा जाता है। जिन कम्पनियों की तरफ 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर की मांगे बकाया होती हैं उनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना समय-समय पर एकत्र की जाती है। इस आधार पर जिन औद्योगिक घरानों की तरफ 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर की मांगें बकाया थीं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए बकाया मांगों को वसूल करने के लिए कानून के अनुसार समुचित उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में आयकर अधिनियम की धारा 211,226 तथा 179 के अंतर्गत कार्यवाहियों का सहारा लेना भी सम्मिलित है।

विवरण

क्र० सं०	औद्योगिक घराने का नाम
1	2
	ए०सी०सी०
1.	ए०सी०सी० विक्कर्स बाबकाक लि०
	आन्ध्र शूगर
2.	आन्ध्र शूगर लि०
	एपीजे
3.	अमींचन्द प्यारेलाल (फर्म)
	बजाज
4.	मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०

1	2
	बांगड
5.	आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि०
6.	श्री मधुसूदन मिल्स लि०
	बी०डी० सोमानी
7.	ट्रावनकोर इलैक्ट्रो कैमिकल एण्ड० लि०
	बिड़ला
8.	बिड़ला जूट मैन्यूफैकचरिंग कं० लि०
9.	हैदराबाद अस्बेस्टोस सीमेंट प्रोडक्टस, लि०
10.	हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि०
11.	जनरल मार्केटिंग मैन्यू० क० लि०
12.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०
13.	जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि०
14.	जियाजीराव काटन मिल्स लि०
15.	केसोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि०
16.	मैसूर सीमेंट्स लि०
17.	टैक्समैको लि०
	चौगुले
18.	मानदेवी पोल्लेट्स लि०
	एस्कार्टस
19.	एस्कार्ट्स लि०
	गरवारे
20.	गरवारे नायलोन्स लि०

1	2
	गिलेंडर्स अरबुथनाट
21.	गुडलास नैरोलेक पेंट्स लि०
	गोल्डन टुबैको
22.	गोल्डन टुबैको लि०
	सांइ आई०एम०एफ०ए०
23.	कलिंगा ट्यूब्स लि०
	आई०टी०सी०
24.	त्रिवेणी टिशूज लि०
	जे०के० सिंघानिया
25.	जे०के० कैमिकल्स लि०
26.	जे०के० सिंथेटिक्स लि०
27.	रेमण्ड वूलन मिल्स लि०
28.	स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०
	कमानी
29.	इंजी० सेल्स सिंडीकेट
30.	जयपुर मेटल्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि०
31.	कमानी मेटल्स एण्ड अलायस लि०
32.	कमानी संस
33.	स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कार्पो०
34.	ट्यूब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी
	कपाड़िया (तिलक)
35.	मगनलाल छगनलाल (प्रा०) लि०
	कस्तूरभाई लाल भाई
36.	अतुल प्रोडक्ट्स लि०

1	2
	खटाऊ (बम्बई)
37.	केबल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०
38.	सीमेंस इंडिया लि०
	किलाचन्द (तुलसीदास)
39.	सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लि०
	कोठारी
40.	कोठारी (मद्रास) लि०
	किर्लोस्कर
41.	किर्लोस्कर आयल इंजिन कं० लि०
42.	किर्लोस्कर ब्रदर्स
	लार्सन एण्ड टुब्रो
43.	ई० डब्ल्यू० ए०सी० एलायस लि०
44.	एल० एण्ड टी० मैकिनल लि०
45.	लार्सेन एण्ड टुब्रो लि०
	मफतलाल
46.	इंडियन ग्लाइस्टफ इंडिया लि०
	मोदी
47.	मोदी इंडस्ट्रीज लि० (इससे पहले मोदी शूगर मिल्स लि० थी)
48.	मोदी पोन लि०
49.	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०
	मुरूगप्पा चेटियार
50.	कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लि०
	एन०आर०सी०
51.	नेशनल रेयन कार्पो० लि०

1	2

जी०बी० नायडु

52. साउथ इंडिया विस्कोस लि०

वी०आर० नायडु

53. मद्रास एल्यूमिनियम लि०

नौरोजी वाडिया

54. बम्बई डाइंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०

आयल इंडिया

55. असम आयल कंपनी लि०

56. कैस्ट्रोल लि०

57. आयल इण्डिया लि०

ओसवाल बूलन मिल्स

58. पंजाब कान-कास्ट स्टील्स लि०

आर० एन० गोयंका

59. एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लि०

60. इण्डियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्रा० लि०

61. इण्डियन एक्सप्रेस न्युजपेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०

सालगावकर

62. वी०एम० सालगावकर एण्ड ब्रादर्स (प्रा०) लि०

साराभाई

63. एस०जी० कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०

64. सिनबायोटिक्स लि०

श्रीराम

65. जय इन्जिनियरिंग वर्क्स लि०

1	2
	श्रेयांस प्रसाद जैन
66.	धरंधरा कैमिकल्स वर्क्स लि०
	सूरजमल नागरमल
67.	चम्पारण शूगर कं० लि०
68.	सूरजमल नागरमल
	स्वान मिल्स
69.	स्वान मिल्स लि०
	टी०वी०एस० आयंगर
70.	सुन्दरम क्लेटोन लि०
	टाटा
71.	अहमदाबाद एडवांस मिल्स लि०
72.	इण्डियन होटल्स कं० लि०
73.	टाटा रोबिस फ्रेजर लि०
	थापर
74.	क्राम्पटन ग्रीव्स लि०
	त्यागराज
75.	सरोजा मिल्स लि०
	यूनाइटिड ब्रीवरीज
76.	कैर्यू एण्ड कंपनी लि०
77.	मैसूर वाइन प्रोडक्ट्स लि०
	वी० रामकृष्ण
78.	के०सी०पी० लि०

1	2
	वालचन्द
79.	वालचन्द नागर इण्डस्ट्रीज लि०
	20 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की परिसंपत्तियों वाले एकल बड़े उपक्रम
80.	बड़ौदा रेयन कार्पो० लि०
81.	भारत फोर्ज कं० लि०
82.	गेडोर टूल्स (इण्डिया) लि०
83.	निर्लोन सिंथेटिक्स फाइबर्स केमिकल्स लि०
84.	स्वदेशी पोलीटेक्स लि०
	समूह में न आने वाले एकल प्रमुख उपक्रम
85.	केल्विनेटर आफ इण्डिया लि०
	एम०आर०टी०पी० रजिस्टर में दर्ज उन उपक्रमों की सूची जिनका या तो विलय हो गया है या दूसरे स्वतंत्र उपक्रम में समामेलित हो गई है
86.	हिन्दुस्तान ट्रैक्सटर्स लि०

भारतीय कंपनियों द्वारा निष्पादित की गई परियोजनाओं की बकाया धनराशि के बदले में लीबिया से कच्चा तेल लेना

3811. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निष्पादित की गई परियोजनाओं की बकाया धनराशि के बदले में सरकार ने लीबिया से कच्चा तेल लेना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूंजीगत उत्पादों का निर्यात

3812. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान कुल कितने मूल्य के पूंजीगत उत्पादों का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1982-83 में निर्यात किए गए कुल पूंजीगत उत्पादों की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक है ; और

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान उक्त उत्पादों के निर्यात में तेजी से आई गिरावट के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1983-84 के दौरान पूंजीगत उत्पादों के निर्यात अनुमानतः 421.50 करोड़ रु० के हुए जबकि 1982-83 में 515 करोड़ रु० के हुए थे ।

(ग) इस गिरावट के कुछ प्रमुख कारण हैं :

(1) सोवियत संघ द्वारा कुछ पूंजीगत उत्पादों की कम खरीद ;

(2) अफ्रीका में अदायगी की कठिनाईयां, जिनका पूर्ण वाहनों तथा खाद्य संसाधन मशीनरी आदि जैसी निर्यातों की मुख्य मदों पर पड़ा ;

(3) पश्चिम यूरोप में लगातार मन्दी ;

(4) कुछ देशों द्वारा प्रतिकूल व्यापार-नीतियों को प्रारम्भ करना ;

(5) ईरान, इराक युद्ध की वजह से खाड़ी क्षेत्र में अशान्त स्थिति ;

(6) वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्तिम महीने में बन्दरगाहों पर हड़ताल ;

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के उत्पादों पर आयात नीति का प्रभाव

3813. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आयात नीति से सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के उत्पादों के लिए विपणन की भारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कंपनी के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1984-85 के दौरान हिन्दुस्तान कॉपर लि० के पास तांबे की अधिक उपलब्धता के होने पर वास्तविक प्रयोक्ताओं की दो श्रेणियों अर्थात "इन्सुलेतेड के बिलों के विनिर्माताओं" और "ताम्बे की नंगी तारों/स्ट्रिपों के विनिर्माताओं को, जिनकी जरूरतों को पहले खनिज व धातु व्यापार निगम ने पूरा किया था, सार्वजनिक सूचना सं० 34/आई० टी० सी०/सी० एन०/84 दिनांक 30 जून, 1984 द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सीमा के अन्तर्गत लाया गया और ऐसी आशा है कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड अपना ताम्बे का बिना किसी असुविधा के कारोबार कर सकेगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देना

3814. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री गुलाम मोहम्मद खां } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने पर अधिक बल देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खंडवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना-अवधि के दौरान अन्य क्या सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को शामिल न करते हुए, 2.5 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 1990 तक हासिल करना है। सातवीं योजना के दौरान, पहले से अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों पर पर्यटन आधार-संरचना के विकास पर निरन्तर बल दिया जाएगा। विकास के लिए प्रस्तावित सुविधाओं में युवा होस्टलों, यात्रिकाओं, अभ्यारण्यों में वन्य-जीव लाजों का निर्माण, पर्यटक परिवहन में वृद्धि, समुद्र तट विहार पर्यटन, समागमों व व सम्मेलनों, ट्रेकिंग प्रोत्साहन अवकाश, शीतकालीन क्रीड़ाओं, आदि का विकास और संवर्धन, गोल्फ हवाई-अड्डे की सुविधाओं का सुधार शामिल है।

बिहार में नालन्दा जिले में राजगीर में गरम पानी के झरने शुष्क होते जाना

3815. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा जिले में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का गर्म पानी का झरना (राजगीर) जिससे पर्यटन विभाग को प्रति वर्ष घरेलू और विदेशी पर्यटकों से काफी आय होती है शुष्क होता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके शुष्क होने के वैज्ञानिक कारण क्या हैं और क्या सरकार इसकी जांच के लिए कुछ विशेषज्ञ भेजेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) नालंदा जिले के अन्तर्गत राजगीर में गर्म पानी के झरने बड़ी संख्या में स्वदेशी पर्यटकों को आरक्षित करते हैं । इन झरनों का रख-रखाव पुजारियों/पण्डो की एक स्थानीय समिति द्वारा किया जाता है । पर्यटन विभाग इनका रख-रखाव नहीं करता और न ही सरकार को इनसे कोई आमदनी होती है इनमें से कुछ झरने आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूख जाते हैं परन्तु वर्षा का आगमन होते ही ये पुनः स्रवित होने लगते हैं । इस सामान्य प्रक्रिया की जांच कराने के लिए किसी विशेषज्ञ को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रवर्तन निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों द्वारा फेरा संबंधी मामलों में कार्यवाही

3816. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फेरा मामलों में कार्यवाही करने वाले प्रवर्तन निदेशालय में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनके पदनाम क्या हैं तथा उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या है ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री के निदेश के बावजूद कुछ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बार-बार बढ़ा दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो पांच वर्षों के बाद भी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इससे अन्य अधिकारियों के नैतिक बल पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन अधिकारियों को जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं उनके संबंधित विभागों में वापिस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) निम्नलिखित अधिकारी मौजूदा रूप से प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा विनियमन में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे है और भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी है :—

पद का नाम	अधिकारियों की संख्या	प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि
विशेष निदेशक	2	5 वर्ष
उप निदेशक	3	4 वर्ष
सहायक निदेशक	10	3 वर्ष
मुख्य प्रवर्तन अधिकारी	2	3 वर्ष
प्रवर्तन अधिकारी	4	3 वर्ष
निरीक्षी अधिकारी	1	3 वर्ष
सहायक प्रवर्तन अधिकारी	16	3 वर्ष
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक	1	3 वर्ष
महिला तलाशीकर्ता	1	3 वर्ष

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त में से एक विशेष निदेशक, सहायक निदेशक तथा एक महिला तलाशीकर्ता की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई गई है, संबंधित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया जाता है।

(घ) तथा (ङ) चूंकि अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर संगत भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए पड़े खाली पदों पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए किसी अधिकारी के मामले में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने से विभागीय अधिकारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को, जनहित को ध्यान में रखते हुए, उचित समय पर उनके अपने अपने विभागों में वापस भिजवा दिया जाएगा।

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर ऋण

3817. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ऋण मंजूर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार कितना ऋण मंजूर किया गया है ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है और इनसे कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जुलाई, 1948 से अपनी स्थापना से लेकर जून, 1984 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने 1894 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 2156·75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता और सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या अनुबंध I, II और III में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8607/84] आई० एफ० सी० आई० द्वारा सहायता प्राप्त परियोजदाओं से उपर्युक्त 3 वर्षों के दौरान जुलाई, 1981 से जून, 1984 तक लगभग 1,89,054 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। आई० एफ० सी० आई० अधिनियम, 1948 के उपबंधों के साथ पाठित सरकारी वित्तीय संस्थाएं (विश्वसनीयता और गोपनीयता से संबंधित बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के संदर्भ में निगम के किसी ग्राहक के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अतः आई० एफ० सी० आई० द्वारा दी गई सहायता का परियोजना वार ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

जून, 1984 में भारत और फ्रांस के बीच विचार विमर्श

3818. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1984 में भारत और फ्रांस पैनल की बैठक हुई थी और बढ़े हुए व्यापार आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में विस्तृत बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के पैनलों के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि हां, तो क्या बैठक के दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की चौथी बैठक 18-19 जून, 1984 को पैरिस में हुई। दोनों पक्ष भारत-फ्रांस के आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने तथा दोनों देशों के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच सम्पर्कों को प्रोत्साहित करके

आगे सहयोग की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए सहमत हुए। वार्ताओं के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

"नालको" की एल्यूमीनियम परियोजना की भारी लागत को पूरा करने के लिए विदेशी ऋण

3819. **श्री के० प्रधानी**
श्री मनमोहन टुडु } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमीनियम कार्पोरेशन (नालको) को परियोजना व्यय के कुछ भाग को पूरा करने के लिए यूरोप से 500 मिलियन डालर का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है, यदि हां, तो उसकी वापसी, अदायगी और इस ऋण के ब्याज की शर्तें क्या हैं और क्या उस ऋण का उपयोग आंशिक रूप से उस ऋण का उपयोग आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से संयंत्र और मशीनों के आयात के लिए किया गया है ;

(ख) क्या भारत नालको की अल्यूमीनियम परियोजना की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए 300 मिलियन डालर का और विदेशी ऋण जल्दी ही लेगा ;

(ग) कौन से बैंक मंसटोरियम अथवा एजेंसियों को इस प्रकार की धनराशि देते हैं ; और

(घ) क्या इस परियोजना को शीघ्र ही पूरा करने के प्रयोजन से इसकी बढ़ती हुई लागत के लिए भविष्य में उधार न लेना पड़े इस्पात मंत्रालय, और 'नालको' से विचार-विमर्श करके इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय एल्यूमीनियम निगम (नालको) को 1981 में 68 करोड़ अमरीकी डालर के एक यूरो-करेंसी ऋण लेने की अनुमति दी थी जिसका इस्तेमाल अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र और मशीनों के आयात की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने तथा परियोजना के भाग की रुपया लागत को पूरा करने के लिए किया जाना है। नालको द्वारा लिए गए इस यूरो-ऋण की वापसी अदायगी 27-2-81 को ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के 5 वर्ष बाद 11 छमाही किस्तों में की जानी है। इस ऋण पर ब्याज की दर पहले चार वर्षों के लिए लिबोर की दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक और अगले छः वर्षों के लिए लिबोर की दर से $\frac{5}{8}$ प्रतिशत अधिक है।

(ख) परियोजना के लिए साधनों की कमी को पूरा करने के लिए नालको को 30 करोड़ डालर का अतिरिक्त विदेशी वाणिज्यिक उधार लेने की स्वीकृति की गई है।

(ग) चूंकि इसके लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है, इसलिए इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है ।

(घ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए इसके कार्य की प्रगति का, उपयुक्त स्तरों पर, गहरा परिवीक्षण किया जा रहा है तथा परियोजना व्यय पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को दी गई राज सहायता की धनराशि

3820. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओ के लिए दी जाने वाली राज-सहायता की बड़ी धनराशि बिचौलियो द्वारा हड़प ली जाती है और लाभार्थियों को बैंको से राज-सहायता की पूरी धनराशि नहीं मिल रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज-सहायता की चोरी रोकने और बिचौलियों को हटाने के लिए राज-सहायता को समाप्त करने और इसके स्थान पर ब्याज सहित ऋण देने का विचार है जिस पर ब्याज का भुगतान सम्बद्ध बैंक की योजना के स्वरूप के आधार पर तीन से पांच वर्षों के डी० आर० डी० ए० द्वारा किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का अथवा राज-सहायता की चोरी रोकने और बिचौलियो को हटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को दी गई सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के वास्ते कई कदम उठाए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) कार्यक्रम के अन्तर्गत, लाभार्थियो का चयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा खुले में ग्राम सभा में किया जाता है ।

(2) लाभार्थी को परिसम्पत्ति दी जाती है और नकद भुगतान के रूप में सहायता से बचा जाता है ।

(3) ऋणी द्वारा खरीदी गई परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान बैंक द्वारा सीधे पूर्तिकर्ता को किया जाता है ।

(4) बैंकों से यह कहा गया है कि वे उपस्करों/उत्पादों या पूर्तिकर्ताओं के चयन के

मामले में सीधे कोई दखल न दें इसके अलावा बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे ऋणकर्ताओं को किसी विशेष डीलर से विशिष्ट वस्तु खरीदने के लिए बाध्य न करें।

(5) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लाभार्थी द्वारा सम्पत्ति का रख-रखाव किए जाने की समय-समय पर जांच करें।

(6) कार्यक्रम का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के वास्ते राज्य सरकारों से राज्य के कभिकरणों की सहायता करने के उद्देश्य से खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करने के लिए कहा गया है। उन्हें जिला स्तर पर लाभार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए उप समूहों के गठन करने की भी सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) पूंजीगत आर्थिक सहायता के स्थान पर ब्याज सम्बन्धी राहत देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ टेक्सटाइल्स एण्ड क्लोदिंग की स्थापना

3821. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या किसी इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ "टेक्सटाइल्स एण्ड क्लोदिंग" की स्थापना की गई है जिसका भारत भी एक सदस्य है;

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो के क्या उद्देश्य हैं और ब्यूरो के अन्य सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकासशील देशों विशेष रूप से भारत, जिसे वस्त्र निर्यात में गम्भीर व्यापारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ टेक्सटाइल्स एण्ड क्लोदिंग स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है। इस ब्यूरो के उद्देश्य ये हैं :—

(1) सदस्यों के निर्यातों तथा विश्व बाजारों में टेक्सटाइल्स और क्लोदिंग के विरुद्ध निर्देशित पक्षपात तथा संरक्षणवाद को समाप्त करना एवं वस्त्र तथा क्लोदिंग उत्पादों के विश्व व्यापार सम्बन्धी टैरिफ तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार में यथा प्रतिपादित नियमों तथा सिद्धान्तों को पूरी तरह लागू करना;

(2) अन्तरिम काल में यह सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों की मदद करना कि वस्त्र (1974) के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी करार के यथापेक्षित उनके अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके; और

(3) सदस्यों की सहायता करना ताकि वे टेक्सटाइल्स एण्ड क्लोदिंग क्षेत्र के साथ कारोबार करने वाले सभी संगत अंतर्राष्ट्रीय मंचों में प्रभावीरूप से भाग ले सके।

ब्यूरो के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर/अधाक्षर करके निम्नोक्त देश अभी तक इस ब्यूरो के सदस्य बन चुके हैं : चीन, कोलम्बिया, हांगकांग, भारत दक्षिण कोरिया, मकाव, मैक्सिको तथा पाकिस्तान।

ब्यूरो की स्थापना से विकासशील देशों, टेक्सटाइल्स तथा क्लोदिंग के निर्यातकों के बीच यह कार्यक्रम संस्थागत बन गया है जो कि लगभग पिछले चार वर्षों से कार्य कर रहा है। यह ब्यूरो, बहुपक्षीय वस्त्र वार्ताओं सम्बन्धी सभी नीतियों एवं दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करने एवं उन्हें समन्वित करने के केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। विकासशील देश तकनीकी तथा विश्लेषणात्मक सहायता, जो कि आयातकर्ता देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्श एवं वार्ताएं करने के लिए आवश्यक है, के रूप में ब्यूरो से सहायता प्राप्त करते रहेंगे। इस ब्यूरो में भारत की सदस्यता, विकासशील देशों के व्यापार तथा आर्थिक हितों को बढ़ाने सम्बन्धी सामूहिक प्रयासों को समर्थन देने की नीति के अनुरूप है।

अहमदाबाद में आयकर विभाग द्वारा कपड़ा व्यापारियों पर मारे गये छापों पर अनुवर्ती कार्यवाही

3822. **श्री सूरजभान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1981 में किसी समय आयकर विभाग ने न्यू क्लाथ मार्किट, अहमदाबाद (जहां हथकरघा कपड़ा बनाने के यूनिट हैं) के कुछ कपड़ा व्यापारियों के विभिन्न परिसरों पर छापे मारे थे, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या छापे के दौरान अत्यधिक अभियोजनीय दस्तावेज, भारी मात्रा में काला धन और आभूषण, तस्करी का सामान आदि जब्त किया गया था जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक परिसरों, बैंक लाकरों आदि को "सील" कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन पार्टियों पर छापे मारे गए थे उनके मालिकों एवं एजेंटों को पुलिस द्वारा आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए विभिन्न रिकार्डों में गड़बड़ी और नष्ट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था; और

(घ) उसके पश्चात् क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) आयकर विभाग ने कपड़े का व्यापार करने वाली और विद्युत करघों पर टेक्सटाइल का निर्माण करने वाली निम्नलिखित कंपनियों के मामलों में 26-6-1981 को अहमदाबाद में तलाशियां ली :—

(1) मैसर्स रामावतार रमेश कुमार

(2) मैसर्स बंसल टैक्सटाइल्स

(3) मैसर्स इन्दु टेक्सटाइल्स

श्री शिव भगवान एफ० अग्रवाल के निवास स्थान और बैंक लाकर की भी तलाशी ली गई ।

(ख) तलाशियों में लगभग 3.4 लाख रुपये मूल्य के जेवर और एक दुकान की खरीद से संबंधित दो करार जिनमें क्रय-प्रतिफल के रूप में दो अलग-अलग रकमें दी गई हैं, पकड़े गये । मैसर्स रामावतार रमेश कुमार के परिसरों को सील कर दिया गया और पुलिस गार्ड तैनात किया गया क्योंकि पहले दिन तलाशी पूरी नहीं हो सकी ।

(ग) मैसर्स रामावतार रमेश कुमार के भागीदार श्री रमेश कुमार अग्रवाल और फर्म के अंशकालिक लेखाकार श्री कान्ति लाल गणजी नागर के कब्जे से परिसरों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस सिपाही ने दुकान के नजदीक कुछ बहियां पकड़ीं और पुलिस को विभाग द्वारा लगाई गई सील टूटी हुई मिली ।

(घ) पुलिस और आयकर विभाग ने सील लगे परिसरों में घुसने के आरोप में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा दी है । अभियुक्त के अनुरोध पर शिकायतें गुजरात उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दी गयी हैं जिनका निपटान किया जाना है । जिस संपत्ति के लिए दो खरीद करार मिले थे, राजस्व बचाने के लिए उसे अनन्तिम रूप से कुर्क कर लिया गया है । इन सभी मामलों को समन्वित जांच के लिए केन्द्रीय अधिकार क्षेत्रों को भेज दिया गया है ।

न्यायालयों में लम्बित मामलों में अन्तर्ग्रस्त कर सम्बन्धी धनराशि

3823. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी कंपनियां उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों के भुगतान को रोकने के उद्देश्य से प्रायः न्यायालयों में मामले दायर कर देती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय न्यायालयों में लम्बित मामलों में अन्तर्ग्रस्त करों सम्बन्धी कुल धनराशि क्या है; और

(ग) क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि न्यायालय द्वारा सरकार के पक्ष में किसी मामले का निर्णय हो जाने पर सरकार बकाया धनराशि पर ब्याज वसूल करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) कई बड़ी कंपनियां उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों के भुगतान रोक रखने के लिए न्यायालयों में गई हैं ।

(ख) तथा (ग) 31-3-84 की स्थिति के अनुसार न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेशों के कारण कंपनियों तथा गैर कंपनियों दोनों की ओर बकाया आयकर की कुल रकम 58.95 करोड़ रुपये है । उपलब्ध सूचना के आधार पर लगभग 300 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क की रकम न्यायालय आदेशों के कारण रुकी पडी है । जहां तक विभिन्न न्यायालय मामलों में मुकदमेबाजी के कारण रुकी पड़ी उत्पादन शुल्क की रकम का सम्बन्ध है, उसकी मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है चूंकि ऐसे मामले में राजस्व रकम में मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा अधिसूचना आदि के अर्थनिरूपण जैसे प्रश्नों का न्यायिक निर्धारण अन्तर्ग्रस्त रहता है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन इन कानूनों के अन्तर्गत संदेश शुल्कों पर ब्याज की वसूली के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि अलग-अलग मामलों में ब्याज वसूल किए जाते हैं यदि न्यायालयों द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है ।

इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड में लिफाफों, टिकटों आदि के लिए उपयोग होने वाली गौंद के सप्लायर्स

3824. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड में लिफाफों, टिकटों आदि के लिए उपयोग होने वाली गौंद की पूर्ति करने वालों का विवरण क्या है;

(ख) पूर्ति करने वालों के साथ किए गए ठेके के नियम और शर्तें क्या हैं और यह ठेका कितनी अवधि तक के लिए है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि गौंद की घटिया किस्म का उपयोग किए जाने के कारण आम जनता को कठिनाई हो रही है; और

(घ) घटिया किस्म की गौंद की पूर्ति के लिए 'सप्लायर्स' के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मैसर्स कोन प्रोडक्ट्स बम्बई, लिफाफों, अन्तर्देशीय पत्र कार्डों और रजिस्ट्री के लिफाफों के फ्लेपों पर गौंद लगाने के लिए तरल गौंद के सप्लाईकर्ता हैं। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से प्राप्त 200 मेट्रिक टन तरल गौंद, 15 नवम्बर 1983 से 20 मेट्रिक टन प्रतिमास की दर से, वितरित की जा रही है। सप्लाई किए गए माल की जांच निरीक्षण निदेशक, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, बम्बई द्वारा की जाती है।

टिकटों के लिए कागज की सतह पर गौंद लगाने का कार्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है। समय-समय पर अपर्याप्त मात्रा में गौंद लगाने के सम्बन्ध में, शिकायतें प्राप्त होती रहती है जिससे कि सामान्य आदमी को दिक्कत महसूस हुई होगी, और तुरन्त ही ठेकेदार को अपना काम सुधारने की सलाह दी जाती है।

मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलना

3825. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई;

(ख) क्या 1984-85 में बैंक की शाखाओं में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1984-85 के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की और कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में खोली गई बैंक की शाखाओं की संख्या बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1983 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में 965 शाखाएं खोली गई थीं।

(ख) और (ग) शाखा लाइसेंसिंग की वर्तमान नीति अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए है। इसका लक्ष्य मार्च 1985 के अन्त तक (1981 की जनगणना के आधार पर) ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17000 की जनसंख्या के पीछे औसतन एक बैंक शाखा की

स्थापना करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नीति-अवधि के दौरान 693 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1985 की समाप्ति से पूर्व तक इस राज्य में शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों को अब तक 822 केन्द्रों का आवंटन किया जा चुका है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के सम्बन्ध में जिला-वार आधार पर आंकड़े रखता है तथा आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग से ब्यौरा नहीं रखा जाता। मध्य प्रदेश के अधिसूचित आदिवासी जिलों में सितम्बर, 1983 के अन्त की स्थिति के मुताबिक बैंक कार्यालयों की शाखाओं के संबंध में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

उक्त उल्लिखित जिलों में बैंकिंग व्याप्ति के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए खोली जाने वाली शाखाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए मोटे अनुमान भी इसी विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या की बहुलता वाले जिलों में 30-9-83 की स्थिति के मुताबिक वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें

क्रम सं०	जिला	30 सितम्बर, 1983 की स्थिति के मुताबिक इन जिलों में बैंक कार्यालयों की संख्या				अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के वास्ते नई लाइसेंसिंग नीति के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ग्रामीण बैंक रहित केन्द्रों में खोले जाने वाले अतिरिक्त कार्यालयों की संख्या
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी/ महा-नगरीय	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालघाट	41	9	—	50	24
2.	बस्तर	77	9	—	86	19
3.	बेतूल	31	13	—	44	12
4.	बिलासपुर	104	26	9	139	27

1	2	3	4	5	6	7
5.	छिंदवाडा	43	19	—	62	11
6.	धार*	66	13	—	79	—
7	ईस्ट निमाड़	37	15	12	64	7
8.	झाबुआ	42	7	—	49	15
9.	मांडला	29	8	—	37	27
10.	रायगढ़	50	7	—	57	45
11.	सियोनी	23	8	—	31	17
12.	शाहडोल	42	5	—	47	25
13.	सरगूजा	101	6	—	107	—

* धार तथा सरगूजा जिले में ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रति बैंक कार्यालय के पीछे औसत जनसंख्या (1981) की जनगणना के अनुसार) 17,000 से कम थी।

आसनसोल पोलो ग्राउंड और बर्दवान में साधनपुर कैंपिंग ग्राउंट की रक्षा भूमि को पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित किया जाना

3826. **श्री सशील भट्टाचार्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि और भूमि सुधार विभाग के मन्त्री से आसनसोल पोलो ग्राउंड और बर्दवान में साधनपुर कैंपिंग ग्राउंड की रक्षा भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में दिनांक 2 जुलाई, 1984 का पत्र संख्या 6372-पी०एस०/एम० प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय इन भूमियों को तेजी से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए कदम उठा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन भूमियों का कब्जा राज्य सरकार को कब दिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस बात की जांच कर ली गई है कि साधनपुर और आसनसोल की भूमि की जरूरत रक्षा प्रयोजनों के लिए है। साधनपुर कैंपिंग ग्राउंड में राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि इसका उपयोग रक्षा जरूरतों के लिए किया जाना है। आसनसोल पोलो ग्राउंड के कुल 23.21 एकड़ क्षेत्र में से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए केवल 11.84 एकड़ भूमि उपलब्ध है. बशर्ते रक्षा प्राधिकारियों द्वारा

किया गया भूमि का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाए।

अनुभाग अधिकारियों (लेखा) की एक कमांड से दूसरी कमांड में तैनाती

3827. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से एक कमांड नियंत्रण यथा पटना से अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को उनके अपने कमांड में रिक्त स्थान होने के बावजूद अस्थायी तौर पर गोहाटी अथवा सिलीगुड़ी में दूसरे कमांड के यहां तैनात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी खर्च और कर्मचारियों को प्रताड़ना से बचाने के लिए उनकी नियुक्ति उनके ही कमांड में विद्यमान स्थित स्थानों पर न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) किसी भी अनुभाग अधिकारी (लेखा) को रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा किसी स्थान पर अस्थायी तौर पर तैनात नहीं किया जाता है। गोहाटी का रक्षा लेखा नियंत्रक, (जिसने जुलाई, 1983 से कार्य आरंभ किया) और सिलीगुड़ी का क्षेत्रीय लेखा कार्यालय अलग कमांड नहीं है बल्कि रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के ही एक अंग हैं। अनुभाग अधिकारियों (लेखा) की तैनाती केवल खाली पदों को देखकर नहीं की जाती बल्कि संक्रियात्मक जरूरतों, ट्रांसफर नीति आदि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

संगठित कपड़ा मिल क्षेत्र बिजली करघा और हथकरघा क्षेत्रों के लिए आबंटित धन

3828. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, संगठित कपड़ा मिल क्षेत्र, बिजली करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र के लिए वर्ष-वार तथा क्षेत्र-वार योजनागत और गैर-योजनागत आबंटित किये गए धन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु प्रस्तावित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सातवीं योजना के लिए निधियों के क्षेत्रवार आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

छठीं योजना अवधि के दौरान संगठित वस्त्र मिल क्षेत्र, विद्युत करघा क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र को आबंटित निधियां

(करोड़ रु० में)

क्षेत्र	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
संगठित मिल क्षेत्र	21·00	30·35	18·00	20·94	17·33	72·31	21·25	94·85	28.00	118.73
हथकरघा क्षेत्र	18·08	36·48	20·03	53.43	19·66	59.54	20·19	61.19	33·05	63.73
विद्युत करघा क्षेत्र	0·11	—	0·17	—	0·18	—	0·17	—	0.25	—

बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण

3829. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांशतः महानगरों में स्थित बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेन्द्रीकरण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में लिए गए निर्णय की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम, कलकत्ता द्वारा बकाया धनराशि की वसूली

3830. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, कलकत्ता में अद्यतम कुल कितनी धनराशि बकाया है और इसकी वसूली कब से बाकी है और जिन व्यक्तियों की तरफ यह धनराशि बकाया है, उनकी विस्तृत सूची क्या है ;

(ख) उपरोक्त धनराशि की वसूली के लिए कितने मुकदमे दायर किए गए हैं; और इसके लिए कितने वकील किए गए उनका ब्यौरा क्या है; और वर्ष-वार दायर किये गए मुकदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पक्ष में कितने फैसले हुए हैं और दायर किए गए कितने मामलों में वे हारे हैं ?

वाणिय मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी०ए०बी०ओ०), के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 31-3-83 को कुल बकाया राशि 531.22 लाख रु० है । इसमें से, 273.06 लाख रु० छः महीने से बकाया थे तथा 258.16 लाख रु० छः महीने से कम समय से बकाया है । अनन्तिम तुलन पत्र के अनुसार 30-6-84 को एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० को देय कुल बकाया राशि लगभग 490.78 लाख रु० है । फुटकर देनदारों की ब्यौरे वार सूचियां एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) के उन अलग-अलग एककों के पास उपलब्ध हैं जो राशि प्राप्त करने के लिए समुचित कार्यवाही भी कर रहे हैं । तथापि, मांगी गई जानकारी बहुत अधिक व्यापक स्वरूप की है और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में काफी समय लगेगा । इन परिस्थितियों में अगर माननीय संसद सदस्य इस सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(ख) 20 88 लाख रु० की राशि की वसूली के लिए कुल 26 मामले आरम्भ किए गए थे। लगाए गए वकीलों का ब्यौरा तथा मामले आरम्भ करने के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(क) (1) मैसर्स फोक्स एण्ड मांडक, सोलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स, 12, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता

(2) मै० नाहर एंड दत्ता, सोलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स 1 बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता

(3) मै० मित्रा एण्ड गांगुली, सोलिसिटर्स एण्ड एडवोकेट्स, 10 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता

(4) श्री ए० एस० राय, एडवोकेट, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता

(5) श्री गोतम घोष, एडवोकेट, सिटी सिवल कोर्ट, कलकत्ता

(6) श्री सी० के० मोडक, एडवोकेट, सिटी सिविल कोर्ट कलकत्ता

(7) श्री एस० सरकार, एडवोकेट, सिठी सिविल कोर्ट, कलकत्ता

(ख)	वर्ष	आरम्भ किये गये मामलों की सं०
	1974	1
	1975	2
	1976	—
	1977	16
	1978	1
	1979	2
	1980	2
	1981	2

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी तक छः मामलों में एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी० ए०डी०ग्रो०) के पक्ष में पंचाट दिए गए हैं। एन०टी०सी० (डब्ल्यू०वी०ए०वी०ओ०) ने आरम्भ किए गए मामलों में से कोई भी मामला नहीं हारा है।

साधारण नमक का निर्यात

3831. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 1982-83 और 1983-84 के दौरान इसकी कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) किन-किन देशों को साधारण नमक का यह निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान साधारण नमक का निर्यात बढ़ाने का विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना तथा निकट भविष्य में इस व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 और 1983-84 के दौरान निर्यातित नमक की मात्रा व मूल्य नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	मात्रा (एम०टी०)	मूल्य (लाख रु०)
1982-83	282887	318.57
1983-84	519150	715.42

(ग) नमक निम्नलिखित देशों को निर्यात हो रहा है :—मालदीव, बंगला देश, मलक्का, मोमबासा, दक्षिणी कोरिया, दार-एस-सलाम, नेपाल, हांगकांग, यू० के०, मलेशिया और सिंगापुर।

(घ) जी हां।

(ङ) इस वर्ष के दौरान 6.50 से 7 लाख मे० टन नमक का निर्यात करने का प्रस्ताव है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) राज्य व्यापार निगम लदान गति सुधारने के लिए यांत्रिक लदान प्रणाली लगाने की संभावना पर विचार कर रहा है।

(2) सदूर पूर्व तथा अफ्रीकी देशों को अध्ययन दल भेजना।

(3) विशेष व्यापारिक व्यवस्थायें करके, जो कुछ देशों के साथ की जा रही हैं, नमक का निर्यात सुधारने का प्रयत्न।

भारत को विश्व बैंक से ऋण

3832. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने जून, 1984 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को पहले से अधिक ऋण देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना और यह ऋण भारत को किन शर्तों पर मंजूर किया गया है; और

(ग) जिन प्रमुख परियोजनाओं के लिए यह ऋण दिया गया, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक समूह ने 30 जून, 1984 को समाप्त हुए राजकोषीय वर्ष के लिए भारत को कुल 272.24 करोड़ डालर के उधार/ऋण स्वीकृत किए थे।

ये उधार/ऋण सामान्य शर्तों पर दिए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के उधारों की वापसी अदायगी 3 से 5 वर्षों की रियायती अवधि सहित 15 से 20 वर्षों के अन्दर करनी होती है और इन पर छमाही आधार पर अलग-अलग दर से ब्याज लगता है। 1-7-1983 तथा 1-1-1984 को ब्याज की दर क्रमश: 10.47 प्रतिशत एवं 10.08 प्रतिशत वार्षिक थी। इसके अतिरिक्त असंवितरित राशि पर 0.25 प्रतिशत की दर से एक ही समय लगने वाला प्रारंभिक शुल्क और 0.75 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता प्रभार लगता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और विशेष निधि ऋणों की परिपक्वता अवधि, 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित, 50 वर्ष की होती है। इन ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन संवितरित राशि पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रभार और असंवितरित राशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता प्रभार लगता है।

(ग) राजकोषीय वर्ष 1984 में विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विश्व बैंक समूह द्वारा राजकोषीय वर्ष 1984 में सहायता के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सूची

(लाख डालर)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अ०पु०वि० बैंक के उधारों की राशि	अ०वि०सं० ऋण की राशि	विशेष निधि ऋण की राशि
1	2	3	4	5
1.	उड़ीसा सिंचाई-द्वितीय	—	1050	—
2.	वर्षा-पोषित क्षेत्रों में जल विभाजक विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	—	310	—
3.	भारत जनसंख्या परियोजना-तृतीय	—	700	—
4.	न्हावा शिवा पत्तन परियोजना	2500	—	—
5.	दुधिचुआ कोयला	1510	—	—
6.	तमिलनाड् जल पूर्ति एवं सफाई	—	365	365
7.	पेरियाड़ बैगई सिंचाई—द्वितीय	—	175	175
8.	म०प्र० उर्वरक	2036	—	—
9.	बोधघाट पन बिजली	1574	—	1430
10.	रेलवे विद्युतीकरण एवं कार्यशाला आधुनिकीकरण	2807	—	—
11.	गुजरात मध्यम सिंचाई—द्वितीय	—	1720	—
12.	कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम	2425	—	—
13.	ट्राम्बे तापीय	1354	—	—
14.	फरक्का तापीय बिजली	3008	—	—

1	2	3	4	5
15.	ऊपरी तांगा सिंचाई एवं आधु-निकीकरण	—	1250	—
16.	एन०सी०डी०सी०	—	2200	—
17.	कर्नाटक सामाजिक वनपालन	—	270	—
	जोड़	17214	8040	1970
	कुल जोड़	27224		

अ०पु०वि० बैंक=अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

अ०वि०सं०=अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

बिहार में बीड़ी उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली न होने के कारण हुआ राजस्व घाटा

3833. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में समूचे बीड़ी उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली न होने के कारण सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या बीड़ीयों को भेजते समय अपर्याप्त निगरानी के कारण बीड़ी निर्माता उत्पाद शुल्क बचाने में सफल हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार राजस्व के घाटे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) बीड़ियों के सम्पूर्ण उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगता है। एक वर्ष में बिना ब्रांड की बीस लाख बीड़ियों तक की प्रथम निकासी पर उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है। तथापि, ब्रांड वाली बीड़ियों पर शुल्क लगता है। बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नियंत्रण का तौर-तरीका व्यक्तिगत नियंत्रण है, जिसके अन्तर्गत कारखाने से बीड़ियों की निकासी के मामले पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है। इसलिए बिहार में बीड़ियों के सम्पूर्ण उत्पादन पर करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, शुल्क-अपवंचन के कुछ मामलों का पता चला है।

(ग) उत्पादन और निकासी, आदि के रिकार्डों की आकस्मिक निवारक जांच और लेखा-परीक्षा की समय-समय पर की जा रही है ।

ऊनी कपड़े का निर्यात

3834. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितने मूल्य का ऊनी कपड़ा निर्यात किया गया ;

(ख) कौन-कौन से उत्पादन एकक ऊनी कपड़े का निर्यात कर रहे हैं; और

(ग) इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री [illegible]) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित ऊनी कपड़े का मूल्य निम्नलिखित प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य लाख रु० में
1981-82	429.71
1982-83	500.47
1983-84	437.07

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) उद्योग और निर्यात व्यापार के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है जैसे ओ०जी०एल० के अन्तर्गत मशीनरी तथा कच्चे माल का आयात, निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित कर मुक्त कच्चे माल का आयात, निर्यात दायित्व से सम्बन्धित कतिपय जटिल करधों पर रियायती आयात कर, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात संवर्धनात्मक सहायता, आदि ।

विवरण

ऊनी कपड़े का निर्यात कर रहे कुछ विनिर्माता एककों के नाम हैं :—

(1) दि रेमण्ड वूलन मिल्स लि०, थाना

(2) दि बोम्बे फाइन वर्स्टेड मैन्युफैक्चर्स कैसल मिल्स, बम्बई ।

(3) कानपुर वूलन मिल्स, कानपुर।

(4) अरिएण्ट कार्पेट मैन्यू० इंडिया लि०, अमृतसर।

(5) श्री दिग्विजय वूलन मिल्स लि०, अमृतसर।

(6) श्री दिनेश मिल्स लि०, बड़ौदा।

(7) मौडेला इन्टरनेशनल, बम्बई।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संसद सदस्यों को प्रकाशनों की सप्लाई

3835. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के उन विभिन्न उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, स्वायतशासी निकायों, निगमों, कम्पनियों, जिनके सारे के सारे शेयर आदि सरकार के पास हैं, के विभिन्न प्रकाशन संसद सदस्यों को दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों को उनकी रिपोर्टों, कार्यक्रमों, मासिक पत्र-पत्रिकाओं, प्रचार सामग्री आदि की प्रतियों सहित उनकी सप्लाई करने के लिए निदेश न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय सभी सरकारी उपक्रमों और विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न एजेंसियों को इस प्रकार के निदेश जारी करेगा;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अनुमानत: वांछित जानकारी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा अन्य स्वायत्त निकायों की वार्षिक रिपोर्टों से सम्बन्धित है न कि समूल्य प्रकाशनों से। ये रिपोर्टें सभा-पटल पर रखी जाती हैं।

(ख) से (ङ) उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

वर्ष 1990 तक 30,000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने के लिए होटल उद्योग को निवेश-भत्ते की सुविधा

3836. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग ने सरकार से 1990 तक 30,000 अतिरिक्त कमरों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसे निवेश भत्ते की सुविधा देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में होटल उद्योग के अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) होटल उद्योग समय-समय पर कुछ प्रोत्साहन जिनमें अन्य के साथ-साथ निवेश भत्ता भी शामिल है, प्रदान करने के लिए सरकार से सम्पर्क करता रहा है ।

(ख) और (ग) होटल एवं रेस्तरां संघ के महासंघ को और अधिक ब्यौरे देने की सलाह दी गई है ताकि उनकी प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तथ्यों और क्षेत्रों को निर्दिष्ट/अभिनिर्धारित किया जा सके और यह दर्शाने के लिए कहा गया है कि होटल एवं रेस्तरां संघ के महासंघ द्वारा मांगे गए वे प्रोत्साहन, जिनमें निवेश भत्ता भी शामिल है, किस प्रकार भारतीय होटल उद्योग की अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यवहार्य और प्रतियोगी बनाएंगे ।

राजभाषा के प्रयोग और कार्यान्वयन के लिए समिति की नियुक्ति

3837. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम में राजभाषा के प्रयोग और उसके कार्यान्वयन हेतु कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है तथा राजभाषा के प्रयोग और उसके कार्यान्वयन के लिए क्या मार्ग-निदेश अथवा निदेश जारी किए गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति विद्यमान है ।

(ख) प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से समिति की बैठक बुलाई जाती है और निगम में राजभाषा नियमों में की गई व्यवस्थाओं को समुचित रूप से यह क्रियान्वित करती है ।

पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति/कार्यक्रम

3838. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों/स्थानों के लिए, जहां सुन्दर दृश्य हैं और वे धार्मिक/ऐतिहासिक/सांस्कृतिक महत्व के हैं, लोगों के रहने की, परिवहन की और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा तैयार करके पर्यटन के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति/कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति/कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है और यह कितनी अवधि के लिए तैयार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की नीति/कार्यक्रम जल्दी ही तैयार किये जाएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) तैयार कर ली है जिसमें पर्यटक आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं पर विशेष बल दिया गया है। सातवीं योजना की एक व्यापक नीति पर्यटक यातायात के प्रवाह को विविध दिशाओं में मोड़ने की होगी ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के तेजी से उभरते हुए विभिन्न घटकों और विशेष रूप से, अतिशय-परम्परागत किस्म के सांस्कृतिक पर्यटन से भिन्न, अवकाश और सार्वकालिक पर्यटन के अधिकाधिक अनुरूप ढाला जा सके।

केरल में नए पर्यटन केन्द्रों का विकास

3839. **श्री स्कारिया थामस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1984-85 में केरल में नए पर्यटन केन्द्रों का विकास करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उन कन्द्रों के नाम क्या हैं और उनका अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) राज्य सरकार के परामर्श से विभाग द्वारा दो यात्रा परिपथों पर पहले से ही निर्धारित 22 केन्द्रों के अलावा विभाग का केरल में अन्य किसी नए पर्यटक केन्द्रों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भ्रष्ट और असक्षम आयकर अधिकारियों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव

3840. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयकर विभाग में अप्रभावी और अमक्षम आयकर अधिकारियों तथा उच्च अधिकारियों का पता लगाने और आयकर विभाग में प्रशासनिक तंत्र को नया रूप देने और पुनर्गठन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) अकुशल और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से नियमों में पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अन्तर्गत समय-समय पर अधिकारियों की छान-बीन (स्क्रीनिंग) करने के प्रयोजन से पुनरीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है और अकुशल और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है। इस प्रयोजनार्थ किसी विशेषज्ञ समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार की गया पटसन मिल का घाटे में चलना

3841. **श्री रणजीत सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की गया पटसन मिल घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मिल घाटे में चलने की बजाय लाभ कमाना प्रारम्भ करें सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) घाटे के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) पुरानी और अप्रचलित मशीनरी;

(2) बिजली की कमी के कारण अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग;

(3) अधिक श्रमिक बल;

(4) रुई तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमतों में तीव्र वृद्धि;

(5) मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण मजदूरी/वेतन में बराबर वृद्धि;

(6) स्टाकों का कम उठान;

(7) सामान्य बाजार मंदी; और

(8) कताई में कम उत्पादकता और बुनाई क्षमता का कम उपयोग ।

(ग) मिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गये/किये जा रहे प्रयास निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) संयंत्र तथा मशीनरी का आधुनिकीकरण;

(2) कार्यभार और श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण;

(3) विभिन्न उपलब्ध चैनलों से रुई की समय पर वसूली की व्यवस्था की जा रही है;

(4) हुये नकद घाटों का सीमा तक कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है; और

(5) सहायक निगम का उसके अधीन मिलों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सीमान्त राशि की व्यवस्था की गई है ।

हुबली, धारवाड़, मैसूर, रायचूर और टुमकुर के लिए विमान सेवा

3842 **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हुबली, धारवाड़, मैसूर, रायचूर और टुमकुर के लिए विमान सेवा शुरू करने के बारे में केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने फरवरी, 1984 के पत्र में डोर्नियर विमान के साथ, जिसे वायुदूत का लेने का प्रस्ताव है, बंगलौर से हुबली, धारवाड़, मैसूर तथा कर्नाटक में अन्य स्थानों के लिए वायुदूत सेवा चालू करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया था । वायुदूत प्रचालनों के विस्तार की पहली प्रावस्था में हुबली और मैसूर को विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं । तथापि, इन सेवाओं को चालू करने की समय अनुसूची इन दोनों स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास पर निर्भर करेगी ।

मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव

3843 **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर का पुराना नाम महेशमती था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस शहर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वहां पर अनेक स्मारक हैं जो हजार वर्ष से अधिक पुराने हैं और क्या केन्द्र सरकार का विचार उन स्मारकों को सुरक्षित रखने का है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) जी, हां। महेश्वर शहर उन केन्द्रों में से एक है, जिन्हें केन्द्र, राज्य तथा प्राइवेट सैक्टर के मिश्रित संसाधनों द्वारा चरणबद्ध विकास के लिए मध्य प्रदेश में तीन यात्रा परिपथों के अंतर्गत अभिनिर्धारित किया गया है। फिलहाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इन स्मारकों का संरक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोचीन-बंगलौर उड़ान का मंगलौर में रुकने के बारे में केरल सरकार का अभ्यावेदन

3844. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें कोचीन से बम्बई तक और बम्बई से कोचीन तक की उड़ान को मंगलौर में रोके जाने के बारे में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी, हां। बम्बई/कोचीन उड़ानें लगभग पूरी क्षमता से प्रचालन कर रही हैं, इसलिए किसी भी उड़ान के मंगलोर होकर मार्ग बदलने से किसी लाभप्रद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

पालम में नये अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान-भवन का दोषपूर्ण निर्माण

3845. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम, नई दिल्ली में नये अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान भवन के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जब 22 जुलाई, 1984 को भारी वर्षा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान भवन में पानी टपकने लगा था जिसके कारण वातानुकूलन संयंत्र, यात्रियों के सामान और विभिन्न एयरलाइनों के कम्प्यूटर प्रणाली को क्षति पहुंची थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस भवन की मरम्मत आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) दोषपूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पालम विमान क्षेत्र पर 4.14 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान भवन (आई०डी०बी०) का निर्माण किया गया था।

(ख) और (ग) 22 जुलाई, 1984 को अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान भवन में पानी टपकने की कोई घटना नहीं हुई थी। तथापि 21 जुलाई, 1984 को भारी वर्षा के कारण इस भवन में दो स्थानों से पानी का टपकना पाया गया जो छत से जहां पानी के असर को अप्रभावी करने का कार्य चल रहा था गटर में से पानी के तेजी से आने के कारण हुआ। पानी टपकने को रोकने सम्बन्धी कार्य पर कुल लागत 12,712 रुपये है। पानी टपकने के कारण एयरलाइन्स की अभिकलित प्रणाली, वातानुकूलन संयंत्र तथा यात्रियों के सामान की कोई हानि नहीं हुई।

(घ) पानी के प्रभाव को निरस्त किए जाने सम्बन्धी कार्य को पूरे किए जाने में हुई देरी के लिए उत्तरदायी ठेकेदार को नोटिस दिया गया है तथा यह कार्य ठेकेदार के दायित्व एवं लागत पर पहले ही पूरा किया जा चुका है।

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना

3846. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जुलाई, 1984 तक अहमदाबाद में 16 कपड़ा मिलें और इस प्रकार सब मिलाकर गुजरात में 24 कपड़ा मिलें बन्द हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इतने बड़े पैमाने पर मिलों के बन्द होने के क्या कारण है और इसके परिणामस्वरूप कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) क्या बंद हुई कपड़ा मिलों के कई नियोक्ताओं ने कंपनी की धनराशि को दूसरे कार्यों में लगा दिया है और अब सरकार से अतिरिक्त ऋण और शुल्क तथा करों में रियायतें मांग रही हैं;

(घ) प्रभावित मिलों की लाभ-प्रदत्ता और अलाभ प्रदत्ता के बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(ङ) क्या बन्द हुई कुछ अथवा सभी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30-6-84 को गुजरात राज्य में 21 मिलें बन्द पड़ी थी जिनमें 15 अहमदाबाद शहर की मिलें शामिल थी।

(ख) ये मिलें बहुत से कारणों से बन्द हैं जैसे अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनें, वित्तीय कठिनाइयां तथा श्रमिक समस्यायें। इन मिलों में काम करने वाले कामगारों की संख्या लगभग 36,700 है।

(ग) गुजरात में बन्द पड़ी मिलों के किसी नियोक्ताओं द्वारा धनराशि को दूसरे कार्यों में लगाए जाने के बारे में सरकार के पास कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है।

(घ) गुजरात में बन्द/रुग्ण मिलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित अधिकारियों के समूह ने पाया है कि गुजरात में बंद पड़ी मिलों में से 4 अलाभप्रद हैं। समूह द्वारा कुछ मिलों का अध्ययन अभी किया जाना है।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मैसर्स जयन्त आयल मिल्स लिमिटेड, बम्बई को कथित चुंगी वापसी का दावा करने की अनुमति देना

3847. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा मैसर्स जयन्त आयल मिल्स लिमिटेड, बम्बई को डीहाईड्रेटेड अरंडी का तेल निर्यात करने के लिए 33,99 674·50 रुपये की धनराशि को चुंगी वापसी का दावा करने की अनुमति दी थी जबकि इसे रसायन नहीं माना गया है और यह अखिल उद्योग दर की अनुसूची में दर्ज नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) यह सही है कि सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई ने मैसर्स जयन्त आयल मिल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा डिहाइड्रेटेड अरंडी के तेल का निर्यात करने के लिए 33,99,674·50 रुपये की प्रति अदायगी के दावे की अनुमति दी। डिहाइड्रेटेड अरंडी के तेल को रसायन नहीं माना जाता है और इसीलिए इसे वर्तमान अनुसूची में किसी अन्य मद के तहत प्रति अदायगी के दावे का हक प्राप्त नहीं है। बम्बई के सीमा शुल्क समाहर्ता से प्रति अदायगी के रूप में पहले से की गई अदायगी को वसूल करने के लिए कहा गया है।

बेलगाम और बंगलौर के बीच इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

3848. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेलगाम से बंगलौर और कर्नाटक के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को पुनः प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में जलालपुर और अन्य स्थानों के हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों की समस्यायें

3849. **श्री राम अवध** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जलालपुर और अन्य स्थानों के हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के पास काफी समय से कोई कच्चा माल नहीं था;

(ख) क्या कानपुर डिपो में पड़े कच्चे माल का वितरण भी किन्हीं कारणों से रोक लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप जितना भी माल बाजार में बेचा जाता है वह ऊंची कीमतों पर ब्लैक में बेचा जाता है जिससे गरीब बुनकरों को बहुत कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या सरकार इन बुनकरों की इस समस्या पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि जलालपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक क्षेत्रों के हथकरघा बुनकरों के पास काफी समय से कोई कच्चा माल नहीं था । जलालपुर में 40.00 लाख रु० मूल्य का धागा बुनकरों को दिया गया है । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम ने अपने 160 धागा वितरण केन्द्रों की मार्फत धागे की सप्लाई की व्यवस्था की है ।

(ख) कानपुर में कोई केन्द्रीय धागा डिपो नहीं है । धागे के वितरण की सुव्यवस्था की गई है जिससे कि वह महत्वपूर्ण हथकरघा प्रधान क्षेत्रों में स्थित बुनकरों को उपलब्ध हो सके । उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार धागा ऊंची कीमतों पर नहीं बेचा जाता है ।

(ग) जी हां।

(घ) किये गए उपचारात्मक उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) राज्य सरकार ने 3.00 करोड़ रु० मूल्य से अधिक का धागा तथा माल सप्लाई करने की व्यवस्थायें की है और विगत चार महीनों के दौरान गोरखपुर, माव, कोपागंज, टांडे, बाराबंदी, मुरादाबाद, बिजनौर, मबाइमा तथा फैजाबाद स्थित धागा वितरण केन्द्रों को भेजा गया।

(2) अप्रैल-जून, 84 के दौरान उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम द्वारा 8 अतिरिक्त, धागा डिपो खोले गये।

(3) बुनकरों को उनके कार्य करने के स्थानों पर धागा उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर में चलते-फिरते बिक्री डिपो आरम्भ किया गया है।

(4) उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम द्वारा विद्यमान बाजार दरों की अपेक्षा कम करने पर धागा सप्लाई किया जाता है।

आल इण्डिया बोन मिलर्स एसोसिएशन दिल्ली से ज्ञापन

3850. **सुशील भट्टाचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया बोन मिलर्स एशोसिएशन नई दिल्ली से 12 दिसम्बर 1983 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एस० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) आल इंडिया बोन मिलर्स एसोसिएशन ने अभ्यावेदन में हड्डियों तथा हड्डी उत्पादों को सभी प्रकार के करों से छूट देने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध करते हुए उन्होंने बताया है कि हालांकि हड्डियों तथा हड्डी उत्पादों पर कुछ राज्यों में कर लगाया जाता है परन्तु दूसरे राज्यों में, उदाहरण के तौर पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में उन पर कोई कर नहीं लगाया जाता है।

(ग) जहां तक केन्द्रीय कर लगाने का सम्बन्ध है, पीसी हुई हड्डियों तथा हड्डी उत्पादों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पहले ही छूट प्राप्त है। जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है, किसी

एक राज्य में होने वाली बिक्रियों पर कर लगाना संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 का प्रशासन भी, जिसके अंतर्गत माल की अंतर्राज्यीय बिक्रियों पर कर लगाया जाता है, कानून द्वारा राज्य सरकारों को सौंपा गया है जो कर का निर्धारण करते हैं, उनकी वसूली करते हैं तथा माल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर लगाए गए कर से प्राप्त होने वाली आय को अपने पास रखते हैं। राज्य सरकारों को ही बिक्री कर से, जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भी शामिल है, छूट मंजूर करने की शक्तियां प्राप्त है, यदि वे जनहित में ऐसा करना उचित समझती हों। इसलिए आल इण्डिया बोन मिलर्स एसोसियेशन के दिनांक 12-12-1983 के ज्ञापन की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दी गई हैं।

भारत और चीन के बीच व्यापार

3851. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के आयात और निर्यात के वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) भारत और चीन के बीच व्यापार की प्रमुख वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(घ) निकट भविष्य में चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) भारत तथा चीन के बीच 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रु०)

वर्ष	चीन को निर्यात	चीन से आयात
1980-81	2363	8199
1981-82	5268	7826
1982-83	1216	10502

(ग) गत कुछ वर्षों में भारत से चीन को किए गए निर्यात की प्रमुख मदें है : तम्बाकू, कपास, लौह-अयस्क, क्रोम अयस्क, चीनी, शीट ग्लास आदि। चीन से किए गए आयात की मुख्य मदों में रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, लोहा तथा इस्पात, मशीनरी तथा परिवहन उपकरण, वस्त्र यार्न तथा फैबिक्स मेड क्य वस्तुएं, कागज और गत्ता।

(घ) भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभाव्यताओं पर अधिकारिक तथा गैर-आधिकारिक स्तर पर विचार किया जाता है तथा दोनों देश समय-समय पर प्रतिनिधि दलों का आदान-प्रदान करते रहे हैं और भारत तथा चीन में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेते रहे हैं।

अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलना

3852. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने की मांग लम्बे अर्से से की जा रही है जिससे गुजरात राज्य के यात्रियों के लिए सहायता मिलेगी और सांताक्रुज हवाई अड्डा, बम्बई पर भी भीड़ कम होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अहमदाबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदल दिए जाने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं ?

(ख) देश में मौजूदा चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे सहित देश के किसी अन्य हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने के लिए इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़

3853. **श्री नवीन रैवाणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थिति सुधारने और वहां पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) यातायात के व्यस्ततम समय में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कभी-कभी भीड़ हो जाती है ।

(ख) भीड़-भाड़ के मुख्य कारण ये हैं—इंगलैंड और यूरोप में रात्रि निषेध विनियमों के कारण जिनमें रात के कुछ विशेष घंटों में विमानों के प्रस्थान और आगमन की अनुमति नहीं है जिसके फलस्वरूप उड़ानें एक साथ आती हैं, खाड़ी के देशों से लौटने वाले यात्रियों के पास बहुत बड़ा और अधिक सामान होता है तथा यात्री प्रस्थान के लिए हवाई अड्डों पर जल्दी आ जाते हैं ।

(ग) उड़ानों के एक साथ न होने देने के लिए उड़ानों को आगे-पीछे करने के प्रयत्न करके, बम्बई और दिल्ली में अधिक क्षमता वाले नए अंतर्राष्ट्रीय अंतस्थ भवनों का निर्माण करके तथा यात्रियों को जल्दी से भेजने के लिए उपाय शुरू करके भीड़ को कम किया जाएगा ।

कपास मिलों का बन्द होना

3854. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न इंडियन काटन टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन को यह आशंका है कि यदि कपास के मूल्य अधिक रहते हैं और ब्लेंडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए आयातित विस्कोप फाइबर पर से शुल्क समाप्त नहीं किया जाता तो उत्तर क्षेत्र में मिलें बन्द करनी पड़ेंगी;

(ख) यदि हां, तो काटन मिलों के बन्द होने के लिए अन्य मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नार्दर्न इंडिया काटन टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण तथा विस्कोस के ऊंचे मूल्य के कारण वस्त्र मिलों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को लिखा है ।

(ख) देश में काटन टेक्सटाइल मिलों के बन्द होने के प्रमुख कारण हैं श्रमिक समस्यायें, वित्तीय कठिनाईयों और संयंत्र तथा मशीनरी का पुराना पड़ जाना ।

(ग) सरकार ने उद्योग की सहायता के लिए विभिन्न राजकोषीय एवं प्रशासनिक उपाय किये हैं ।

एयर इण्डिया में स्थायी और अस्थायी आधार पर कार्यरत डाक्टर

3855. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हाल में डाक्टरों का एक पैनल बनाने के अलावा दिल्ली और बम्बई में काफी संख्या में डाक्टरों को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने स्थाई और अस्थाई डाक्टर हैं, उनके सम्बन्धित विषय, और व्यावसायिक अर्हताएं क्या हैं, उनके वेतनमान और अन्य परिलब्धियां क्या हैं तथा उनका चयन और नियुक्ति किस प्रकार की जाती है;

(ग) डाक्टर मरीज अनुपात निर्धारित करने के लिए मानदंड क्या है और इतने अधिक डाक्टरों को किस प्रकार नियुक्त किया गया है;

(घ) क्या अस्थाई डाक्टरों को कभी उन्हें और उनके परिवारों के लिए देश के भीतर और विदेशों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। तथापि, डाक्टरों की नियुक्ति के लिए चयन हाल ही में पूरा किया गया है। 9 डाक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है—4 दिल्ली के लिए तथा 5 बम्बई के लिए।

(ख) एयर इंडिया के बम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ता में इस समय स्थायी आधार पर चौदह डाक्टर हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें डाक्टरों के सम्बन्धित विषय, व्यावसायिक अर्हताएं वेतनमान, चयन पद्धति सहित सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया है। एयर इंडिया अस्थायी आधार पर डाक्टरों की नियुक्ति नहीं करती है। तथापि उनके बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में विशेषज्ञों के पैनल हैं जो जब कभी आवश्यक हो, विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) नियुक्त किए गए डाक्टरों की संख्या निगम के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात से अनुपयुक्त नहीं है। डाक्टरों को डाक्टर-रोगी अनुपात के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) एयर इण्डिया अस्थायी डाक्टरों की नियुक्ति नहीं करती है, और इसलिए उनके लिए अथवा उनके परिवारों के लिए निःशुल्क यातायात सुविधाओं की व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

विवरण

एयर इण्डिया के स्थायी नफरी पर मौजूद डाक्टरों का ब्यौरा

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	व्यावसायिक अर्हताएं	वेतन-मान	सुविधाएं	कैफियत
1	2	3	4	5	6
			रुपए		
1.	डा० विजय कुमार उप निदेशक-चिकित्सा सेवाएं	एम०डी०, एम०आर०सी०पी०	2350-100-2750	निगम द्वारा आवास सुविधा प्रदान की गई है	निहित कार्यविधि के अनुसार पदधारी को विज्ञापन के जरिए तथा एक पेनल द्वारा साक्षात्कार करके चुना गया है।
2.	डा० बी०के० पलीत सहायक निदेशक, चिकित्सा सेवाएं	एम०बी०बी०एस०, डी०टी०एम०एच०	2080-100-2580	-वही-	-वही-
3.	डा० एस०के० पुरी सहायक निदेशक-चिकित्सा सेवाएं	एम०डी०	2080-100-2580	-वही-	-वही-
4.	डा० (कुमारी) ए० मुखर्जी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	एम०बी०बी०एस०, डी०आर०सी०ओ० जी० (लंदन), डी० सी०एच० (लंदन)	1880-100-2480	—	-वही-
5.	डा० डी०एल० बोर्डे, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	एम०बी०बी०एस०, डी०पी०एच० (कलकत्ता) डी०आई०एच० (कलकत्ता)	1720-60-1780-100-2180	निगम द्वारा आवास सुविधा प्रदान की गई है।	-वही-

1	2	3	4	5	6
6.	डा० आर० चौधरी, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली	एम०डी०	1720-60-1780-100-2180	—	निहित कार्यवाही के अनुसार पदधारी को विज्ञापन के जरिये तथा एक पेनल द्वारा साक्षात्कार करके चुना गया है।
7.	डॉ० जे०एस० कुलकर्णी सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	एम०डी०	वेतन अभी नियत किया जाना है	निगम द्वारा आवास सुविधा प्रदान की गई है।	भारतीय वायुसेना से प्रतिनियुक्ति पर विमानन औषधि विशेषज्ञ
8.	डा० बी०बी० गजरे, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	एम०डी०	1400-50-1600-60-1780-100 1980	—	निहित कार्यविधि के अनुसार पदधारी को विज्ञापन के जरीये तथा एक पेनल द्वारा साक्षात्कार करके चुना गया है।
9.	डा० एस०एम० गायकवाड़, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	एम०डी०	1400-50-1600-60-1780-100-1980	—	-वही-
10.	डा० आर०सी० शर्मा, चिकित्सा अधिकारी	एम०डी०	1100-50-1600-60-1780-100-1980	निगम द्वारा आवास सुविधा प्रदान की गई है।	-वही-

1	2	3	4	5	6
11.	डा० (श्रीमती) एल० पी० नाखवा, चिकित्सा अधिकारी, बम्बई	एम०डी०, डी०जी० ओ०	1100-50-1600-60-1780-100-1980	—	-वही-
12.	डा० टी०के० भौमिक, चिकित्सा अधिकारी, कलकत्ता	एम०डी०	1100-50-1600-60-1780-100-1980	—	-वही-
13.	डा० (श्रीमती) एन० पंडित, चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली	एम०बी०बी०एस०, एम०डी०	1100-50-1600-60-1780-100-1980	—	-वही-
14.	डा० बी०के० बत्रा, नई दिल्ली	एम०डी०	1100-50-1600-60-1780-100-1980	—	-वही-

1. जहां निगम द्वारा आवास-सुविधा प्रदान की जाती है, वहां उन्हें ग्रेड के अनुसार लागू मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है। आवास की व्यवस्था के लिए उनके वेतन से कुछ वसूली भी की जाती है।

2. अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू पास, भविष्य निधि, उपदान, आदि के लिए सभी डाक्टर हकदार होते हैं।

3. चिकित्सा सेवाओं के उप निदेशक के मामले में विभाग के लिए रखी गई कार का उपयोग करने की उन्हें अनुमति होती है, इसलिए वे वाहन भत्ते के हकदार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कार के वैयक्तिक प्रयोग के लिए एक वसूली की जाती है।

4. 600 रुपए प्रतिमास के अधिकतम पर, मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से गैर-प्रैक्टिस भत्ता उन डाक्टरों को दिया जाता है, जो अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं।

5. निम्नलिखित के वार्षिक सीमा के आधार पर वैयक्तिक आधार पर सरकारी कार्यवाहियों पर मनोरंजन के रूप में व्यय किये गये खर्च की वापसी की जाती है :—

उप निदेशक—चिकित्सा सेवाएं	—	2400 रुपए प्रति वर्ष
सहायक निदेशक—चिकित्सा सेवाएं	—	1800 रुपए प्रति वर्ष

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर को समाप्त किये जाने के कारण केरल को हुआ नुकसान

3856. **श्री वी० एस० विजयराघवन**
श्री स्कारिया थामस } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर समाप्त किये जाने के कारण केरल को नुकसान हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उसे कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) उक्त नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) केरल सरकार यह दावा करती है कि 1976 में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के संशोधन के कारण 1976-77 से लेकर संचित हानि 183 करोड़ रुपए के लगभग थी ।

(ग) भारत सरकार के लिए राज्य सरकार के प्रतिपूर्ति सम्बन्धी अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है ।

उन डाक्टरों के लिए जो पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं विदेशों और स्वदेश में यात्रा के लिए एयर इण्डिया के निःशुल्क यात्री पास

3857. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में डाक्टरों का कोई पैनल बनाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी व्यावसायिक दक्षता और कार सुविधाओं सहित उनको दिये जाने वाले पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन डाक्टरों को अपने और अपने परिवार के लिये विदेशों और स्वदेश में यात्रा के लिए एयर इण्डिया ने नि:शुल्क पास भी जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने और जब वे लोग एयर इण्डिया के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं तो इसका क्या औचित्य है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एयर इंडिया के पास बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में विशेष डाक्टरों का एक पैनल है। मद्रास में उनके पास विशेषज्ञ पैनल नहीं है।

(ख) विशेषज्ञ पैनल में दो श्रेणियां हैं, अर्थात वरिष्ठ पैनल और कनिष्ठ पैनल। 13 अगस्त, 1984 को इन स्थानों पर विशेषज्ञों की संख्या इस प्रकार है :—

स्टेशन	विशेषज्ञ		कुल
	वरिष्ठ पैनल	कनिष्ठ पैनल	
बम्बई	108	164	272
दिल्ली	6	62	68
कलकत्ता	7	18	25
जोड़	121	244	365

विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्र के हैं जैसे, कार्डियालोजी, न्यूरो सर्जरी, पैथालाजी, रेडियालाजी, मनोविकृति-विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि।

इन पैनलों पर विशेषज्ञों को, जब कर्मचारियों द्वारा इनकी सेवाओं का लाभ उठाया जाता है, निश्चित रियायती दरों पर उनके कार्य के लिए भुगतान किया जाता है। इन डाक्टरों को कार सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

(ग) और (घ) निम्नलिखित आधार पर पैनलों वाले डाक्टरों को एयर इंडिया की सेवाओं पर नि:शुल्क यात्रा सुविधायें दी जाती हैं :—

(1) प्रत्येक वर्ष में एक बार स्थान उपलब्ध होने के आधार पर एयर इण्डिया के किसी एक क्षेत्रक पर वरिष्ठ पैनल वाले डाक्टरों को एक नि:शुल्क प्रथम श्रेणी पास दिया जाता है।

(2) प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार स्थान उपलब्ध होने के आधार पर एयर इण्डिया के

किसी एक क्षेत्रक पर कनिष्ठ पैनल वाले डाक्टरों को एक निःशुल्क इकानामी श्रेणी का पास दिया जाता है ।

इन पैनल डाक्टरों को उनके अपने परिवार के सदस्यों के लिये पास अधिकारों के अंतरण के लिये अनुरोध पर प्रबन्धक वर्ग द्वारा विचार किया जाता है ।

इस प्रकार के नि शुल्क पास जारी करने की अनुमति अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात संगठन के विनियमों के अधीन दी जाती है । इस प्रकार की पास सुविधायें विशेषज्ञों को दी जाती हैं क्योंकि वे विशेषज्ञ रियायती दर पर एयर इंडिया के कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं ।

शिरडी के लिए वायुदूत सेवा

3858. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिरडी में देश के विभिन्न भागों से तथा साथ ही विदेशों में भी बड़ी संख्या में भक्तगण इस स्थान की यात्रा करने के लिए साल भर आते रहते हैं, शिरडी के लिये विमान सेवा आरंभ किए जाने की बड़ी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शिरडी को वायुदूत सेवा से जोड़ने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब लिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले कुछ समय में सरकार को शिरडी के लिए एक विमान सेवा आरंभ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त नासिक हवाई अड्डा शिरडी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है ।

(ख) और (ग) शिरडी के लिए वायुदूत सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पर्यटन विभाग में उनकी नियुक्ति से पहले कोचिंग प्रशिक्षण देने की विशेष सुविधाएं

3859. **श्री भीखा भाई :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए जारी किए गए लगभग सभी विज्ञापनों में पूर्व अनुभव और होटल प्रबन्ध में डिप्लोमा अथवा डिग्री की मांग की जाती है;

(ख) ये विज्ञापन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकते हैं जिन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पूर्व-कोचिंग पूर्व-प्रशिक्षण के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध करने को है जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के मामले में किया गया है; और

(घ) क्या उन सुविधाओं के अभाव में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पद समाप्त हो जायेंगे और उनके मंत्रालय में उनका कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम में नौकरी के लिए एक डिप्लोमा अथवा पूर्व-अनुभव की जरूरत पद के स्तर और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। निम्न स्तर नीचे के पदों के लिए डिप्लोमा अथवा डिग्री अनिवार्य नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के फायदे के लिए, पब्लिक सेक्टर के होटलों ने कनिष्ठ कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि जैसी स्कीमें प्रारम्भ की हैं।

(ग और (घ) विभिन्न होटल प्रबन्ध और भोजन कला संस्थानों ने होटल और खानपान उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के वास्ते पहले से ही सीटों का आरक्षण कर रखा है। पब्लिक सेक्टर के सभी होटल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, भरने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

बम्बई के पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन

3860. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से पेंशन भोगियों के दो प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रधान मन्त्री को ज्ञापन दिया था, (दिनांक 2 मई, 1984 का हिन्दुस्तान टाइम्स);

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत की गई विभिन्न मांगों पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ये मांगे सैन्य पेंशन भोगियों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी आधारित है;

(घ) क्या सरकार के पास पेंशन अधिनियम, 1971 में उपयुक्त संशोधन करने के प्रस्ताव हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर सभी लाभ देने और महंगे जीवन-यापन को देखते हुए उन्हें उनके अंतिम वेतन का 80 प्रतिशत की दर से पेंशन देने का भी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) बम्बई से अखिल भारतीय पेंशनभोगी संगठन के कुछ सदस्यों ने पेंशन भोगियों की समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को अभी हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस संगठन की मुख्य मांगें पेंशन सम्बन्धी हकदारियों में वृद्धि करने, पेंशन के सारांशीकृत भाग को पुन: बहाल किये जाने, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप रक्षा कर्मचारियों की पेंशन संबंधी हकदारी, 1.1.1964 से पहले सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की विधवाओं को परिवार पेंशन की मंजूरी, परिवार पेंशन की दरों में वृद्धि करने, पेंशन भोगियों के लिए एक केन्द्रीय कल्याण बोर्ड का गठन करने, पेंशन अधिनियम, 1871 में संशोधन किए जाने, आदि से सम्बन्धित हैं। इस संगठन से और पेंशनभोगियों के अन्य संगठनों से भी अतीत में समय-समय पर प्राप्त हुई इसी प्रकार की मांगों की जांच की गई थी और उन्हें उपयुक्त उत्तर भेज दिए गए थे। प्रसंगाधीन संगठन द्वारा उल्लिखित मांगों सहित पेंशन सम्बन्धी हकदारियों में सुधार किए जाने के बारे में समय-समय पर विचार किया जाता है और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, जब भी उचित समझा जाता है उन्हें उदार बनाया जाता है।

(घ) पेंशन अधिनियम, 1871 में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) चतुर्थ वेतन आयोग कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रश्न पर विचार करेगा।

महाराष्ट्र में शिरड़ी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3861. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि शिरड़ी महाराष्ट्र में भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के भक्त भारी संख्या में आते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसका विकास पर्यटन केन्द्र के रूप में करने की आवश्यकता पर भी विचार किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब कोई कार्यवाही करने का है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फिलहाल विभाग का महाराष्ट्र में शिरड़ी के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है। असल में इस दायित्व का निर्वाह राज्य सरकार को ही करना है।

डेस्क अटेंडेंट/आर्डर-टेकर के लिए भर्ती नियम

3862. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1982 में कुछ डेस्क अटेंडेंड/आर्डर-टेकर की भर्ती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए थे और किस वेतनमान में नियुक्त किए गए थे;

(ग) क्या आर्डर टेकर पद का दिसम्बर 1975 में प्रकाशित स्टेंडर्ड लेबर फोर्स बुक में उल्लेख हैं;

(घ) इन पदों के भर्ती नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि कोई भर्ती नियम नहीं है तो अनियमित नियुक्तियों के लिए कौन जिम्मेदार है; और

(च) इन अनियमित नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अगस्त, 1982 में, भारत पर्यटन विकास निगम ने अशोक होटल, नई दिल्ली में स्टेन्डर्ड लेबर फोर्स बुक में की गई व्यवस्था के अनुसार स्टेवार्ड्स के स्वीकृत पदों पर 300-545 रु० के वेतनमान में चार फीमेल आर्डर टेकर्स की नियुक्ति की थी। भारतीय होटल निगम ने सैन्टोर होटल, दिल्ली में 250-460 रु० के वेतनमान में अगस्त, 1982 में 4 रूम सर्विस आर्डर टेकर्स नियुक्त किए थे।

(घ) भर्ती नियमों के अनुसार (आई०टी०डी०सी० में खुले विज्ञापन/रोजगार कार्यालय/अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से पदों को भरा जाता

है। भारतीय होटल निगम में भी रोजगार कार्यालय/खुले विज्ञापन द्वारा पदों पर भर्ती की जाती है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

"चाओस रेम्पेन्ट इन कस्टम्स कनकोर्स" शीर्षक से समाचार

3863. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "चाओस रेम्पेन्ट इन कस्टम्स कानकोर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो "कन्वेयर बेल्ट" के दोषपूर्ण कार्य, वातानुकूलन का अप्रभावी कार्यकरण, हरे और लाल चैनलों, निकासी द्वार पर दलालों/ढुलाई करने वालों/आगंतुकों द्वारा अनावश्यक भीड़भाड़ और ढुलाई करने वालों द्वारा यात्रियों का परेशान किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) दिल्ली विमान पत्तन पर इस समय विद्यमान स्थितियों में सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 29/30 जनवरी, 1984 की रात्रि को खाड़ी के देशों से आने वाली विभिन्न उड़ानों से 2900 से अधिक यात्री उतरे। इनमें से कुछ यात्रियों के पास भारी सामान था। जब कन्वेयर बेल्ट पर बहुत अधिक भारी सामान रखा जाता है और समय पर इसे नहीं हटाया जाता तो इसके फलस्वरूप अस्थाई अव्यवस्था हो जाती है। उक्त रात्रि को कन्वेयरों के काम करने में और खराबी नहीं थी। वातानुकूलन भी सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे किन्तु यात्रियों और आगन्तुकों की अत्यधिक भीड़ के कारण उनके अधिकतम प्रभावी स्तर में कमी आ गई। लीडरों द्वारा परेशान किए जाने की समस्या को कम करने के लिए, यात्रियों के प्रयोग के लिए ऐसी ट्रालियों की व्यवस्था कर दी गई है जो वे स्वयं चला सकते हैं। ठेकेदारों द्वारा नियुक्त दोषी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दलालों की समस्या कानून और व्यवस्था सम्बन्धी प्राधिकारियों के ध्यान में लाई गई है और उन्हें कहा गया है कि वे इसको कारगर ढंग से निपटाएं।

सभी बागान-फसलों पर लगाया गया केन्द्रीय शुल्क और उप-कर

3864. **श्री डी० एस० पुत्ते गौडा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) बागान-फसलों पर वस्तुवार कितना केन्द्रीय शुल्क और उप-कर लगाया गया ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक बागानी फसल पर गत दस वर्षों में लगाये गये निर्यात शुल्क (दर और वसूल की धनराशि) का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 8607-ए/84]।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमेंट की अवैध बिक्री का पता लगाया जाना

3865. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री शिवशरण वर्मा
श्री मंगल राम प्रेमी
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री राम विलास पासवान : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में आयातित सीमेंट की अवैध बिक्री से संबंधित 15 करोड़ रुपए के घोटाले का एक मामला पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के घोटालों को रोकने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के घोटालों में अन्तर्ग्रस्त फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवही की गई है और इन फर्मों के नाम और पते क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) यह आरोप कि 14,99,70,586 रु० के लिए जारी किये गये आयात लाइसेंस के आधार पर राज्य व्यापार निगम सिक्कम द्वारा मै० वाईफील्ड लि०, नई दिल्ली की मार्फत सीमेंट का आयात किया तथा आयात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसे राज्य व्यापार निगम, सिक्कम के पास वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में पंजीकृत पार्टियों के अलावा अन्य पार्टियों को अधिक मूल्य पर बेचा गया, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के अध्यधीन है।

सीमेंट का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की मार्फत सरणीबद्ध है। इसका आयात अब भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा उसके पक्ष में सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा रिलीज करने के आधार पर किया जा सकता है।

चीन को उपकरणों और प्रौद्योगिकी का निर्यात

3866. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच इस समय कितना व्यापार हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने चीन के व्यापक आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रमों विशेष रूप से इलेक्ट्रोनिक्स और संचार के क्षेत्रों में उपकरण और प्रौद्योगिकी का निर्यात कर चीन के साथ अपने देश के व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान इसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान भार तथा चीन जनवादी गणतन्त्र के बीच दो तरफा व्यापार 117.18 करोड़ रुपए का था।

(ख) तथा (ग) भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान सरकार ने चीन के व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम विशेष रूप से इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार के क्षेत्रों में उपस्कर व प्रौद्योगिकी का निर्यात करने के लिए चीन के साथ अपने देश के व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है। द्विपक्षीय व्यापार हित के मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए 12 से 18 अगस्त तक एक उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल चीन के दौरे पर है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा द्विपक्षीय आधार पर चीनी का निर्यात

3867. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने द्विपक्षीय आधार पर चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या उसने श्रीलंका, बंगलादेश और नेपाल जैसे पड़ौसी देशों को पहले ही दो लाख टन चीनी जहाज द्वारा भेज दी है जहां भारत को जहाज भाड़े का लाभ होता है;

(ग) क्या मोरक्कों और पश्चिमी एशियाई देशों जैसे कुवैत और सउदी अरेबिया को भी चीनी का निर्यात किया गया है;

(घ) क्या वर्ष 1984 में निर्यात के लिए किए गए तीन लाख टन के ठेके में से, अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार-गृहों को अब तक केवल एक लाख टन का ही निर्यात किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यात के लिए उपरोक्त तीन लाख टन के अलावा

और अतिरिक्त चीनी की मात्रा जारी नहीं की है, और या तो अधिक निर्यात कर लेने के कारण अथवा चीनी से विदेश से प्राप्त होने वाली चीनी का ऊंची कीमत पर बेचने के लिए अथवा फिर भंडार को पूरा करने के लिए चीनी के आयात का निर्णय किया है; और

(च) क्या राज्य व्यापार निगम को यह विश्वास है कि उसे तीन लाख टन से अधिक चीनी के आयात से लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) फिलहाल चीनी के निर्यात के लिए संविदाकरण निलम्बित कर दिया गया है। विलम्बन से पूर्व, चीनी का निर्यात अन्य के साथ-साथ द्विपक्षीय आधार पर किया जा रहा था।

(ख) 1983-84 में द्विपक्षीय आधार पर 1.55 लाख एम०टी० चीनी का निर्यात किया गया। इसमें से 1.04 लाख एम०टी० का निर्यात श्रीलंका को और 0.15 लाख एम०टी० का निर्यात मालदीव को किया गया। 1984-85 के दौरान 0.70 एम०टी० चीनी का निर्यात द्विपक्षीय आधार पर किया गया जिसमें पड़ौसी देशों को निम्नलिखित मात्राएं शामिल हैं :

देश का नाम	मात्रा लाख एम०टी०
बंगलादेश	0.11
नेपाल	0.08
श्रीलंका	0.24

(ग) 1983-84 के दौरान 0.36 लाख एम०टी० का निर्यात मोरक्को को भी द्विपक्षीय आधार पर किया गया। 1984-85 के दौरान सऊदी अरब को लगभग 0.11 लाख एम०टी० चीनी का निर्यात किया गया।

(घ) कलन्डर वर्ष 1984 के दौरान 3.09 लाख एम०टी० चीनी के कुल निर्यात में से 1.91 लाख एम०टी० का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सदनों की मार्फत किया गया है।

(ङ) तथा (च) घरेलू उपलब्धता और निर्यात योग्य अधिशेष का अनुमान लगाने के बाद 1984 के दौरान 6.5 लाख मे० टन चीनी का निर्यात करने का विनिश्चय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा इस वर्ष के लिए भारत को आवंटित यही कोटा है। इसमें से राज्य व्यापार निगम ने लगभग 3.09 लाख मे० टन के निर्यात के लिए संविदा की थी। तथापि, हाल ही में किये गए पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप पूर्वानुमानित उत्पादन में कमी की संभावना है। इसलिए फिलहाल आगे निर्यात संविदाकरण निलम्बित कर दिया गया है। तथापि, प्रचुर सावधानी के तौर पर मुख्य रूप से मुक्त बिक्री की चीनी में जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए राज्य व्यापार निगम ने 3.5 लाख मे० टन चीनी के आयात के लिए संविदा की है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा

3868. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लगभग 700 करोड़ का कुल लाभ कमाने के बाद वर्ष 1983-84 में उनको घाटा होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो उनको अनुमानत: कितना घाटा हुआ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1983-84 में अनन्तिम अनुमानों के आधार पर केन्द्रीय सरकार उद्यमों ने कुल मिलाकर 32.24 करोड़ रुपए का अनुमानित निवल लाभ कमाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों में होटलों से प्राप्त राजस्व का कुछ भाग त्यागने का प्रस्ताव

3769. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को लिखा है कि वे होटलों से प्राप्त वर्तमान राजस्व में अपने कुछ हिस्से का त्याग करें;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की क्रियान्विति से राज्यों को राजस्व का कितना घाटा होगा;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र के सुझावों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पर्यटन के हित में अपने राज्यों में होटलों की आय पर लगाए गए करों को समाप्त करने की संभावना पर विचार करें। उसी प्रकार केरल सरकार से होटलों पर बार लाइसेंस फीस और भवन-कर घटाने हेतु विचार करने का अनुरोध किया गया है। गुजरात

सरकार से होटलों पर चार्ज किए जाने वाले बिजली-शुल्क की दर को घटाने हेतु विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) यह अनुमान लगाया गया था कि अन्ततोगत्वा राज्यों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इन रियायतों से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी जिसके फल-स्वरूप राजस्व में वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) केवल जम्मू और कश्मीर सरकार ने होटलों की आय पर लगाया गया कर समाप्त कर दिया है। गुजरात सरकार और तमिलनाडु सरकार के लिए इस अनुरोध से सहमत होना संभव नहीं हो पाया है। अन्य राज्य सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। केरल सरकार ने बार-लाइसेंस फीस को घटाने की संभावना पर विचार करने का आश्वासन दिया है। होटलों पर भवन कर घटाने के सम्बन्ध में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। गुजरात सरकार ने होटलों के सम्बन्ध में बिजली शुल्क की दर को कम कर दिया है।

भारत से 'स्क्विड' और 'कटल' मछली का निर्यात

†87. **श्री सुधीर गिरि :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कौन-कौन से देश स्क्विड और 'कटल' मछली का आयात करते हैं;

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान (वर्षवार) इन मछलियों का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस निर्यात से भारत को कितनी राशि की आय हुई; और

(घ) क्या ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि हाल ही में कुछ भारतीय निर्यातकों ने अपने फ्रांसीसी ग्राहकों को घटिया किस्म के समुद्री खाद्य पदार्थों की सप्लाई की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1981-82, 982-83 तथा 1983-84 के दौरान भारत से स्क्विड तथा कटल मछली के निर्यात तथा देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एम०पी०इ०डी०ए० को हाल ही में फ्रांसीसी खरीदार से, उन्हें सप्लाई किए गए समुद्री खाद्य पदार्थ की क्वान्टिटी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है। ऐसी शिकायतों के इस मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद निपटाया जाता है।

विवरण

भारत से स्क्विड तथा कटल के निर्यात

(मात्रा : मा० मे० टन में)
(मूल्य : मू० लाख रु० में)

देश		1981-82	1982-83	1983-84
फ्रांस	मा०	1213	998	1129
	मू०	191.63	98.60	180.2
जापान	मा०	757	1474	910
	मू०	239.9	458.0	220.55
इटली	मा०	—	26	17
	मू०	—	3.90	1.93
ब्राजील	मा०	18	—	337
	मू०	1.13	—	38.51
हांगकांग	मा०	50	55	116
	मू०	5.45	8.16	18.20
नैदरलैंड	मा०	153	382	226
	मू०	10.66	30.89	9.89
स्पेन	मा०	96	114	178
	मू०	18.28	15.69	19.44
अन्य	मा०	919	477	663
	मू०	119.76	212.28	118.37
योग	मा०	3206	3526	3576
	मू०	586.81	827.62	607.09

बमनीजाल, क्योंझर में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी चार्ज क्रोम संयन्त्रों की स्थापना

3872. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी चार्ज क्रोम संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में बमनीपाल में इस प्रकार का चार्ज क्रोम संयंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वार्षिक क्षमता कितनी है और इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू होने की आशा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश में अभी तक दो एकक स्थापित किये गये हैं।

(ख) से (घ) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की योजना के अधीन मैसर्स ओ०एम०सी० एलाइस लि०, उड़ीसा के पास प्रति वर्ष 45,000 मे० टन चार्ज क्रोम बनाने के लिए आशयपत्र हैं। एकक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादन कार्य फरवरी, 1985 में आरम्भ होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाना

3873. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पैदा की जाने वाली लम्बे रेशे की कपास की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है और इसका निर्यात, धीरे-धीरे बढ़ रहा है;

(ख) क्या इस प्रवृत्ति से प्रोत्साहित होकर महाराष्ट्र के किसानों ने लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि दर्शायी है;

(ग) क्या इस किस्म की घरेलू खपत कम है और राज्य सरकार अधिक निर्यात करके किसानों को सहायता करने में असमर्थ है क्योंकि इस किस्म के निर्यात के लिए महाराष्ट्र का निर्यात कोटा नहीं बढ़ाया गया यद्यपि इसके लिए अनुरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को अधिक निर्यात करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उपजाई जाने वाली लम्बे रेशे वाली कपास की विदेशों में अच्छी मांग है।

(ख) कपास के उत्पादन में लम्बे तथा विशेष लम्बे रेशों वाली कपास का अनुपात पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है।

(ग) तथा (घ) हमारी घरेलू आवश्यकताओं से बची हुई कपास की मात्रायें/किस्में विदेशों को निर्यात की जाती है। मौसम के आरम्भ में सरकार ने लम्बे तथा विशेष लम्बे रेशे वाली कपास की दो लाख गांठें निर्यात के किए पहले ही रिलीज कर दी है ? कपास की मौजूदा मांग तथा पूर्ति की स्थिति एवं कीमत के रुख को देखते हुए कपास की अतिरिक्त रिलीज को औचित्य-पूर्ण नहीं समझा गया।

12.02 म० प०

लोक सभा 12 बजकर 2 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा खेद है कि ऐसा हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई बात सुनेंगे ? आप मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन बात तो सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बात सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी प्रकार से लोकतन्त्र चलाना चाहते हैं, तो मैं पुनः सभा को एक घन्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

12.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 1 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

1.08 म० प०

लोक सभा 1 बजकर 8 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमन्, मैं केवल एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा । आन्ध्र प्रदेश की स्थिति के बारे में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

को निदेश दें कि वे इस बारे में वक्तव्य दें ताकि सभी को स्थिति के बारे में सही जानकारी हो सके, सरकार को वक्तव्य दिये जाने के बारे में अवश्य निदेश दिया जाना चाहिए। सरकार की इस सभा के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति यह जिम्मेदारी है वे कि वे पूरे तथ्यों की जानकारी दे। मुझे आशा है कि आप सरकार को ऐसा निदेश देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां।

श्री जी० एम० बनातवाला : पहले आप हां या नहीं में उत्तर दें तब मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं निदेश नहीं दे सकता। आपको विचारों को पहले ही उन तक पहुंचा दिया गया है।

श्री खुर्शीद आलम खां।

1.08½ म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वायु निगम अधिनियम, 1953 के अधीन अधिसूचना

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं अपने सहयोगी श्री खुर्शीद आलम खां की ओर से वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या ए० वी० 18012/1/84-ए० सी० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 दिसम्बर, 1983 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंडियन एयरलाइन्स टिकट के रद्द किये जाना तथा प्रतिदाय विनियम 1980 में कतिपय संशोधन किया गया है, जो 30 अगस्त, 1980 को अधिसूचना संख्या जी० एम० 35 (424)/80 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण नया-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8388/84]

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन्हें पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : अपने सहयोगी श्री निहार रंजन लास्कर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1656 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8589/84]

सीमा शुल्क, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनर्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 597 (अ), जो 8 अगस्त 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117/78 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि निर्यात हेतु उत्पादन के अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर सीमा शुल्क की अदायगी के बिना अपरिष्कृत नेफ्थालीन के आयात को अनुमति देने के लिए "अपरिष्कृत नेफ्थालीन" को शामिल किया जा सके ।

(दो) सा० का० नि० 605 (अ) और 606 (अ), जो 10 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रद्दी कागज की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों को उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उग्रसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8590/84]

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि० बम्बई के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1982-83 के लेखापरीक्षित लेखाओं के शुद्धि-पत्र

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

1. (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8591/84]

2. निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1982-83 के *लेखा-परीक्षित लेखाओं के पुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8592/84]

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : श्रीमन् मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 अगस्त 1984 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 अगस्त, 1984 को पारित किये गये भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

1.09½ म० प०

लोक लेखा समिति

219 वां प्रतिवेदन

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : मैं, जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के बारे में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 35 के बारे में लोक-लेखा समिति का 219 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

नवां प्रतिवेदन

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में अपराधों, सशस्त्र डकैतियों और हत्याओं की घटनाओं में हो रही वृद्धि के समाचार और राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मैं गृह मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में अपराधों, सशस्त्र डकैतियों और हत्याओं की घटनाओं में हो रही वृद्धि के समाचार और राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा किए गये गए उपाय ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : महोदय, 1980 के बाद दिल्ली में कुल मिलाकर अपराधों में कमी आई है । हालांकि हत्याओं में कुछ वृद्धि हुई है, तथापि डकैती, सेंधमारी, जंजीर छीनने आदि जैसे कुछ अन्य श्रेणी के अपराधों की सूचित की गई घटनाओं की संख्या में वर्ष के दौरान गिरावट आई है । हत्या तथा हत्या के प्रयास की श्रेणी के मामलों में जहां उद्देश्य सामान्य रूप से व्यक्तिगत हैं और जहां पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्रवाई अधिक लाभप्रद नहीं होती है उनमें सूचित किए गए मामलों की संख्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रायः सामान्य रही है । 1980 के बाद से दंगा फिसाद के मामलों में कमी दिखाई देती है । मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली में साम्प्रदायिक और श्रमिक स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में रही हैं । इस तथ्य के होते हुए भी कि दिल्ली के निकट पंजाब में, जहां लोक व्यवस्था की स्थिति कुछ समय से खराब रही है, दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में प्रशसनीय भूमिका अदा की है ।

2. वर्ष 1982 और 1983 सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के लिए परीक्षण के वर्ष रहे हैं क्योंकि इन वर्षों के दौरान काफी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई । दिल्ली पुलिस के लिए यह श्रेय की बात है कि ये घटनाएं शांतिपूर्वक पूरी हुई ।

3. हाल के महीनों में दिल्ली पुलिस ने अनेक मुख्य अपराध मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाया है । सुनील त्यागी का गिरोह, जो लूटपाट के 8 मामलों में अन्तर्ग्रस्त था और बलविन्दर सिंह का गिरोह, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में डकैती के 21 मामलों में अन्तर्ग्रस्त था, को पकड़ा गया । राजस्थान रोड़वेज बस के अपहरणकर्ताओं को पालम के निकट गिरफ्तार किया गया । पंजाब का एक उग्रवादी सुखदेव सिंह, जो लूटपाट के एक मामले में तथा करौलबाग के जौहरी की दुकान की लूटपाट में अन्तर्ग्रस्त था, को भी गिरफ्तार किया गया । 8 उग्रवादियों की गिरफ्तारी से पिछले तीन

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्य]

सालों में दिल्ली में हुए अनेक बम विस्फोटों के बारे में सुराग मिले हैं। 30 लाख से अधिक मूल्य के नगदी/सम्पत्ति के लूटपाट/डकैती के तीन बड़े मामलों को भी सुलझा लिया गया है। रोहतक रोड पर एक बड़ी बैंक रोबरी को रोका गया जिसकी कार्रवाई के दौरान एक पुलिस अधिकारी की जान गई।

4. दिल्ली पुलिस ने ज्ञात अपराधियों पर निगरानी को बढ़ा दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम समेत कानून के विभिन्न उपबन्धों के अधीन कार्रवाई करके और आसूचना एकत्र करने के लिए पड़ौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर-जिला बैठकें आयोजित करके तथा संघ शासित की सीमा से पार के अपराधियों की लूटपाट को रोकने के लिए भी कार्रवाई कर रही है। जन-शक्ति और उपकरणों के सम्बन्ध में पुलिस की आवश्यकताओं की भी निरन्तर समीक्षा की जा रही है। दिल्ली पुलिस की कुशलता में सुधार करने के लिए समय-समय पर कर्मचारियों और उपकरणों के रूप में वृद्धि की जाती है।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रशंसक हूं लेकिन आज विरोधी दल के लोग यहां मौजूद नहीं है इसलिए थोड़ी आलोचना दिल्ली पुलिस की करनी पड़ेगी। इसमें कोई दो रायें नहीं है कि दिल्ली पुलिस को हमेशा चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है और दिल्ली पुलिस के लोग हमेशा मानसिक तनाव में काम करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर कानून और व्यवस्था की बहुत सी समस्याओं समय-समय पर उभर कर सामने आ जाया करती हैं। दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि पिछले चार वर्षों में इसने बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेन्सेज-नानएलाइन्ड कांफ्रेन्स, कामनवेल्थ कन्ट्रीज के हेड्स आफ दि कन्ट्रीज की कांफ्रेन्स तथा एशियाई खेलों में बहुत सी सराहनीय भूमिका अदा की थी। उसी प्रकार से आज भी यह सिलसिला जारी है। पंजाब के आतंकवादियों का खास निशाना दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली की पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि दिल्ली की पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र दिल्ली को नहीं बनने दिया। लेकिन इन सबके साथ-साथ, अध्यक्ष जी, कभी-कभी ऐसी शिकायतें आ जाती हैं जो दिल्ली पुलिस को बदनाम करती हैं। मैं दो खबरों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक घटना बलात्कार की है—बलात्कारी थानेदार का गधे पर जुलूस निकालने की मांग। यह खबर जनसत्ता में निकली है। इसमें नौ अगस्त की रात को यह शर्मनाक घटना नंदनगरी पुलिस चौकी पर हुई है। एकाध और बलात्कारी की घटना के समाचार भी आए हैं। दूसरी घटना है—बिना वजह सात दिन तक पीटा। करोलबाग पुलिस ने हत्या के शक में एक ऐसे आदमी को पकड़ कर सात दिन तक जम कर पीटा जो मृतक का नाम तक नहीं जानता था। इस प्रकार की घटनायें दिल्ली पुलिस के कार्याकलापों में एक धब्बा लगाती हैं। इसको भी रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मन्त्री जी से विशेष रूप से इन दो घटनाओं के बारे में जिनका मैंने उल्लेख किया है, जानना चाहता हूं ? ये घटनायें जरूर समाचार पत्रों के माध्यम से या जनता की शिकायतों के माध्यम से उनके पास आई होंगी। उसमें उन्होंने क्या कार्यवाही की है और इसको उन्होंने कैसे तय किया है—यह मैं जानना चाहता हूं ?

दूसरी बात यह कही गई कि पुलिस को साज-सामान और दूसरे सामानों से इक्विप किया

जा रहा है। तो पुलिस उसमें क्या कर रही है ? पुलिस कर्मियों के लिए मकान की व्यवस्था करने में और ज्यादा पुलिस के आदमी रखने के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस को जो सम्मान दिया जाना चाहिए वह दिया है। उन्हें चुनोती भरी परिस्थितियों में कार्य करना होता है। दिल्ली की निकटता और इसकी जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण, काफी संख्या में लोग दिल्ली में कार्य करने आते हैं। विभिन्न बाधाओं के बावजूद, वे सम्मानपूर्वक कार्य कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने 14-8-84 के इंडियन एक्सप्रैस समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में छपी एक घटना का जिक्र किया है। समाचार-पत्र के अनुसार, विल्सन नामक एक व्यक्ति को कथित रूप से एक सप्ताह तक कैद में रखा गया और सुल्तानपुरी पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा उसे यातना दी गई और, चोटों के परिणामस्वरूप वह मर गया। पुलिस के अनुसार, यह सही तथ्यात्मक स्थिति नहीं है और उनके द्वारा अब तक की गई जांच के अनुसार पता चलता है कि विल्सन को विभिन्न सरकारी विभागों में हुई चोरियो के बारे पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया था। पुलिस रिकार्ड के अनुसार विल्सन के पास से पहले भी चोरी का माल मिला था और वह छोटी-मोटी चोरियों से सम्बन्धित था। 9.8.84 को विल्सन को पुलिस थाने में बुलाया गया और उसने वादा किया था कि वह पुलिस द्वारा चोरियों से सम्बन्धित इकट्ठी की गई आसूचनाओं की शिनाख्त करके पुलिस के इस बारे में रिपोर्ट देगा। ऐसा कहा जाता है कि 10-8-84 को दवा लेने के लिए वह स्थानीय डाक्टर के पास गया और उसके बाद वह स्थानीय पूछ-ताछ के बाद उसे जो जानकारी मिली थी उसकी रिपोर्ट देने पुलिस थाने गया। पुलिस ने विल्सन को गिरफ्तार नहीं किया था लेकिन उसे कहा गया था कि भविष्य में किसी तरह की जांच के लिए वह उपलब्ध रहे। 11-8-84 को, पुलिस को अनुसार, विल्सन ने अपने सहयोगियों को अपने ठीक न होने के बारे में कहा और डाक्टर द्वारा सुझाया गया टीका लगवाया। तथापि विल्सन के सहयोगियों ने उसे बाड़ा हिन्दू राव अस्पताल में दाखिल करवा दिया। जांच-पड़ताल के लिए उसे दाखिल कर लिया गया और समय रहते डाक्टरों को उसके कम हो रहे रक्तचाप की जानकारी नहीं हो सकी। इसके पश्चात् इसे कृत्रिम श्वांस दी गई थी किन्तु उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की जानकारी के अनुसार विल्सन (दमा) का पुराना मरीज था। 16-8-84 को (कल) प्राप्त हुई अन्तरिम शव-परीक्षा—रिपोर्ट के अनुसार उसे कोई आन्तरिक अथवा बाह्य चोट नहीं लगी थी। वह पुलिस की मार से नहीं मरा।

आवास की समस्या के बारे में अंगर अलम से प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : कथित बलात्कार के मामलों में क्या किया है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : हम इसकी जांच करेंगे। इसकी जानकारी मेरे पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है। मुझे सिर्फ श्रीमती ऊषा, सुल्तानपुरी के श्री प्रेम चन्द की पत्नी के मामले के बारे में जानकारी मिली है। इस बारे में दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने जांच-पड़ताल के आदेश दे दिये हैं।

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

जहां तक बलात्कार के मामलों का सम्बन्ध है। इसके लिये एक अलग विभाग है जिसे सुदृढ़ कर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में संशोधन कर दिये गये हैं। नियमों को और अधिक कड़ा बना दिया गया है, ताकि जो भी व्यक्ति अपराध करे, उसे समुचित सजा दी जाये।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली में अपराधों, डकैतियों और हत्याओं की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत मत कीजिए बल्कि प्रश्न पूछिये।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं प्रश्न ही पूछूंगा। पहली मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जवाब में स्पष्ट किया गया है कि हत्याओं में वृद्धि हुई है परन्तु दूसरे जो क्राइम्स हैं, उनमें वृद्धि नहीं हुई है, तो 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के आंकड़े आप प्रस्तुत करें और आंकड़े प्रस्तुत करके हमें बतलाएं कि किस प्रकार इन जुर्मों में वृद्धि हुई है या नहीं, जिससे हमें स्थिति का अच्छी तरह से पता पड़ जाए।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भी अपराध किये गये, उनमें कितने केसेज में चालान प्रस्तुत किये गए और चालान प्रस्तुत करने पर कितने केसेज में कंविक्शन हुआ और कितने केसेज में एक्वीटल हुआ और कितने केसेज में रिकवरी हुई। आम तौर पर यह देखा जाता है कि डकैतियों के केसेज में, रोबरीज के केसेज में, थेफ्ट के केसेज में रिकवरी के मामले में हमारी पुलिस निष्क्रिय रहती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि रिकवरी का जो परसेन्टेज है 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में, किस प्रकार का रिकवरी का परन्टेज है। क्या उसमें वृद्धि हुई है या घटोतरी हुई है।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आज के आधुनिक समय में जो ट्रेनिंग फैसीलिटीज हैं, ट्रान्सपोर्ट इक्युपमेंट्स, वेलफेयर स्कीम्स जैसे कंस्ट्रक्शन आफ क्वार्टर्स, बैरक एकोमोडेशन फोर नान-गजेटेड पुलिस परसोनेल और वायरलैस इक्युपमेंट्स, इन सबकी व्यवस्था करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ? इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य ने प्रश्नों की एक लम्बी सूची दे दी है जो कि सही रूप में इससे सम्बद्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

1.25 म० प०

दक्षिण-पूर्व रेल के जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन सेक्शन पर चारेगांव तथा समनपुर स्टेशनों के बीच 4 जी० जे० जबलपुर-गोंदिया यात्री गाड़ी को 16 अगस्त, 1984 को हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी की ओर से 16-8-1984 को

दक्षिण-पूर्व रेल के जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन सेक्शन पर चारे गांव तथा समनपुर स्टेशनों के बीच 4 जी०जे० जबलपुर-गोंदिया यात्री गाड़ी की 16 अगस्त, 1984 को हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

प्राकृतिक विपदा के कारण हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में सभा को यह सूचना देते हुए मुझे खेद हो रहा है।

दक्षिण-पूर्व रेल के जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन सेक्शन पर चारेगांव तथा समनपुर स्टेशनों के बीच अचानक अभूतपूर्व वर्षा होने की वजह से 6 फुट चौड़ी छोटी पुलिया के साथ वाला बांध अचानक बाढ़ आने से टूट गया।

10 डिब्बों वाली 4 जी० जे० जबलपुर-गोंदिया यात्री गाड़ी और एक अन्य गाड़ी जो कि इसी सेक्शन पर थीं, पटरी से उतर गयी और दरार वाली जगह पर गाड़ी के पांच डिब्बे उलट गये जबकि गाड़ी का इंजन पटरी पर था।

दक्षिण-पूर्व रेलवे ने बताया है कि इस क्षेत्र में पहले कभी बाढ़ से हानि नहीं हुई अतः इस क्षेत्र में बाढ़ सम्बन्धी विशेष कार्यवाही करने के लिए कभी कोई अवसर रेलवे के समक्ष उत्पन्न नहीं हुआ।

दुर्भाग्यवश, इस दुर्घटना में 61 व्यक्तियों की जानें गईं, दो व्यक्तियों को बहुत गहरी चोटें आईं जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, 54 यात्रियों को गहरी चोटें आईं तथा 47 यात्रियों को मामूली हल्की चोटें आईं।

जो डिब्बे उलट गये थे वे सभी पानी के अन्दर थे, परन्तु सौभाग्यवश जब बरसात रुकी और पानी उतर गया, तो रेलवे कर्मचारियों तथा नागरिक अधिकारियों ने फंसे हुए शवों को निकालने के लिए अत्यधिक खोज की। हमें पता लगा कि वहां पर 59 लाशें पाई गईं। बचाव कार्यों के पश्चात हमने एक-एक करके डिब्बों को उठाने का कार्य शुरू किया तथा सहायता गाड़ी को यहां तक लाने तथा डिब्बों को उठाने का कार्य शीघ्र करने के लिए अन्य उपकरणों को लाने हेतु पटरी की मरम्मत करने का भी कार्य शुरू किया। अगर अब पानी बरसता, तो डिब्बों को उठाने का कार्य पूरा हो गया होता। मृतकों की खोज के सम्बन्ध में, यह कहा जा सकता है कि यह कार्य पूरा किया जा चुका है और यह कहना कि पानी के बहाव में कुछ शव बह गये हैं यह निराधार है क्योंकि सिविल अधिकारियों के साथ खोज की गई थी। नाला बहुत ही छोटा था और एकदम पानी आ जाने से इसमें बाढ़ आ गई है और जब पानी बरसना बन्द हुआ तो शीघ्र ही पानी उतर गया।

रेलवे अधिकारी कहते हैं कि यह दुर्घटना प्राकृतिक विपदा के कारण हुई जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।

सुरक्षा अधिकारी अन्तिम रूप से निर्णय देंगे कि क्या इस दुर्घटना में रेल अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई थी। रेल मंत्री द्वारा अपनाई जा रही परिपाटी को ध्यान में रखकर रेल सुरक्षा आयुक्त का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। अगर यह प्राकृतिक विपदा है जैसाकि रेलवे अधिकारी कहते हैं तो जिन लोगों की जानें गईं हमें उनके लिए खेद है परन्तु इस समय किसी

[श्री मल्लिकार्जुन]

को भी जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। फिर भी, रेल मंत्री ने रेलवे अधिकारियों को इस लाइन पर किसी भी गाड़ी को न चलाने के निर्देश दिए हैं जब तक कि मौसम साफ न हो जाये। किसी भी प्रकार का खतरा लेने से कोई फायदा नहीं है।

सामान्यतः मौसम विभाग के अनुसार अगर भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जाता है तो सावधानी बरतने वाले उपाय किये जाते हैं और सभी सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं। यहां इस मामले में मुझे मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर रुक-रुककर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई थी परन्तु इस विशेष स्थान में बाढ़ से प्रभावित होने की कभी आशंका नहीं की गई और जहां तक सबको मालूम है वहां कोई बांध आदि भी नहीं टूटा इसलिए रेलवे अधिकारियों ने गाड़ियां चलाना सुरक्षित समझा। विस्तृत जांच कराने का कार्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त का है कि क्या यह पुलिया असुरक्षित स्थिति में भी और रेलवे ने इसकी पहले से मरम्मत कराने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। इस घटना में लापरवाही के लिये कार्यवाही की जायेगी और किसी को भी माफ नहीं किया जायेगा।

दुर्घटना की खबर मिलने के तुरन्त बाद ही रेलवे मंत्री ने रेलवे बोर्ड के निदेशक (सिविल इन्जीनियरों के साथ सदस्य (ट्रेफिक) रेलवे बोर्ड को उस स्थान पर भेजा और इसके पश्चात् रेलवे मंत्री स्वयं भी अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा सदस्य, इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड के साथ उस स्थान को देखने के लिए गए।

1.29 म० प०

विधेयक

(एक) संविधान (50 वां संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री जी० वी० नरसिंह राव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रो० अजित कुमार मेहता, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती, श्री जगपाल सिंह कश्यप, श्री सुधीर गिरि, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री सुनील मैत्रा; प्रो० मधु दंडवते और श्री चित्त बसु यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः विधेयक के पुरः स्थापन का विरोध करने के लिये कोई भी नहीं है।

प्रश्न यह है:—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय; मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

1.30 म० प०

(दो) संविधान (51 वां संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पुरःस्थापन के समय विरोध करने के लिये कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री जयपाल सिंह कश्यप अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं

———

1. 30½ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं। श्री दिगम्बर सिंह उपस्थित नहीं। श्री जीतेन्द्र प्रसाद—उपस्थित नहीं। श्रीमती माधुरी सिंह—उपस्थित नहीं।

अब प्रो० कुरियन।

(एक) उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु काली मिर्च तथा मसाला बोर्ड गठित करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : काली मिर्च एक महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। परन्तु कई सालों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मसालों के निर्यात से जो हमें 150 करोड़ रुपये की कुल आमदनी होती है, उसमें से 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपये की आमदनी केवल काली मिर्चों के निर्यात से होती है। देश में काली मिर्च की पैदावार केवल 250 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर है, जबकि मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि देशों में यह 2000 से 4000 कि० ग्रा० के बीच है। काली मिर्च की पैदावार में वृद्धि न होने का मुख्य

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

कारण यह है कि मसालों के विकास के संबंध में एक सुगठित नीति नहीं थी। केरल में जहां कुल क्षेत्र के 97% भाग में काली मिर्च की खेती की जाती है। कुछ विकास कार्यक्रम तैयार और लागू किये गए थे। परन्तु इसका परिणाम कुछ भी संतोषजनक नहीं निकला।

1.31 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

इस स्थिति का एक कारण अनुसंधान की कमी है काली मिर्च की फसल को बीमारियां लगा जाती हैं। परन्तु एक भी कारण का पता नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार पैदावार की वृद्धि और इसकी खेती की लागत को कम करने के लिए अधिक पैदावार देने वाली किस्मों तथा कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना है। काली मिर्च तथा अन्य मसालों की पैदावार करने वाले किसान असंगठित है। इसलिए बिचौलियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप प्राय: उन्हें अपनी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है।

यदि मसालों की देखभाल करने के लिए बोर्ड के रूप में एक केन्द्रीय संगठन स्थापित हो जाए तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि काली मिर्च तथा मसाला बोर्ड स्थापित किया जाए ताकि इनकी खेती करने वालों और साथ में देश के हितों की रक्षा की जा सके।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त पेंशन में समानता किए जाने का प्रश्न लम्बे समय से शासन के सम्मुख लम्बित है। इस बात को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में पर्याप्त असंतोष व्याप्त है। शासन को अतिशीघ्र भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त पेंशन में समानता लानी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वासित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं परन्तु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिकों को इसका अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सेना से सेवा निवृत्त (रिटायर्ड) होकर ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवान नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास निदेशालय द्वारा भी अपेक्षित मार्ग-दर्शन व सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास राज्य का दायित्व है। स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 75 हजार भूतपूर्व सैनिक किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। युद्ध कर्तव्य पालन में शहीदों की विधवाओं एवं आश्रितों को भी अपेक्षित सहायता प्राप्त नहीं हो पाई है। अत: मेरा आग्रह है कि :

1. उत्तर प्रदेश के तराई भावर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों बसाने के लिए व्यापक कार्यवाही की जाए।

2. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न राजकीय सेवाओं में स्थान आरक्षित कर उन्हें इन स्थानों पर कोटा पद्धति से नियुक्त किया जाए।

3. राज्य सैनिक कल्याण परिषदों को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एन० जटिया—उपस्थित नहीं। श्री के० ए० राजन—उपस्थित नहीं। श्री हरीश कुमार गंगवार—उपस्थित नहीं। श्री हन्नान मोल्लाह—उपस्थित नहीं। अब श्री चितंमणि जैना।

(तीन) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफ़ोन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री चितामणि जैना (बालासोर) : पूर्वी राज्यों में शायद ही कोई इलैक्ट्रानिक उद्योग है। संघ सरकार ने, इलैक्ट्रानिक उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इलैक्ट्रानिक उद्योगों को स्थापित करने के मामले में उड़ीसा राज्य पीछे है। यदि उड़ीसा में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित हो जाए तो इस क्षेत्रीय असंतुलन को कुछ हद तक समाप्त किया जा सकता है।

भुवनेश्वर का वातावरण भूमि, विशेष रूप से वहां की खुली और ताजी हवा टेलीफोन उद्योग सहित किसी भी इलैक्ट्रानिक उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। चूंकि उद्योगों के सम्बन्ध में उड़ीसा तक पिछड़ा हुआ राज्य है, इसलिए, भुवनेश्वर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने से उस राज्य को उद्योगों के मामले में प्रगति दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इससे चन्दका औद्योगिक सम्पदा सहित आसपास के स्थानों में भी गौण उद्योगों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

उड़ीसा में भुनेश्वर में, एक टेलीफोन उद्योग को स्थापित करने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से भारत सरकार के पास बकाया पड़ा है। इस सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए, दो वर्ष पूर्व एक विशेषज्ञ समिति ने भुवनेश्वर सहित सारे राज्य का दौरा किया था। और उस समिति ने इसके पक्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उड़ीसा राज्य सरकार टेलीफोन उद्योग के लिए भूमि देने के लिए तैयार है और वह भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग लगाने के लिए संघ सरकार से अनुरोध कर रही है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मैं सरकार से भुवनेश्वर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत जोरदार अनुरोध करना चाहूंगा।

1.35 म०प०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 26 वें और 27वें प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के पहले और दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : अब हम श्रीमती रामदुलारी सिन्हा द्वारा 14 अगस्त, 1984 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

[श्री आर० एस० स्पैरो]

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 1978-79 और 1979-81 की अवधियों से सम्बधित क्रमशः 26वें और 27वें प्रतिवेदनों, जो क्रमशः 22 दिसम्बर, 1980 और 11 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखे गये थे तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के जुलाई 1978 से मार्च, 1979 तक और अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 तक की अवधियों से सम्बन्धित क्रमशः पहले और दूसरे प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 22 दिसम्बर, 1980 और 11 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, पिछले दिन मैं इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कह रहा था कि हमारे देश में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन देना निर्धारित किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, उसमें अभी बैकलोग रहता है। उसके कारणों में यदि हम जाएं, तो कमीशन की रिपोर्ट में चौथा फंक्शन यह लिखा हुआ है कि जहां भी वह कमीशन जाए, शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के सिलसिले में, वहां फाइल और आवश्यक कागजात मंगवा सकता है। लेकिन दुख की बात है कि हमने कमीशन को वह पावर नहीं दे रखी हैं। जिसके परिणामस्वरूप वह कोई रिकार्ड नहीं मंगवा सकता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कमीशन को वे अधिकार मिलने चाहिएं ताकि हर राज्य और सैन्टर में जितना बैकलोग शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड क्लासेज का रहता है, उसको पूरा किया जा सके।

इतना ही नहीं, मान्यवर, हमारी शैड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स की जो लिस्ट 1967 से बनी हुई है, उसमें कुछ एनोमैलीज रहती हैं, उनको दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। वैसे तो विभिन्न राज्य सरकारों से तमाम सूचियां मंगवाई गई हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने अभी तक उनको नहीं भेजा है। चूंकि काफी समय ऐसे ही व्यतीत हो गया है इसलिए मैं मांग करता हूं कि तमाम लिस्ट पर नये सिरे से विचार किया जाए। इस सैशन में यदि हम न कर सकें तो हमें अगले सत्र के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए।

हमारे जनपद में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड ट्राइब्स में ही रखा गया है, लेकिन कुछ जातियां मध्य प्रदेश में ऐसी हैं, जैसे बिहार जाति है, मल्लाह है, दिल्ली में उनको शैड्यूल्ड कास्ट्स में माना जाता है, लेकिन हमारे यहां वे सारे छूट गए हैं। मैं उसको रैशनेलाइज करने की मांग करता हूं। सारी सूची को जल्दी से जल्दी संशोधित किया जाए जिससे देश में वे तमाम लोग, जो आजादी के 37 सालों के बाद भी, रिजर्वेशन के बावजूद, इकानामिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वे भी समाज के साथ आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, जहां तक ट्राइबल एरियाज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में यदि आप जाईये, सारे एरिया में वहां सरकार के कहने के बावजूद अभी तक सुधार नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे फौरैस्ट कन्जर्वेशन एक्ट में किसी न किसी रूप में संशोधन होना चाहिए ताकि कुछ एरियाज को ट्राइबल एरियाज घोषित किया जा सके। कई राज्यों में ऐसे एरियाज हैं, जैसे उत्तर

प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार और उड़ीसा हैं, और भी कई एरियाज जंगलों वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आज निर्माण के कार्य ठप्प हैं। हम वहां सड़कें नहीं बना सकते, सिंचाई के साधन मुहैया नहीं कर सकते। क्योंकि वहां ऐसे कठिन नार्म्स रखे गए हैं, उसके कारण कोई काम नहीं हो सकता। वहां के लिए परमीशन मिलनी मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि फौरैस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 में फिर से सुधार पर विचार किया जाए। उसका कारण यह है कि जहां तक भूमि सुधार का प्रश्न है, हमारे हरिजन आदिवासी जो कई पुश्तों से वहां खेती करते आये हैं, आबाद हैं, उनके मकान वहां हैं, घर हैं, फौरैस्ट डिपार्टमैंट कहता है कि वह हमारी जमीन है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि ट्राइबल एरियाज में उन लोगों को जमीन पर जो राइट्स या कन्सेशन मिले हुए थे, आज उनको वंचित किया जा रहा है और वे अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों के राज में भी जो अधिकार उनको मिले हुए थे, यदि आज उनको बन्द किया जाता है तो उनमें असन्तोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। वे तमाम राइट्स और अधिकार तथा कन्सेशन्स उनको फिर से मिलने चाहिए।

इसके अलावा, जैसा मैंने पिछले रोज भी कहा था, राज्यों को कुछ संसाधन हम केन्द्र से दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनका उपयोग नहीं कर रही हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले दिनों अपने क्षेत्र के लिए मैं दो करोड़ 70 लाख रुपये लेकर गया, लेकिन मैंने देखा कि उनका उपयोग जिला स्तर पर नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि धनराशि का उपयोग करने के लिए मशीनरी तैयार नहीं हैं। यदि कहीं उपलब्ध भी हैं तो उन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। इसलिए अब आ गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों को हम केन्द्र से जो धनराशि आवंटित करते हैं, उनको खर्च पर भी हमें नियंत्रण रखना होगा। और जो, सरकारे इसको खर्च नहीं करती हैं उनकी सेंसर करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो और भी कठोर कदम उठा कर शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हितों का कार्य न करने वाली सरकारों को डिसमिस भी करना पड़े तो करना चाहिये। आपने देखा विरोधी दल ने इस महत्वपूर्ण विषय पर भाग नहीं लिया और गवर्नर के कंडक्ट को डिस्कस करना चाहते थे जो कि नहीं कर सकते है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की चर्चा होनी चाहिए, ठीक है सरकार ने सरकारिया आयोग बना दिया है, लेकिन हमें विचार करना चाहिये कि ऐसा कब तक चलता रहेगा।

जब 1977 में विरोधी दल जनता को भ्रमित करके सत्ता में आ गया था तो एक क्षण में नहीं लगा गैर-कानूनी ढंग से देश के 9 राज्यों में उन सरकारों को समाप्त कर दिया था जहां दो तिहाई तक बहुमत था। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान का जन-मानस, जो 1977 में एक बार भ्रमित हो गया है वह अब नहीं होने वाला है क्योंकि उन्हें पता है कि लोकतंत्र की कितनी इज्जत विरोधी दल के लोग करते हैं।

क्या यह सही बात नहीं है कि 1947 के बाद हरिजनों और आदिवासियों की दशा में सुधार हुआ है? आवश्यकता है मौलिक बातों की। आज आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की आवश्यकता है जहां हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों को उचित शिक्षा दी जा सके। ऐसे विद्यालय अधिक से अधिक खोलने के लिये ट्राइबल एरियाज में मौका दें, क्योंकि वह अपने खर्च से

श्री राम प्यारे पनिका

बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। साथ ही ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायें जिस प्रकार अखिल भारतीय नौकरियों के लिये हैं वैसे ही अन्य कैटेगरीज के लिये भी ट्रैनिंग दी जा सके। आज हमारे बच्चे आई० ए० एस० में आ सकते हैं, क्या वजह है कि हमारे बच्चे क्लास 3 और 4 में नहीं आ सकते ? आज ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश लगाना होगा और कोई न कोई दंड की व्यवस्था करें जिससे हमारी जगह पूरी हो जायें।

यहां पर मंडल आयोग की भी बात होती है। मैं मौलिक बातों का समर्थन करता हूं। लेकिन जिन बुनियादी बातों के सम्बन्ध में उन्होंने रिपोर्ट दी, विभिन्न राज्यों ने भी कई कदम उठाये हैं उन सब चीजों को चलते रहना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 340, 341, 342 में स्पष्ट व्यवस्था है कि बैकवर्ड उसको माना है जो ऐजूकेशनली बैकवर्ड हो, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो और शैड्यूल्ड कास्ट उसको माना है अनटचएबिलिटी से सफर करते थे और ट्राइबल उनको माना है जो देश के दूर दराज इलाकों में रहते हैं। तो जब तक सारे ट्राइबल एरियाज के लोगों को राष्ट्रीय धारा में नहीं ला पायेंगे तब तक हमें उनके लिये व्यवस्था करनी होगी। संविधान में समता का अधिकार दिया है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक उसको उस समता को प्राप्त करने का जो साधन है वह नहीं मिल जाता। हम रिजर्वेशन अन्नतकाल तक नहीं ले जाना चाहते। एक लड़का पब्लिक स्कूल में पढे और एक बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ कर बी० ए० करे तो आई० ए० एस० में वह गांव वाला बच्चा पाब्लिक स्कूल में पढ़े बच्चों का मुकाबला कैसे कर सकता है ? इसलिये शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है वह नहीं हो रहा है।.....

इसलिये मैं मांग करता हूं कि ऐसे इलाकों के लड़कों के लिये आप पब्लिक स्कूलों में व्यवस्था करें ताकि ऐसी जमात के लोगों को स्थान मिल सके और वह आगे आ सकें। वहां जो स्कालरशिप मिलती हैं, यहां से जो रुपया जाता है, वह पैसा प्रदेश सरकार समय से छात्रों को नहीं दे पाती है, यदि देती भी है तो इम्तहान जब समाप्त हो जाता है, तब देती है। इसकी ठीक व्यवस्था होनी चाहिये।

कल यहां महगाई का मामला डिस्कस हो रहा था। महगाई बढ़ी है, यह हमारी सरकार ने स्वीकार किया है। स्कलरशिप के रेट कब के तय हुये हैं, ये बहुत पहले के हैं, में चाहता हूं कि शिड्यल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लड़कों की स्कालरशिप में बढ़ोत्तरी की जाये।

यह बड़ी विडम्बना है कि जितने आदिवासी और बैकवर्ड इलाके हैं, आपको याद होगा कि पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने 6 प्रकार के एरियाज को पिछड़ा माना था। एक था डैजर्ट पहाड़ी, दूसरा सर्वदा सूखे-बाढ़ से प्रभावित इलाका, तीसरे समुद्र तटीय मैदान, जो तूफान से आये दिन प्रभावित होते हैं और ट्राइबल एरिया आदि। अगर आप देखें तो इन्हीं इलाकों में हमारे हरिजन आदिवासी तबके के लोग रहते हैं। उनके लिये छठी पंचवर्षीय योजना में तो कुछ व्यवस्था की गई थी, लेकिन मैंने एप्रोच पेपर देखा है, सातवीं योजना में किसी धनराशि की व्यवस्था इनके लिये नहीं की गई है।

यह ठीक है कि 8वें फाइनेन्स कमीशन ने इसके लिये कुछ रुपया देने की बात कही है

लेकिन जिस प्रकार का बैकवर्डनेस हमारे प्लानिंग कमीशन ने आइडिएन्टीफाई किया था, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं गृहमन्त्री से चाहता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में हमारी 7वीं योजना जो कि 18 खरब रुपये की बनाने जा रहे हैं, उसमें उनके अनुपात से ही इनको धन मिलना चाहिये।

हमारे देश की नेता प्रधान मन्त्री ने चाहा था कि विभिन्न मिनिस्ट्रीज में क्वान्टीफिकेशन किया जाये धन के लिए। अभी 11 मंत्रालयों में है, मैं चाहता हूं कि जितने भी मंत्रालय हैं, सब में इस बात का ख्याल रखा जाये कि इन तबके के लोगों के लिये जितना इनका हिस्सा बनता हो उतनी धनराशि उनके लिये आवंटित की जाये। केवल आवंटित ही नहीं, उनके कार्यान्वयन के लिये धन उपलबद्ध किया जाये, इस बात का भी ध्यान रखा जाये।

मैं मोटी-मोटी बातें कह रहा था और कह रहा था कि यह जो मंत्रालय हैं,.....

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलकर आये हैं.....

(व्यवधान)**

श्री राम प्यारे पनिका : मैं अपने कथन पर अडिग हूं। आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा की मर्यादा बनाये रखना आपका सबसे पहला कर्त्तव्य है। आप एक पुराने सांसद है। आपको सभापति की बात सुननी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आप यह मामला फिर से कैसे शुरू कर सकते हैं? अध्यक्ष ने पहले ही से अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे अपना कर्त्तव्य करना है। मुझे अपना कर्त्तव्य करने दीजिए। आपको भी सहयोग देना चाहिए। यही मैं आपसे मांगता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जो कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आप सुन ही नहीं रहे है। सबसे पहले आप बैठ जाइये। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभापति को आदेश नहीं दे सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप कृपया बैठ जाएं । यही मैं आप से मांगता हूं । यदि आप नहीं बैठेंगे तो इसका अर्थ है आप सभापति की बात सुनना नहीं चाहते हैं । इस सभा की कार्यवाही.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय यह ठीक नहीं है । मैं पीठासीन हूं । निर्णय लेना मेरा काम है आपका नहीं । इस बारे में मुझसे प्रश्न न पूछिये । मैं निर्णय लूंगा । मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले आपको मेरी बात सुननी चाहिये । कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने मुझे वाक्य पूरा नहीं करने दिया था । आप मुझसे सवाल न करें । पहले मैंने आपसे सवाल करना है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं पहले आपकी बात नहीं सुन सकता । पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी । अब मैं बोल रहा हूं, तो आपको बीच में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए । यदि हम शांति पूर्वक बात करेंगे तो सभा की मर्यादा बनाई रखी जा सकती है । विना वजह हमें एक दूसरे पर फब्तिया नहीं कसनी चाहिऐ । ऐसा करने से हम कुछ भी निर्णय नहीं कर पायेंगे, और इस प्रकार इस सम्मान नीय सभा की मर्यादा भी नहीं बनाई रखी जा सकती । अब प्रश्न यह है । जहां तक इस पीठ का संबंध है, इस सभा की कार्यवाही सामान्य रूप से ही करनी होगी ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब मैं बोल रहा हूं, तो आप मुझे रोकिये नहीं । हो सकता है, आंपको बहुत अच्छे विचार व्यक्त करने हो, परन्तु थोड़ा सा धैर्य रखिये ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे इसके साथ निपटने दीजिये । आपमें से किसी को भी अध्यक्षपीठ को यह पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये कि क्या किया जाये । आप जहां पर खड़े हैं वहीं खड़े रहिये और धैर्य से मेरी बात सुनिये । जब कार्यवाही चल रही तो आप एक दम से खड़े होकर पूछना शुरू नहीं कर सकते । ऐसा नहीं किया जा सकता । जब कुछ भी प्रश्न पूछने की आपकी बारी आती है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । इस समय एक विषय चल रहा है और वह विषय चलता रहना चाहिये । और ऐसी स्थिति में आपको विषय से हट कर बीच में नही बोलना चाहिये । बस इतना ही । कृपया बैठे रहिये.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जयपाल सिंह कश्यप, मुझे आपसे ऐसी आशा नही है । आप एक अनुभवी सांसद हैं । आप बाद में अपनी चला सकते हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आपको यह ध्यान देना चाहिये कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है । अभी जो विषय लिया जा

** कार्यवाही—वृतांत में सम्मिलित नही किया गया ।

रहा है मेरी बात उसके बारे में अधूरी ही रह गई है। भाषण चल रहा है किसी और बात को लेकर बीच में बोलने के लिए, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं नहीं। आप पीठासीन अधिकारी की बात बिल्कुल नही सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या है ?.....इस तरह का व्यवहार मत कीजिए।

मैं एक और बात बताऊं। एक और बात सुनें। आपस में अपना कोआपरेशन ठीक रखें। बी०ए०सी० की मीटिंग ढाई बजे हो रही है। आप के सब साथियों को उस में बैठना है। अब कोई बात जिस पर किसी किस्म का झगड़ा हो उस के बारे में उधर उस में निपटने की कोशिश होगी, उस में आप की सहूलियत हो, जो कुछ भी हो। यह तो सीधी बात है कि एक आइटम चल रहा है, हाउस चल रहा है। किसी आनरेबल मैम्बर की स्पीच हो रही है तो उस में किसी और आइटम की इंटरफेयरेंस नहीं आ सकती है।

इस समय कुछ माननीय सदस्य सभा-पटल के समीप आकर फर्श पर बैठ गए।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)...

श्री राम प्यारे पनिका : शेडयूल्ड कास्ट कमीशन ने...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : उसी धारा से, उसी आइडिया से मैं आप से अपील करता हूं।

2.00 म० प०

...(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अध्यक्ष पीठ की बात सुनना चाहते हैं या बिलकुल सुनना नहीं चाहते ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या यही तरीका है ? आप शोर क्यों मचा रहे हैं ? अध्यक्ष पीठ का अनादर मत कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो चाहते हैं करिए लेकिन अध्यक्ष पीठ का अनादर न कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। आप सभी संसदविद् हैं। आप इस

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[**सभापति महोदय**]

सदन का उपहास नहीं कर सकते । यह कोई तरीका नहीं है । कृपया मेरी बात सुनिये ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरी बात तो सुनिये । **(व्यवधान)**

आप मेरी बात तो सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जब कहेंगे तब मैं बोलूंगा । आप खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसी संबंध में बता रहा हूं । मधु दण्डवते जी ने जो मोशन दिया है वह अभी कमेटी के सामने पेश हो रहा है । उसके ऊपर सिर्फ टाइम का फैसला होना है ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : एडमिट हो चुका है ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : एडजर्नमेंट मोशन नहीं है । जो दण्डवते जी ने मोशन दिया है, वह एडमिट हो गया है ।

एक माननीय सदस्य : अभी होना चाहिए ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शास्त्री साहब, मेरी बात तो सुनिए । **(व्यवधान)** सुन तो लीजिए आप । आप इतने जोश में आ जाते हैं । आप दूसरे की भी तो सुनो । मेरी बात सुनेंगे तभी कोई हल हो सकता है । सुनेंगे नहीं तो हल कैसे होगा । देखिए एडमिट तो हो चुका है ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सुन तो लो शास्त्री साहब । मैं कमेटी से ऊपर तो नहीं जा सकता । जो तरीका है, विधान हैं, उसी के अनुसार तो चलना है । जो मैथड है, तरीका है, कांस्टीट्यूशन जो है, उसी के अनुसार तो चलना है । मुझे गलत रास्ते पर मत चलाइए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा अपरान्ह 3 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

2.11 म० प०

(तत्पश्चात् लोक सभा 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

3.03 म० प०

लोक सभा 3 बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बैठें तो मैं कुछ बोलूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जिस ढंग से बात कहना चाहते हैं, मुझसे सुबह प्रो० दण्डवते जी ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा था । उस विषय में मैंने ही स्वयं उनको सजेस्ट किया था कि तरीके से सब कुछ हो सकता है, आप नियमों के अंतर्गत कुछ भी करवा लीजिए । मैं तो अब भी उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं । जब मैंने उस वक्त भी यह बात मान ली, उसके बावजूद भी आप यहां इस तरह का विरोधाभास प्रदर्शित करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात तो सुन लीजिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब की इच्छा यही है तो मैं हाउस को फिर बंद कर देता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चलवायेंगे तो चलायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय मैं एक ही बात कहना चाहता हूं तो चीज आप चाहते हैं,

(व्यवधान)

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय जो यहां कहेंगे, आप जो मनवाना चाहते हैं, वह गवर्नमेंट को भी मैंने बात की है, वह तैयार है, मैं तैयार हूं। आप नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा है, लोग आपको कहेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई बहस करने नहीं जा रहा हूं। मैं सदन का अध्यक्ष हूं और मैंने हमेशा इसकी मर्यादा बनाए रखी है तथा मैंने सदन में आश्वासन दिया है। मैं किसी चर्चा में रुकावट डालने नही जा रहा। मैं अपने निर्णय के अनुसार चल रहा हूं। सुबह भी मैंने कहा कि मैं इसे इन शर्तों और इन नियमों के अधीन स्वीकार करूंगा। और मैंने इसे स्वीकार किया है। यह बहुत सीधी सी बात है। मैंने यह नियमानुसार किया है और साथियों, नियमानुसार ही करूंगा। मैं नियमों से बिल्कुल नही हटूंगा। समय का निर्णय करने की जिम्मेदारी आपकी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि इस तरह होता रहा तो मुझे पुनर्विचार करना होगा। यदि इस तरह का दुराग्रहपूर्ण और असहयोगी रुख रहा तो मुझे इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपके मैम्बर्स, मेरे साथ बैठकर सारा फैसला हमने किया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला हुआ है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसके बाद भी नही हुआ तो देश जानता है, आप सब जानते हैं,

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं।

3.08 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

3.30 म० प०

लोक सभा 3 बजकर 30 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेई पीठासीन हुई।)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मेरा नाम आज के प्राइवेट चैम्बर्स में बोलने वालों में पहला है। यह पोजीशन का निर्णय है कि अभी तक जो सरकारी काम काज था, जो आन्ध्रप्रदेश में कांस्टीट्यूशनल सैट अप और ब्रेक डाउन हुआ है उसके विरोध में हमने हाउस की कार्यवाही नहीं चलने दी। अब प्राइवेट चैम्बर्स बिजनेस है, और अपोजीशन का यह

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निर्णय हैं कि हम लोग सदन का बायकट करते हैं।

(तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) :यह सत्य नहीं है यह सच नहीं है कि उन्होंने सदन को कार्य करने की अनुमति नहीं दी। सभा अच्छी तरह जानती है कि सदन ने कार्य-सूची में चार महत्वपूर्ण मदों को निपटा दिया है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि सभा ने कार्य नहीं किया है। सदन ने कार्य किया है और हमने आज कार्यसूची के चार बहुत महत्वपूर्ण मदों को निपटा दिया है।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय श्री चंद्रजीत यादव ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : इससे पता चलता हैं कि किस तरह से विपक्षी दल संसद के अन्दर भी लोकतंत्र समाप्त कर रहा है।

3.34 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

80वां प्रतिवेदन

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा 14 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति के 80वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 14 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 80वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.35 म० प०

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संबंध में संकल्प

सभापति महोदय : सभा अब श्री रामलाल राही द्वारा 27 अप्रैल, 1984 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रखेगी :—

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[सभापति महोदय]

"इस सभा की राय है कि सरकार अपने प्रशासनिक तन्त्र की भारी कमियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के द्वारा कम आय वाले लोगों की दशा को सुधारने में असफल रही है और इसलिये सरकार से सिफारिश करती है कि वह शैक्षणिक और नैतिक मूल्यों पर बल देकर और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार कर परिणामोन्मुख नीतियां अपनाये, जिससे कि जनसाधारण की उन्नति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित किया जा सके।"

श्री मूल चन्द डागा (फलौदी) : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा था वह सदन से चले गए हैं। उन्होंने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया है। हालांकि मैंने उनको इस प्रांगण में देखा था, मगर वह सदन से चले गए हैं।

सवाल है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का। माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में तीन बातें कही हैं उन्होंने कहा है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था, उसके अन्तर्गत इच्छित काम हम नहीं कर सके। उसका कारण उन्होंने यह बताया है कि लाल फीता शाही के कारण हम काम नहीं कर पाए उन्होंने परामर्श दिया है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों में सुधार करना चाहिए। नैतिक मूल्य क्या है, यह विरोधी दल वाले ज्यादा समझते हैं। नैतिक मूल्य यह है कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने यह किया कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी, उसमें बाधा उपस्थित की, सदन का समय नष्ट किया और इस तरह सारा दिन खराब कर दिया। फिर भी ये लोग हमें नैतिक मूल्यों के बारे में भाषण देते हैं।

प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि हमारे देश में योजनाबद्ध विकास नहीं हुआ। हमने जो योजनाएं बनाई हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं—आज हमारी छठी पंच-वर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, हमें बिना हिचक के कहना चाहिए कि उनके लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसका एक कारण है लाल फीता शाही। हमारी जो योजनाएं बनती हैं, वे किस प्रकार क्रियान्वित होती हैं? 1958 में राजस्थान केनाल की योजना बनती। स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पन्त ने उसका उद्घाटन किया। उन्होने कहा था कि 1960 में राजस्थान केनाल पूरी कर दी जाएगी। वह 60 करोड़ रुपए की योजना थी, लेकिन आज वह योजना 600 करोड़ रुपए की हो गई है और अभी तक पूरी नही हुई है।

जितनी योजनाएं हमने बनाई थी, वे समय पर पूरी न होने के कारण हमारे विकास की गति में कमी रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी भाई हैं, उन्होंने हमें उतना सहयोग नहीं दिया, जितना कि उन्हें देना चाहिए था। य सरकारी कर्मचारी बड़े मजबूत लोग होते हैं और अगर मंत्री महोदय उनसे भी ज्यादा मजबूत हों, तभी वे काम करा सकते हैं, अन्यथा सरकारी कर्मचारियों का पूरा सहयोग हमें नहीं मिलता।

माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में जो कहा है, वह हमें मानना चाहिए। आज भी सरकारी

दफ्तरों में जिस ढंग से प्रशासन धीमी गति से चलता है, लोग ठीक काम नहीं करते हैं, दफ्तर समय पर नहीं आते हैं, फाइलों का निपटारा नहीं होता है, उसके बावत उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया है कि हमें इसके लिए शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। एक बहुत पुरानी बात है कि हर शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि हर शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आज तक हम लोगों ने उसमें परिवर्तन किया नहीं और पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो गई। हमारी शिक्षा एक अच्छे नागरिक को देश के सामने पेश नहीं करती। आज कालेज से निकले हुए विद्यार्थी किस प्रकार का कर्त्तव्य देश के प्रति और समाज के प्रति अदा करते हैं वह आप सब जानते हैं। इसलिए संकल्प रखने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि शैक्षिक और नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाया जाय। नैतिकता की जो बात है मेरी समझ में वह बहुत आदर्श की बात है। हमारे माननीय सदस्य केयूर भूषण जी इस पर बड़ा अच्छा भाषण दे सकते हैं।...(व्यवधान)...उसमें मनोरंजन भी कम नहीं होगा। यह काले पानी अर्थात् अण्डमान निकोबार से आए हुए माननीय सदस्य भी उसको समझते हैं। आप तो इस पर बड़ा अच्छा भाषण दे सकते हैं। हम लोग तो कभी-कभी स्वार्थ के कारण या प्रलोभन के कारण थोड़ा बहुत इन मूल्यों से अलग हुए हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए यह कहा है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : वेरी गुड।

श्री मूल चन्द डागा : हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर साहब ने उसको वेरी गुड का खिताब दे दिया तो मान लेना चाहिए कि बात बिलकुल सही है।

इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक सुधार की बात कही, नैतिक मूल्यों में गिरावट की बात कही और उन्होंने कहा कि हमारा देश आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया कि योजनाबद्ध विकास के द्वारा कम आय वालों की दशा नहीं सुधरी। हिन्दुस्तान में हम लोगों ने एन०आर०ई०पी० और आई०आर० डी०पी० का प्रोग्राम बनाया और यह निर्णय किया कि जितने विकास खंड हैं उनके द्वारा 1 करोड़ 50 लाख आदमी गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाएंगे और उसके लिए आज गांव-गांव के अन्दर हम उन लोगों को आर्थिक सहायता देते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर ब्लाक के अन्दर तीन हजार कुटुम्ब को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका मोड़ गरीबी की ओर होने लगा है। उस पर भी विरोधी लोग आवाज उठाते हैं। जब हम गरीबों के अन्दर धन का वितरण करते हैं तो हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं। आई०आर०डी०पी० और एन०आर०ई०पी० के सारे प्रोग्राम हमने चलाए हैं और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 25 हजार रुपये की धनराशि देने का कार्यक्रम भी बनाया। 15 अगस्त 1983 के दिन घोषणा की थी कि जगह-जगह जो दो करोड़ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को भी रोजगार दिया जाए। अब कहां तक हम उसमें सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसका कारण यह है कि सरकारी अधिकारी लोग अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाते। जो लोग उनके ऊपर बैठे हैं उनकी पकड़ उनके ऊपर नहीं होती है। घुड़सवार जो होता है उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। वह घोड़े की लगाम को मजबूती से पकड़ता है तो घोड़ा ठीक चलता है और जब लगाम हाथ में नहीं रहती है तो घोड़ा इधर

[श्री मूलचन्द डागा]

उधर चलता है। हमारे संसत्सदस्यों मालूम है कि हैकाफेपोसा मौजूद है लेकिन स्मगलिंग भीहो रही है। नैपाल के बार्डर से, महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट से अरबों रुपये का माल अभी तस्करी में आता है। हमारे आजाद साहब कहते हैं कि वे एसेंशियल कमाडिटीज एक्ट को सख्ती के साथ लागू करना चाहते हैं लेकिन वे कानून के द्वारा जितनी ज्यादा सजा का प्रावधान करते हैं, काला धंधा करने वाले लोग अपना धन उतना ही बढ़ाते जा रहे हैं। आज भी काला धंधा बढ़ रहा है और मुनाफाखोर लाभ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने स्वार्थहित में प्रान्तों में जातिवाद और धर्म के अधार पर झगड़े कर रहे हैं। इसलिए यह जो संकल्प रखा गया है उसकी भावना तो ठीक है और अगर सारे देश के लोग मिलकर इसके अनुसार चलें तभी लाभ मिल सकता है। लेकिन एक दृष्टि रखने वाले केवल एक काम करते हैं। जब भी सरकार कोई रचनात्मक काम करना चाहती है, उसमें वे बाधा डालते हैं।

आज सबसे बडी आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिवार कल्याण, परिवार नियोजन का काम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। यदि जनसंख्या में वृद्धि न हो तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम अपने आदमियों को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। आज हमारा देश नानएलाइन्ड कन्ट्रीज का चेयरमैन है। विदेशों में हमारा गौरव बढ़ा है। अभी कुछ क्षेत्रों में हम पीछे हैं और उसके लिए हमें अपने संविधान में संशोधन करना होगा। आर्टिकल (311) में संशोधन होना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों पर एकाउन्टेबिलटी डालनी चाहिए। आज एक मन्त्री किसी आई० ए० एस० आफिसर के खिलाफ कार्यवाही करने की इच्छा रखते हुए भी वह उसको सस्पैंड नहीं कर सकता है क्योंकि वह कानून से बंधा हुआ है। आज 36 साल के बाद भी वह कानून अभी तक नहीं बन पाया है जिसके आधार पर मन्त्री किसी करप्ट आफिसर को नौकरी से निकाल सके। इसलिए हमें कानून में परिवर्तन करना होगा। आज हमारी 84 परसेन्ट रेवेन्यु सरकारी कर्मचारियों पर खर्च हो जाती है। तीन घंटे में वे सिर्फ ढ़ाई लाइन ही लिखते हैं। बहुत कम कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। हम चिट्ठी लिखते हैं तो उसका जवाब भी नहीं देते हैं। आज जनता के प्रतिनिधि 18 घंटे काम करते हैं लेकिन वे लोग 10 से 5 बजे के बीच में तीन बार चाय पीते हैं और 6 बार बातें करते हैं क्रिकेट की और पिक्चर्स की। इसलिए मैं समझता हूं हमें संविधान में परिवर्तन लाकर समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे एक दिन हाउस ही क्यों न बढ़ाना पड़े। जिनके आधार पर हम लोग काम कर सकें। ये वक्त है समाजवादी समाज लाने का। जिन लोगों के पास धन जमा हो गया है वह आपके छोटे मोटे कानून से नहीं निकलेगा। इरादा मजबूत होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। इससे सबका मनोबल बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे आशा है कि देश आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदया : श्री जायनल अबेदिन अनुपस्थित, श्री सुधीर गिरी अनुपस्थित, प्रो० अजीत कुमार मेहता—अनुपस्थित, श्री राजेश कुमार सिंह—अनुपस्थित, श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा—अनुपस्थित, श्री रामअवतार शास्त्री—अनुपस्थित, श्री एस० टी० के० जक्कायन—अनुपस्थित। चूंकि यहां कोई भी वक्ता नहीं है अतः मंत्री महोदय इस पर बोल सकते हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सभापति महोदया, अभी श्री डागा जी ने सुझाव दिए हैं श्री रामलाल राही जी के प्रस्ताव के ऊपर जो लो इन्कम ग्रुप के लोगों के प्लान, डेपलपमेंट, रूरल एरियाज में जो इनेडिक्वेसीज हैं, उनको दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, पालिसीज बनाकर—शैक्षणिक और नैतिक मूल्यों पर बल देकर और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारकर जनसाधारण की उन्नति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

यह एक बहुत अच्छा खयाल था और उसके ऊपर श्री डागा जी सहित 8 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्री रामलाल राही, इन्होंने इसको मूव किया, श्री चिंतामणि पाणिग्रही, श्री चित्त बसु, श्री फैलीरो, श्री मनीराम बागड़ी, श्री राम प्यारे पनिका, श्री राम बिलास पासवान इन सबने अपने विचार व्यक्त किए हैं। डागाजी ने जो सुझाव दिए हैं, उसमें एक बात से मैं सहमत नही हूं—जो उन्होंने कह दिया, कि सारे के सारे अफसर···।

श्री मूलचन्द डागा : सारे नहीं कहा, कुछ अफसर।

श्री बूटा सिंह : क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं—वे अपनी कार्यक्षमता, अपनी देशभक्ति राष्ट्र के प्रति अपनी बचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं और कोई सन्देह नहीं कि काफी कुछ किया जा सकता है। हमें सेवाओं में सुधार करना है लेकिन निश्चित रूप से हम उन युवा और वचनबद्ध भारतीय अधिकारियों की उपेक्षा नहीं कर सकते जो अपनी प्रतिभा से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जो लोग अपनी योग्यता से काम नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें सुधारना होगा तथा प्रशासन को ठीक करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की जनता को उपयुक्त सेवा प्रदान की जाएगी। राही जी का रेजोल्यूशन खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में है। जितने भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, पिछले हफ्ते और अभी डागा जी ने सुझाव दिए हैं, वे सारे के सारे सुझाव हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो मंत्रालय हैं या विभाग हैं, उनके पास भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करवाया जा सके।

चूंकि रामलाल राही जी यहां पर नहीं हैं, वह अगर यहां पर होते तो मैं उनसे कह देता उनके विचारों का आदर करते हुए कि इस प्रकार का प्राइवेट मैम्बर रेज़ोल्युशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको वापिस ले लिया जाय। आज चूंकि वे नहीं हैं इसलिए गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण है, वह मैंने बता दिया है। जितने भी यहां पर माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं, वह सब नोट कर लिए हैं। वह चाहे रूरल डवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, एजुकेशन या मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हो, हम उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करके कोशिश करेंगे कि गांव में रहने वाले लोगों को जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं, वह दी जा सकें। डागा जी ने जो कहा है कि सोशिलिस्टीक पालिसीज बनाकर लोगों की सेवा करें, उसके ऊपर हम प्रयत्नशील रहेंगे। चूंकि, यह प्राईवेट मैम्बर रेजोल्यूशन है इसलिए इसको नहीं माना जा सकता। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि यह प्रस्ताव इस शक्ल में नहीं जाना माना जा सकता। गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करेगी। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर हम कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदया : श्री रामलाल राही यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर देना था। इसलिए मैं संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि सरकार अपने प्रशासनिक तन्त्र की भारी कमियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के द्वारा कम आय वाले लोगों की दशा को सुधारने में असफल रही है और इसलिए सरकार से सिफारिश करती है कि वह शैक्षणिक और नैतिक मूल्यों पर बल देकर और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार कर परिणामोन्मुख नीतियां अपनाये, जिससे कि जनसाधारण की उन्नति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित किया जा सके।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री सुनील मैत्रा और श्री अजित कुमार साहा भी यहां उपस्थित नहीं है। इसलिए गैर-सरकारी कार्य समाप्त हुआ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : चूंकि अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हो चुका है सभा की सामान्य बैठक की अवधि के अनुसार हमारे पास अभी भी दो घन्टे का समय बाकी है। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष पीठ से अनुरोध करूंगा कि हमें ज्यादा देर तक बैठने की अनुमति दी जाए ताकि हम आज के लिए निर्धारित कार्य के अनुसार कार्यवाही पूरी कर सकें। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सभा इस बात की अनुमति दे कि जब तक आज की विषय सूची समाप्त नहीं हो जाती, सभा की बैठक जारी रहेगी।

सभापति महोदय : क्या सभा की भी यह राय है कि जब तक सभा का आज का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, सभा की बैठक जारी रहे ?

कई माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : अब मैं अगली मद लेती हूं।

3.59 म०प०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 26 वें और 27 वें प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के पहले और दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

सभापति महोदय : सर्व श्री राम प्यारे पनिका अनादि चरण दास, कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी और दलीप सिंह भूरिया उपस्थित नहीं हैं। इसलिए श्री गिरधर गोमांगो बोलेंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 26 वें और 27 वें प्रतिवेदन तथा असूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के पहले और दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट) : सभापति महोदया, जो प्रतिवेदन पेश किए गए हैं वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग से संबंधित हैं। आज हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों पर एक साथ विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर इन पर अलग-अलग विचार किया जाता तो वेहतर होता।

4.00 म०प०

महोदया, यह इसलिए कि एक तो संवैधानिक निकाय है और दूसरा है आयोग सरकारी आदेश वे अन्तर्गत स्थापित किया गया है। अगर आयोग की पहला और दूसरा प्रतिबेदन और 26 वें और 27 वें प्रतिवेदन की सिफारिशों को इकट्ठा किया जाए तो ये 1593 सिफारिशें बनती हैं और अमर इन पर एक-एक करके विचार किया जाए तो मैं समझता हूं कि इसके लिए काफी समय लगेगा। इसलिए मैं उन सिफारिशों के प्रति कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो कि सरकार द्वारा शीघ्र ही स्वीकार और लागू की जानी हैं और जो विचार करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

आयुक्त के 26 वें प्रतिवेदन में महत्त्वपूर्ण सिफारिशें हैं—सिफारिश संख्या 1,4,5, 12-17, 21-25, 40,44, 48-52, 54,59-60, 110,132, 226-227, 233,237,242, 250, 257,263-65, 267, 269, 271, 290 और 303 ये अत्यंत महत्पूर्ण सिफारिशें हैं, जिन्हें कि स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन में दी गई लगभग सभी सिफारिशें जो कि करीब 1595 हैं उन्हें कार्यान्वन के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए।

महोदया, मेरे विचार से जनता सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के महत्व पर विचार न करते हुए आयुक्त को आयोग में बदल दिया। लेकिन कोरम के अभाव में—यह कहा गया कि यह कोरम के अभाव में नहीं, बल्कि पर्याप्त संख्या में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या की कमी के कारण संविधान के 338 वें अनुच्छेद का संशोधन व्यपगत हो गया। इसलिए, अब तक हमारी सरकार यह निर्णय नहीं ले पायी है कि आयोग या आयुक्त में से किस को रखा जाए या दोनों अलग-अलग कार्य करेंगे या हम आयोग और आयुक्त को संवैधानिकक स्थिति प्रदान करेंगे और वे अलग-अलग कार्य करेंगे।

महोदया, इस प्रतिवेदन में अनिुसूचत जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कई एक सिफारिशें हैं। और यह बेहतर होगा कि सरकार यह फैसला ले कि आयोग की प्रत्येक सिफारिश की जांच की जायेगी। हालांकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है ? लेकिन यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सिफारिशों की संख्या 1595 है और यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की 1595 समस्याएं हैं जिन की पूरी तरह से जांच किये जाने की आवश्यकता है।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं इन सिफारिशों के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं और यही मेरे सुझाव हैं। पहली दफा वित्त आयोग ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के

[श्री गिरधर गोमांगो]

साथ अनुसूचित जनजतियों के विकास के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया है। लेकिन आयोग ने कुछ समस्याओं पर विचार किया है परन्तु संविधान के अनुच्छेद 275 (1) की विस्तृत व्याख्या की होती तो इस 275 (1) अनुच्छेद में जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हैं : दिए गए अनुसूचित लोगों के प्रशासन वे लिए मैं समझता हूं अधिक धन की व्यवस्था की होती। लेकिन आयोग ने राज्यों का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए प्रावधान किया है। लेकिन इस सन्दर्भ में संवैधानिक उपबंध बहुत स्पष्ट है। ठकि है, आठवें वित्त आयोग ने इस पर विचार कर सिफारिश दी है कि इन लोगों का विकास किया जाना चाहिए और प्रशासिनक विकास भी होना चाहिए, उन्हें और धन दिया जाना चाहिए। लेकिन सातवें वित्त आयोग में ऐसी सिफारिश नहीं की गई थी। जो क्षेत्र उन्होंने लिए हैं उनमें न्याय प्रशासन आदि सम्मिलित है। राज्यों द्वारा दिए गए अन्य सुजावों पर भी विचार किया जा सकता है। इस स्तर पर चर्चा करते समय, हमें देखना हैं कि भारत सरकार के कई विभाग हैं जिनके पास विभिन्न मदों के अन्तर्गत राशियां उपलब्ध हैं। इन राशियों में से कुछ राशि अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए क्योंकि यह जन जातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए हैं। सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य, जिला और राजस्व प्रशासन मुख्य अध्याय हैं जिन पर विस्तार से चर्चा की जाती है और आयोग ने निधियों का प्रावधान किया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हालांकि उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का उल्लेख नहीं किया है, अब सरकार द्वारा इसे जनजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित करना चाहिए। जब आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है तो गृह मंत्रालय को उनसे इस पर, इस उद्देश्य के लिए चर्चा करनी चाहिए।

मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई कार्यक्रम हैं। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि समितियों और आयोगों के सुझावों को अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों का पता नहीं लगाया गया है। इसके अभाव में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें कौन से और उद्देश्य प्राप्त करने हैं। कार्यान्वियन करने से पहले इस पर गौर करना होगा। उन लोगों में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से पहले हमें इनके प्रभावों को भी देखना होगा। हमें भारी निवेश से प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। इनका लोगों और विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को भी हमें देखना होगा। कार्यान्वियन एजेंसी को कार्यक्रमों के आशय पर भी ध्यान देना होगा ताकि कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो सके। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को न्याय मिलें। कई दफा हम लोगों से सम्मिलित नहीं करते। इससे लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे लाभ उठायें। हमें लोगों को संरक्षण देना होगा। हमें इस क्षेत्र के लिए एक अच्छे प्रशासक का चयन करना होगा। जो प्रतिवेदन पेश किया गया है इसके अनुसार हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, छठी योजना के बकाया उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया : श्री दंडपाणि, श्री पी०के० कोडियन, श्री आर० एन०राकेश, श्री आर० पी० यादव, श्री ए० के० राय श्री चन्द्रजीत यादव·····सभी अनुपस्थित हैं।

श्री बूटा सिंह : महोदया, निर्धारित समय समाप्त हो चुका है ? जो समय निर्धारित किया गया था, वह हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं,

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सभापति महोदय, इन दो दिनों में पेश किये गये चार प्रतिवेदनों पर चर्चा के दौरान, जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनके सुझावों और टिप्पणियों को मैंने ध्यान से सुना है।

प्रतिवेदनों की सिफारिशों और माननीय सदस्यों के सुझावों को इन मुख्य वर्गों में रखा जा सकता है—(i) आर्थिक विकास (ii) शिक्षा (iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध और (iv) आरक्षण

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास का सम्बन्ध है हमने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटन योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उपयोजना के द्वारा पहले ही ठोस उपाय किये हैं परिवारोन्मुख योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए विशेष संघटक योजना (एस० सी० पी०) और जनजातीय उप-योजना बनायी गयी है।

इन योजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है।

विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पहले ही 80 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों और 32 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। और आगामी समय में भी इन्हें जारी रखा जाएगा और ऐसी आशा है कि वे सभी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जायेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के बारे में प्रश्न उठाये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर पुनरीक्षण समितियां स्थापित की हैं। राज्य स्तर पर कार्यक्रमों का पुनरीक्षण मुख्य मंत्री तथा अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में बनी समितियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद राज्यों में मुख्य सचिव विकास आयुक्त के अधीन उच्च स्तरीय अधिकारी समितियों द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है। क्योंकि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर विकासात्मक गतिविधियों का मुख्य

[श्रीमती राम दुलारी सिन्हा]

समायोजक होता है इसलिए वही पुनरीक्षणसमिति का अध्यक्ष होता है। वह सभी विभागों के जिला प्रमुखों के साथ हर महीने पुनरीक्षण के लिए बैठक करता है। पुनरीक्षण जानकारी प्रदान करने तथा मूल्यांकन सम्बन्धी इन उपायों के कारण इन योजनाओं में धीरे-धीरे गुणात्मक सुधार हुआ है। फिर भी कार्यान्वयन सम्बन्धी स्थिति में और सुधार के लिए उपाय करने होंगे ताकि गरीबों को दिए जाने वाले लाभ उन तक पूर्ण रूपेण पहुंच सकें। यह एक सतत प्रक्रिया है और हमारा प्रभाव यह है कि विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के सभी लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मिल सकें।

सदस्यों ने यह कहा है कि विभिन्न राज्यों में एस०सी०पी० के अन्तर्गत रखी गई राशि उन राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या के प्रतिशत के अनुपात में नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि परिव्यय का एक बहुत बड़ा भाग (50 या 60%) बिजली, सिंचाई, भारी उद्योग आदि पर खर्च हो जाता है। तथापि वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि विशेष संघटक योजना के अधीन आवंटित राशि बढ़ाने हेतु वास्तविक अनुमान लगाया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन सम्बन्धी टिप्पणियां की हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस विषय पर अलग से विचार कर रहा है। उनसे मिली जानकारी के अनुसार फरवरी, 1984 के अन्त तक भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक फालतू 7.71 लाख एकड़ कृषि भूमि अनुसूचित जातियों के 6.44 लाख लोगों में वितरित कर दी गई है और 3.01 लाख एकड़ भूमि अनुसूचित जनजातियों के 2 लाख लोगों में वितरित की गई है। इससे भी काफी अधिक भूमि वितरित की जा सकती थी लेकिन कई बड़े भू-स्वामी न्यायालयों में चले गये हैं और न्यायालयों के रोकादेशों के कारण बहुत सी भूमि पड़ी रह गई है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये गये हैं कि भूमि के आवंटन के समय ही नये आवंटियों को वास्तव में कब्जा और साथ ही पट्टा भी दे दिया जाये।

हम ने गृह मंत्रालय में, राज्यों तथा संघ राज्य सरकारों को यह मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग बेदखल न किये जायें, इस बारे में आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये। राज्यों ने पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से अनुदेश दिये हैं कि अनुसूचित जातियों यथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भूमि पर यदि आपराधिक रूप से कब्जा किये जाने का प्रयास हो तो वे हस्तक्षेप करें।

बंधुआ मजदूरों की समस्या उठाई गई है और उस पर चर्चा भी हुई है। इस सम्बन्ध में हमें भी सदस्यों के समान ही चिन्ता है। यह मामला श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित है और वे इस पर विचार कर रहे हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से उनकी पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शैक्षिक विकास के क्षेत्र में सार्थक उपाय करने के लिए नई योजनाएं बनाने तथा पुरानी योजनाओं में सुधार / रूपभेद के लिए प्रयास हो रहा है। इनका उद्देश्य स्कूलों में भर्ती को बढ़ावा देना तथा स्कूल, कालेज या विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई छोड़ने वालों को रोकना है। कक्षा में उनके कार्य में सुधार करने तथा चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक बैठने के लिए सक्षम बनाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

कुछ सदस्यों ने छात्रवृत्ति वजीफा बढ़ाने की बात कही है। जहां तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति का सम्बन्ध है, उसकी राशि जुलाई, 1981 में बढ़ाई गई थी और उसे फिर बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रति किये जाने वाले अपराधों की हमें पूरी जानकारी है। जैसा माननीय सदस्यों को पता है, हमारी सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद शीघ्र ही व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का ठोस काम किया है जिनमें इन जातियों/जनजातियों के प्रति किये जाने वाले अपराधों को रोकने और स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिये गये थे। इन अपराधों या परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निवारक, सावधानी पूर्ण, दण्डनीय तथा पुनर्वास सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य सरकारों को परिचित कराया गया है। हमने राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया है कि जिन जिलों में इन जातियों/जनजातियों के प्रति अपराध अधिक होते हैं उनमें जिला मजिस्ट्रेट पुलिस निरीक्षक, सब डिवीजनल अधिकारी तथा सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी जैसे उच्च पदों पर इन जातियों/जनजातियों के लोगों को लगाया जाये। इन से अपराधियों को पकड़ने और सज़ा देने के कार्य में तेजी आई है। देश में अत्याचारों के 8 बड़े मामलों में मई, 1980 और जुलाई, 1984 के बीच निर्णय दे दिये गये। इन मामलों में 6 अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड दिया गया और 156 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अन्य लोगों को भी विभिन्न कालावधि की सजायें दी गई हैं। अपराधों के शिकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को प्रतिपूर्ति की अधिक राशि देने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सभापति की सिफारिशों के बारे में हमने राज्य सरकारों के साथ बात की है। कई राज्यों ने प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाने सम्बन्धी आयोग की सिफारिश पहले ही स्वीकार कर ली है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद काफी समय से रिक्त है। मैं सदस्यों को बता दूं कि यह पद भरने के लिए मंत्रालय पहले ही आवश्यक उपाय कर चुका है, व्यक्ति का चयन हो गया है और आशा है कि चयन किये गये व्यक्ति को शीघ्र ही नियुक्त कर दिया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और उसके आयोग के कार्यालयों को सुदृढ़ किया जाये। इस आयोग में निदेशकों और उपनिदेशकों

[श्रीमती राम दुलारी सिन्हा]

की संख्या पूरे देश में 17 है। आयोग के पास क्षेत्रीय कर्मचारियों की संख्या समुचित रूप से बढ़ा दी गई है। वे अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सहायता भी करते हैं।

कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है कि सिर पर मल उठाने की घृणित प्रथा अभी भी देश के कुछ भागों में व्याप्त है। जैसा सदस्यों को ज्ञात है गृह मंत्रालय ने एक प्रारम्भिक परियोजना आरम्भ की है जिसका नाम 'भंगी मुक्ति' (लिब्रेशन आफ स्केवेंजट) है और इसके अन्तर्गत राज्यों में चुने हुए कस्बों में शुष्क शौचालयों को जल वाहक शौचालयों में बदला जायेगा। गृह मंत्रालय की सहायता से 15 राज्यों ने इस योजना को अपनाया है। हम इस बारे में सदस्यों की उत्सुकता और चिन्ता को समझते हैं और चाहते हैं कि इस घृणित प्रथा को शीघ्रतिशीघ्र समाप्त किया जाये। हमें आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस से भी बड़ी योजना शुरू की जायेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मामले पर चर्चा के समय अनेक सदस्यों ने हमारा ध्यान सातवीं योजना के नीति पत्र में क्षेत्रीय मामलों के संक्षिप्त सार की धारा 15 के पैरा 13 की ओर दिलाया है। क्योंकि नीति पत्र पर चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है इसलिए योजना मंत्री वाद-विवाद के अन्त में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। तथापि मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों को दी गई संवैधानिक गारन्टी को किसी प्रकार कमजोर करने का कोई अभिप्राय नहीं है।

जहां तक अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने हेतु विधेयक पेश करने की बात है, मैं सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 341 के उपन्धक की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा इन दो अनुच्छेदों के अन्तर्गत अपेक्षित है, पुनरीक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य सरकारों की टिप्पणियां मांगी गई हैं। यह स्वाभाविक है कि इस पुनरीक्षण से विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सूचियों में कुछ नई जातियों को भी जोड़े जाने के पहलुओं पर भी विचार किया जायेगा। अभी आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त होनी बाकी है। इस मामले में शीघ्रता करने के लिए उनको लगातार स्मरण कराया जा रहा है। राज्य सरकारों से इनके प्राप्त होने और उन पर विचार के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

जहां तक बी० सी० सी० एल० तथा भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने के बारे में श्री ए० के० राय के स्थानापन्न प्रस्ताव द्वारा दी गई सूचना में उठाये गये प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मेरा सम्बन्धित मंत्रियों से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच करें।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों के विकास के मामले में श्री ए० के० राय द्वारा उठाई गई अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहती हूं कि जनजाति उपयोजना बनाने की नीति अपनाई

गई है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित तथा जनजातियों वाले अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारना है। इस प्रयोजनार्थ, उन क्षेत्रों को, जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, उचित संख्या में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, क्षेत्रीय विकास हेतु संशोधित लघु क्षेत्र (पाकेट्स) और आदिम जनजाति परियोजनाओं में बांट दिया है। इस क्षेत्र में विशेष प्रशासनिक तंत्र का गठन किया गया है ताकि राज्य योजनाओं विशेष केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं से निधि प्राप्त करके जनजाति उपयोजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। यह बांधनीय होगा कि पहले वर्तमान प्रशासनिक एककों को सक्रिय बनाया जाये। यह अनुभव किया गया है कि जनजातियों तथा उनके पारस्परिक संस्थानों को विकासात्मक कार्यों में तथा प्रशासन चलाने में अधिक सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाये।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी प्रधान मंत्री पहले ही यह निदेश दे चुकी हैं कि जनजाति क्षेत्रों में वर्तमान विधायी तथा सरकारी व्यवस्था की जांच की जाये। इस पर कार्यवाही की गई है।

एक अन्य मामला उठाया गया है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये एक पृथक मंत्रालय होना चाहिये। यह मामला सदस्यों द्वारा पहले भी उठाया गया था और इसकी गहराई से जांच की गई थी। यह महसूस किया गया कि वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना अधिक लाभकारी होगा। गृह मंत्रालय के अधीन हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रभागों को और मजबूत बनाना चाहते हैं।

आदिवासी विकास प्रभाग के लिए एक परिपूर्ण निगरानी और मूल्यांकन निदेशालय बनाया गया है और अनुसूचित जातियों सम्बन्धी प्रभाग को मजबूत बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा है मैंने अब तक माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रमुख मुद्दों और मामलों को ले लिया है। स्थानीय स्वरूप के विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित अन्य मुद्दे भी हैं। हमने इन्हें नोट कर लिया है और इन मामलों को राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ उठायेंगे।

वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा दर्शाई गई रुचि और उनके उपयोगी सुझावों के लिये वास्तव में मैं उनको आभारी हूं। कभी-कभी हम अत्यन्त सामान्य रूप में दोषदर्शिता की आवाज सुनते हैं कि मानो इस देश में गरीब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिये कुछ नहीं किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि यह सच नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के द्रुत विकास के लिए हमने जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे हमने सही दिशा में प्रगति की है और निश्चय ही यह उपलब्धि स्पष्ट है। फिर भी, जहां तक इन दो ग्रुपों का सम्बन्ध है, हमें सामाजिक तथा आर्थिक भेदभाव पूरी तरह से खत्म करने के लिए अभी लम्बी दूरी तय करनी है। हमें

[श्रीमती राम दुलारी सिन्हा]

पूरी आशा है कि सभी माननीय सदस्यों के पूरे सहयोग से, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों अथवा विपक्ष के हों, हम यथाशीघ्र इस कार्य को पूरा कर सकेंगे जिससे अधिक समतावादी समाज की स्थापना सुनिश्चित हो सके।

सभापति महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखती हूं।

प्रश्न यह है :

1. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्ष 1978-79, और 1979-81 से सम्बन्धित क्रमशः 26वें और 27वें प्रतिवेदनों, जो क्रमशः 22 दिसम्बर, 1980 और 11 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखे गये थे; तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के जुलाई, 1978 से मार्च, 1979 तक और अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 तक अवधियों से सम्बन्धित क्रमशः पहले और दूसरे प्रतिवेदन पर जो क्रमशः 22 दिसम्बर, 1980 और 11 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करने के पश्चात सिफारिश करती है कि—

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की सेवा से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हजारों खनिकों को, तथाकथित अनुपस्थिति के बहाने पर निकाल दिये जाने तथा भारत रिफ्रेक्टरीज की भण्डारीडीह इकाई में एक जनजातीय खनिक को उसी आधार पर बहाल न किये जाने के मामलों की पूरी जांच कराई जाये;।

(ख) बिहार की कोल और देसोवाली; आदि जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाये;

(ग) बिहार के सिंहभूम जिला में जनजातियों पर किये जा रहे सभी अत्याचारों तथा शोषण को रोका जाये जिसके फलस्वरूप जनजातीय लोग कोठानिस्तान की ओर धकेले जा रहे हैं;

(घ) पूर्वी भारत के उस क्षेत्र में, जहां जनजातीय लोगों की संख्या काफी अधिक है, पहाड़ी क्षेत्र के जनजातीय तथा गैर-जनजातीय लोगों की उन्नति और विकास के लिये वहां स्वायत्त झारखण्ड राज्य स्थापित किया जाना चाहिये; और

(ङ) समाज के इन कमजोर वर्गों के हितों की देखभाल करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित एक अलग मंत्रालय होना चाहिये ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं.....

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सभापति महोदय, मेरे नाम पर सूची में दर्ज मद को लेने से पूर्व मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस सदन में आरक्षण के मामले के बारे में वक्तव्य देकर श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने भारी सेवा की है क्योंकि कुछ विपक्षी सदस्य जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे । इसकी पूरे देश में भारी सराहना की जाएगी कि सरकार ने हमेशा के लिए यह अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में निर्धारित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में नीति जारी रखी जाएगी । मैं श्रीमती रामदुलारी सिन्हा और इस सदन के इस ओर के माननीय सदस्यों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया है ।

4.29 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सत्र की शेष अवधि के लिए इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1984

(ख) संविधान सैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1982

(ग) संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) विधेयक, 1983

(घ) संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक, 1984

(ङ) संविधान (इक्यावनवां संशोधन) विधेयक, 1984

(च) बैंक विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

(छ) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

(ज) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984

(झ) जीवन बीमा निगम विधेयक, 1983, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

2. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1984

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1984

(ग) प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1984

(घ) कुटुम्ब न्यायालय विधेयक, 1984

3. पंजाब में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

4. उत्प्रवास नियम, 1983 में आशोधन के लिए प्रस्ताव पर चर्चा।

5. अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा निर्धारण) नियम, 1984 में आशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा।

6. 21 अगस्त, 1984 को प्रश्न काल के पश्चात्, श्री एन० टी० रामाराव के मंत्रिमण्डल को आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बर्खास्त करने की कार्रवाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर चर्चा।

7. 21 अगस्त, 1984 को सायं 4-30 बजे, श्री लंका की स्थिति के सम्बन्ध में विदेश राज्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा।

8. 23 अगस्त, 1984 को अपराह्न 3.00 बजे सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के नीति-पत्र आगे पर चर्चा।

9. सिक्किम राज्य में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

4.30 म० प०

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदया : अब हम अगली मद को लेते हैं। श्री जगन्नाथ कौशल

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस चरण में मैं स्वयं को कुछ प्रारम्भिक टिप्पणियों तक ही सीमित रखूंगा जिससे कि कानून के जरिए दहेज की बुराई की समस्या से निपटने में सरकार द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण का पता चल सके।

जैसा कि मैंने विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया है कि दहेज प्रथा की बुराई के लगातार बढ़ते हुए और विक्षुब्धकारी अनुपात को देखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। यदि मैं ऐसा कहूं कि यह एक राष्ट्रीय बुराई है। इस बुराई को किस प्रकार नियंत्रण किया जाये, रोका जाये और उन्मूलन किया जाये, यह एक ऐसा मामला है जिस पर पूरी तरह से निष्पक्ष और अराजनीतिक आधार पर विचार करना होगा।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस मामले पर खुले दिमाग से विचार करूंगा। यह कह कर मैं दहेज की बुराई और वर्तमान विधेयक को तैयार करने में सरकार द्वारा अपनाये गये स्वतंत्र दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण के बारे में दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने ठीक ही कहा है कि दहेज प्रथा का अस्तित्व एक सामाजिक बुराई है और इसके लिए समाधान समाज में सामाजिक जागरूकता पैदा करके ढूंढा जा सकता है। बुराई का तब तक उन्मूलन नहीं हो सकता जब तक हर बार और हर अवसर पर इसके खिलाफ सामाजिक जागरूकता न हो और इसका विद्रोह न हो। जहां तक इस बुराई से निपटने के लिये एक विधायी समाधान का संबंधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह टिप्पणी की है :

> "विधान को आवश्यक और अनिवार्यता है ताकि यह उसे बढ़ावा दे सके और इसके पीछे शैक्षिक कारण तथा कानूनी स्वीकृति हो जिससे कोई मूर्त रूप देने के लिये जनमत बनाने में सहायता मिलती है।"

तथापि, किसी विधायी समाधान ढूंढने में यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। समस्या का कोई विधायी समाधान व्यावहारिक वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है। यदि व्यावहारिक वास्तविकताओं की उपेक्षा की जाती है तो कानून को लागू करना मुश्किल हो जायेगा। जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी० बी० मुखर्जी ने अपने टैगोर लॉ लेक्चर्स, में जो "न्यू जूरीप्रूडेंस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए हैं, में टिप्पणी की है, यदि समाज की गति अवरूद्ध हो जाती है तो विधान लागू करने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा।"

दहेज का कौन सा पहलू अभिशाप है ? दहेज किस को माना जाये इसके लिये हमें विभिन्न स्थितियों पर ध्यान देना होगा। स्थितियों का उल्लेख में इस विषय में व्यावहारिक यथार्थता और उन स्थितियों से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दिलाने के लिए कर रहा हूं औसत समृद्ध व्यक्ति का उदाहरण हम लेते हैं। एक-मात्र पुत्री के विवाह के अवसर पर यह उसे अथवा अपने दामाद को स्वेच्छा पूर्वक कुछ वस्तुऐं उपहार में देता है उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह रहती है कि अपनी लड़की को उपहार देने के लिये उसे क्यों रोका जाये, वह लड़की के परिणाम-दिवस को उसके जन्म दिवस की भांति महत्वपूर्ण क्यों न समझें हम बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों वाला दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति जिसकी आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं है और वह अपनी पुत्री के

[श्री जगन्नाथ कौशल]

विवाह के अवसर पर कोई उपहार देने की स्थिति में नहीं है किन्तु पुत्री का विवाह आयोजित करने अथवा विवाह के उपरान्त उसे परेशानियों से बचाने के लिये अपनी पुत्री को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देने के लिये उसे विवश किया जाता है। इस स्थिति में जुगुप्सा की भावना पैदा होना स्वाभाविक है।

यह दोनों विपरीत स्थिति के उदाहरण मैंने यह बताने के लिये दिये हैं कि एक स्थिति में तो सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्रोह की कोई भावना पैदा नहीं होती है लेकिन दूसरे मामले में विद्रोह की भावना स्वाभाविक है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति उपहार देने की स्थिति में नहीं है किन्तु उसे ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है, यह दहेज का निकृष्ट रूप है दहेज के अभिशाप को समाप्त करने के लिए सब मामलों में दहेज पर रोक आवश्यक है। इसी आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज के समर्थ की बात पर ध्यान न देकर प्रत्येक परिस्थिति में उसे दण्डनीय करार दिया गया है। किन्तु हम सब जानते हैं कि यह दृष्टिकोण विफल सिद्ध हुआ है। इसलिए सरकार नई नीति अपनाने का प्रयास करती रही है। मैं बिना झिझक यह स्वीकार करता हूं कि संयुक्त समिति की सिफारिशें, अखबारों में प्रकाशित लेख, विभिन्न सामाजिक मंचों पर व्यक्त विचार आदि से हमें काफी सहायता मिली है और हमने इस समस्या का हल करने के लिए अब एक नई नीति तैयार की है।

सरकार की नीति यह है कि जिन क्षेत्रों में यह कुप्रथा सर्वाधिक है उसके निकृष्टतम रूप पर प्रहार करने और इस निकृष्टतम रूप की पुनरावृति न होने देने के लिए कानून का मार्ग अपनाया जाये। इससे हमें व्यापक समर्थन मिलेगा। अतः संक्षेप में यही कारण है कि दहेज के कारण तंग किये जाने वाले को विशेष अपराध करार दिया गया है मामलों में दण्ड की व्यवस्था की गई है और उसे हमारे देश की सामान्य दण्ड विधि में शामिल किया गया है जिनमें भारतीय दण्ड संहिता, प्रमुख है। संसद ने गत वर्ष दण्ड विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983 पारित किया था। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि इसके परिणाम अच्छे निकले हैं। विवाहित स्त्रियों के साथ निर्ममता बरतने के लिए नई धारा 498क के प्रावधानों का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दैनिक समाचार पत्र इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। मैं अतीत की बात नहीं करता हूं। आप **टाइम्स आफ इण्डिया** 13 अगस्त 1984 का यदि अवलोकन करें तो उसमें छपा है कि धारा 498 के अंतर्गत दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। तंग किए जाने पर स्वयं पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। दो दिन पहले अर्थात् 11 अगस्त, 1984 का **टाइम्स आफ इण्डिया** आप पढ़ें। इसमें भी परेशान किए जाने पर पत्नी की शिकायत के आधार पर उसके पति, सास एवं पति के भाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। 10 अगस्त, 1984 के **टाइम्स आफ इण्डिया** में भी धारा 498क के अधीन दो अन्य मामलों का उल्लेख किया गया है।

पिछली अनेक घटनाओं की चर्चा मैं कर सकता हूं लेकिन मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा निवेदन यह है कि दहेज मांगे जाने के कारण तंग और परेशान किये जाने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए हमने एक महत्त्वपूर्ण साधन प्रस्तुत किया है। दण्ड संहिता की धारा 498क

के माध्यम से हमने इस सामाजिक अभिशाप का जोरदार मुकाबला करने की कोशिश की है। समय व्यतीत होने पर अखबारों की खबरों से जन-जागृति में सहायता मिलेगी।

कानून लागू करने से इन क्षेत्रों में यथार्थ सुधार होगा और इच्छित परिणाम हमारे सामने आयेंगे। यदि हम विवेकहीन प्रतिबन्ध लगायें अथवा ऐसे प्रतिबन्ध जारी करें जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है और कानून के प्रति लोगों के मन में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो इसका परिणाम लाभदायी नहीं होगा। मौजूदा विधेयक को तैयार करने में संयुक्त समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने इसी दृष्टि से विचार किया है।

सरकार का इरादा क्रमवार आगे बढ़ने का है। दण्ड विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983, दहेज अभिशाप से निपटने की दिशा में पहला विधायी उपाय है। वर्तमान स्थिति इसी दिशा में दूसरा उपाय है। सरकार विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानून की व्यवहारिकता का अलग से अध्ययन कर रही है। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना के लिए विधेयक को इसी सत्र में पुरःस्थापित करने का निर्णय सरकार पहले ही ले चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुटुम्ब न्यायालय के लिए विधान बनाये जाने से अच्छा माहौल बनेगा।

1. सदन के समक्ष विषय पर पक्षपात पूर्व भावना से विचार नहीं किया जाना चाहिये। इसमें दलगत हित आड़े नेहीं आते।

2. सरकार समझती है कि इस प्रकार की गहरी जड़ों वाली दहेज जैसी सामाजिक बुराई का प्रभावी समाधान सिर्फ चरणबद्ध रूप में निकला जा सकता है। पहले चरण में हम बुरी तरह फैली हुई कुरीति पर प्रवाह करना है और दहेज के कारण तंग किए जाने वाले मामलों से निपटने के लिए अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा और अगले चरण पर जिसे विधेयक में प्रस्तुत किया गया है, हमें दण्डात्मक उपबन्ध बनाने चाहिए तथा प्रक्रिया को अधिक कठोर बनाना चाहिए। और इसके साथ ही हमें कुटुम्ब न्यायालय के रूप में तंत्र विवाहों के पंजीकरण के लिए तंत्र के स्वरूप में, कुटुम्ब परामर्शदाता तथा कल्याण श्रमिकों के रूप में आन्तरिक ढांचा तैयार करना होगा और दहेज-विरोधी प्रचार को बढ़ाना होगा।

इस समय में विधेयक में बनाये गए उपबन्धों के गुण दोषों में नहीं जाना चाहता सिर्फ यह कहूंगा कि मैं संयुक्त समिति द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर काफी हद तक आधारित हैं। इस विधेयक में शामिल किए गए उपबन्धों के बारे में और उन्हें महत्वपूर्ण लगने वाले अन्य मामलों के बारे में माननीय सदस्य कई आपत्तियां उठा सकते हैं। मैं अभी उनका अनुमान नहीं लगा सकता। मैं किसी भी ऐसे प्रश्न पर विचार करूंगा जो माननीय सदस्य मेरे अन्तिम कथन के सम्बन्ध में उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको स्पष्ट रूप से कहा है मैं खुले दिल से उन पर विचार करूंगा।

सभापति महोदय : अब श्री मूल चन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आजकल हम जब भी अखबार उठाकर देखते हैं तो हमें यही हैडिंग नजर आता है—दुल्हन के सपने आग की लपटों में। हमारे बिधि मंत्री जी ने भी पहले कहा कि कानून से कुछ नहीं होगा और सच बात भी है। इसको रोकने का तरीका कानून नहीं हो सकता। आपने आज जो कानून बनाया है, वह भी इम्पलीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि दहेज की प्रथा कई तरह से पैदा हुई है। मैं यहां उसके इतिहास में जाना नहीं चाहता। हमारी शिक्षा और समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचन्द ने एक कहानी लिखी थी, उसका सार यह है कि जो लोग अपनी बेटियों के विवाह की कठिनाइयां भोग चुके होते हैं, वे ही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। ऐसे लोग जरा सी भी सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि उन्होंने अपनी कन्या के विवाह के समय जो कष्ट उठाये थे, उसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपने बेटे के विवाह के अवसर पर वसूल करते हैं।

आज तो हमारे समाज में डाक्टर की अलग फीस है, इन्जीनियर की अलग फीस है। यदि किसी का लड़का डाक्टर हो गया, या इन्जीनियर हो गया, तो उसकी फीस उसी के अनुसार बढ़ जाती है। उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जो शादी पर ज्यादा खर्च करता है, उसकी समाज में इज्जत और शान बढ़ जाती है। पंजाब और चण्डीगढ़ में तो जिसका विवाह शानो-शौकत वाला हो, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ती है। चण्डीगढ़ के लोग लम्बी-चौड़ी सड़कों पर नाच-गाना, डांस करना खाना, तरह-तरह के भोजन और रंगीली रातें बहुत पसन्द करते हैं। मैं समझता हूं कि आजकल आपके पंजाब का असर देश के दूसरे इलाकों पर भी पड़ता जा रहा है और हमारे मारवाड़ियों में भी वही चीजें बढ़ती जा रही हैं। शादी-विवाह के समारोह पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना और दहेज प्रतिष्ठा का सवाल हमारे समाज में बन गया है। आज के जमाने में खर्चा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। मुझे माफ करेंगे, हमारे बड़े-बड़े नेताओं के मकानों पर, शादी के अवसर पर जो दिखावा मैंने देखा है, उससे हमारे मन को ठेस पहुंचती है। गांधी जी के अनुयायी गांधी जी के रास्तों पर चलने वाले लोग शादी के अवसर पर दिखावे के कारण जो धनराशि खर्च करते हैं, वह आज प्रतिष्ठा का विषय बनती जा रही है। जिसकी हमारे समाज में प्रतिष्ठा है, वे सभी लोग चाहते हैं कि हमें शादी के अवसर पर अधिक से अधिक दहेज मिले। जबकि हमारे गांवों में किसी के यहां लड़कियां होने का मतलब होता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन आ गया। आजकल किसी राजपूत की लड़की की शादी के अवसर पर जो दहेज देना पड़ता है, वह भगवान जानता है।

दहेज लेने और देने को रोकने के लिए पीछे एक ज्वाइन्ट कमेटी भी बनी थी और उनका भी यही कहना है कि यह बुराई कानून बना कर नहीं रोकी जा सकती। यह स्वयं उनका कहना है। इन डौरी बिल पर बनी ज्वाइन्ट कमेटी के चेयरमैन का कहना है। उन्होंने बताया कि एक करोड़ की दहेज ली। आखिर, यह दहेज की प्रथा हमारे यहां कब से लागू है। क्या हमारे मंत्री जी हमें बतायेंगे कि हर प्रान्त में दहेज विरोधी कानून लागू थे, सबसे पहले सिंध में लागू हुआ, उसके बाद दूसरे छोटे-मोटे प्रान्तों में लागू हुआ, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। अच्छा किया आपने कि इस कानून को अलमारी से सजा-सजाया रहने दिया और किसी को सजा नहीं

मिली। शायद आप इस कानून को भी बनाकर किसी दूसरी अलमारी में सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कहीं नहीं होता, सिर्फ वे कानून रहते हैं···(**व्यवधान**)···मैं पांच बेटियों का बाप हूं, लेकिन मैंने कहीं दहेज नहीं दिया और न लिया। मेरे सब बच्चे इन्जीनियर और डाक्टर हैं और मैंने किसी से दहेज नहीं लेना, मैं आपको कह देना चाहता हूं। किसी लड़के की शादी के अवसर पर भी दहेज नहीं लूंगा। कुछ चल गया, चल गया। लेकिन आजकल बात दूसरी है, और मंत्री महोदय ने अपने अनुभव के आधार पर ठीक ही कहा है कि केवल कानून से यह कुप्रथा नहीं रुक सकती है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इन्होंने एक पैसा नहीं लिया, आपको मालूम है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह सामाजिक परिवर्तन से रुकेगी, कानून से नहीं। तीन तरह के दहेज हैं। हमारे यहां पहले सगाई होती है। उसको दहेज का पार्ट मानते हैं कि नहीं ? आपने लिखा है 25 रु० और 3 परसेंट खर्चा करेंगे। इस जोइन्ट कमेटी में आपने किसी बूढ़े को नहीं रखा, सारी औरतों को रख दिया दोनों सदनों की। इन सासुओं के कारण कई बहुएं दुःख पा रही हैं। सभापति महोदय, आप भी उस कमेटी की सदस्य थीं। लॉ मिनिस्टर ने सोचा कि सब महिलाओं को कमेटी में रख दो। और इन्होंने तो निर्णय ले लिया है कि बेटे की बहु रक्षा बन्धन के दिन अच्छी साड़ी पहन कर नहीं आएगी तो घर में नहीं आएगी। सगाई में दहेज, इनके घर पर आये और हाथ जोड़े तो दहेज। इन औरतों ने तो यह कर रखा है देश में अपने घर की शोभा और इज्जत बढ़ाने के लिये। तो ज्यादा दोष महिलाओं का है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : बारगेनिंग आप लोग बाहर करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : रात को पतियों के कान आप लोग ही भरती हैं, चाबी घुमाती हैं ?

सभापति महोदया : आप मानते हैं कि औरतें राज करती हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो न्याय नहीं किया है, न कानून की बारीकियां पढ़ी हैं, मुझे जब पता लगा कि आज यह बिल आ रहा है तब देखा कि यह काग्नीजैबिल आफेंस होगा और आप सजा देंगे। तो सबूत कौन सा होगा ? सामाजिक क्रान्ति से ही यह कुव्यवस्था दूर होगी। आचार्य विनोबा ने भाषण दिया था वह कौन युवक है जो दहेज नहीं लेगा? भाषण और जोश अलग है। लेकिन पैसे की लक्ष्मी का तांडव सभी देखना चाहते हैं। आज समाज में पैसे की प्रतिष्ठा है और समाज के मूल्य गिरे हैं। आज समाज में मानवता, नैतिकता के मूल्यों की कीमत नहीं है, कीमत पैसे की है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर श्री एस० एम० कृष्णा बैठे हैं, ये जानते हैं पैसे की क्या कीमत है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आपने अपने पुत्र की शादी में जो लोगों को खिलाया था, उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं ?

सभापति महोदया : वह तो ऐसे भी खिला सकते हैं, यह राजस्थान की प्रथा है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने मेहरबानी कर दी, आपने आंकड़े बताये हैं कि कितनी बहुएं

[श्री मूलचन्द डागा]

जली हैं, आपने खुद ही उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी सासुओं को यह और लोगों को सजा हुई है ?

मेरा कहना यह है कि इसमें सामाजिक क्रान्ति आनी चाहिये। श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जैसे बड़े-बड़े नेताओं के भाषण इस बारे में होंगे तो समाज में क्रांति आयेगी तो हम मान लेंगे। आपका कानून तो सख्ती करेगा नहीं और न दहेज प्रथा को रोक सकेगा। यह हमेशा से चली आई है। आज तो मुसलमानों में भी दहेज प्रथा हो गई, पहले नहीं थी। पारसियों में भी दहेज लेने लगे हैं, यह सब जगह घुस गई है क्योंकि यह समाज का अंग बन गया है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह बनियों ने शुरू की है।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे ब्राह्मण देवताओं, आप तो न लो। आप तो शादी के समय में लेते हैं, देने दिलाने में लेते हैं। आपको दोनों तरफ फायदा है। ब्राह्मण तो बहुत बड़े हैं, उनको दहेज लेने में फायदा दिलाने में फायदा। इसलिये मैं क्षमा मांगता हूं, आपने सही बात कह दी कि समाज में क्रांति आयेगी तभी यह हो सकेगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक)* : सभापति महोदया, मैं अपनी भाषा में बोलना चाहती हूं।

मैं दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1984 के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूं। मूल विधेयक, वर्ष 1961 में पारित किया गया था। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने वर्ष 1961 के दहेज प्रतिषेध विधेयक के इस संशोधन को लाकर समाज की इस गहरी बुराई को खत्म करने का प्रयास किया है। शुरू में दहेज देने की प्रथा का प्रयोजन नव विवाहित दम्पत्ति को आसानी से एक अलग घर की स्थापना करने में सहायता देना था। तथापि समय गुजरने के साथ यह परम्परा नव विवाहित दम्पत्ति के लिए वरदान सिद्ध होने की बजाए, वैवाहित सोहार्द को ही समाप्त करने लगी। इससे पहले कभी भी दहेज की मांग इतनी अधिक और व्यापक नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई दिन खाली नहीं गुजरता है जब समाचार-पत्र हत्या अथवा आत्म-हत्या के रूप में वधुओं की मृत्यु का समाचार नहीं देते हैं। दिल्ली में लगभग प्रत्येक 12 घण्टे में एक महिला को जलाया जाता है। इस प्रकार की मौतों से वर्ष 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम, में, जिसका प्रायः उल्लंघन किया जाता है परिवर्तन करने की मांग की गई है और इसमें कुछ सहज खामियों के कारण इनकी अलग-अलग व्याख्या की जाती है और इस के लिए वर्ष 1980 में संसद में संशोधित विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। इस पर अपना मत देने के लिए इसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया था। समिति ने जनमत जानने के लिए देश का दौरा किया। लेकिन मैं यह देखती हूं कि इस संशोधित विधेयक को केवल थोड़ी सी सफलता मिली है।

महोदया, इस संशोधन के प्रारुप पर नौकाशाही की छाप है। संयुक्त समिति के सदस्यों ने

* उड़िसा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जनमत जानने के लिए पूरे देश का दौरा किया। लेकिन मुझे खेद है कि इस संशोधित विधेयक में साक्षियों की उच्च आशायें ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं की गई हैं। यह विधेयक संसदीय समिति की आशा के अनुरूप नहीं है जिसकी दो वर्ष की मेहनत का मूल्य कम आंका गया है। इससे संकेत मिलता है कि किस प्रकार जनमत की उपेक्षा की जा सकती है। यह तो ठीक है कि प्रस्तावित संशोधन में समाज से दहेज की बुराई के उन्मूलन के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। लेकिन केवल कठोर दण्ड, जिसका इस संशोधी विधेयक में प्रावधान किया गया है, पर्याप्त नहीं है। 1961 के विधेयक की खामियों और इस गहरी सामाजिक बुराई पर काबू पाने के लिए कुछ अन्य उपायों और सुझावों की जरूरत है।

अब, इस विधेयक की परिभाषा पर आते हुए मैं कहना चाहती हूं कि यह परिभाषा ठीक प्रकार से नहीं बनाई गई है। संशोधन के निर्माता यह समझ नहीं पाते हैं कि दहेज की मांग न केवल विवाह के अवसर पर की जाती है अपितु इसके बाद भी उदाहरणार्थ विवाह के प्रथम वर्ष में विभिन्न समारोह, बच्चों के जन्म और विवाह के बाद कई वर्षों तक प्रत्येक प्रमुख पर्वों पर यह मांग होती रहती है। यह कहा गया है कि विवाहित स्त्रियों की देख-रेख 1983 के दण्ड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता के लिये एक व्यक्ति को दण्ड दिया जा सकता है, क्रूरता की एक परिभाषा संपत्ति के लिए अथवा अमूल्य प्रतिभूति के लिए किसी "अवैध मांग" को पूरा करने के लिए दबाव होना है। वर्ष 1983 के दण्ड विधि संशोधन अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार जहां क्रूरता होती है और कोई व्यक्ति मांग करता है, तो उसे दण्ड दिया जा सकता है। अन्य शब्दों में, यह स्वीकार किया गया है कि दहेज के लिए विवाहित स्त्रियों को परेशान किया जाता है। दहेज की परिभाषा में इन परवर्ती दहेज की मांगों को इस विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया है जिसका प्रयोजन दहेज की मांगों का प्रतिषेध करना है ?

अब, मैं इस विधेयक की धारा 2 का उल्लेख करना चाहती हूं। धारा 2 (क) में यह कहा गया है, मैं उद्धृत करती हूं :

> "उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रतिफलस्वरूप" शब्दों के स्थान पर" "उक्त पक्षकारों के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे;

अत: "विवाह के सम्बन्ध में" शब्द रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल "विचार में" शब्द के लोप से ही प्रयोजन हल हो जाता। जहां तक वधू और उसके माता-पिता का सम्बन्ध है, संशोधन में दिये गये परिवर्तन से स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है क्योंकि यह बात कि पति और उसके परिवार ने दहेज की मांग जैसे कार, फ्रिज, रिकार्ड प्लेयर, विडियो, कैसेट रिकार्ड प्लेयर देने के लिए आग्रह किया है आसानी से सिद्ध नहीं होती। यद्यपि इस संशोधी विधेयक में दहेज की परिभाषा को अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाकर कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया है तथापि अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। संशोधन के बाद लालची अथवा बेईमान पति और उसके माता-पिता विवाह हो जाने के बाद अथवा इसके पूर्व विवाह के सम्बन्ध में "मांग" को बदल कर "अनुरोध" कर सकते हैं। वर्ष 1961 के अधिनियम में

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

वास्तव में दहेज की मांग और विवाह के बीच होने वाली सौदेबाजी के सम्बन्ध को स्पष्ट करने में जो कठिनाई थी वह वर्तमान विधेयक के बाद भी रह जाती है। अतः नया संशोधी विधान लाकर भी दहेज की सही परिभाषा निर्धारित करने की विकट समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

5.00 म० प०

महोदया, संयुक्त समिति ने धारा 2 में समाविष्ट करने के लिए कुछ सिफारशें की थीं। वधू के माता-पिता की आज की अधिकतम सीमा निर्धारित कर विवाह खर्चों और भेंटों को सीमित रखने की सिफारिश की थी। दुर्भाग्य से वर्ष 1984 के संशोधी विधेयक में यह समाविष्ट नहीं किया गया है। यह अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि शान-शौकत के नाम पर विवाह के खर्चों और भेंटों में वृद्धि हो रही है और इससे अधिकाधिक मांगें की जाती हैं।

इसके बाद मैं धारा 3 उप-धारा 2 का उल्लेख करना चाहती हूं। उप-धारा 2 (ख) के अन्तिम पैरा में कहा गया है, मैं उद्धृत करती हूं :

> "परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है, दी जाती है, ऐसी भेंटें रुढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं, अधिक नहीं है।"

मैं यह कहना चाहती हूं कि वर्तमान संशोधी विधेयक में रुढ़िगत प्रकृति की भेंटों को दहेज नहीं माना गया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इन खामियों को दूर करने की बजाए इससे तो अधिक खुले रूप से इस प्रथा को जारी रखने का अवसर मिलता है जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों पर अधिक अपराध किये जाने की सम्भावनायें बढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त इसी उप-धारा में कहा गया है कि ऐसी भेंटें जो रुढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं, अधिक नही हैं, दहेज नहीं कही जा सकतीं। तब दहेज क्या होगा ? इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है कि यह "अधिक नहीं है" इसके बारे में कौन निर्णय करेगा। भेंटों को सूची में रखने के लिए उपबन्ध का स्वागत किया जाता है। सूचियों वाले दस्तावेजों के पंजीकरण के लिये समान नियमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये सूचियां किस के पास रखी जायेंगी। इस स्वागत योग्य उपाय से स्वतः विवाह का पंजीकरण होता है जिसे समाविष्ट किया जाना चाहिए।

अब मैं इस विधेयक की धारा 4 का उल्लेख करना चाहती हूं। धारा 4 में 'मांग' को स्पष्ट किया जाना चाहिए था अन्यथा यह न्यायालयों अथवा न्यायपालिका की व्याख्या अथवा निर्णय पर निर्भर रहेगा। इस विधेयक की धारा 4 (क) और (ख) में इन सिफारिशों को समाविष्ट करने के लिए सीमित ने कुछ सिफारिशें की थीं। लेकिन यह खेद की बात है कि इन सिफारिशों को छोड़ दिया

गया है। इन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तथापि मुझे खुशी है कि वर्तमान विधेयक की धारा 6 में समिति की सिफारिशें विधिवत् समाविष्ट की गई हैं। वर द्वारा वधू को सम्पत्ति अथवा भेंटों का अन्तरण करना ठीक है लेकिन इन बातों की देख-रेख के लिए कार्यान्वयन के ढंग और कार्यकारी दल का कोई उल्लेख हीं है। इस सन्दर्भ में मैं वर्ष 1976 में उड़ीसा विधान सभा द्वारा पारित किये गए अधिनियम का उल्लेख करना चाहती हूं। इस अधिनियम में, जहां स्त्री को दहेज की मांग के कारण दाम्पत्य अधिकार से वंचित रखा गया है, उसकी देख-रेख की व्यवस्था है और पति को दण्ड देने के लिए प्रावधान भी किया गया है। इसी प्रकार के प्रावधान संशोधी विधेयक में भी किए जाने चाहिये।

5.07 म० प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

दहेज की मांग करने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड देने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है लेकिन कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। मैं कुटुंब न्यायालयों के गठन के बारे में बल देना चाहती हूं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार दहेज के मामलों पर विचार करने के लिए कुटुम्ब न्यायालयों के गठन के लिए और विधान लायेगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत है तथापि ऐसे अपराधों की स्पष्ट और विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए प्रावधानों में व्यवस्था नहीं है जिसके लिए स्त्रियों को सामान्य न्यायालयों में शरण लेनी पड़ती है और इससे स्त्रियों के प्रति अपराधों की विस्तृत जांच-पड़ताल बहुत मुश्किल हो जाती है। कुटुंब न्यायालय के न होने पर विशेष न्यायालय कार्य कर सकते हैं और असन्तुष्ट पक्ष को न्याय दिलाने के लिए द्रुत विचारण लागू किया जा सकता है।

समिति ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिले में 'प्रोबेशन' अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहियें। दहेज के मामलों में सलाह और निदेश देने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियां भी स्थापित की जानी चाहियें। अन्य सहायक विधेयको में उल्लिखित ऐसे सभी अपराधों पर भी कुटुंब न्यायालयों में मुकद्दमा चलाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : श्रीमती जयन्ती पटनायक, आप पहले ही एक लम्बा भाषण दे चुकी हैं।

श्रीमती जयंती पटनायक : महोदय, मैं अपना भाषण खत्म कर रही हूं।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : वह काफी समय ले चुकी हैं।

श्रीमती जयंती पटनायक : महोदय, इस पर बोलने के लिए और कौन है। यह एक महत्वपूर्ण विधान है। कृपया मुझे थोड़ा और समय दें।

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

मैंने इस विधेयक की धारा 7 के बारे में भी कुछ कहना है। धारा 7, उप-धारा। (ख) (दो) में कहा गया है, इसे मैं उद्धृत करती हूं :

"अपराध से व्यथित उस व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य नातेदार अथवा किसी मान्यता-प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर, ही करेगा, अन्यथा नहीं"

इस सन्दर्भ में सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे लोगों के अज्ञान और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाओं अथवा संगठनों के न होने को ध्यान में रखते हुए एक पड़ोसी द्वारा अथवा एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति द्वारा अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता न प्राप्त कल्याण संस्थाओं द्वारा की गई शिकायत को भी न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिये।

जहां तक धारा 8 का सम्बन्ध है इसे गैर-जमानती तथा शमनीय बनाया जा सकता है जैसा कि समिति ने सिफारिश की है।

मैं दोबारा कार्यान्वयन तंत्र क बार म कहना चाहता हू। इस विधेयक में कार्यान्वयन से सम्बन्धित कुछ उपबंध भी किये जाने चाहियें। मुझे दुःख है कि विधेयक इन मामलों पर मौन है। समित ने दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, सलाहकार बोर्ड की स्थापना, शिकायत सैल खोलना, और अधिक महिला पुलिस तथा जांच-पड़ताल अधिकारी की नियुक्ति, कुटुंब न्यायालयों तथा परामर्श केन्द्रों की स्थापना आदि जैसी विभिन्न सिफारिशें भी की थीं। यह बेहतर होता यदि इन सभी मामलों को वर्तमान विधेयक में ससाविष्ट किया जाता। संयुक्त समिति की 1 से 19 तक की गई सामान्य सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

महोदय, मुझे खुशी है कि सरकार समाज से दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए दहेज प्रतिषेध विधेयक इस सदन के समक्ष लाई है। इस विधेयक तथा बहुत से अन्य सुझावों से जिनका मैंने उल्लेख किया है, महिलाओं को बहुत सहायता मिलेगी जिन्हें बिना किसी गलती के परेशान किया जाता है। मैं इस विधान को लाकर इस प्रकार के उल्लेखनीय प्रयास करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देती हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिये अत्यन्त आभार व्यक्त करती हूं।

श्रीमती शालिनी वी० पाटिल (सांगली) : सभापति महोदय, सन् 1961 में एक कायदा बनाया गया जो कि बहुत आवश्यक था, समाज में डाउरी सिस्टम को बन्द करने के लिए। कुछ साल तक उसका पालन किया गया। बाद में यह महसूस किया कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, इसमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। डाउरी प्रथा बहुत गलत है और आज महिला पुरुष पर दोष लगाए या पुरुष महिला पर दोष लगाए, इससे काम नहीं होगा। समाज में विचारों को परिवर्तन करने की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि कानून से कुछ नहीं होता। यह ठीक है कि सिर्फ कानून से कुछ नहीं होता लेकिन कानून नहीं होगा तो बिलकुल कुछ नहीं होगा। कुछ काम कानून की मदद से होगा और कुछ समाजसेवी

लोग कार्यकर्ता लोग समाज में जाकर इसके लिए प्रयत्न करेंगे। इन दोनों तरीकों से काम किया जाना आवश्यक है। इन दोनों तरीकों से समाज की इस गलत प्रथा को समाप्त करने का काम हो सकता है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं कि वे इसको सदन में लाए हैं। उन्होंने इन कमियों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करती हूं और विनती करती हूं कि यह बिल इन संशोधनों के साथ पास कर दिया जाए।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति जी, डावरी प्रोहीबिशन अमेंडमेंट बिल जो मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं, महज कानून लाने से डावरी को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक लोगों में यह जागृति पैदा न की जाए कि डावरी लेना और देना दोनों गलत हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दहेज की बुराई को स्कूल्स और कालेजेस में कम्पलसरी सबजेक्ट्स के तौर पर इसको इन्ट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का बचपन से ही ब्रेन-वाश किया जा सके कि दहेज लेना और देना बहुत बुरा है। मेरे ख्याल में ब्रेन-वाश करना मुश्किल बात नहीं होगी। मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में खुदा, ईश्वर और भगवान का नाम इस तरह से ब्रेन-वाश कर दिया कि वहां के जवान लोग कहते हैं कि खुदा और ईश्वर क्या चीज है? उनके दिमाग में यह बात नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस तरह से ब्रेन-वाश नहीं किया जा सकता। लेकिन जो तामील स्कूल और कालेज में है, उस दिशा में विचार करने की सख्त जरूरत है। हमारे देश में ज्यादा इलाके ऐसे हैं, जिनको सिविलाइज्ड कहा जाता है और हम पहाड़ी और ट्राइबल एरिया में रहने वाले बैकवर्ड कहलाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि कुछ चीजों में हम लोग सिविलाइज्ड लोगों से आगे हैं। खासतौर से डावरी का हमारे इलाके में नामों-निशान नहीं है। लड़की वालों के घर लड़के वाले जाते हैं। हमारे यहां आपकी तरह नहीं है कि लड़की वाले घर-घर जाएं। ''(व्यवधान) थोड़ा बहुत ही सामान जेवर वगैरह हमारे यहां देते हैं। और न भी दें तब भी जरूरी नहीं होता। कुछ स्कार्फ या छंग लेकर जाना पड़ता है। मैं समझता हूं आप लोगों को हमारे यहां से सबक लेना चाहिए। इस सिस्टम को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहिए लोगों को कहा जाए कि यह अच्छी बात नहीं है। शादी के लिए जो कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन की बात आपने की है, यह अच्छा है। यह जरूरी है और इससे भी शायद कुछ मदद मिल सके। मैं यह भी समझता हूं कि जो लोग ऐसे औफैंस कमिट करते हैं, उनके लिए भी उसी तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि कल हमने इसी हाउस में स्पेश्यल कोर्टस स्थापित करने वाले बिल में प्रावधान किया है। इस मामले में भी हमें स्पेश्यल कोर्टस स्थापित करनी चाहिए और जो भी डौरी के औफैंस कमिट करे, उन कोर्टस में उनका ट्रायल हो और वह ट्रायल भी स्पीडी होना चाहिए ताकि इस बुराई को सोसायटी से खत्म किया जा सके।

इसके अलावा नौकरी देने के लिए आपको कुछ प्रिफरैंस देने के बारे में भी आपको कुछ इन्सैन्टिव देने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो वालेंटरीली कोई यंग मैन दहेज के बिना शादी करता है, यदि वह नौकरी में है तो उसको कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, प्रोमोशन वगैरह का प्रौवीजन हो, उसको हाउसिंग एलाटमेंट में तरजीह मिलनी चाहिए या प्लाट एलाटमैंट में प्रिफरैंस मिलना चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें आपको रखनी चाहिए जिससे कि डौरी की बुराई को खत्म किया जा सके।

[श्री यी० नामग्याल]

इन चन्द अल्फाज के साथ, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो बिल पेश किया है, बहुत ठीक वक्त पर लाया है और इसमें दहेज की बुराई को रोकने के लिए काफी स्ट्रिन्जैंट मैयर्स रखे गए हैं जिनके जरिए हम इस मिनेस को खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं, इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति जी, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसका समर्थन करता हूं इसलिए कि समथिंग इज बैटर दैन नथिंग, लेकिन जब जब मैं अखबारों में यह पढ़ता हूं कि फलां लड़की दहेज न मिलने की वजह से सड़ कर मर गई, उसका दोष मैं समाज पर डालता हूं हमारी सोसायटी इतनी असहाय क्यों हो गई, जिसमें लड़कियां और बहूएं जला कर मार दी जाती हैं । ऐसा सिर्फ हिन्दुओं की लड़कियों के साथ ही होता है । उसका कारण यह है कि हिन्दू लोग सबसे ज्यादा लालची हैं और हमारे अन्दर यह कमजोरी है । हमारे अन्दर ऐसी भावना घर कर गई है कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते । हिन्दुओं में कोई हमदर्दी की भावना नहीं पाई जाती इनमें आपस में भी कोई हमदर्दी नहीं रही । यही कारण है कि इस जाति की सबसे ज्यादा लड़कियां मर जाती हैं ।

आप किसी भी दूसरी जाति में देख लीजिए, शेड्यूल्ड कास्टस तक में लड़कियां कभी दहेज न मिलने के कारण नहीं मरीं । मुसलमानों सिक्खों या किसी भी दूसरी कौमों में कभी नहीं मरतीं । इस बुराई को हम लोग कानून के जरिए नहीं हटा सकते । इसके लिए हमें लोगों में दर्द पैदा करना होगा कि जिस सोसायटी में लड़की मरती है, उस का बाइकाट कर दिया जाए ।जिस सो सायटी में लड़कियों के प्रति चार्म नहीं उसका बाइकाट करना अच्छा है ।

जब कहीं कोई लड़की इस तरह मरती है तो मन को कितना दुख होता है । जिस सोसायटी की लड़कियां ऐसे मरती हैं मैं उसको सोसायटी नहीं मानता । वह क्या सोसायटी है ? हिन्दुओं में सबसे ज्यादा इस मिनेसका होना यह साबित करता है कि हम पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उसको ही ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं । हम दूसरी तरफ कुछ नहीं देखते । ऐसे समाज का हम बहिष्कार क्यों न कर दें । उस आदमी को ही क्यों न मार दें जो इस तरह लड़कियों को मारता है । ऐसे आदमियों में मानवता के लिए कोई प्यार नहीं होता, उनका मतलब सिर्फ पैसे से होता है । वैसे हमने पीछे कई कानून बनाये, लैंड रिफार्मस का कानून बनाया । जितने कानून बनाये हैं, जो लोग बड़े जमींदार हैं सब पैसे से प्यार करते हैं हमारी सोसाइटी में और कोई हमारी स्कीम नहीं चलने देते । हरिजनों का भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया है । पहले वहां लैंड रिफार्म करेंगे, सब को जमीन देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दी । इसलिए इनके दिल में दर्द होना चाहिए अगर किसी की लड़की मर जाए तो इनको समझना चाहिए कि हमारी लड़की मर गई है । और जो ऐसा न समझें, या जिसने किसी दूसरे की लड़की को मारा है उसका समाज को बायकाट करना चाहिए । माननीय डागा ने ठीक ही कहा कि यह समस्या कानून से ठीक नहीं होगी । किसी की लड़की मर जाए और उसे दर्द न हो वह इन्सान नहीं है ।

मैं पंजाब में गया था तो सुरेन्द्र नाथ जो वहां एडवाइजर है उसको कहा कि तुम एडवाइजर

बन जाओ या गवर्नर बन जाओ तुम कभी काम नहीं करोगे। दूसरे को मिला वह कहने लगा, चौधरी साहब मैं काम करूंगा। तो हिन्दू हिन्दू का काम नहीं करता है। पंजाब में जो हिन्दू लीडर हैं वह आपस में लड़ते रहते हैं। अपने काज के लिए सारा काम का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए हिन्दू जाति की जो सोसायटी है इसने सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। यह पैसे के सिवाय कुछ नहीं करते हैं।

जो कानून आपने बनाया है ठीक है, लेकिन लोगों को हमदर्दी होनी चाहिए। जब कोई लड़की पर जाए तो हर आदमी को सोचना चाहिये कि इस कुप्रथा को ठीक करना है तभी यह समस्या हल हो सकती है वर्ना नहीं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है। लगभग उन सभी ने इस कदम का समर्थन किया है। यह सच है कि प्रत्येक सदस्य ने एक बात पर बल दिया है अर्थात्, कानून बना देने मात्र से या इसे कुछ और कठोर बना देने से दहेज की कुरीति समाप्त नहीं हो जाएगी। मैं उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं और इसलिए मैं इस देश के युवकों और युवतियों से अपील करता हूं कि वे इस कुरीति के विरुद्ध आवाज उठाएं। जब तक वे यह शपथ नहीं लेंगे कि वे उस जगह विवाह नहीं करेंगे जहां दहेज प्रथा का प्रचलन हो, केवल कानून बना देने से यह कुरीति समाप्त नहीं होगी। इसलिए, सामाजिक जागृति पैदा करनी होगी। लेकिन, इसके साथ ही, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है और जिसे मैं उद्धृत करता हूं। 'कानून को समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप भी चलना होगा।' एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था कि दहेज की परिभाषा के सम्बन्ध में हमने संयुक्त समिति का सुझाव स्वीकार क्यों नहीं किया। संयुक्त समिति का यह विचार था कि दहेज की परिभाषा में से विवाह के प्रतिफल स्वरूप "शब्दों का लोप कर दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका यह विचार था कि यह सिद्ध करना बहुत कठिन है कि जो कुछ भी सम्पत्ति दी जाती है वह विवाह के प्रतिफल स्वरूप दी जाती है, क्योंकि देने वाला सामने नहीं आता। वैसे भी, जहां तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, "प्रतिफल" का एक तकनीकी अर्थ है। अतएवं उनका यह सुझाव था कि ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिएं। सरकार उनसे लगभग सहमत थी लेकिन इसके स्थान पर "विवाह के सम्बन्ध में" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। कारण यह है कि "विवाह" तथा दी जाने वाली "सम्पत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति" के बीच सम्बन्ध होना चाहिए। बिना सम्बन्ध के परिभाषा बहुत व्यापक तथा कठोर हो जाती है और स्वयं समिति ने इसे स्वीकार किया है। इसलिए, सरकार जो संशोधन लेकर आई है उनसे उद्देश्य की बेहतर पूर्ति होती है। इससे चीजे अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। विधेयक के उपबन्धों को अधिक प्रभावी तथा कठोर बनाने सम्बन्धी अन्य सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, और जो संशोधन स्वीकार किए गए हैं, उनमें से दो अति महत्व-पूर्ण ये हैं : हम कुटुम्ब न्यायालय विधेयक ला रहे हैं ताकि वह बुनियादी ढांचे का, जो अब तक विद्य-मान नहीं था, निर्माण हो सके विधेयक में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह यह है कि विवाह के समय जो भी सम्पति दी जाएगी; उसे एक सूची में दर्ज किया जाएगा।

अतएव, ये सभी उपबन्ध, यदि दहेज को पूरी तरह समाप्त करने में नहीं तो इसके प्रकोप को

[श्री जगन्नाथ कौशल]

कम करने के प्रयासों में निश्चय ही सहायक होंगे। अतएव, मैं सदन से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधे
किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2

सभापति महोदय : इसमें कई संशोधन हैं। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावकर्त्ता यहां उपस्थित हैं या नहीं। मैं एक-एक करके नाम पुकारूँगा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते—उपस्थित नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी—उपस्थित नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं अच्छा भला यहां मौजूद हूं।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां, मैं पेश कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 पंक्ति 10—

"उक्त पत्रकारों के विवाह के सम्बन्ध में" **के पश्चात** "दिया गया तिलक, ठाका या कोई वस्तु भी शामिल है" **अन्तःस्थापित** किया जाए।

सभापति महोदय : श्री सूरज भान—उपस्थित नहीं

श्री सतीश अग्रवाल—उपस्थित नहीं

श्री राम जेठमलानी—उपस्थित नहीं

श्रीमती गीता मुखर्जी—उपस्थित नहीं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन् क्या मैं जान सकता हूं कि विपक्षी सदस्य सदन में उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

सभापति महोदय : मुझे इसका कारण मालूम नहीं कि वे क्यों उपस्थित नहीं हैं। लेकिन आप तो उपस्थित हैं। आपने एक संशोधन पेश किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हो सकता है, मैं गलती से आ गयाहोऊँ।

सभापति महोदय : आप यह बेहतर जानते होंगे कि वे उपस्थित क्यों नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं शहर में नहीं था । मैं अभी-अभी हैदराबाद से आ रहा हूं।

सभापति महोदय : यह बहुत अच्छी बात है कि आप उपस्थित हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब, नियमों के अनुसार इस समय गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होना चाहिए था । सदन में यह क्या हो रहा है ? गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य क्यों स्थगित किया गया है ?

सभापति महोदय : उसे निपटा दिया गया है और अब सरकारी कार्य लिया गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या 6 बजे से पहले ही यह कार्य आरम्भ कर दिया गया ?

सभापति महोदय : सदन की सहमति से ही ऐसा किया गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिना विपक्ष के सदन ?

श्री मूलचन्द डागा : मौजूद नहीं थे, कोई थे ही नहीं ।

सभापति महोदय : यदि वे उपस्थित नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति के बिना इस विधेयक पर आगे कार्यवाही न करें ।

सभापति महोदय : चलिए, आप तो यहां हैं । यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन् क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना संशोधन वापस ले लूं ?

सभापति महोदय : जी नहीं । यदि आप विधेयक का विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं। आप पहले ही संशोधन पेश कर चुके हैं । आप उस पर बोल सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय विधि मन्त्री पर मेरी इस अपील का कोई प्रभाव पड़ा है कि विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति के बिना उन्हें इस विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मुझे डर है कि यदि विपक्ष ने बहिष्कार करने का निर्णय किया है और विपक्ष ने लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रतिष्ठित मान दंडों के विरुद्ध जाने का प्रयत्न किया है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप निर्णय न दें । किसने क्या प्रतिष्ठित किया है ? किसने लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन किया है ? लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन हैदराबाद में हुआ है । यहां लोकतंत्र की बात मत कीजिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मुझे संदेह है, मैं माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई अपील का उत्तर नहीं दे रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विरोध स्वरूप मैं सदन से बाहर जाता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी सभाभवन से बाहर चले गए)

सभापति महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया संशोधन मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3

सभापति महोदय : श्री एम० रामन्ना राय—उपस्थित नहीं है । अतः मैं खंड 3 पर आऊंगा ।

कुछ सदस्यों ने संशोधनों के लिए नोटिस दिए हैं । श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री सूरज भान, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री सतीश अग्रवाल, श्री राम जेठमलानी और श्रीमती गीता मुखर्जी—ये सब उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4

सभापति महोदय : कुछ सदस्यों ने संशोधनों के नोटिस दिए हैं—श्रीमती प्रमिला दंडवते और श्री ऊजित कुमार मेहता दोनों उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 6

सभापति महोदय : कुछ सदस्यों ने संशोधनों के नोटिस दिए हैं—श्री अटल बिहारी

वाजपेयी, श्री सूरज भान, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री सतीश अग्रवाल, और श्री राम जेठमलानी—ये सब उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

सभापति महोदय : कुछ सदस्यों ने संशोधनों के नोटिस दिए हैं—श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री सतीश अग्रवाल, श्री राम जेठमलानी, और श्रीमती गीता मुखर्जी सभी उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4—

(i) पंक्ति 20—

"(क)" का लोप किया जाये।

(ii) पंक्ति 31 से 35 तक का लोप किया जाये।(7) (श्री जगन्नाथ कौशल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए"

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधन रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.39 म० प०

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय, चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर विचार करते हैं। श्री एच० के० एल० भगत।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चलचित्र अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

इस समय मैं संक्षेप में इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि यह विधेयक क्यों पेश किया गया है।

देश में वीडियो की धूम के कारण यह समाचार प्राप्त हुए हैं कि बड़े पैमाने पर अप्रमाणित वीडियो फिल्में दिखाई जा रही हैं। पूरे देश में बहुत से वीडियो पार्लर खुल गए हैं और वे ग्राहकों से प्रवेश शुल्क लेकर वीड़ियो टेप पर रिकार्ड की गई ऐसी फिल्में दिखाते हैं। अन्य बातों के अलावा इसका भारतीय फिल्म उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह सोचा गया है कि वीडियो पार्लरों आदि द्वारा अप्रयाजित भारतीय। विदेशी फिल्में दिखाए जाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए चलचित्र अधिनियम 1952 में और कड़ी सजा का उपबन्ध किया जाना चाहिए।

अत: यह विधेयक अधिनियम की धारा 7 में दिए गए जुर्माने को बढ़ाने के लिए तथा साथ ही अप्रमाणित वीडियो फिल्में प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम सजा निर्धारित करने के लिए पेश किया गया है।

इस उपबंध का वास्तविक परिणाम यह होगा कि इस अधिनियम के अधीन ये अपराध गैर जमानती हो जाएंगे। निःसन्देह वे पहले ही की भांति अवेक्षणीय रहेंगे और इन जुर्मानों को बढ़ाने से फिल्म चोरी की समस्या के समाधान होने के साथ-साथ अन्य गंदी सामग्री प्रदर्शित किये जाने अथवा हेर फेर कर सामग्री प्रदर्शित किए जाने की समस्या हल करने में भी सहायता मिलेगी।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में वीडियो पर चोरी छिपे फिल्मों का प्रदर्शन एक बहुत गम्भीर समस्या है और इस समस्या को हल करना बहुत कठिन है। विश्व-व्यापी है और इससे विश्व में हर जगह कई समस्याएं पैदा हो रही हैं मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अतिरिक्त प्रतिलिप्यधिकार विधेयक के उपबंधों में भी संशोधन करना होगा। मेरे विचार से इस संबंध में राज्य सभा के समक्ष भी प्रस्ताव रखा गया है। जनता के लिए सिनेमा दिखाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसके लिए कुछ कठोर कानून लागू करना आवश्यक है।

वीडियो पार्लरों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को इन बातों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने होंगे।

वैधानिक उपायों के अलावा कुछ और ठोस कदम उठाने भी आवश्यक हैं क्योंकि अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने होंगे। अच्छी फिल्में, प्रमाणित फिल्में और देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशा को चित्रण करने वाले कैसेट रिकार्ड होने चाहिए।

वीडियो तथा दूरदर्शन दोनों को इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। रेडियो को और भी अधिक कार्यक्रमों की आवश्यकता है क्योंकि यह सामुदायिक नियंत्रण के अधीन है और इसके कार्यक्रम नियत समय पर आते हैं, लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति को भोजन नही मिलता तो उसे खराब भोजन मिलने की संभावना रहती है। राष्ट्र के नैतिक लाभ के लिए यह बहुत आवश्यक है कि ये कार्यक्रम दिखाने के लिए इस उपबंध के साथ साथ कुछ ठोस कदम भी उठाए जाने चाहिए। फिल्म उद्योग को भी अपनी विपणन नीतियों में संशोधन करना होगा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अच्छे कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया है।

बाहरी व्यवसायी, गैर सरकारी व्यक्ति और व्यक्ति विशेष आगे आकर इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहनकारी बना सकते हैं। वास्तव में, हमने लोगों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं जिन्हें कार्यक्रम बनाने के लिए उपकरण प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। हमें इसका उत्तर मिला। 150 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन्हें कुछ सहायता देने की सिफारिश करेगी, ताकि आवश्यक उपकरण लिए जा सकें। यह एक गंभीर समस्या है। इसीलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ :

"कि चलचित्र अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

अब श्री वृद्धि चन्द्र जैन बोलेंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सिनेमेटोग्राफ बिल, 1984 जो सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। वीडियो के बारे में मैंने पहले भी अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत किये थे कि वीडियो ने हमारे देश में लाभ के बजाय नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया है। वीडियो का प्रचलन नगरों में तो हुआ ही है, परन्तु बड़े-बड़े गांवों में भी वीडियो का प्रचलन हो गया है और उसमें जो फिल्म्स दिखाई जाती हैं वह इस प्रकार की फिल्म्स हैं जिन से मनुष्य के चरित्र पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। जो विशेषकर विद्यार्थी हैं, जो कम उम्र के हैं, उनके चरित्र पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। विदेशी जो फिल्में दिखाई जाती हैं, उनसे भी बडा नुकसान पहुंचता है। इसलिए यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके द्वारा इसपर कुछ चैक और प्रतिबन्ध लग सकेगा और उससे लाभ भी आवश्यक होगा।

जो इन्टरटेनमेन्ट टैक्स है, उसको इसके द्वारा बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इन्टरटेनमेन्ट टैक्स राज्य सरकारों को दिया गया है और नगरपालिकायें पहले इस टैक्स को लगाती थीं। मुझे राजस्थान प्रान्त की जानकारी है, वहां की विभिन्न नगरपालिकाओं में इन्टरटेनमेन्ट टैक्स की वसूली

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यहां तक कि केवल 50 प्रतिशत ही इनकम हो पाई है। इसी प्रकार से दूसरे प्रान्तों में भी कुप्रभाव पड़ा होगा। इस तरह से इन्टरटेनमेन्ट टैक्स का जो बड़ा भारी सोर्स आफ इनकम था, राज्यों के लिए, और नगरपालिकाओं को उसमें से शेयर मिलता था, जिसके द्वारा नगरपालिकाओं में विकास कार्य कार्य किए जाते थे, उनमें बाधा पहुंची है। इसलिए यह बिल लाकर इसमें जो पनिशमेन्ट देने के सम्बन्ध में प्राविधान रख गया है।

कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने में से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अपराध के लिये दण्ड बढ़ाया जाना;

"जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने के लिए, दण्ड बढ़ाया जाना, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।"

इस पनिशमेन्ट के प्रावधान का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा दूसरी सोशलिस्ट कन्ट्रीज में शिक्षा देने का एक बड़ा भारी माध्यम है। वहां पर आधुनिकतम प्रणाली के द्वारा अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर अच्छे विद्यार्थी एवं नागरिक तैयार किए जाते हैं। हमारे यहां जो सिनेमा का काम चल रहा है, शिक्षा देने का प्रयास तो किया जा रहा है, टेलिविजन के द्वारा भी शिक्षा का प्रयास किया जा रहा है परन्तु वह कार्य बहुत कम है। टेलिविजन तथा सिनेमा में अधिकतर ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिनसे देश में अनुशासन नहीं आता है, जनता का चरित्र नहीं बनता है। इस प्रकार की बहुत सी फिल्में हैं जो चरित्र निर्माण में बाधक हैं। सरकार को कोशिश करके उन फिल्मों से ऐसे आब्सीन पोर्शन हटा देने चाहिए। देश में समाजवाद लाने के लिए तथा राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि हमारी जो फिल्में बनती हैं उनमें काफी परिवर्तन करके उनको ऐसा बनाया जाए जिससे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण हो सके और अच्छे नागरिक बन सकें। उनके द्वारा इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि समाज में अनुशासन पैदा हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, पहले तो मैं हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उनकी प्रशंसा करता हूं कि जैसी वे बात करते हैं, वैसा ही कर गुजरते हैं। उन्होंने कंसल्टेटिव कमेट में कहा था कि मैं ऐसा कानून जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। कंसल्टेटिव कमेट में कहने के बाद इन्होंने यह कानून बना दिया। 9 फरवरी को कमेटी के अन्दर बात हुई थी—

"सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री एच० के० एल० भगत ने आज दावे के साथ कहा है कि सरकार वीडियो पर फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध बनाने के लिये कृत संकल्प है।"

श्री भगत ने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्श दात्री समिति की बैठक में बोलते हुए वीडियो पर फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन और उसके फिल्म उद्योग के विकास पर विपरीत प्रभाव के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि अन्त: मंत्रालय दल वीडियो पर फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन की बढ़ती हुई बुराई पर अंकुश बनाने के लिए शास्तियों को और कठोर बनाने के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश कर चुका है।"

तो मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। जो बात आपके ध्यान में आई है और तुरन्त आप उस बात को कानून के रूप में ले आए हैं, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। अनिर्णय की स्थिति बड़ी निराशाजनक होती है। जो मिनिस्टर जल्दी से निर्णय ले सकता है, मैं उसकी हृदय से प्रशंसा करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं।

"अमीर लोगों के पास घर में वीडियो सेट हैं। और सैकड़ों वीडियो लायब्रेरियों, पूर्व-रिकार्ड किये कैसेटों से इस प्रकार तीव्र गति से बढ़ते हुए ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।

इस व्यवसाय के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े अविश्वासनीय हैं। किन्तु जानकार अनुमान लगाने वाले लोग देश में उपलब्ध वीडियो सेटों की संख्या लगभग तीन लाख बताते हैं और इस संख्या में प्रतिमास 20,000 की वृद्धि हो रही है। छठे दशक के अन्त में और सातवें दशक के अन्त में आरम्भ में न तो दूरदर्शन, न ही ट्रांजिस्टर क्रान्ति इतनी अचानक हुई थी।"

इनका कहना है कि देश के अन्दर वीडियो के लोग इतने दीवाने हो गए हैं। गली गली में, घर घर में ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती हैं। गांवों के लोग···

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं। आज घर के अन्दर छोटे-छोटे बच्चे जिनको ब्लू फिल्म्स नहीं देखना चाहिए, वे देख रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह आप जानते ही हैं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : वैसे सिनेमा हाल में जाकर देखते हैं। ऐसे घर में देखते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सिनेमा हाल में ऐसी फिल्में नहीं दिखाई जातीं। ये फिल्में तो चोरी से बेची जाती हैं और इन गंदी फिल्मों को दिखाया जाता है। इन पर रोक लगाने के लिए आप यह बिल लाए हैं, यह अच्छा काम किया है।

[श्री मूलचन्द डागा]

आज सारी दुनियां में वीडियो दीवानगी का यह हाल है कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख वीडियो सेटों का उत्पादन हो रहा है। इसमें जापानी कम्पनियां सबसे आगे हैं। पश्चिमी जर्मनी में 15 लाख से भी ज्यादा घरों में वीडियो हैं। ब्रिटेन में तकरीबन 20 लाख वीडियो हैं। 1982 के अन्त तक 14 प्रतिशत ब्रिटिश घरों में वीडियो की घुसपैठ हो चुकी थी। ब्रिटेन में आज किताबों की दुकान से कहीं ज्यादा वीडियो की दुकानें हैं। वीडियो की सबसे ज्यादा खपत अमरीका में है। हमारे देश में वीडियो की दीवानगी अभी नई-नई है। भारत में सबसे पहले दो कम्पनियों वेस्टन तथा क्राउन को लाइसेंस दिया गया कि विदेशी कम्पनियों की सहायता से भारत में वीडियो बना कर बेचें। अभी तक भारत में वीडियो के पुर्जों का उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। विदेशी कंपनियों से पुर्जे आदि खरीद कर भारत लाए जाते हैं तथा उन्हें यहां जोड़कर वीडियो "मेड इन इण्डिया" का ठप्पा लगा कर बेचा जाता है। वीडियो का पर्दा 36 सेंटीमीटर से लेकर 66 सेंटीमीटर तक आता है।

परन्तु विदेशों में अब 152 सेंटीमीटर परदे वाले वीडियो भी बनने लगे हैं। यह जो वीडियो फिल्म चल रही हैं, इसके कारण हमारे देश को कितना नुकसान होता है इस बात को जरा आप सोचिए।

"वीडियो पर फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन में हुई अचानक वृद्धि से फिल्म उद्योग तथा सरकार दोनों ही प्रभावित हुए हैं। श्री अरुण वासुदेव ने सिनेमा को बचाने के लिए कड़ी कार्यवाही का सुझाव दिया है।"

मेरे पहले वक्ता ने अभी कहा कि मनोरंजन कर की वजह से राज्यों में सिनेमा इन्डस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा है। आपने ठीक किया है कि इसके आधार के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा है।

अब आपने आफेन्स को कागनीजेबल बना दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में ही ब्ल्यू फिल्में दिखाई जाती है। इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए आपका और फाइनेंस डिपार्टमेंट का सहयोग चाहिए। आप यह बताइए कि देश में कितने वीडियो सेट् स कौन-कौन से लोग कब-कब लाते हैं और लाने के बाद आपको इत्तिला कब होती है? यह बता दीजिए कि हिन्दुस्तान में पिछले एक साल में कितने वीडियो सेट्स आ गए हैं और कहां-कहां पर आ गए हैं इन पिक्चरों के देखने से हमारे युवकों के चरित्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है और जो समय अच्छे कामों में लगना चाहिए वह नही लग पाता। आपने यह कानून बना दिया है कि वही पिक्चरें दिखायी जायेंगी जिनकी आपने जांच करली है और जो सही हैं। लेकिन, इसका बहुत बड़ा दायरा है। इस काम को अगर ईमानदार, निष्ठावान और डेडीकेटेड लोग करेंगे तो हो सकता है नहीं तो घर-घर ब्ल्यू फिल्में दिखाने का तूफान चलता रहेगा। यह एक छोटा सा इनोसेंट बिल है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु मैं मन्त्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि हम अपने देश में इस समय सांस्कृतिक संघर्ष की लहर से गुजर रहे हैं और सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संघर्ष से, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, कैसे बचा जाए। निःसन्देह हमारा एक उन्मुक्त समाज है, यह एक संगठित समाज नहीं है और समाजवादी देशों में एक संगठित समाज में, जहां इतने अधिक नियन्त्रण होते हैं, जहां वैयक्तिक स्वतन्त्रता कम कर दी गई है, वहां भी उनके लिए देश के सांस्कृतिक सिद्धांतों के बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन देना कठिन होता है।

किन्तु हमारे इस देश में ऐसा करना और भी कठिन है। इसीलिए मैं इस सरकार की सीमाओं के बारे में चिंतित हूं। साथ ही, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है जबकि हमें इस प्रकार के सांस्कृतिक सिद्धांत बनाने चाहिये जिससे हमारा धर्म निरपेक्ष स्वरूप सुदृढ़ हो और हमारे राष्ट्र का समाजवादी पक्ष भी मजबूत हो। किन्तु, दुर्भाग्य से, हम देखते हैं कि ऐसा करना सुगम नहीं है।

6.00 म० प०

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कलकत्ता दूरदर्शन ने 'सद्गति' नाम की फिल्म का निर्माण किया था। यह मुन्शी प्रेमचन्द की पुस्तक पर आधारित है। जब इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, समूचे भारत में इसका विरोध किया गया। इस पुस्तक का मूल विषय यह है कि एक हरिजन पर एक ब्राह्मण द्वारा अत्याचार किये जाते हैं और अन्ततः वह मर जाता है। विरोध इस प्रश्न को लेकर किया गया कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों के अपराध से मुक्ति पाने के लिये इस प्रकार के साहित्य का सृजन किया गया बल्कि होना यह चाहिये था कि मुन्शी प्रेमचन्द को हरिजन द्वारा विद्रोह करते हुये दिखाया जाना चाहिये था और इस प्रकार तब से समाज में परिवर्तन आता जिससे इस प्रकार का अत्याचार सम्भव न हो पाता।

सभापति महोदय, श्री सत्यजीत राय, जोकि इस देश के प्रतिष्ठित निदेशक हैं, के सम्बन्ध में नरगिस ने टिप्पणी की थी कि वह देश के बाहर देश की गरीबी सम्बन्धी फिल्में बेचकर पैसा कमा रहे हैं। हाल में एक प्रसिद्ध "पोप" गायक ऊषा उथुप को रवीन्द्र सदन में सपना गाने की पश्चिम बंगाल के संस्कृति मंत्री द्वारा अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई कि उसके गाने में पोप संस्कृति का वर्णन है, यद्यपि अन्त में मुख्यमन्त्री ने उन्हें गाने की अनुमति दे दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी उन्हें अनुमति दे दी। महोदय, आप यह भी जानते होंगे कि ममता प्रीतम को भी धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा इस कारण से धमकी दी गई थी कि उन्होंने अपने काव्य में नानक की मां की वेदना और नानक की पत्नी के आह्लाद का चित्रण किया है।

महोदय, हाल में ही मुसलिम कट्टरपंथियों ने महिलाओं द्वारा सिनेमा देखने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहा था यद्यपि किसी ने उनका कहना नहीं माना। वास्तव में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धार्मिक कट्टरपंथियों तथा उन लोगों के द्वारा, जिनकी धर्म-निरपेक्षता, लोकतांत्रिक प्रणाली में आस्था नहीं है और जो नहीं चाहते कि यह व्यवस्था बनी रहे, हमारी संस्कृति पर कैसे प्रहार किया

[श्री ब्रजमोहन महन्ती]

जा रहा है । इसलिए जो लोग देश की अखण्डता और एकता के विरुद्ध सक्रिय हैं वे देश के के हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन को अस्तव्यस्त करने का प्रयास एवम् षड्यन्त्र कर रहे हैं। डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, "ऐ ही भारते महामानवेर सागर तिरे ···। वह उद्देश्य हमारी आंखों से ओझल होता चला जा रहा है । इसीलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि कवियों, पत्रकारों एवम् संगीतज्ञों में ऐसी चेतना फूंकी जाये, ताकि वे हमारी संस्कृति को एक नवीन रूप दे सकें जिससे भारत में एकता, अखण्डता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी । इससे सम्प्रदायवादियों की देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कमजोर करने की सभी कोशिशें भी नाकाम हो जायेंगी । इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को पहल करनी होगी । यद्यपि वह संस्कृति मन्त्री नहीं हैं फिर भी वह सांस्कृतिक प्रचार माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण अंक उसके हाथ में दें । इस पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में उन्हें कवियों, पत्रकारों, लेखकों, संगीतिज्ञों एवं निदेशकों की बैठक का आयोजन करने की मुख्य जिम्मेदारी उनकी है, ताकि इस सम्बंध में किसी प्रकार की सहमति बन सके । मुझे बताया गया है कि अब हर कोई फिल्मों में 'सेक्स' एवं हिंसा के प्रदर्शन का विरोध कर रहा है । किंतु हम इस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं ? हम कुछ सीमा तक यह प्रतिबंध लगा सकते हैं । जहां तक सेक्स का सम्बंध है, मैं कहता हूं कि यह गलत नहीं है, किंतु जिस 'सेक्स' प्रदर्शन से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वह खराब है । जहां तक हिंसा का सम्बन्ध है, यह जीवन का सत्य है किन्तु जब इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, वहां इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिये । हिंसा का बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु इस सम्बन्ध में न केवल मन्त्रालय को कार्यवाही करनी चाहिये और समूचे देश में संविधान भी तो लागू है । अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी मार्गदर्शी नियम बनायें और उन्हें राज्य सरकारों की राय भी ले लेनी चाहिये । एक नई सांस्कृतिक आचार संहिता बनाई जानी चाहिये, ताकि फिल्म-निर्माण, संगीत, नृत्य आदि को एक नई दृष्टि, एक नई दिशा, एक नया सांस्कृतिक आयाम मिल सके जिससे हमारी व्यवस्था सुदृढ़ होगी ।

एक अन्य बात के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेक्स प्रदर्शन बहुत किया जाता है । दक्षिण के और कोणार्क के मन्दिरों में कुछ सीमा तक सेक्स का प्रदर्शन किया गया है किन्तु क्या आप समूचे साहित्य को समाप्त कर सकते हैं ? क्या आप कालिदास का साहित्य समाप्त कर सकते हैं ? समस्या यह है कि जिस सेक्स प्रदर्शन से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसे बन्द किया जाना चाहिये । उदाहरण के तौर पर, स्तनपान करते शिशु का प्रदर्शन अश्लील नहीं हैं । इससे अच्छे भाव की उत्पत्ति होती है । इससे हमारी सांस्कृतिक पद्धति भ्रष्ट नहीं होगी । इसीलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक अध्ययन कर यह निर्णय करना होगा कि हमें सेक्स के प्रदर्शन की अनुमति किस सीमा तक देनी होगी ।

मैं एक अन्य पहलू के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार की प्रवृत्ति एवं भावना घर करती जा रही है । कुछ राज्यों में यह कानून है कि वहां के छविग्रहों को स्थानीय भाषा में निर्मित फिल्मों को कुछ माह तक प्रदर्शित करना होगा । यह खराब

बात है। मेरा निवेदन यह है भारत सरकार राज्यों के मन्त्रियों की एक बैठक बुलाने की पहल क्यों नहीं करती और इस प्रकार का सिद्धांत क्यों नहीं बनाती जिससे राष्ट्रीय अखण्डता और एकता मजबूत हो ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल राजनीतिक मामलों में बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में इस प्रकार की क्षेत्रीय प्रवृत्ति का त्याग किया जाना चाहिये। वरना देश की अखण्डता और एकता कमजोर हो जायेगी। इसलिये मैं एक बार पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं और वीडियो के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिये मन्त्री महोदय द्वारा इस विधेयक को शीघ्र लाने के लिये उन्हें बधाई देता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : साहिबे सदर, मैं इस बिल की ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल इस वजह से लाया गया कि फिल्मों की बहुत चोरी होती थी वीडियो के जरिये जिससे फिल्म बनाने वालों का बहुत नुकसान होता था। इस बारे में बहुत से एम० पी ज ने दस्तखत किये, रिप्रजैन्टैशंस दिये, फिल्म प्रौड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आये उन्होंने भी रिप्रजेन्टशंस दिये और हमारे मंत्री जी के पास भी आये, इनकी मिनिस्ट्री में मैंने उसको देखा परेशान हालत में और उनको नुकसान हो रहा है। इसलिये इस चोरी को रोकना तो जरूरी था। मगर मैंने उस वक्त भी कहा और अब भी कहता हूं कि इसको रोकेगा कौन ? काफी बड़ी स्केल पर चोरी होती है। एक आदमी सिनेमा देखने जायेगा वह फिल्म की चोरी कर लायेगा विडियो टेप पर। माननीय डागा जी ने कहा कि बाहर की फिल्में हमारे अखलाक को खराब करती हैं। मैंने उन फिल्मों को नहीं देखा, मगर यह ठीक है कि फिल्मों में अखलाक की कमी जरूर है और यह हमारे सेंसर बोर्ड की कमजोरी की वजह से है। इस वजह से देखना चाहिये कि हम कहां तक उनको कन्ट्रौल कर सकते हैं। अभी हमारे महन्ती साहब ने ठीक ही कहा कि अगर आपने फंडामैंटलिज्म, और कौमुनलिज्म को फाइट करना है, अगर इस मुल्क में इन्टैग्रिटी और सालमीयत को कायम रखना है तो आपको फिल्मों का इस्तेमाल करना होगा। वह एक जबरदस्त मीडियम है। आप टी० वी० को बढ़ा रहे हैं, अगर टी० वी० है तो वीडियो देख सकते हैं और टी० वी० पर उससे फिल्म चल सकती है। टेलीवीजन के एक्सपैंशन के साथ-साथ आपको इस मीडियम का पूरा इस्तेमाल करना होगा।

यह ठीक है कि जब घर में फिल्म देख सकते हैं तो सिनेमा में लोग नहीं जायेंगे। इससे इस इण्डस्ट्री को नुकसान होगा और इसे कैसे एडजस्ट करना है यह मुमकिन है आपको सोचना पड़े। अगर नई फिल्में टेलीवीजन पर आयें तो उन्हें बहुत से लोग अपने घरों पर देखना चाहेंगे। नई फिल्में लानी चाहियें। फिल्म वाले उनको बेचेंगे वीडियो पर फिल्मों को सप्लीमेंट करने वाली बात है। वीडियो पर फिल्म दिखाकर बच्चों को घर में रखने वाली बात है, ठीक तरह से इस समस्या को हल करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि वीडियो ज्यादा तादाद में नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि ये कम हैं। अगर ये अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर हों, उनकी टेप्स तैयार हों और उन पर आपका कन्ट्रौल हो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हों को उनसे यूसफुल परपज सर्व हो सकता है।

मैं मन्त्री जी से यही दरख्वास्त करने वाला था कि चोरी को रोकिये, उस पर पाबन्दी लगाइये, मगर एक्सपर्ट्स की ड्यूटी लगाइये जो आपकी गाइडेंस में देखें कि हम कैसे बेहतरीन

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

तरीके से फिल्मों का फायदा उठा सकते हैं। ऐसी फिल्में बननी चाहियें जो आपकी गाइडेंस के नीचे बनें, जिनका थीम ऐसा हो जिसमें तमाम वैल्यूज हों, जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे ला सकें और अच्छे-अच्छे फिल्म राइटर सामने आयें गाने भी अच्छे हों, प्लाट भी अच्छे हों और उनके मुताबिक फिल्में बनें तो इनका फायदा अच्छा उठाया जा सकता है। सिनेमा में तो वह फिल्म जायेंगी जिनका रिटर्न ज्यादा होगा। 4 आने, 8 आने, 12 आने की क्लास में कितने लोग आते हैं, वह कमर्शियल प्वाइन्ट आफ व्यू से बनेंगी। अगर वीडियो पर अच्छी फिल्में चल सकती हैं तो वह कमर्शियल फिल्म नहीं होगी। आज बुरा मैटीरियल इसीलिये सामने आता है कि अच्छा मिलता नहीं है। अगर अच्छा मैटीरियल आप तैयार करवायें तो जिनके यहां टेलीवीजन है, जो 12, 15 हजार में सैट लेते हैं तो वह उसका वीडियो से फायदा उठाना चाहेंगे। आज वीडियो 2, 4 हजार का नहीं बल्कि सस्ता होना चाहिये जिस तरह से रेडियो ट्रांजिस्टर सस्ते हैं। वैसी टैक्नोलाजी आपको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि सस्ते टैलीवीजन और वीडियो हों और लोगों को अच्छी फिल्में देखने को मिल सकें। लोग आराम से घरों में देख सकें, आप जैसे बुजुर्ग भी देख सकें।

आज बाप-बेटा और बेटी-बाप इकट्ठे बैठकर फिल्म नहीं देख सकते हैं। इसलिये मैंने यह अर्ज की है, वरना मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरा कहना है कि चोरी जरूर बन्द कीजिये, कमर्शियल फिल्में हमें सूट नहीं करती। हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक, ट्रेडीशन, परम्परा और मान्यताओं के मुताबिक फिल्में बनानी होंगी और उनको बढ़ावा देना होगा और उसके लिये आप कोशिश कर सकते हैं, आप में इतनी सलाहियत है।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताइद करता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने न केवल विधेयक का समर्थन किया है अपितु बहुत ही रचनात्मक एवं लाभकारी सुझाव भी दिये हैं। और मैं यह अवश्य कहूंगा, कि कुछ सुझावों द्वारा मेरा ज्ञानवर्धन हुआ है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

जहां तक वीडियो और कैसेट रिकार्डरों का सम्बन्ध है, जहां तक वीडियो का सम्बन्ध है, यह एक प्रौद्योगिक उन्नति है। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते। वीडियो को मान्यता मिल चुकी है। यह और अधिक प्रचलित होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम चाहें भी, तब भी हम इसे नहीं रोक सकते हैं। अतः हमें जो करना होगा और हमारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है वह यह कि हमें इसमें जो बुराई है उसे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम अच्छे कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं, जिन्हें जनता को दिखाया जा सकता हो, और यदि कैसेटों पर प्रमाणिक कार्यक्रम तैयार किये जाएं तो उस बुराई को दूर किया जा सकता है। यह नीति सम्बन्धी निर्णय हमने लिया है। यह निर्णय केवल दूरदर्शन तथा चलचित्र प्रभाग आदि जैसे

सरकारी संगठनों ने नहीं लिया है। मेरे विचार से राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम भी उक्त कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है परन्तु सरकार बहुत उत्सुक है कि यह कार्य व्यावसायिक संगठनों, सरकारी संगठन के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिकों द्वारा हाथ में लिया जाए। इसके लिए हमने एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है और हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं और सच बात तो यह है कि हम कम से कम ऐसी सौ इकाइयों की सहायता करना चाहते हैं जिनके पास इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं, ताकि हम अच्छे कार्यक्रम वीडियो पर दिखा सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि हमें अच्छे कार्यक्रम मिल सकें तो वीडियो बहुत ही लाभकारी हो सकता है। और यह केवल फिल्मों की चोरी का सवाल नहीं है। निश्चय ही फिल्मों की चोरी करना बहुत बुरी बात है। इससे हमारे फिल्म उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह केवल भारत में ही नहीं है, अन्य देशों में भी फिल्मों की चोरी की जाती है। हमारी फिल्मों की चोरी की जाती है। इसके कैसेट केवल भारत में ही उपलब्ध नहीं हैं, अपितु अन्य देशों में भी उपलब्ध हैं। वे विश्व के अधिकांश देशों में बेचे जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी विदेशी मुद्रा की आय भी कम हो गयी है।

हमें यह भी पता लगा है कि भारतीय फिल्में काफी प्रसिद्ध हैं। जब मैं विदेश गया तो मैंने देखा कि वहां भारतीय फिल्मों और कैसेटों की अच्छी मांग है।

एक माननीय सदस्य : मैं बर्लिन गया था और देखा कि भारतीय फिल्में वहां बहुत लोकप्रिय हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : एक ओर तो फिल्में लोकप्रिय हैं और दूसरी ओर इनके निर्यात में कमी आ रही है। इसका एक कारण वीडियो पर फिल्मों की चोरी है। हाल ही में हमने वित्त मंत्रालय आदि जैसे सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया था और एक चलचित्र निर्यात संवर्धन परिषद बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने यह सुझाव दिया और सरकार इसपर विचार कर रही है। हम इस बारे में विचार करने जा रहे हैं कि इस बात पर ध्यान देने के लिए क्या उपाय किये जाएं कि न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी हमारी फिल्मों की चोरी से नकल न की जाए। इन चोरी की गई फिल्मों और कैसेटों का निर्माण करने के लिए, विश्व के कुछ फिल्म केन्द्र, मुख्य साधन बन गये हैं। विश्व में दो अभिसमय हैं। एक का नाम बर्न अभिसमय है। एक दूसरा अभिसमय है जिसका भारत सदस्य है। इन दोनों अभिसमयों के कुछ देश सदस्य हैं। कुछ देश सदस्य नहीं बने हैं जिसके कारण वे नियम उन देशों पर लागू नहीं होते हैं। मेरे विचार से हमारे लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन सम्मेलनों के नियम उन देशों पर भी जबरदस्ती लागू हों, चाहे हमें इसके लिये इन्टरपोल अथवा किसी अन्य संस्था की सहायता लेनी पड़े ताकि इन उपायों को कड़ाई से लागू किया जाए। यह भी आवश्यक है।

अब जहां तक हमारे अपने देश का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास अधिक रचनात्मक कार्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए और ऐसा करने के लिए हम निश्चय ही, आवश्यक कदम

[श्री एच० के० एल० भगत]

उठा रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस अवस्था पर हमने कुछ उपाय आरंभ किये हैं ताकि पूरा काम उचित तरीके से किया जा सके। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा है, केवल वैधानिक अधिनियमन अथवा केवल चलचित्र अधिनियम में परिवर्तन करके इस समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। मेरे विचार से अन्य आवश्यक उपाय भी करने पड़ेंगे। चलचित्र अधिनियम में कई प्रकार के अपराधों पर विचार किया जाता है, जैसे कि चलचित्र में से काट दिये जाने वाले भाग, विकृत, उत्सित दृश्यों तथा अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के अपराधों पर विचार किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध हैं जिन्हें प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निपटाया जा सकता है। उस उद्देश्य से शिक्षा मन्त्रालय ने पहले ही एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु इन विधायी उपायों के अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने उसी को लागू करने पर जोर दिया है; उसको लागू करना बहुत आवश्यक है। अब लागू करना तो महत्वपूर्ण है पर हमारी वर्तमान नीति के अनुसार इसे लागू करना राज्य सरकारों का कार्य है क्योंकि सार्वजनिक तौर पर फिल्मों के दर्शाये जाने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकारों के पास है। वे ही इस बारे में दखल दे सकते हैं। एक-दो ऐसे मामले हैं जिनमें इस प्रकार की फिल्में दिखाई गयीं। लोग उन्हें देखने जा सकते हैं और हमारे पास उन फिल्मों को रद्द करने की शक्ति है जिनका गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसे लागू करने का असली कार्य राज्य सरकारों का ही है।

इन वीडियो क्लबों से कैसे निपटा जायेगा ? चलचित्र अधिनियम की वर्तमान परिभाषा के अधीन वीडियो फिल्म, फिल्म की परीधि में आती है। विधि मंत्रालय से सलाह करके इस पर स्पष्टीकरण ले लिया गया है और कुछ उच्च न्यायालयों ने इस मत को सही बताया है। राज्य सरकारें इस बारे में कार्यवाही कर सकती हैं। यहां तक कि ये अपराध संज्ञेय है। अब दण्ड को बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिये जाने पर यह अपराध संज्ञेय बन गया है और अपने आप ही गैर-जमानती बन गया है। मैंने राज्य सरकारों और मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वीडियो फिल्म चलचित्र अधिनियम की परिभाषा के अन्तर्गत एक फिल्म मानी जाएंगी, मैंने अश्लील साहित्य के बारे में भी लिखा है। मुझे आशा है कि जब राज्य सरकारों की शक्तियों में वृद्धि की जायेगी। तो वे इस बारे में आवश्यक कदम उठाएंगी। और इस संकट से निपटने के लिए जोरदार उपाय करेंगी। वास्तव में न केवल फिल्म उद्योग बल्कि हमारे लेखक, संगीतज्ञ, गीतकार और अन्य साहित्यिकार और अन्य लोग भी इस स्थिति से अप्रसन्न हैं; यह स्थिति न केवल हमारे देश में ही विद्यमान है बल्कि विश्व में सभी जगह यही हाल है। हाल ही में अमेरिका ने अपने कानून में परिवर्तन किया है। ब्रिटेन भी जल्दी ही अपने कानूनों में परिवर्तन करने जा रहा है। इस तरह मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसे कड़ाई से लागू करना भी बहुत आवश्यक है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, चाहे वे सदस्य श्री वृद्धि चन्द्र जैन हो या श्री मोहन्ती या श्री डोगरा या श्री डागा। एक मुख्य बात यह थी कि हमारी नीति में भारतीय संस्कृति की सही तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। मैं यह बात बिल्कुल

स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी जन संचार माध्यम का मूल उद्देश्य किसी भी समय किसी भी राष्ट्र में और हमारे राष्ट्र में भी सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाना होना चाहिए और इस माध्यम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिए। हमारा विश्वास है कि भारतीय दूरदर्शन भारतीय रहे और भारतीय फिल्में भारतीय दूरदर्शन पर दिखाई जाएं। भारतीय संस्कृति काफी समृद्ध और विविध है। उसे दिखाया जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति को नहीं दर्शाया जा रहा है। अब भारतीय संस्कृति को दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है और इसके लिए विविध कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। अगर आप सारी प्रक्रिया को देखेंगे तो पायेंगे कि काफी कुछ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, कई एक कार्यक्रम निर्माणाधीन हैं, जिनमें भारत की तस्वीर—इसका इतिहास, इसकी वर्तमान कोशिशें, इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं की तस्वीर और वह सब कुछ जो कि बहुत ही विविध और उच्च संस्कृति कहलाती है— दर्शाया जाएगा।

हमने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के विभिन्न चरणों को हमारी अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई को, जो कि विश्व की किसी भी क्रान्ति से कम महत्वपूर्ण नहीं है, चित्रित करना आरंभ कर दिया है। मैं किसी अन्य क्रान्ति पर भी जोर दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय क्रान्ति या संग्राम या जो कुछ भी आप इसे कहें, वह विश्व के किसी भी देश में घटी घटना से कम महत्वपूर्ण नहीं था। हमने इसे न केवल दूरदर्शन, रेडियो पर ही दिखाने का कार्यक्रम बनाया है, बल्कि अन्य तरीकों से भी इसका प्रचार कर रहे हैं। मुझे सभा में यह कहते हुए खुशी हो रही है; सदस्यों को यह पहले ही पता होगा, कि 15 अगस्त को ही पहली फिल्म "1857-दि बिगनिंग" (1857 शुरूआत) दिखाई गई।

और भी कई फिल्में जो कि हम बना रहे हैं, दूरदर्शन पर दिखायी जायेंगी। इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी दिखाये जाएंगे। मैं विदेश गया था और मैंने देखा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन आदि के कैसेटों की वहां भारी मांग है। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान और संगठन इस मांग के बारे में सोचें ताकि इस प्रकार के कैसेटों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सके और इन्हें बढ़ावा दिया जा सके। हम इस बारे में बड़ी तेजी से कार्यवाही कर रहे हैं।

कुछ शब्द फिल्मों के बारे में फीचर फिल्मों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र में है और मैं माननीय सदस्यों की इस चिंता के प्रति सजग हूं कि बहुत ज्यादा सैक्स और हिंसा का प्रदर्शन करना बुरी बात है। हमने फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह इस बारे में वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कठोरता से पालन करे और वह इसका अधिक से अधिक कठोरता से पालन कर रहा है। हमने फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड का भी पुनर्गठन किया है जिसमें लगभग आधी सदस्य महिलाएं हैं। हमने उनको निदेश दिया है कि वे कड़ाई से मापदण्डों को लागू करें।

हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोगों द्वारा अच्छी फिल्में बनाई जा रही हैं। हमें उनपर गर्व है। हम निर्माताओं और निर्देशकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे इस प्रकार की अच्छी फिल्में और कार्यक्रम

[श्री एच० के० एल० भगत]

तैयार करें। हमने इस बात पर भी जोर दिया है कि फिल्म उद्योग अच्छे कार्यक्रमों और फिल्मों के निर्माण पर अधिक ध्यान दे ताकि इनको दूरदर्शन और वीडियों सैंटों पर भी दिखाया जा सके। जहां तक बाजार नीति का सम्बन्ध है, हमारे फिल्म उद्योग को अभी बहुत कुछ करना है। मैं उनसे मिला हूं और उन्हें सलाह भी दी है क्योंकि अब जब एक फिल्म का निर्माण होता है, तो वीडियो के कारण इसकी नकल या चुराये जाने का खतरा होता है। निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे इस पहलू के प्रति सजग रहें।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे सांस्कृतिक लोकाचारों को विकसित किया जाना चाहिए। श्री महन्ती ने सुझाव दिया है कि हमें कवियों, पत्रकारों आदि की एक बैठक बुलानी चाहिए ताकि वे हमें अच्छे कार्यक्रमों के निर्माण के बारे में सलाह दे सकें। हम पहले ही कई एक लोगों से मिले हैं। अपने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के बारे में अच्छे कार्यक्रमों के निर्माण के लिए हमने उनके अनुभव का लाभ उठाना आरंभ कर दिया है।

कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनपर राज्यों से विचार करना होता है। हमने पहले ही इस बारे में एक बैठक की है। अब उनसे पुनः मिलने जा रहे हैं। तमिलनाडू सरकार ने वीडियो नियन्त्रण के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी कुछ अच्छे उपाय सुझाए हैं। लेकिन हम एक-रूपता चाहते हैं। हम उनसे इस बारे में पुनः बातचीत करना चाहते हैं ताकि हम अगामी कार्यवाही के बारे में एकमत हो सकें।

क्षेत्रवाद के सम्बन्ध में श्री महन्ती ने बताया कि कुछ राज्यों ने कहा है कि किसी विशेष भाषा की फिल्म केवल अमुक समय के लिए दिखाई जायेगी। कुछ राज्यों ने इस बारे में निर्णय ले लिया है। मैं इस प्रकार के क्षेत्रवाद के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन अन्य क्षेत्रों के हितों की भी रक्षा करनी होगी। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा न हो। अन्यथा यह एक खतरनाक प्रवृत्ति होगी। कुछ राज्यों ने इस बारे में कुछ कदम उठाये हैं। यह एक नाजुक मामला है। मैं इस मामले को विभिन्न राज्य सरकारों से उठाना चाहता हूं ताकि हम संविधान में निहित सभी भाषाओं को बढ़ावा दे सकें। कई एक कार्यक्रमों को विभिन्न भाषाओं में डब करने की हमारी एक नीति है। हम प्रादेशिक फिल्में न केवल उसी क्षेत्र में ही दिखाते हैं बल्कि इसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी दिखा रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम अपने कार्यक्रमों में उन सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दें जो कि देश के विभिन्न भागों में बोली और समझी जाती हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना चाहिये कि क्षेत्रवाद में हम इतना न बह जायें कि देश की एकता ही खतरे में पड़ जाये।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन और श्री मूलचन्द डागा ने जो सुझाव दिये हैं मैंने उनपर ध्यान दिया है। उनके लिए मैं आभारी हूं।

मुझे खुशी है कि विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। आशा है यह विधेयक उपयोगी सिद्ध होगा।

6.30 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

66 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 66 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

6 30½ म०प०

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—जारी

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 452 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 3 लेंगे। श्री जी० एम० बनातवाला और श्री बृज मोहन महन्ती ने संशोधनों की सूचना दी है। श्री जी० एम० बनातवाला अनुपस्थित। श्री बृजमोहन महन्ती।

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि मंत्री जी 'योजना' और 'आकाशवाणी' की उड़िया भाषा में भी मुद्रित कराने पर सक्रिय रूप से विचार करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक दो सुझाव देना चाह रहा था। एक तो यह कि जैसा कि वृद्धि चन्द्र जैन जी ने बताया है कि रीमोट एरियाज में भी वीडियो काफी प्रचलित हो रहा है और हमारे यहां पहाड़ों पर भी इस तरह से फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिसका बुरा असर पड़ रहा है। यह भी सुना है कि काफी ब्लू फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। हमारे यहां तो इसको रोकना काफी आसान होगा क्योंकि वहां पर बिजली तो है नहीं। वे लोग जेनरेटर सैट रख कर ले जाते हैं। इसलिए इसको रोकना काफी आसान है। पहाड़ों पर लोगों को एक्सप्लाइट किया जा रहा है, इसके लिए भी इस पर रोक लगाना आवश्यक है।

एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम दिखाये जाते हैं, उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। खासकर स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे जो आल इंडिया लेवल पर टूर्नामेंट्स होते हैं, कम्पीटीशन होते हैं, उनको खासतौर से फिल्माना चाहिए और दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। हमारे नौजवानों और बच्चों को भी बहुत शौक है। हमारे नौजवान लास एन्जेलिस के ओलम्पीक गेम्स को देखने के लिए जरूरी पाइन्ट बनाकर आते थे। इतना शौक है, गेम्स को देखने के लिए। इसलिये मैं चाहूंगा कि दूरदर्शन में स्पोर्ट्स आइटम डेली दिखाया जाये। इससे हमारे नौजवानों के माइन्ड पर अच्छा असर पड़ सकता है। हमारी फीचर फिल्म प्राईवेट सैक्टर में हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि पब्लिक सैक्टर में अच्छी-अच्छी फिल्मों का प्रोडक्शन शुरू हो जाये। फिल्म इंस्टीच्युट पूना से हर साल बहुत सारे नए एक्टर्स क्वालिफाई करके निकलते हैं और बम्बई के फिल्में बाजारों में घूमते हैं। इन लोगों को कोई भी चांस नहीं मिल पाता। मैं समझता हूं अगर पब्लिक सैक्टर में फिल्में बनें तो जो बड़े-बड़े एक्टर्स तीस-तीस और पचास-पचास लाख रुपया लेते हैं, वह खत्म हो जायेगा। इसलिये, नये-नये एक्टर्स को पब्लिक सैक्टर में लेकर अच्छी-

अच्छी फिल्में बनाएं और दूरदर्शन पर भी दिखाएं। यह लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फायदेमन्द हो सकता है। इन चन्द बातों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे मित्र मंत्री जी ने आन्ध्र प्रदेश में कई स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र खोले हैं लेकिन दुर्भाग्य से मेरे अपने नगर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय गुंटूर में, जो हर दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश के 4 या 5 मुख्य नगरों में गिना जाता है, कोई केन्द्र खोलने का प्रयास नहीं किया गया। इस कारण वहां के व्यापारी, उद्योगपति तथा आम लोग मुझे बार-बार उलाहना देते हैं। वे बहुत इच्छुक हैं कि ऐसा केन्द्र वहां यथा सम्भव शीघ्र खुल जाये। मुझे पूरी आशा है कि मेरे मित्र श्री भगत जल्दी ही और यदि सम्भव हो तो कुछ महीनों में ही वहां एक केन्द्र स्थापित करेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मेरे मित्र वरिष्ठ सांसद प्रो० रंगा ने गुंटूर का उल्लेख किया है। मैं कल उन्हें जानकारी दूंगा कि गुंटूर को हम कैसे यह सुविधा देंगे।

जहां तक श्री नामग्याल के सुझाव का सम्बन्ध है, निश्चय ही इन दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन दूर-दराज में होने के कारण वहां वीडियो के अभिशाप को रोकना कठिन होगा। मेरे विचार से एक तरीका तो यह है कि वहां दूरदर्शन का अधिक से अधिक विस्तार किया जाये। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए हमने विशेष योजना बनाई है और आगे की योजना में भी हम ध्यान दे रहे हैं कि इन दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को दूरदर्शन की सुविधा अधिकाधिक पहुंचाई जाये।...(**व्यवधान**)

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : आपका मतलब केवल पहाड़ी क्षेत्रों से है या जनजाति क्षेत्रों से भी है?

श्री एच० के० एल० भगत : जरूर, जरूर, मैं मानता हूं। जिस योजना पर अब हम विचार कर रहे हैं, उसमें कुछ कसौटी रखी गई थी जिसके कारण कुछ क्षेत्र रह गये हैं। अगली योजना में जो हम तैयार कर रहे हैं, इस प्रश्न पर विचार होगा। हम जनजाति क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि की ओर विशेष ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को उन क्षेत्रों का पूरा ध्यान है जहां दूरदर्शन नहीं पहुंचा है। यह समय इस विषय के विस्तार में जाने का नहीं है लेकिन चूंकि यह बात उठाई गई है इसलिए मैं कुछ शब्द कहूंगा।

जहां तक क्षेत्रीय कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मैं बता दूं कि हमने हैदराबाद से तेलगु भाषा में, बंगलौर से कन्नाड़ में समाचार प्रसारित करना शुरू कर दिया है और गोहाटी से भी वहां की भाषा में समाचार बुलेटिन शुरू करने का प्रस्ताव है। वास्तव में हमारी योजना यह है कि सभी क्षेत्रीय केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारों का सीधे प्रसारण किया जाये।

खेल कार्यक्रमों के बारे में माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। हम ऐसे कार्यक्रम दिखा रहे हैं और हम भारतीय खेलों के बारे में अधिक लोकप्रिय खेल कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं।

[श्री एच० के० एल० भगत]

महोदय, हमारे देश में खेल गतिविधियां खूब हो रही हैं और उन्हें दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है और उनकी सराहना भी हो रही है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें सरकारी क्षेत्र में फिल्में तैयार करनी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र यह काम अपने हाथ में ले ले, यह तो सम्भव नहीं होगा और न ही वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत यह वांछनीय होगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि अच्छे चलचित्र बनने चाहिए। एन० एफ० डी० सी० ने कुछ अच्छे चलचित्र बनाये हैं जैसे कि 'आदि शंकराचार्य' को पुरस्कार मिला है। अतः मेरा कहना यह है कि चलचित्र निर्माण का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र में रहेगा।

अब मैं स्वतन्त्रता संग्राम पर बने वृत्त चित्रों का उल्लेख करूंगा। उन्हें सारी भाषाओं में 'डब' किया जा रहा है। उन्हें न केवल दूरदर्शन के सभी केन्द्रों, बल्कि देश के सभी सिनेमाघरों में एक साथ दिखाया जाना है।

अब मैं फिल्म संस्थान, पूना पर आता हूं। शायद मेरे मित्र श्री पी० नामग्याल को सही जानकारी नहीं है। इस संस्थान से काफी अभिनेता तथा अभिनेत्रियां आई हैं। हम संस्थान से भी लाभ उठा रहे हैं। कुछ समय पहले अभिनय पाठ्यक्रम तो बन्द कर दिया गया था। अब दूरदर्शन के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जा रहा है। कैमरामैन आदि जैसे कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं। हम उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एन० डी० एफ० सी० विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न राशियों के ऋण देता है। वे ऋण ले सकते हैं और कई अभिनेताओं ने इसका लाभ भी उठाया है। इस प्रकार हम नई प्रतिभाओं को उभरने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

सभापति महोदय : ऐसी धारणा है कि दूरदर्शन पर अच्छी फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं नहीं कहता कि दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली सभी फिल्में अच्छी या बुरी होती हैं। यह तो अपनी रुचि की बात है। उदाहरण के लिए एक प्रेस सम्मेलन में मेरी आयु के कुछ लोग खड़े होकर कहने लगे : हम चित्रहार नहीं चाहते। हम अपने परिवार के साथ बैठ कर उसे नहीं देख सकते। लेकिन तत्काल ही कुछ युवा पत्रकार उठ खड़े हुए और कहने लगे : आप भी उम्र के बहाव में न बहें। इसलिए महोदय, मेरी भी सीमाएं हैं।

महोदय, मैं फिल्मों की चोरी नहीं कर सकता। मुझे फिल्म निर्माताओं के पास जाना होता है। यदि उसकी फिल्म बाजार में खूब चली हो तो वह फिल्म नहीं देता।

महोदय, हमने अनुदेश दिये हैं कि 'केवल वयस्कों के लिए' फिल्में दूरदर्शन पर न दिखाई जायें। अन्य फिल्मों के बारे में भी हमने अनुदेश दिये हैं कि खराब दृश्य न दिखाये जायें और उन्हें

दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्म में से काट दिया जाये। हम यथा सम्भव सावधानी बरत रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.44 म० प०

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार बोनस पाने के अधिकारी हैं। वर्ष 1976 में भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद उठाया जिसमें उन्होंने बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की योजना के बाहर दो महीने का मूल वेतन बोनस के रूप में दिये जाने का दावा किया और इसके लिए वेतन की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी जानी चाहिए। उन्होंने यह दलील दी थी कि भारतीय स्टेट बैंक में इसी प्रकार की परम्परा रही थी और इसलिए यह मिलता रहना चाहिए। यह मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास को 1982 में भेजा गया था जिसने कर्मचारियों के इस दावे को स्वीकार किया। भारतीय स्टेट बैंक ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के जरिए इस पंचाट (एवार्ड) को चुनौती दी है और यह याचिका लम्बित है।

वेतन की अधिकतम सीमा पर ध्यान न देते हुए स्टेट बैंक के सभी कर्मचारियों को दो महीने के मूल वेतन के बराबर बोनस की अदायगी का आशय विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों के बीच भेदभाव होगा जिसका कोई औचित्य नहीं है। यदि स्टेट बैंक केवल इस आधार पर ऐसी अधिक अदायगी की अनुमति देता था कि इसकी अदायगी हर वर्ष विभिन्न प्रबन्धक वर्ग द्वारा की गई थी तो इससे बोनस संदाय अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोजन ही खत्म हो जायेगा। इस पंचाट से सरकारी क्षेत्र के बैंकों

[श्री एस० एम० कृष्ण]

के मंजूरी ढांचे में विषमता उत्पन्न हो गई है जबकि राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार का पूरा प्रयास इन विषमताओं को कम करना और समानता लाना तथा मानकीकरण करना है। बोनस की अदायगी को युक्तिसंगत बनाने की मूल धारणा को कार्य रूप देने और इस पंचाट के कारण उत्पन्न विषमताओं को दूर करने के लिये वर्तमान विधान लाया गया है ताकि सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही बोनस मिल सके अन्यथा नहीं।

इस पंचाट से विशेषकर प्रस्तावित मजूरी संशोधन के बाद स्टेट बैंक में भारी वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि एक बार सरकारी क्षेत्र के एक बैंक के कर्मचारियों को अधिक बोनस दिया जाता है तो 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की दलील पर सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के कर्मचारियों से प्राप्त ऐसी मांगों का प्रतिरोध करना मुश्किल होगा।

श्रमिक वर्ग के किसी वर्ग को उचित देय राशियों से वंचित करने का सरकार का बिल्कुल इरादा नहीं है। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार बैंक कर्मचारियों को दिये जा रहे बोनस प्राप्त करने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप करने का भी सरकार का इरादा नहीं है। वास्तव में, बोनस संदाय अधिनियम की धारा 20 में व्यवस्था की गई है जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के अधिक बोनस लेने की सम्भावना है। जहां अधिक उत्पादिकता के जरिये कोई बैंक कारोबार की अपनी कुल बिक्री को बढ़ाता है और इसके परिणामस्वरूप इसके मुनाफे और कुल आय में वृद्धि होती है तो इस बैंक के कर्मचारियों के लिये अपने वेतन का 20 प्रतिशत तक अधिकतम बोनस अर्जित करना सम्भव है।

इस प्रकार अधिक बोनस अर्जित करने की सम्भावना में कमी नहीं हुई है। इस विधेयक के जरिये सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के मामले में एकरूपता लाने और ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों से अलग होने के तत्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब, श्री मूलचन्द डागा बोलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जो बिल मंत्री जी लाये हैं इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन अब तो हमारे वित्त मंत्री भी कहने लग गये हैं कि बैंकों की जो सेवायें हैं वह अच्छी

नहीं हैं। आप जनता में राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में यह धारणा है कि वहां के कर्मचारी जनता की सेवा कर्त्तव्य और निष्ठा के साथ नहीं कर पा रहे हैं, और आज यह बात आम चर्चा है। बैंकों के कर्मचारियों को पहले ओवर टाइम अलाउंस करोड़ों रु० मिलता था। जिसके खिलाफ हमने आवाज उठाई और वह कम हुआ। आज बैंक के कर्मचारी ग्राहकों के प्रति अच्छा रवैया प्रदर्शित नहीं करते। सबसे बड़ा कारण है कि बैंक के लोग सेवा की भावना से काम नहीं करते हैं। आज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा सवाल ईक्वल पे फार ईक्वल वर्क का पैदा हुआ है। अभी तक हमारी नेशन की कोई वेतन नीति नहीं बनी। किसी को कुछ बोनस मिल जाता है, पब्लिक सैक्टर वाले कुछ करते हैं और कहीं कुछ होता है।

आपने गांव में दूरदराज में बैंक खोले हैं, वहां काम करने वालों की तनख्वाह और सुविधायें कम हैं, उनकी आमदनी कैसे होगी इसलिये वहां पर बोनस कम मिलेगा। आपने जो बिल पेश किया है, उन लोगों ने चाहा था कि 2 महीने का बोनस साल में मिलना चाहिये। उनको यह ख्याल नहीं हुआ कि हिन्दुस्तान में अभी भी 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अगर बैंक वाले चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाये, सरकार तो मंहगाई भत्ता हर साल बढ़ाती ही है, लेकिन गांव में जो साधारण लोग रहते हैं, बढ़ती हुई मंहगाई का उन पर भी तो असर पड़ता है, लेकिन उनको क्या लाभ होता है ? जो केवल आर्गेनाइज्ड सैक्टर है वह मांग करता है कि वह होना चाहिये।

कोर्ट ने फैसला दे दिया। जब ट्रिबुनल ने फैसला दिया कि उनको बोनस मिलना चाहिये तो उन्होंने सारे देश की आर्थिक स्थिति वर्तमान हालत और सारे नेशनलाइज्ड बैंकों की हालत न सोचते हुए फैसला दे दिया। आज बैंकों में कितने फ्राड और घोटाले होते हैं। इन बैंकों के कारण कितनी सिक इंडस्ट्रीज में करोड़ों-करोड़ों रुपया डूब गया ? इसे रिक्वर नहीं कर सकते हैं। यह बैंक के मैनेजमेंट की गलती के कारण सिक इंडस्ट्रीज में रुपया डूबा है। आज कितना रुपया चला गया जिसे हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं ?

आज बैंकों में कर्मचारी काम नहीं करते हैं वह वहां पर सिनेमा की बात करते हैं और सेवा की भावना से नहीं जाते हैं और वह बोनस लेने के लिये तैयार हैं। आज जो संगठित क्षेत्र हैं, आर्गेनाइज्ड सैक्टर हैं, वह तो कर सकते हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, अन-आर्गेनाइज्ड हैं, गांव में खेतिहार मजदूर काम करते हैं, खून-पसीना बहाते हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में कोई नहीं सोचता है। आपने जो कदम उठाया है कि 1965 का बोनस एक्ट सब राष्ट्रीय नेशनल बैंक में लगना चाहिये मैं खासतौर से ध्यान में लाना चाहता हूं कि गांव में जो ग्रामीण बैंक हैं और जो लोग दूरदराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों को भी देखा जाना चाहिये, उनके लिये भी रूल-रैगुलशन्ज बनने चाहियें।

आज जो बैंक कर्मचारियों के द्वारा लोगों को ऋण और सबसीडी मिलती है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। लोगों की सबसीडी तक बैंक के कर्मचारी वी० डी० ओ० और तहसीलदार से मिलकर हड़प कर जाते हैं, और घोटाले करते हैं। इस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार जो गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहती है, वह नहीं ला पाती है।

[श्री मूलचन्द डागा]

इसलिये मैं आशा करूंगा कि जो बोनस की बात आप करते हैं, उसके साथ-साथ बैंकों के काम में सुधार होना भी आवश्यक है, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे और ग्रामीण बैंकों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में भी तरक्की करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं इस विधेयक के बारे में सरकार से सहमत हूं। अब: मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं।

यह अच्छी बात है कि पिछले दस वर्षों से अत्यन्त सभ्रांत और रूढ़िवादी स्टेट बैंक ने भी छोटे उद्योगों, ग्रामीणों तथा छोटे किसानों को ऋण देना शुरू कर दिया है। परन्तु मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहूंगा कि स्टेट बैंक अन्य अनुसूचित बैंकों के साथ जिनका सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया है इन गरीब लोगों को ऋण देने के मामले में प्रतिस्पर्धा करे। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट बैंक का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को ऐसा मनाने के लिये अब तक कोई प्रयास किया गया है कि वे अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लें और यह सुनिश्चित करें कि जैसे यह एक प्रमुख बैंक है, उसी प्रकार सेवाओं के मामले में भी यह प्रमुख स्थिति प्राप्त करे।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि देश में बैंक कर्मचारियों को सर्वाधिक वेतन मिलता है। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं कि उन्हें अधिक बोनस भी मिले। लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि वे बैंक में विश्वास करने वाले लोगों तथा ऐसे लोगों, जिनका बैंकों के साथ संभवतया कुछ लेन-देन हो सकता है, के प्रति सेवा प्रदान करने के मामले में एकदूसरे से प्रतिस्पर्धा करें।

प्रसंगवश मैं वित्त मंत्रालय और विशेष रूप से इसके उपमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होने इन बैंकों तथा इन बैंकों के प्रभारी अधिकारियों को राजी करवा लिया है कि वे छोटे किसानों तथा कृषि श्रमिकों को भी ऋण दें और उनकी सहायता करें ताकि वे दिये जा रहे इन ऋणों की सहायता से स्वयं के लिये कुछ उपयोगी दर्जा प्राप्त कर सकें। इस सम्बन्ध में अब तक अच्छी प्रगति हुई है और अधिक प्रगति हो सकती है, बशर्ते कि बैंक और इन बैंकों के प्रभारी अधिकारी पूरी तरह से सरकार को सहयोग दें और ऋण सुविधायें प्रदान करके बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार की सहायता करें। मैं पूरी आशा करता हूं कि सरकार को बैंकों के कर्मचारियों से अधिकतम सम्भव सहयोग मिल सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सभा को याद होगा कि किस प्रकार हमारे वित्त मंत्री को बार-बार कहना पड़ा है कि इन विभिन्न बैंकों में कर्मचारियों से अधिकाधिक सहयोग की जरूरत है और अब तक कर्मचारी कितने रूढ़िवादी रहे हैं। यही कारण है कि मैं संसद के गैर-सरकारी पक्ष से उनकी अपील को दोहराना चाहता हूं और उन सभी लोगों तथा इन बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों और विशेष रूप से इस प्रमुख बैंक में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि वे सरकार के बीस-सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए सहयोग करें और इस तरीके से हमारे कृषि श्रमिकों के बड़े वर्गों तथा अन्य उद्योगों के श्रमिकों की भी सहायता करें ताकि वे बैंकिंग कार्यों का लाभ उठा सकें।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, इस विधेयक को सभी माननीय सदस्यों तथा विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नेता प्रो० रंगा जी और श्री डागा जी का समर्थन मिला है। यह ठीक ही कहा गया है और रिकार्ड को सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है कि वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं जिन्होंने देश में गरीब लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिये थे जिससे देश में एक अत्यन्त स्मरणीय आर्थिक क्रांति लाई गई। और इस समय यदि लाखों भारतीयों को जिन्हें बैंकों में जाने का कभी अवसर नहीं मिला था, बैंकों में जाने का पर्याप्त उत्साह मिला है और वे ऋण लेते हैं तो मेरे विचार से भारी परिवर्तन हो रहा है।

7.00 म० प०

अब बैंक कर्मचारियों को अपनी विचारधारा और अपने रवैये में परिवर्तन करना है और उन्हें सरकार द्वारा यदा-कदा घोषित नीतियों के साथ चलना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वे हो रहे परिवर्तन को नोट करेंगे और उनका रवैया इस दिशा में होगा जिसमें नीतियां बनाई गई हैं।

इस विधेयक के अत्यन्त सीमित उद्देश्य और परिधि है। यह कुछ एकरूपता लाना चाहता है। मुझे खुशी है कि सदन ने इस विधेयक के साथ सहमति व्यक्त की है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १९५६, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा मंगलवार, 21 अगस्त, 1984 को 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है ।

7.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 21 अगस्त 1984/ 30 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2.